दशम माला, खंड 15, अंक 25

सोमवार, 10 अगस्त, 1992
19 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 15 में अंक 21 से 31 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 25, सोमवार, 10 अगस्त, 1992/19 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर : वेहि	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 47., 472, 474 और 47	
प्रश्नों के ित उत्तर :	23—238
तारांकित प्रश्न संख्या : 473 और 476 से 490	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4914 से 4981, 4983 से 5146 और 5146क	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) आरक्षण के सम्बन्ध में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी स्थिति	
श्री सीताराम केसरी ...	238—240
(दो) स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई विशेष सुविधाएं	
श्री राजेश पायलट	298—299
आरक्षण के सम्बन्ध में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में	240—252
राज्य सभा से सन्देश	252—253
संसदीय समितियां—एक समीक्षा	253
नियम 377 के अधीन मामले	266—269
(एक) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में तटवर्ती गांवों के मछुआरों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन० डेनिस	266

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 25, सोमवार, 10 अगस्त, 1992/19 श्रावण, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 4.., 472, 474 और 47		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	23—238
तारांकित प्रश्न संख्या : 473 और 476 से 490		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4914 से 4981, 4983 से 5146 और 5146क		
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
(एक) आरक्षण के सम्बन्ध में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी स्थिति		
श्री सीताराम केसरी	...	238—240
(दो) स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई विशेष सुविधाएं		
श्री राजेश पायलट	... ...	298—299
आरक्षण के सम्बन्ध में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में	... ...	240—252
राज्य सभा से सन्देश	... ...	252—253
संसदीय समितियां—एक समीक्षा	... ...	253
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	266—269
(एक) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में तटवर्ती गांवों के मछुआरों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता		
श्री एन० डेनिस	... ...	266

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(दो) केरल में नाइलोन और नेडमपाईकुलम में रेलवे ऊपरी पुलों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुन्नील सुरेश 266

(तीन) राजस्थान में सिद्धमुख और नोहर फीडर के निर्माण के लिए धनराशि शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल 267

(चार) बरेली, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार ... ... 267—268

(पांच) उत्तर प्रदेश में हाथरस स्थित जे० के० पेट्रोकैमिकल्स परियोजना को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता

डा० लाल बहादुर रावल 268

(छ:) भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 268

(सात) देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग को सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास 269

(आठ) न्यू जलपाईगुड़ी और सिक्किम के बीच एक नई रेलगाड़ी "कंचनजंगा एक्सप्रेस" चलाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी ... 269

सभा पटल पर रखे गए पत्र ... ... 270—271

अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेल), 1992-93 272

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1988-89 272—323

श्री विजय कुमार यादव 272—275

श्री किरिप चाहिला 275—277

श्री वीरेन्द्र सिंह 277—279

श्री पी० सी० थामस ... ... 279—280

श्री के० पी० सिंह देव 280—282

श्री सैयद मसूदल हुसैन ... ... 282—283

विषय | | पृष्ठ

विषय	पृष्ठ
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	283—284
श्री राजवीर सिंह	284—286
श्री शरत चन्द्र पटनायक	286—287
डा० असीम बाला ...	287—288
श्री पीयूष तीरकी	289—290
श्री मृत्युंजय नायक	290—291
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	291—292
श्री हरचन्द सिंह	292—293
श्री अरविन्द त्रिवेदी	293
श्री सुबास चन्द्र नायक	293—295
श्री केवल सिंह	295
श्री संजय लाल	295—296
डा० जयन्त रंगपी	297—298
श्री के० एच० मुनियप्पा	299—300
श्री लोकनाथ चौधरी	300—301
श्री अयूब खां	301—306
श्रीमती शीला गौतम	307
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	307—308
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा	308
श्री मोहन सिंह (देवरिया) ...	308—309
श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह	309
श्री बीर सिंह महतो ...	310
श्री माणिकराव होडल्या गावीत	310
श्री जी० एल० कनौजिया	310—311
श्री सुदर्शनराय चौधरी	311—312
श्रीमती सरोज दुबे	312—313
श्री सी० के० जाफर शरीफ	314
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1992 पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	324
श्री सी० के० जाफर शरीफ	324

विषय				पृष्ठ

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी० के० जाफर शरीफ 324

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी० के० जाफर शरीफ 326

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1992 326

पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी० के० जाफर शरीफ 326

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी० के० जाफर शरीफ 327

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी० के० जाफर शरीफ 327

लोक सभा

सोमवार, 10 अगस्त, 1992/19 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

लघु इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

*471. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)† :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटेलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने लघु इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम बनाया है, जिससे उनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता, गुणवत्ता, ऊर्जा बचत में भी सुधार हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि० द्वारा लघु इस्पात संयंत्रों के किए गए अध्ययनों से निम्नलिखित आधुनिकीकरण उपायों का पता चला है:—

उत्पादकता/क्षमता में सुधार

(i) उच्च शक्ति के ट्रांसफारमरों को लगाना।

(ii) जल प्रशीतित साइडवाल और छत बनाना।

(iii) प्रत्यक्ष अपचयीत लौह का प्रयोग

(iv) पावर फैक्टर करेक्शन उपकरण की स्थापना।

(v) सहायक कार्यों का यंत्रीकरण।

(vi) सतत् ढलायी प्रक्रिया।

बिजली की खपत में कमी करना तथा ऊर्जा संरक्षण

(i) आक्सीजन की सहायता से प्रगलन

(ii) आक्सी-फ्यूल बर्नर्स

(iii) स्क्रैप प्री-हिटिंग

(iv) चूना-पत्थर के स्थान पर चूना का प्रयोग

(v) लैडल फर्नेस

(vi) स्वचालन

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि वैसे तो पुरानी तकनीक के कारण इस्पात का उत्पादन अधिक नहीं हो पाता और इसलिए इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए जिन सुधारों का ब्यौरा आपने उत्तर में दिया है, उनको लागू करने के लिए क्या सरकार ने कोई विशेष परियोजनाएं बनाई हैं? यदि कोई परियोजना बनाई है तो उसको कार्यान्वित करने का आरम्भ कब करने जा रहे हैं? यदि कर दिया है तो उस पर अनुमानित कितना धन खर्च होगा और कितने समय में यह परियोजना पूरी हो जाएगी?

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : इस्पात से लाइसेंस और नियंत्रण हटा लिए जाने के बाद, गौण क्षेत्र से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने-आप ही दर्जा बढ़ाये और आधुनिकीकरण करें। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, यह सच है कि 1985 में इस्पात मंत्रालय ने मेकोन (एम०ई०सी०ओ०एन०) को गौण क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए विस्तारपूर्वक अध्ययन हेतु कहा गया था। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक समिति भी बनाई है। उस समिति के आधार पर, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि उसकी सिफारिशें कौन-कौन सी हैं। सिफारिशों के अनुसार, देश में लगभग 177 विद्युत लौह भट्टियां हैं। उन्होंने कुछ कदम उठाये हैं और उन्हें आई० डी० बी० आई० से आर्थिक सहायता मिल रही है। मौद्रिक-धन सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए इस्पात मंत्रालय के पास कोई परियोजना नहीं है। लेकिन हमारे पास एक कार्य-बल है, जिसने विभिन्न सम्पर्क सूत्रों का पता लगाया है। हम उन्हें गौण क्षेत्र को एक प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, ताकि वे इसके आधुनिकीकरण का, सिफारिशों के अनुसार, फायदा उठा सकें। लाइसेंस और नियंत्रण हटा लिए जाने के बाद, इसने अब आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम उठाया है। मुझे विश्वास है कि थोड़े ही समय में यह गौण-क्षेत्र को भी सुदृढ़ बनाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है कि इन सुधारों के फलस्वरूप इस्पात के उत्पादन में कुल कितनी बढ़ोतरी होने की आशा है तथा उर्जा की कितनी बचत होने की संभावना है, और मैं यह भी जानना चाहती हूं कि कुल कितने लाख इस्पात संयंत्र हैं जिनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है और वह कहां-कहां स्थित हैं ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, पिछले वर्ष हमारा उत्पादन 14.8 मिलियन टन था। इस वर्ष का लक्ष्य 16.3 मिलियन टन उत्पादन का है। गौण क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता सात मिलियन टन है। पिछले वर्ष तक हम केवल चार मिलियन टन का उत्पादन करते रहे हैं। जब लाइसेंस और नियंत्रण हटाया गया था, इस्पात मंत्रालय के अनुरोध पर भारत सरकार ने 'स्क्रैप' जोकि गौण क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चा माल है, पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश में 'स्क्रैप, की उपलब्धता बढ़ गई है। इतना ही नहीं बल्कि ढलवां, लोहे ने भी, जोकि गौण क्षेत्र हेतु एक और कच्चा माल है, बाजार में एक बड़ी सुधारात्मक क्षमता उपयोगिता हासिल कर ली है तथा और अधिक मात्रा में ढलुवां लोहा अब उपलब्ध है। हम आशा करते हैं कि इन उपायों से 1995-96 के अन्त तक उत्पादन सात मिलियन टन से भी ज्यादा हो जायेगा और 2000 ई० तक यह उत्पादन 10 से 15 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। जैसाकि मैंने कहा है, गौण क्षेत्र में लघु इस्पात संयंत्र हैं और ये अधिकतर निजी क्षेत्र में हैं। हमारा सम्बन्ध केवल एकीकृत इस्पात संयंत्रों से है। हम राउरकेला में स्थित अपने संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु कदम उठा रहे हैं। संविदा को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है और विश्वव्यापी टेंडर दिये गये हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए, हम पी० आई० बी० से भी मिल रहे हैं। दुर्गापुर संयंत्र का आधुनिकीकरण चल रहा है। यह कार्य, निर्धारित कार्यक्रम से कुछ पीछे चल रहा है, क्योंकि रूस में कुछ समस्या होने के कारण रूस की फर्म कार्य नहीं कर रही है। अब हमने इस पर काबू पा लिया है। हमें आशा है कि 'ब्लस्ट फर्नेन्स-II' के सिवाय, दुर्गापुर संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्य मार्च, 1993 तक पूरा कर लिया जायेगा। हमें संयंत्र के कामगारों से सहयोग मिल रहा है और मेरा विश्वास है कि मार्च, 1993 तक दुर्गापुर संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या किसी निजी क्षेत्र के उपक्रम से उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले की बोनाई उप-तहसील के खनन क्षेत्र में एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो इन प्रस्तावों को अनुमोदित करने में क्या बाधाएं हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी मैं माननीय सदस्यगण को भेज दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ये लघु इस्पात संयंत्र हमारे देश की इस्पात की मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अनेकों इस्पात संयंत्र ऐसे हैं, जोकि विभिन्न कारणों से बन्द हो गये हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह इन लघु इस्पात संयंत्रों का अध्ययन करने के लिए मेकोन (एम० ई० सी० ओ० एन०) को निदेश देंगे, ताकि इन संयंत्रों क

पुनर्जीवित किया जा सके।

दूसरे, हमारे जिले पुरुलिया में दो लघु इस्पात संयंत्र बंद पड़े हैं। मंत्री महोदय ने हमारे जिले का दौरा किया है और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वह इन बंद पड़े लघु इस्पात संयंत्रों को पुनर्जीवित करने हेतु सभी कदम उठायेंगे। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह इस जिले के इन दो लघु इस्पात संयंत्रों को अर्थक्षम बनाने का अध्ययन करने के लिए मेकोन (एम० ई० सी० ओ०एन०) को कहेंगे, ताकि इन दो लघु इस्पात संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जा सके और इनमें उत्पादन शुरू हो सके?

श्री संतोष मोहन देव : 1991 का वर्ष लघु इस्पात संयंत्रों के लिए एक खराब काल था क्योंकि 'स्क्रैप' की उपलब्धता नहीं थी और स्क्रैप की यह अनुपलब्धता सीमा शुल्क की ऊंची दर 35 प्रतिशत के कारण थी। अब, इसे घटा दिया गया है। 177 लघु इस्पात संयंत्रों में से लगभग 50 बंद थे। उनमें से अनेक अब खुल गए हैं और उनमें से कुछ विद्युत-आपूर्ति की कमी के कारण खुल नहीं पाए हैं और न कि कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण खुल नहीं पाए हैं। यह लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में कठिनाइयों में से एक कठिनाई है। कैप्टिव-विद्युत संयंत्र भी अर्थक्षम नहीं है। यही मुख्य कारण है कि कुछ संयंत्र अभी भी बंद पड़े हुए हैं।

माननीय सदस्यगण ने पुरुलिया में बंद पड़े दो लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में उल्लेख किया है। हां, मैंने इन दो संयंत्रों का दौरा किया है। मैं मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से मिला हूं। एक संयंत्र का मालिक कलकत्ता में है और दूसरे का पटना में। मेरे बार-बार अनुरोध के बावजूद भी, वे मुझ से नहीं मिले हैं। माननीय सदस्यगण मेरे मंत्रालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें मेरे पास ला सकते हैं, मैं उन्हें सहायता देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मजदूर पीड़ित हैं। मेरी उनसे पूर्ण सहानुभूति है। कांग्रेस और सी० पी० आई० (एम०) उन्हें यहां लाने के लिए एक साथ कार्य करें।

श्री विजय एन० पाटील : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि विद्युत-आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण कुछ इस्पात संयंत्र अभी भी बंद पड़े हैं। मेकोन (एम० ई० सी० ओ० एन०) की प्रथम सिफारिश उच्च-शक्ति ट्रांसफारमर लगाने की है। अत: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से विद्युत-आपूर्ति करा इन लघु इस्पात संयंत्रों को पुनर्जीवित करने हेतु क्या विशेष प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर ये संयंत्र कुछ समय और बंद पड़े रहे तो फिर ये पूर्णत: बेकार हो जायेंगे और उन्हें पुन: चालू करना मुश्किल हो जायगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मुख्य समस्या यह है कि ये छोटे इस्पात संयंत्र गाजियाबाद और पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ को छोड़ कर अन्य स्थानों पर एक जगह स्थापित नहीं हैं, जिसके कारण यदि हम कुछ उद्यमियों से रहित विद्युत संयंत्र स्थापित करवाकर उनकी मदद भी करना चाहें तो ऐसा अत्यंत कठिन है। ये वीरान जगहों पर स्थापित हैं अत: इन्हें राष्ट्रीय एवं राज्यों के स्तर से सहायता देने की आवश्यकता है। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है तथा माननीय सदस्यों से भी अपील की है कि वे भी राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में अनुरोध करें क्योंकि इन लघु इस्पात संयंत्रों में बेरोजगार युवकों, खासकर तीसरी पास या नान मैट्रिकों की बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होता है। अत: इन संयंत्रों का होना जरूरी है। अपनी ओर से हम उन्हें सहायता करने का प्रयास

कर रहे हैं । जब भी उन्हें वित्तीय सहायता के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में आने की जरूरत पड़ती है हम उनकी मदद करते हैं और हमें आशा है कि बैंक भी उन्हें मदद करने की पूरी कोशिश करता है । लेकिन बिजली की उपलब्धता राज्य सरकारों पर निर्भर है और सभी राज्य सरकारें पहले ही इसकी कमी झेल रही हैं । अब निजी क्षेत्र के लोग विद्युत संयंत्र स्थापित करने में आगे आ रहे हैं । हमें आशा करनी चाहिए कि इससे स्थिति में सुधार होगा ।

[हिन्दी]

श्री० एस० एम० लालजान बाशा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को जैसा कि विदित ही है कि हमारे देश में गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए स्टील उपलब्ध नहीं है । गत 5 वर्षों में स्टील 7 हजार रुपए मीट्रिक टन से 14 हजार रुपए मीट्रिक टन हो गया है । हमारे आंध्रप्रदेश में तो हर साल तूफान के कारण बहुत बड़ी संख्या में मकान नष्ट हो जाते हैं इसलिए वहां घर ज्यादा संख्या में बनाने की जरूरत होती है । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे राज्यों में स्टील प्लान्ट और रौलिंग मिल ज्यादा संख्या में लगाने एवं स्टील की कीमतें कम करने पर विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि मूल्य वृद्धि का दोष हम पर लगाया जा रहा है । जब कि लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण इसके मूल्य बढ़े हैं । बिजली की दर, कोयले का मूल्य,रेल भड़े आदि, बढ़े हैं और अवमूल्यन के कारण आयातित कुकिंग कोयला महंगे हो गये हैं । हमने चौदह से 15 प्रतिशत मूल्य बढ़ाए हैं, उनमें से बारह प्रतिशत की वृद्धि तो लागत मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है । वास्तविक वृद्धि तो सिर्फ दो प्रतिशत की हुई है । यहां सदन में माननीय सदस्य कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को लाभप्रद बनाया जाना चाहिए । जी हां, इस्पात भी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । अब हमारा अपना बजट है, कोई बजटरी समर्थन नहीं है । हमें संयंत्रों का आधुनिकीकरण करना है, अतः मूल्यों में वृद्धि आवश्यक थी । महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि बाजार की 56 प्रतिशत मांग को हम पूरा करते हैं शेष गौण क्षेत्रों से पूरी होती है । फिर भी हमारे द्वारा मूल्य में वृद्धि किए जाने के बावजूद भी गौण एवं प्राथमिक क्षेत्रों के बीच प्रति मीट्रिक टन में 1000 से 1500 रुपये का अन्तर हैं । अतः हमारे इस्पात के दाम बाजार भाव से अभी भी कम हैं । हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि रक्षा, रेलवे, संचार, एम० ई० एस०, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि हमारे ग्राहक होते हैं जो कि अपनी इस्पात के जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के पास आते हैं । हमने अपने दिशा-निर्देश में यह प्रावधान रखा है कि मकान बनवाने वाले व्यक्ति को मेरे पास या किन्हीं अन्य के पास आने की आवश्यकता नहीं है, वह सीधे नगर-पालिका की अनुमति पत्र लेकर स्टॉक यार्ड जाये और अपनी जरूरतों के हिसाब से 10 टन तक इस्पात बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर सकते हैं ।

जहां तक इसके मूल्य का सम्बन्ध हैं, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इसे कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह वृद्धि हमें लागत मूल्य में हुई वृद्धि के कारण करनी पड़ी है ।

[हिन्दी]

श्री एस० एम० लालजान बाशा : अध्यक्ष महोदय, इस्पात के दाम 14 हजार रुपये प्रति

मीट्रिक टन हैं, तो देश के गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए इस्पात सस्ती कीमत पर मिल सके इसके बारे में क्या वे इस्पात के दाम घटाने का विचार रखते हैं ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : इसके मूल्य घटाने का कोई प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ उपाय करने की सिफारिश की गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि "मेकन" (एम० ई० सी० ओ० एन०) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप अगर सारे इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण कर दिया जाता है तो उससे उत्पादन में कितनी वृद्धि हो पाएगी। इस संदर्भ में, मैं यह भी जानना चाहता हूं इनके आधुनिकीकरण के लिए सरकार के पास क्या योजना है या कितने लघु इस्पात संयंत्रों को आधुनिक बनाने का बिचार है और इसमें कितना समय लगेगा ? इससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आगामी वर्षों के दौरान कितने लघु इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जायगा और इसमें कुल कितना खर्च आयगा ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं थोड़ा कुछ उलझ सा गया हूं। अगर प्रश्न कुल इस्पात संयंत्रों से सम्बन्धित है तो मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन अगर यह सिर्फ लघु इस्पात संयंत्र के बारे में है तो मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं। कुल कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वर्ष 1996-97 तक इनकी क्षमता 7.5 मिलियन टन है। इनका आधुनिकीकरण एवं विस्तार हो जाने से इनमें वर्ष 1999-2000 तक इनकी उत्पादन क्षमता मेरे हिसाब से 11 मिलियन टन तक हो जायगी।

टेलीफोन उपभोक्ताओं को सेवा कार्ड

[हिन्दी]

*472. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री राजेश कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी टेलीफोन उपभोक्ताओं को सेवा कार्ड देने का कोई प्रस्ताव है, जिसमें वे अपने टेलीफोनों में हुई खराबियों और उनकी मरम्मत का ब्यौरा रिकार्ड कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्यानायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। सभी टेलीफोन उपभोक्ताओं को सेवा कार्ड प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे संबंधित एक्सचेंजों में टेलीफोन उपभोक्ताओं के दोष कार्ड रखे जाते हैं। अधिकांश बड़े एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवा को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है और कंप्यूटर में दोषों की घटनाओं तथा मरम्मत की सूचना का रिकार्ड रखा जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे टेलीफोन आधे समय तक खराब रहते हैं, गलत नम्बर मिल जाया करते हैं। जो ठीक रहते हैं उनका बिल बहुत ज्यादा आता है और अनफौरचूनेटली जिनके यहां एस० टी० डी० होती है उनका बिल दस हजार से कितना ज्यादा आ जाए, कुछ पता नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जो गलत बिल आ जाते हैं, उन बिलों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। "ख" प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने पटल पर जो उत्तर रखा है कि सेवा कार्ड देने के लिए मना किया गया है। क्या इसके लिए कोई नई तकनीक खोजने का इरादा है ? दूसरा, इन्होंने यह भी जवाब दिया है कि शिकायत की पुस्तिका एक्सचेंज में रख दी गई है। उन शिकायतों में अब तक कितने शिकायती पत्र आए हैं और आपने कितनों पर एक्शन लिए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आखरी प्रश्न रैलेवेंट नहीं है।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा सुझाव है। हालांकि हमने कहा कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है लेकिन जब आपका सवाल आया तो हमने इस पर खूब विचार करके यह माना कि यह होना चाहिए जिससे उपभोक्ता के पास कार्ड हो और वह अपने टेलीफोन में देख सके कि 30 दिन में मेरा दो दिन टेलीफोन खराब रहा, और वह एक्सचेंज में शिकायत करे तो अपने कार्ड में भी लिख दे। हम एक महीने में देख सकें कि शिकायत वहां पहुंची कि नहीं पहुंची है। मैं हाउस को और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाऊंगा कि इसको इम्पलीमेंट करने के लिए टैक्नीकली फीजेबिलिटी देखकर इसकी शुरुआत करेंगे। आपने जो सुझाव दिया वह बहुत अच्छा है।

दूसरी बात जो आपने कही है वह फाल्ट रिपेयर की, नम्बर गलत मिल जाने की और बिल की है। फाल्ट रिपेयर की शुरुआत हमने की थी। सबको आदेश दिए कि जब भी फाल्ट रिपेयर हो, 24 घंटे के अन्दर-अन्दर उस कम्प्लेंट पर अमल किया जाए। यह बात सही है कि जब मेरे पास फिगर्स आते हैं तो ठीक आ जाते हैं। मैं अधिकारियों से कहता रहता हूं। कभी-कभी असलियत में उतना काम नहीं होता जितना हम फिगर्स में दिखा देते हैं। इसलिए मैंने आपका सुझाव माना है कि जब कार्ड उपभोक्ताओं के पास भी होगा और एक्सचेंज में भी होगा तो हम काउंटर चैक कर पाएंगे कि शिकायत रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है और किसी एक को दोषी ठहरा पाएंगे। आज दोषी नहीं ठहरा पाते हैं। आपने 198 पर शिकायत की। रजिस्टर पर चढ़ी या नहीं, इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए इस सजैशन से हमें मदद मिलेगी।

फाल्ट रिपेयर में कुछ फर्क पड़ा है और पिछले 3-4 महीनों में 70—75 प्रतिशत हम 24 घंटे के अन्दर-अन्दर निकालते रहे हैं। हमने जो सोशल आडिट पैनल बनाया है डिपार्टमेंट की तरफ से वह इसलिए बनाया है कि शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचे, उनका उतना असर न हो तो जसटिस भगवती, पी०जी० देशमुख, जो पहले कैबिनेट सैक्रेटरी रहे हैं, एयर मार्शल सेट, एडमिरल चोपड़ा और डा० भास्कर राव, ये 4-5 लोग सारे देश में घूम रहे हैं। इनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी लिखा गया है कि फाल्ट रिपेयर में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन इसमें खुला दरबार करके, उपभोक्ताओं से ज्यादा इण्टरएक्शन होकर और सुधार की आवश्यकता है। और हम कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल बिल का है। ये शिकायतें आई हैं और हम लोगों ने अब के लिए यह फैसला किया है कि अब

कभी भी आपके पास ऐसा बिल आये और आप यह महसूस करें कि गलत बिल है तो आप पिछले 6 महीने का औसत निकाल कर जमा करा दीजिए, बाकी डिस्प्यूट में चला जायेगा, टेलीफोन नहीं कटेगा। लेकिन लाग टर्म पालिसी के बारे में मैंने कुछ लोगों से बात की है कि किस तरीके से सही बिल हो जाये। उसमें कुछ कमी उपभोक्ताओं की रह जाती है। इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में एस०टी०डी० लाक सिस्टम होता है। अगर आप एस०टी०डी० नहीं करना चाहें तो एस०टी०डी० लाक लगा दें लेकिन लाक कोई लगाता नहीं है, उसमें टेलीफोन होते रहते हैं और जब बिल आ जाता है तो हम महसूस करते हैं कि ज्यादा बिल आ गया है। इधर कसूर बराबर दोनों तरफ से चल रहा है। इसमें दोनों को मिलकर सुधार करना पड़ेगा।

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष जी, मंत्री जी का उत्तर काफी संतोषजनक है। मेरा पूरक प्रश्न यह है कि एम०पी० कोटे से जो टेलीफोन एलाट किए जाते हैं, उनको लगाने में काफी समय लग जाता है और काफी दौड़-भाग भी करनी पड़ती है। उसमें वे लोग पैसे भी मांगते हैं और उसी चक्कर में उसको वह लगाना नहीं चाहते हैं। आपके यहां से तो सेंक्शन हो जाता है, आपकी तरफ से तकलीफ नहीं होती है लेकिन नीचे वाले लोग इनको घर-घर जाकर बहुत परेशान करते हैं और कहते हैं कि एक्सचेंजों में जगह नहीं है, मतलब कि अधिक बहाने बनाते हैं। दूसरा यह है कि जो लोग किराये के मकानों में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, जब मकान शिफ्ट करके जाते हैं, या किराये पर चले जाते हैं, नहीं तो अपने मकानों में चले जाते हैं, उनको टेलीफोन शिफ्ट कराने में बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसी काफी समस्यायें आती हैं। आप इनका क्या सुधार करेंगे?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब से आउट आफ टर्न का सिस्टम पार्लियामेंट में पिछली सरकार ने किया है, इससे परेशानियां कुछ बढ़ी हैं। यह बात भी सही है कि हम सब ने यहां फैसला किया था कि 15 दिये जायें जिससे वह अपनी कांस्टीट्यूएंसी में अपने वर्कर की मदद कर सकें या फिर किसी और की इसके द्वारा मदद हो सके। मैम्बर आफ पार्लियामेंट कहते हैं कि इसे कांस्टीट्यूएंसी से बाहर करिये और मैं जहां मांगू वहीं दीजिये। हालांकि अगला सवाल इस पर आ रहा है। मैं सदन को विश्वास दिलाऊंगा कि जो एम०पी० रिकमंडेशन्स भेजेगा, अगर वह उसे ओ०वाई०टी० तक लिमिट रख देगा तो कोई कोटा रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह चिट्ठी लिख कर देगा, हम उन्हें तीन महीने के अन्दर हर एम०पी० की आन डिमांड पर सेंक्शन करा देंगे। आप कोटा सिस्टम खत्म करवा दो। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एम०पी० महोदय हमें चिट्ठी लिखते हैं कि मैंने सेंक्शन नहीं किया है, किसी और ने टेलीफोन कर दिया, ऐसे आर्डर सी०बी०आई० में पड़े हुए हैं, कहीं पुलिस में एफ०आई०आर० हो रही है। यह एक बुरी बात हो रही है। कभी एम०पी० कहते हैं कि यह मेरे दस्तखत नहीं हैं, जाली दस्तखत हो रहे हैं। उसकी हम इन्क्वायरी करते हैं और 15 टेलीफोन तब तक लग जाते हैं। आज हाउस अगर यह फैसला ले··· (व्यवधान)···आप जितनी मर्जी भेजो। मैं सी०जी०एम० को इन्स्ट्रक्शन्स दे दूंगा। कोई भी आनरेबल मैम्बर ओ०वाई०टी० का सेंक्शन भेजेगा।

[अनुवाद]

तीन महीने के भीतर इसे लागू कर दिया जायेगा, ऐसा आश्वासन दे रहा हूं, लेकिन तब उसमें कोई कोटा नहीं रहेगा। मुख्य महाप्रबन्धक की मांग की कोई भी रकम भेज सकते हैं। अगर हाउस आज यह एक्सेप्ट कर ले कि कोटा सिस्टम हटा दीजिए और उसकी जितनी लिमिट रखो, वह आप

कर दीजिए··· (व्यवधान)···

श्री नीतीश कुमार : कोटा सिस्टम एबालिश करा दीजिए। यह बहुत परेशानी की चीज है। (व्यवधान)

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम भी इस पक्ष के हैं कि कोटा सिस्टम खत्म हो जाए। लेकिन देखने में आया है कि कोटे से पहले बिना कोटे वाले टेलीफोन मिल जाते हैं। सदन में इसके बारे में चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। बिना कोटे वालों को पहले टेलीफोन मिलते हैं, यह इनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है···

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम।

श्री राजेश कुमार : पिछले माह जीरो आवर में जाली टेलीफोन के बिल आने पर काफी जोर-शोर से चर्चा भी चली थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन-जिन उपभोक्ताओं ने टेलीफोन नहीं किया लेकिन जाली बिल आ गए हैं, उनकी जांच कराने के लिए क्या वह पार्लियामेंट की कमेटी बनाकर, उनकी जांच करवाना चाहते हैं?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, जहां तक पहली कोटे की बात का जवाब है, माननीय सदस्य जी ने कहा कि कोटे के बिना भी मिलते हैं, यह मैंने खुद हाउस में कहा है, अब भी मैं कह रहा हूं कि ऐसी अनियमितताएं हो रही हैं और सी०बी०आई० को जब हमने केस हैंडओवर किये तो एक अधिकारी पकड़े गए, जिनके एकाउण्ट में एक लाख का ड्राफ्ट जमा है, इसी काम के लिए। वह पैसा लेते थे और ड्राफ्ट से लेते थे और उसमें सी०बी०आई० इन्क्वायरी कर रही है। अब उसमें मुसीबत जो मैंने अपने दिल की आपको बताई, आपसे दिल की बात है कि आपके बहुत से खत ऐसे मेरे पास भाइयों के हैं, जो लगने के बाद कह देते हैं कि यह तो मैंने दस्तखत ही नहीं किये, अब मैं किसको जाकर पकड़ूं। लोक सभा का पैड है, लोक सभा के दस्तखत हैं तो यह मेरी मुसीबत है। अगर आज हाउस मान जाय कि जितनी मर्जी भेजो, कोटे की कोई जरूरत नहीं है, जितने आप रिकमण्ड करोगे, सब गवर्नमेंट मानेगी, लेकिन इस कोटे को एबोलिश कर दो तो इसमें बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बात···

श्री राजेश कुमार : हम दूसरा प्रश्न पूछें? पहले हमारे सवाल का तो जवाब दीजिए, जो पिछला घपला हुआ है।

श्री राजेश पायलट : जो सवाल आपसे पहले शिफ्ट करने का बहन जी ने कहा था, टेलीफोन शिफ्ट करने की पोलिसी हमने बनाई है। पहले जब शिफ्टिंग होती थी तो उसके लिए नया कनैक्शन लेना पड़ता था। अगर आज हमारा कोई भाई दिल्ली से बम्बई चला जाय, बंगलौर चला जाय या दिल्ली में ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाय तो नये कनेक्शन की सारी बात चलती थी, शिफ्टिंग नहीं हो पाती थी। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जिस किसी उपभोक्ता पर तीन साल के लिए टेलीफोन है, वह जहां कहीं जाएगा, उसको वह टेलीफोन तभी शिफ्ट करके मिल जाएगा, जिससे उसको दिक्कत नहीं आये।

आखिरी बात आपने बिलिंग की कही। बिलिंग का जैसा अभी मैंने बताया, अभी हमने शोर्ट रेंज में यह फैसला किया कि 6 महीने के बाद जो बिल जाली होगा, वह डिस्प्यूट में जायेगा, उसकी

इन्क्वायरी होगी। जहां तक पार्लियामेंट के मैम्बरों की बात है, दिघे जी और राज्य सभा के भाई भुवनेश चतुर्वेदी जी, इन दोनों से मैंने प्रार्थना की है। सारे सांसदों के बिल लेकर, बैठकर, अधिकारियों को मैं इनके पास भेज दूंगा, जहां यह समझें कि खामियां हैं, उनको हम दूर करेंगे लेकिन उदाहरण के तौर पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि पार्लियामेंट के एक आनरेबिल मैम्बर ने कहा कि मेरा 4 लाख का बिल आ गया, मुझे भी अफसोस हुआ कि चार लाख का एम०पी० का बिल कैसे आ गया। बाद में पता चला, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वह बिजनेस कर रहे हैं तो चार लाख से भी ज्यादा का आयेगा। जब 6-6 एक्सटेंशन तुमने ले रखे हैं, यह हाउस को बताना चाहिए, जब 6-6 एक्सटेंशन पर तुम काम करोगे और रोज इंग्लैंड और लन्दन बात करोगे तो लाखों में ही बिल आयेगा, तो ऐसे भी केस हैं इसलिए आपको एक बैलेंस लेना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा।

श्री अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, चूंकि मंत्री महोदय काफी डाइनेमिक मंत्री हैं, देश को इनसे काफी उम्मीदें हैं तो जो अनियमितता इस टेलीफोन के अन्दर आज के दिन मौजूद है, खासकर देहात में पंचायतों में जो टेलीफोन लगे हैं, वह काफी दिन तक खराब रहते हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं कि उनको कोई चैक कर सके, उनकी रिपेयरिंग का कोई बन्दोबस्त नहीं, जो कार्ड का सिस्टम है, क्या वह देहात के लिए भी लागू हो सकेगा? क्या एक्सचेंज के अन्दर एस०टी०डी० के अन्दर जो चोरी होती है, जो कर्मचारी तार की बदली करते हैं, क्या उसमें कोई लाक सिस्टम इण्ट्रोड्यूस हो सकता है ताकि कोई अधिकारी या कर्मचारी उसमें अनियमितता न कर सके? यह मेरा आपसे पूछना है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गांवों के टेलीफोन की सर्विसिबिलिटी की बात है, एक्सचेंज को आदेश है कि वह रोज पता कर लेते हैं कि पंचायत में आपका टेलीफोन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है; क्योंकि पंचायत लोकल एक्सचेंज से जुड़ी होती है। लेकिन जैसा मैंने हाउस में पहले भी कहा कि यह एक नया कार्य मैंने हाथ में लिया है और गांव-गांव में टेलीफोन पहुंचाने के साथ-साथ कुछ त्रुटियां आयेंगी, टीदिंग प्राब्लम शुरू में जरूर होगी। आप यह मत समझें कि एकदम सिस्टम यह ठीक हो जायेगा, गांवों में टेलीफोन से लेकर सर्विसिबिलिटी वगैरह सारा कुछ उसी हिसाब से चल जाय। यह हमने अक्तूबर लास्ट ईयर से चालू किया, इसमें जो-जो सुझाव आये, वह उस में डालकर सारे सिस्टम को हम सुधार रहे हैं।

जहां तक कार्ड का सिस्टम है, इसकी शायद गांवों में अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि, पी०सी०ओ० हम गांव में लगा रहे हैं। जहां तक एस०टी०डी० की काल्स की चोरी की बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब मैं मंत्री डिपार्टमेंट का बना, मैंने पहला काम यह किया कि सारे डिपार्टमेंट को सी०बी०आई० को हमने हैंड ओवर कर रखा है कि चपरासी से लेकर मंत्री तक आप पूरी गौर रखो और जहां आपको चोरी दिखे, उसकी हमें खबर दो और···

इसीलिए 4-5 अधिकारी पकड़े गए हैं, क्योंकि सी०बी०आई० बाकायदा नजर रखती है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ के कुछ केसेस बताये हैं, हमने वे केसेस उसी दिन शाम को सी०बी०आई० को हैंडओवर कर दिये और आज सुबह पड़ताल शुरू हो गई है। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि जहां भी खामियां हैं, उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न करें। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने इस विषय को गम्भीरता से लिया है और कदम उठा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने एक माननीय सदस्य के बारे में जानकारी दी, लेकिन मैंने भी इसी सदन में खड़े होकर बताया था कि टेलीफोन का बिल 2 लाख 40 हजार आ गया है और मुझे खुशी है कि शायद मंत्री जी ने इन्क्वायरी के आदेश दिए होंगे, तो मैं यह जानकारी के लिए बतला दूं कि दो दिन पहले एक खेद के साथ पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मीटर की गड़बड़ी के कारण इतना बिल आ गया था, आपका सही बिल 9000 रुपये का है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एस०टी०डी० लाक सिस्टम है और मेरा टेलीफोन नम्बर जो 3015249 है, जनवरी महीने में लाक सिस्टम लगवाया गया, ताकि बिल कम आये, मैंने इस मामले को उठाया और आपने जांच करवाई, बिल 9000 का हो गया, लेकिन यदि कोई दूसरा आदमी होता तो 2 लाख 30 हजार रुपये की जो ज्यादा राशि बिल में लगा दी गई थी, वह कहां से भरता। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी की गलती की वजह से यह हुआ, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, पासवान जी जैसे माननीय सदस्य जैसे यहां बोलते हैं, वैसे ही टेलीफोन पर बोलते होंगे तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि 9000 वाला बिल ठीक है या 2 लाख 40 हजार वाला बिल सही है ? **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : पहले भी आपने यही बात कही थी, लेकिन जब हम टेलीफोन पर बोलते हैं तो हमको पता होता है कि पैसा लग रहा है। **(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, पासवान जी का 9000 का बिल आना जरा सोचने वाली बात है। या तो इनका बिल कहीं और कनेक्ट हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सब मजाक की बातें हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर दिखवाऊंगा, जहां भी अनियमितताएं होंगी उसको दिखवाऊंगा। कभी-कभी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में टेक्नीकल प्राब्लम भी आ जाती है, मैं सब देखूंगा और जैसा मैंने कहा कि यह शार्ट रेंज पालिसी है, लांग रेंज पालिसी लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे यह सारी चीजें ठीक हो सकें। लांग रेंज पालिसी बनाकर मैं हाउस के सामने आऊंगा और हाउस को बताऊंगा।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोनों की गलत ढंग से मन्जूरी

*474. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता विभाग ने, जिसे जून, 1991 से पूर्व गलत ढंग से मंजूर किये गये बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की जांच का कार्य सौंपा गया था, अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और राज्यवार उन जाली टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में जांच की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये और इनमें से कितने टेलीफोन कनेक्शन अभी लगाए जाने शेष हैं ?

[अनुवाद]

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। विभाग की सतर्कता शाखा ने बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की जाली मंजूरियों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की थी और उसके बाद विस्तृत जांच पड़ताल के लिए यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था।

(ख) प्रारम्भिक छान-बीन के दौरान लगभग 1193 जाली मंजूरियां पाई गई जिनका राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

हैदराबाद	41
गुजरात सर्किल	21
कर्नाटक	3
मध्य प्रदेश	1
राजस्थान	38
उत्तर प्रदेश	602
हरियाणा	70
पंजाब	359
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली	29
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई	29

(ग) 1-1-1991 से 30-6-1991 की अवधि के दौरान बिना बारी के आधार पर 9439 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये थे जिनमें से 3240 कनेक्शनों को संस्थापित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : अध्यक्ष महोदय, जाली कनेक्शन गलत ढंग से देने के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारी किस पर दें।

अध्यक्ष महोदय : और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेश पायलट : आप पूछ रही हैं तो मैं उनको साफ-साफ जवाब दे दूं। अध्यक्ष महोदय, एक तो टेलीफोन कनेक्शंस की फेक कापियां बनाई गई और सी०जी०एम० को भेज दी गई। इसकी सी०बी०आई० इन्क्वायरी चल रही है, कुछ केसेस पकड़े गए हैं और आगे भी प्रयत्न कर रहे हैं कि यह जिम्मेवारी किस पर दी जाए। (**व्यवधान**)

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार जाली टेलीफोन कनेक्शन रद्द करके बारी टेलीफोन कनेक्शन देने पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : फिर से प्रश्न पूछिए।

(**व्यवधान**)

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या सरकार ऐसे जाली टेलीफोन कनेक्शन रद्द करके बारी टेलीफोन कनेक्शन देने पर विचार करेगी और महाराष्ट्र में बारी टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है और सरकार कब तक पूरा करेगी।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जो केस रिकमण्ड थे, वे हमने सारे कनेक्ट कर दिए हैं। लेकिन जो सांसदों द्वारा मन्जूर नहीं थे, उनको हमने अभी पेन्डींग रखा है। उनकी भी इन्क्वायरी कर रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो 29 टेलीफोन ऐसे थे जो महाराष्ट्र की तरफ से सेंक्शन थे।

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : खाली बम्बई के 29 हैं तो महाराष्ट्र के कितने हैं।

श्री राजेश पायलट : इसमें बम्बई का है और महाराष्ट्र का इसमें नहीं है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बाद में बता दें।

(**व्यवधान**)

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने एक निर्णय लिया था कि कुछ लोगों की एक कमेटी बनायेंगे क्योंकि इम्पारटेंट टेलीफोन यानी 197, 180 और 181 पर लोगों को अक्सर फोन करना पड़ता है, उनको चैक करेंगे जहां से कोई रिस्पांस नहीं आता है और कोई सुनता नहीं है। क्या मन्त्री महोदय ने उस कमेटी में फाइंड आउट किया है और कितनी बार उन्हें टेलीफोन किया है और कितनी बार उत्तर नहीं मिला है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लिखकर शिकायतें की गई हैं आपके अधिकारियों के पास और आप कह रहे हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर शिकायत नोट करा दें और अपने पास नोट कर लें। वहां पर एक्सचेंज कई मील दूर होता है तो वह व्यक्ति बहुत दूर जाएगा और ऐसी ही शिकायतें लिखकर की गई है। उस छोटे से एक्सचेंज का कर्मचारी ताला लगाकर चला जाता है और जब तबियत होती है तो आता है वरना नहीं आता है और कई बार वह नहीं आता है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कमेटी का सवाल है तो वह सोशल आडिट

पैनल को यह काम दिया है और जो एडवाईजरी कमेटी हर जगह बनती हैं तो उनका यही काम है। उनको पबलिश ज्यादा नहीं करते हैं कि चैक करके पता लग जाए कि 198 में किसकी ड्यूटी लगी है, अक्सर उसका मकसद फेल हो जाता है··· (व्यवधान) सोशल आडिट पैनल को कह दिया कि अपने हिसाब से नोमिनेट करें। सच्चाई यह है कि मैं खुद रात को 197 या 198 को फोन करता रहता हूं और सी०जी०एम० को फोन करता हूं कि 197 पर कोई नहीं उठा रहा है··· (व्यवधान) मैं खुद करता रहता हूं जहां मुझे मौका मिलता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि गांवों में एक्सचेंजों में ताले लगाकर चले जाते हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो उसको मैं दिखाऊंगा और चैक करूंगा··· (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : दिल्ली एक्सचेंज की 197 सेवा पूरी तरह बेकार हो चुकी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न इसी से संबंधित होना चाहिए।

श्री अन्नारासु इरा : महोदय, वर्ष 1991-92 का मेरा टेलीफोन बिल 1,90,000 रुपये तक पहुंच गया। बढ़े हुए टेलीफोन बिल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे ध्यान में यह बात आई है कि एक्सचेंज के आपरेटरों की बड़े व्यापारिक घरानों से मिली-भगत है और वे उन्हें अनुग्रहीत करते हैं और उनके द्वारा किये गये कालों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से उनके कक्ष में मिल क्यों नहीं लेते हैं?

(व्यवधान)

श्री अन्नारासु इरा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय आपरेटरों द्वारा किए जा रहे इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाएंगे।

दूसरी बात यह है कि इन बढ़े हुए टेलीफोन बिलों को समय पर नहीं जमा किए जाने की स्थिति में हम सांसदों को तो कुछ दिन की मोहलत दी जाती है लेकिन जनसामान्य के द्वारा समय से पूर्व नहीं जमा करने पर उनके टेलीफोन काट दिए जाते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न से हटकर बात हो रही है। यह प्रश्न समयपूर्व आवंटन किए जाने वाले टेलीफोन के ऊपर सतर्कता विभाग के द्वारा की जा रही जांच से संबंधित है।

(व्यवधान)

श्री अन्नारासु इरा : अगर जनसामान्य के द्वारा भी बढ़े हुए टेलीफोन बिलों की शिकायत कर देने की स्थिति में उनके टेलीफोन का मामला सुलझाये जाने तक नहीं काटा जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय टेलीफोन के इस दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करने का समुचित निदेश देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की इस बात की चिन्ता को महसूस कर रहा हूं और समझता हूं कि यह सबकी चिन्ता है कि उपभोक्ताओं के बिल में कहीं-कहीं गलतियां होती हैं।

मैंने पहले भी कहा अपने जवाब में कि मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो हमने फैसला किया कि 6 महीने का जो एवरेज हो, एक महीने 2 लाख हो और बाकी 5 महीने 500-500 रुपये हो तो पिछले 6 महीने का एवरेज दे दें और उसको डिस्प्यूट में डाल दें, मैं लांग रेंज पालिसी को लेकर आऊंगा जिससे बिल में जो अनियमितताएं होती हैं वे दूर हो सकें, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में कुछ सदस्य आपसे बात करना चाहते हैं, उनको बुलाकर, उनके साथ बैठकर जो कुछ कर सकते हैं वह करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके ऊपर प्रश्न आए हैं, वे सप्लीमेंटरी रेलीवेंट नहीं थी, मैंने फिर भी अलाट किया है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : हमारी सिफारिश यह है कि कोटा पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। (व्यवधान) यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है···

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको कोई कठिनाई है तो कृपया···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न-काल है। कृपया इसे बहस-काल नहीं बनाइए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा। श्री नीतिश कुमार ने जो कहा है वह रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मैं समझता हूं कि यह बहुत बुरी बात है। माननीय सदस्य को यह बात उठकर कहनी चाहिए।···

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : यह सही नहीं है। उन्हें यह बात वापस लेनी चाहिए। इसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डाकघर सुविधाएं

[हिन्दी]

*475. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय, दुर्गम और मरुस्थली क्षेत्रों में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहले से ही निर्माणाधीन डाकघर भवनों हेतु चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि रखी गयी है; और

(घ) राजस्थान में इस समय जिलावार कितने और किस-किस श्रेणी के डाकघर हैं ?

[अनुवाद]

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) सरकार ने पहाड़ी, दुर्गम और रेगिस्तानी इलाकों में डाकघर खोलने के लिए विशेष मानदण्ड बनाए हैं। इस योजना के अन्तर्गत यदि प्रस्तावित गांव की जनसंख्या कम से कम 500 और इसके आस-पास के गांवों के समूह में सेवा प्राप्त करने वाली जनसंख्या 1000 हो, तो डाकघर खोला जा सकता है।

प्रस्तावित डाकघर की अनुमानित आय डाकघर चलाने में आने वाली लागत के कम से कम 15 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए।

(ग) 1992-93 में पूरे देश में डाकघर भवनों का निर्माण करने के लिए 21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-7-1992 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों के डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	प्र० डा० की संख्या	वि० उ० डा० की संख्या	अ० वि० उ० डा० की संख्या	अ० वि० शा० डा० की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	3	67	4	416
2.	अजमेर	4	103	6	313

1	2	3	4	5	6
3.	बारन	—	15	1	181
4.	बाड़मेर	1	34	1	440
5.	बांसवाड़ा	1	21	—	226
6.	भरतपुर	3	44	3	257
7.	भीलवाड़ा	1	47	9	333
8.	बीकानेर	1	42	4	154
9.	बूंदी	1	20	—	150
10.	चित्तौड़गढ़	1	45	6	335
11.	चूरू	2	49	3	331
12.	दौसा	1	22	—	161
13.	धौलपुर	2	30	2	252
14.	डूंगरपुर	1	28	—	240
15.	जालौर	1	25	2	221
16.	जयपुर	5	126	4	459
17.	झालावाड़	1	21	—	216*
18.	जैसलमेर	1	16	1	184
19.	झुन्झुनू	2	67	8	326
20.	जोधपुर	2	40	1	269
21.	कोटा	2	45	1	142
22.	नागौर	3	58	14	462
23.	पाली	2	58	5	312
24.	राजसमन्द	1	22	3	189
25.	सवाई माधोपुर	3	59	—	433
26.	सीकर	4	72	14	372
27.	सिरोही	1	24	1	146

1	2	3	4	5	6
28.	श्रीगंगानगर	2	62	2	486
29.	टोंक	1	24	3	192
30.	उदयपुर	2	56	7	419

प्र० डा० : प्रधान डाकघर

वि० उ० डा० : विभागीय उप-डाकघर

अ० वि० उ० डा० : अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर

अ० वि० श० डा० : अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

* 30-3-1992 की स्थिति। दस और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर 31-3-1992 को मंजूर किए गए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। युक्तिसंगत पूरक प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न रेगिस्तानी, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में डाक सेवा एक प्रमुख सार्वजनिक सेवा है। इस विशाल, व्यापक एवं जनोपयोगी सार्वजनिक सेवा की गांवों में सुदूर अंचलों में विशेष आवश्यकता है। जैसा उत्तर दिया गया है इसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा समझा दूं···

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आपको प्रश्न पूछना है समझाना नहीं है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नये डाकघर खोलने हेतु अधिसंगत मानदंड निर्धारित करना तथा अभी तक चलाये गये डाक कार्यक्रम का मूल्यांकन करने हेतु क्या डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण अंचल संस्थान हैदराबाद तथा 1989 में गठित डाक सेवा उत्कृष्टता विशेषज्ञता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कौन-कौन से नये मानदंड अब निर्धारित किये गये हैं? जिनके आधार पर आप आने वाले पांच वर्षों यानि 8वीं पंचवर्षीय योजना में नये डाकघर खोलेंगे और क्या ग्रामीण क्षेत्रों, दुर्गम अंचलों में कारगर बनाने और उसमें सुधार लाने हेतु और एक गांव में कितने किलोमीटर क्षेत्र और कितने व्यक्तियों को डाक सुविधा प्रदान की जाती है तथा पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में इसके अन्तर्गत क्या रियायत प्रदान की जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधा बहुत जरूरी है और डाक सुविधा से हम लोग उन लोगों तक पहुंच पाते हैं। दोनों कमेटियों ने रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर हमने हिल्ली एरियाज की आबादी 500 कर दी है। अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे कि आप 500 की आबादी कम से कम थी जहां डाकखाने पहले खुले। जहां से माननीय सदस्य आते हैं तो राजस्थान से जहां पर यदि ढाणियों के हिसाब से डाकखाने

खोलेंगे तो एक-एक गांव में 10-10 डाणियां हो जाती हैं। तो हमने कहा कि वहां की आबादी 500 हो और कम से कम वह डाकघर एक हजार के आस-पास की सेवा कर सके। तब उस रिपोर्ट को हमने माना है और हिदायत दी है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही है। अध्यक्ष जी, डाकखाना खोलने के लिए पहले दिल्ली से इजाजत ली जाती थी, उनकी खबर आती थी, तब मिनिस्ट्री से जाती थी। अब हमने डी-सेंट्रलाईज करके पी० एम० जी० को यह आदेश दे दिया है कि जहां वे सही समझें जहां लोगों की जरूरत हो, पी० एम० जी० वहां पर डाकखाना खोल दें इन गाईडलाइन्स के अन्तर्गत।

तीसरी बात इन्होंने क्षेत्रफल की पूछी है। यह पहले 5 कि० मी० था। कोई भी एरिया ऐसा न हो जहां 5 कि० मी० तक डाकघर न हो, अब हमने उसको 3 कि० मी० कर दिया है जिससे हमारे भाईयों को 3 कि० मी० से ज्यादा डाक सेवा के लिए नहीं जाना पड़े और आप कम से कम 3 कि० मी० तक रखो। अध्यक्ष जी, नहीं तो गांव में शहरों वाली सेहत हो जायेगी। गांव में थोड़ा लोग चलते-फिरते रहते हैं तो उनकी सेहत भी ठीक रहती है। इसलिए 3 कि० मी० जरूरी है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार पर्वतीय दुर्गम और मरुस्थलीय क्षेत्रों में एकल व्यक्ति शाखा डाकघर खोल रहे हैं जैसा कि अन्य क्षेत्रों में हो रहा है? इसमें एक ही कर्मचारी को सारा काम करना पड़ेगा। यदि हां, तो ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति शाखा डाकपाल, डाक वितरण और डाक विभाग तीनों का यह काम इस प्रकार से कर सके। इसका दूसरा भाग यह है कि निर्माणाधीन डाकघरों के अलावा भी बहुत से डाकघरों के लिए भूखण्ड उपलब्ध थे लेकिन उपयुक्त समय पर धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण उन भूखण्डों पर नाजायज कब्जा हो गया और वे डाकखाने किराये के मकानों में चल रहे हैं जिससे ग्राहकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आपके डाक कर्मचारियों को मुकदमेबाजी और स्टे में लगे रहना पड़ता है तो इस सम्बन्ध में क्या कदम होगा?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, जहां तक पहले सवाल का जवाब है कि यह प्रस्ताव आया और मैं सदन के सामने उसे रखना चाहूंगा कि जो अभी टेलीफोन की बात कही थी कि गांवों में टेली-फोन खराब हो रहे हैं इससे एक और समस्या आ रही है कि टेलीफोन अब लगाएं कहां? पंचायतघर में कोई आदमी 24 घण्टे रहता नहीं है, वहां पर कोई संभालने वाला नहीं, कोई उसकी एकाउंटिंग करने वाला नहीं है। ये सब पी० सी० ओज हैं जिनके बिल देने पड़ेंगे। एक सुझाव आया है कि हर पंचायत में डाकखाना खुले और एक बेरोजगार व्यक्ति जो टेलीफोन का काम देखे, इसमें 20 प्रतिशत कमीशन ले ले और पोस्टल बेचने, स्टाम्प बेचने और दूसरी सामग्री बेचने का काम करे। इससे हर पंचायत में डाकखाना खुल जायेगा और उसी व्यक्ति के पास यह टेलीफोन पी० सी० ओ० हो जाएगा। यह एक सुझाव आया है फाईनेंशियल बर्डन है कि इसको एकदम कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तीसरा सवाल माननीय सदस्य ने भूखण्ड का बताया। कुछ पैसे कम थे यानि टोटल 21 करोड़ रुपया बिल्डिंग और पोस्टल के लिए सरकार ने रखा था जिसकी वजह से सारे भूखण्डों का काम चालू नहीं हो सका। यह सही है कि ऐसी शिकायतें आई हैं कि जहां जबर-दस्ती कब्जे उन पर हो रहे हैं लेकिन उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर उनको इस तरह से कब्जा नहीं होने देंगे।

श्री मणिकराव होडल्या गावीत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में डाकघर की सुविधा के लिए क्या सरकार कुछ ठोस कदम उठा रही है? जो जिला स्तर पर सुपरिंटेंडेंट वगैरह होते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में

डाकघर खोलने के लिए और पी०सी०ओ० खोलने के लिए क्या कुछ स्टंक दिया है ? वह स्टंक के हिसाब से काम करते हैं या लोगों की मांग के हिसाब से काम करते हैं ? मेरी मालूमात यह है कि आपने उनको स्टंक दिया है। मैं महाराष्ट्र में जिस इलाके से आता हूं, वहां स्टंक का काम नहीं किया जाता है। मेरी मालूमात यह भी है कि उनको हर साल 25 डाकघर और 25 पी०सी०ओ० खोलने हैं, वह काम भी पूरा नहीं कर पाते, ऐसा मुझे मालूम है। इसके बारे में क्या मंत्री महोदय कुछ बताएंगे ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। डाक की और मनीआर्डर की। आज गांव में जिनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, वह मनीआर्डर और चिट्ठी गांव में भेजते हैं। इन दोनों समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि मनी-आर्डर जल्दी पहुंचे। कहीं-कहीं तो 5-6 दिन में पहुंचते हैं। बिहार में तो 10—15 दिन से भी ज्यादा लगते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फैक्स के द्वारा हर जिले से जिला हैडक्वार्टर तक मनीआर्डर फैक्स से पहुंचे और एक दिन वह आ जाए जब 24 घंटे के अन्दर-अन्दर मनीआर्डर देश में किसी भी स्थान से कहीं भी पहुंचा दें। इसमें हमने प्रयत्न किए हैं और फैक्स से मनीआर्डर भेजने शुरू किए हैं। यह कितना टैक्निकली फीजीबल हुआ है, हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है डीसेन्ट्रलाइजेशन की, अभी आफीसर्स की मीटिंग हुई थी। मैंने उनसे खुद कहा कि जब अधिकारी फील्ड में होते हैं तो चीज रिकमंड करते हैं और जब हैडक्वार्टर में आ जाते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं कि अब यह फीजीबल नहीं है। इसलिए हमने डीसेन्ट्रलाइजेशन किया और कहा कि जैसा आप उचित समझें डाक-तार सेवा को सुधारने में, वह अपने लेवल पर करें। अब यह इम्प्लीमेंट होगा। हो सकता है माननीय सदस्य को खबर न हो लेकिन ऐसे आदेश हुए हैं। महीने दो महीने में चीजें सामनी आती हैं। मैं इसको और जल्दी कराने की कोशिश करूंगा।

श्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी : अध्यक्ष जी, जैसाकि अभी मंत्री जी ने बताया पहाड़ी एरियाज में 500 की आबादी पर पोस्ट आफिस देने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने गांव के इलाकों के लिए रखी है तीन किलोमीटर की, मैं समझता हूं कि वह ज्यादा है और जहां पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पापुलेशन ज्यादा है वहां सरकार के पास कोई इस तरह का सुझाव है या सरकार सोच रही है कि ज्यादा आबादी वाले इलाकों में तीन किलोमीटर की जगह पर स्क्वायर किलोमीटर का मापदंड मानकर डाकखाने खोलें और बिहार के अन्दर जहां पर स्क्वायर किलोमीटर पापुलेशन बहुत ज्यादा है तो एक सेन्टर पर काफी प्रेशर पड़ जाता है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वहां पर पापुलेशन पर किलोमीटर ज्यादा है, क्या सरकार वहां के बारे में सोच रही है कि ज्यादा डाकखाने खोले जाएं ?

श्री राजेश पायलट : यह बात सही है और यह बात फैसला लेते वक्त दिमाग में रखी कि जहां ज्यादा आबादी है वहां डिस्टेंस वाली बात नहीं होगी। जहां तीन हजार की आबादी है तो वहां अपने आप ही डाकखाना खुल जाएगा। तीन किलोमीटर या तीन हजार लोग, दोनों में से एक चीज जो ऐवलेबल होगी, उसीके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, डाकखाने खोलने के लिए पैसा चाहिए। मेरा तो मन चाहता है कि गांव-गांव में खोलूं लेकिन वित्तीय साधनों में जितना ज्यादा कर सकते हैं, पांच किलोमीटर से तीन किलोमीटर किया और अब हालत सुधरेगी तो अगले साल तीन से दो किलोमीटर कर देंगे, इसको आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, राजस्थान के सभी जिलों के जो आंकड़े दिए गए हैं, उससे स्पष्ट है कि हमारी डाक सेवा का जो व्यास है उसका आधार प्रमुखत: ऐक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब पोस्ट आफिसेज और ऐक्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट आफिसेज हैं। वर्षों से मैं देखता आया हूं कि इस व्यास के लिए उत्तरदायी जो ऐक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल इम्प्लाइज हैं, उनकी शिकायतें दूर नहीं होती हैं। उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। उनको इतना कम वेतन मिलता है और वह उतना ही काम करते हैं जितना कि डिपार्टमेंटल इम्प्लाइज करते हैं, लेकिन उनका वेतनमान, उनकी सेवा व्यवस्थाएं, उनकी सेवा सुविधाएं बहुत ही कम हैं। इसलिए बहुत कष्ट में वे रहते हैं। इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या काम किया है ?

श्री राजेश पायलट : माननीय अध्यक्ष जी, यह एक्स्ट्रा डिपार्टमैंटल वाली बात सरकार के विभाग में उस वक्त सोची गयी थी, जब यह था कि जो भी भाई या जो भी नागरिक अपना काम करने के साथ-साथ दो-तीन घण्टे डाकघर में काम करे तो उससे एक मदद भी हो जाएगी और हमारा काम भी चल जाएगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता काम बढ़ता चला गया, हालांकि जो उनकी तनख्वाह पहले थी, वह बढ़ी है, उतनी नहीं है जो पहले थी, फिर भी कुछ परेशानी उन बेचारों की है। मैंने खुद उनसे बात की है, उनके डेलीगेशन से बात की है और उसमें हम देख रहे हैं कि क्या सुधार हो सकता है। पहले उनको पे मिलती थी लेकिन अब डी०ए० भी इन्वोल्व कर दिया गया है। इसके अलावा पहले कई सुविधाएं उन्हें नहीं थीं, जैसे साईकल की, अब हमने कई सुविधाएं उन्हें देना शुरू किया है। परन्तु सरकार को यह पता है कि वे बैकबोन हैं सारे डिपार्टमैंट की और गांवों में ज्यादातर उनके बिहाफ पर काम चल रहा है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सकें।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो विश्वास यहां दिया है, पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में, वहां जिस तरह से पोस्ट आफिसेज खोले गए, मैं हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि उस प्रदेश में पंचायतों का एरिया, उनका क्षेत्रफल करीब 12-12, 14-14 या 20-20 किलोमीटर तक फैला हुआ है जबकि आबादी वहां बहुत कम होती है। इस कारण डाक सुविधा उन लोगों को ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होती है और न ही वहां टेलीफोन सुविधा लोगों को ठीक ढंग से मिलती है। मेरा चुनाव क्षेत्र बरफानी इलाका होने के नाते, वहां तीन महीने बरफ की वजह से सारे टेलीफोन खराब रहते हैं और दूरभाष का कोई काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार ने पोस्ट आफिसेज में जो टेलीफोन लगाये हैं, यह बात सही है कि उन टेलीफोनों को पंचायत घरों में देखने वाला कोई नहीं है और हिमाचल प्रदेश में जो टेलीफोन इस वक्त लगे हुए हैं डाकखानों में, उनका ठीक ढंग से प्रयोग करने के लिए आप कौन-सा उपाय सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो तीन मील का एरिया आपने निर्धारित किया है, डाकखाना खोलने के लिए, क्या उस नोर्म को हिमाचल प्रदेश के मामले में आप कुछ शिथिल करेंगे, हिमाचल प्रदेश में उसे लागू नहीं करेंगे क्योंकि वहां पंचायतों का रकबा तीन मील से ज्यादा है, ज्यादा एरिया है। आपने जो आबादी का मापदण्ड रखा है, न वहां आबादी के हिसाब से डाकखाना खोला जा सकता है। इस सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, पहाड़ी इलाकों के लिए हमने 500 की आबादी गांव में रखी है और यह किया है कि एक डाकघर से कम से कम एक हजार की आबादी सर्व हो सके—यह फारमूला है। तीन किलोमीटर वाली बात पहाड़ी इलाकों के लिए नहीं है

और इसके साथ-साथ जो उसका खर्च है, 15 परसेंट इन्कम भी उसकी हो, जिससे कि वह चल सके। हिली एरियाज के लिए ये गाइडलाइन्स हैं, तीन किलोमीटर वाली बात हिली एरिया में नहीं है।

[अनुवाद]

डा० जयन्त रंगपी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत हर्ष का विषय है कि सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना बनायी है। मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ विशेष योजना बना देने से ही पर्वतीय क्षेत्रों में डाक नेटवर्क की स्थापना सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों और खासकर आसाम पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम भू-भाग एवं वहां अत्यन्त अक्षम डाक नेटवर्क को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह चालू वर्ष के दौरान आसाम के पर्वतीय जिलों एवं अन्य भागों में एक निश्चित संख्या विभिन्न श्रेणी के डाकघर स्थापित करने का एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें थोड़ा दुर्गम मैदानी भाग है। हमने बैठक में उस क्षेत्र के लिए एक टास्क-फोर्स का गठन किया है जो अपने प्रस्ताव देगा। मैंने उनसे कह दिया है कि वे दिशानिर्देश को पूरा ध्यान में रखें तथा लोगों की आवश्यकताओं को भी दृष्टि में रखें। इस सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव आयगा, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उन्हें मैं प्राथमिकता के आधार पर निपटाऊंगा और चाहूंगा कि पूर्वोत्तर में रहने वाले हमारे भाई एवं बहनों को समुचित डाकघर सेवा उपलब्ध हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी। वह रेगिस्तानी क्षेत्र से आते हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कुछ कहा, मेरा निवेदन है कि वर्तमान में जो डाकघर चल रहे हैं, वे अत्यन्त दयनीय स्थिति में हैं, विशेषतया जिला मुख्यालयों के जितने डाकघर हैं, आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। कल मैं बारा गया था, जो हमारा एक जिला मुख्यालय है, वहां के डाकघर का भवन बहुत पुराने समय का बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हिली और डैजर्ट एरिया के डाकघरों से सम्बन्धित है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : बारा जिला मुख्यालय का डाक-भवन बहुत दयनीय स्थिति में है और चूंकि नये डाकघर बनाने की बात यहां कही गई है, यह उसी से ताल्लुक रखता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वर्तमान में जो डाकघर हैं, कम से कम जिला मुख्यालयों में तो उनकी स्थिति ठीक करने की तरफ सरकार ध्यान दे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हिली एरियाज में और डैजर्ट एरियाज में डाकघर खोलने से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : जो नये डाकघर बनाए जा रहे हैं, इनकी तुलना में मेरा निवेदन है कि वर्तमान में जो डाकघर हैं, उनको जिले के स्थान पर भवन आदि उपलब्ध करवाएं तो ज्यादा उचित

रहेगा, तो क्या मंत्री महोदय ऐसा विचार रखते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह प्रश्न जिले के डाकघरों से सम्बन्धित नहीं है। यह तो पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के डाकघरों से सम्बन्धित है। आप यदि ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं डिसअलाऊ कर दूंगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं बारा जिले के बारे में पूछ रहा हूं और यह बारा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में ही आता है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, बारा जिला नया जिला राजस्थान में बना है। इसके बारे में आदेश दे दिए गए हैं, वहां पर जल्दी ही नया हैड पोस्ट आफिस खोला जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छोटे, मझोले और बड़े समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की परिभाषायें

[अनुवाद]

***473. श्री राम नाईक :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे, मझोले और बड़े समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की परिभाषाओं में संशोधन किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में, उपरोक्त परिवर्तन सम्मिलित करने हेतु संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधित परिभाषाओं को सम्मिलित न किये जाने के कारण महाराष्ट्र के छोटे और मझोले समाचार पत्र/पत्रिकाएं बिक्री-कर रियायतों से वंचित हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार छोटे, मझोले और बड़े समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है :—

श्रेणी	प्रति प्रकाशन दिवस प्रसार संख्या
छोटे	25,000 प्रतियों तक
मझौले	25,000 प्रतियों से अधिक और 75,000 प्रतियों तक
बड़े	75,000 प्रतियों से अधिक

(ख) से (ङ) भारतीय प्रेस परिषद ने सरकार से अनुरोध किया है कि भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन किया जाय। मामला विचाराधीन है।

सिंचित भूमि क्षेत्र

[हिन्दी]

*476. श्री राम पूजन पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1990 तक कुल कितने एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई तथा असिंचित भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या कृषि भूमि के लिए स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1988-89 (अनंतिम) के लिए उपलब्ध अद्यतन भूमि प्रयोग सांख्यिकी के अनुसार, देश में कुल 1847 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र 452 लाख हेक्टेयर है। शेष क्षेत्र असिंचित है।

(ख) और (ग) देश भर में बहुत से कुंओं/नलकूप सिंचाई कार्यों, टैंकों और अन्य लघु सिंचाई कार्यों के अलावा अब तक कुल 263 वृहद सिंचाई परियोजनाएं और 1104 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से अब तक 84 वृहद परियोजनाएं और 778 मध्यम परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। इसके अतिरिक्त, किए गए अन्य उपाय हैं जल विभाजक विकास कार्यक्रम और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिन्हें 1974-75 से शुरू किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

*477. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 और 1992 के दौरान आंध्र प्रदेश में अनेक टेलीफोन एक्सचेंजों को क्षति पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एक्सचेंजों की मरम्मत कर दी गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी क्षति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1991 और वर्ष 1992 में क्रमश: 34 और 6 टेलीफोन एक्सचेंजों को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी।

(ग) 6 टेलीफोन एक्सचेंजों की मरम्मत कर दी गई है।

(घ) सभी घटनाओं की सूचना पुलिस को दे दी गई है और सभी मामले पुलिस में दर्ज करा दिए गए थे। जिन क्षेत्रों में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं वहां के एक्सचेंजों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

[हिन्दी]

***478. श्री साईमन मराण्डी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम पंचायतों को टेलीफोन देने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो लाख टेलीफोन लाइनों से अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों को खरीदा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इस कार्य का ठेका दिया गया है और कितनी धनराशि का ठेका दिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं। इस समय, दूरसंचार विभाग द्वारा दो लाख से अधिक क्षमता का कोई भी एक अलग एक्सचेंज खरीदने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महानगरों और अन्य टेलीफोन जिलों के लिए 10,000 लाइनों से 50,000 लाइनों की भिन्न-भिन्न क्षमताओं के डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज खरीदने के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। ये एक्सचेंज, बड़ी एक्सचेंज प्रणालियों की आम जरूरतें पूरी करने के लिए हैं और ग्रामीण दूरसंचार के लिए नहीं। ग्रामीण दूर संचार के लिए 64 पोर्ट, 128 पोर्ट, 512 पोर्ट 1000 लाइनों और 1400 लाइनों के छोटे आकार के एक्सचेंज होते हैं। इस निविदा के माध्यम से खरीदे जाने वाले उपर्युक्त एक्सचेंजों के पंचायत-स्तर के किसी भी टेलीफोन को जोड़ने की सम्भावना नहीं है।

(ख) चूंकि ऊपर (क) में उल्लिखित बड़े आकार के एक्सचेंज बड़े शहरों के लिए होते हैं, अत: बड़े आकार के एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में स्थित पंचायत को छोड़कर, इन्हें ग्राम पंचायतों में स्थापित करने के बारे में कोई भी ब्यौरा विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(ग) दो लाख लाइनों के डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर की प्रस्तावित खरीद के लिए प्राप्त निविदा पर अभी तक कोई संविदा प्रदान नहीं किया गया है। प्रौद्योगिकियों के वैधीकरण

निविदा की बोलियों के मूल्यांकन और उनकी स्वीकृति के बाद ही संविदाओं की राशि का पता चलेगा।

तीर्थ स्थान

[अनुवाद]

*479. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान कौन-कौन से हैं;

(ख) प्रत्येक तीर्थ स्थान पर प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने तीर्थयात्री आते हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन तीर्थ स्थानों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई समेकित कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) महत्वपूर्ण तीर्थ केन्द्रों की राज्यवार सूची और उन केन्द्रों में आने वाले तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) पर्यटन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसरण में चुनिंदा केन्द्रों के विकास के लिए परियोजनाएं बनाने और उन पर निगरानी रखने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने 19 तीर्थ केन्द्र और दो तीर्थ परिपथ चुने हैं।

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्र

*480. **श्री श्याम लाल कमल :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2440 मेगावाट की कुल क्षमता वाले तीन ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम		क्षमता (मेगावाट)	जिला
राज्य क्षेत्र			
1.	अनपारा "ख" ताप विद्युत परियोजना	2×500	सोनभद्र
2.	टांडा ताप विद्युत परियोजना	4×110	फैजाबाद
केन्द्रीय क्षेत्र			
3.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र, चरण-2	2×500	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनायें

*481. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की उन मझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो पिछली योजनावधि में पूरी नहीं हो पाई थीं और जो अब निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इन योजनाओं को पूरा करने के लिए सातवीं योजना अवधि अपर्याप्त रही थी;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों को उक्त परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए और अधिक सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण।

क्र०सं०	मद	मध्य प्रदेश		उत्तर प्रदेश	
		वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम
1	2	3	4	5	6
1.	निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या	22	32	25	10
2.	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	5808	763	6530	176
3.	सातवीं योजना के अन्त तक व्यय	1567	361	2344	54
4.	3/91 तक व्यय (करोड़ रुपये)	1633	405	2607	68
5.	1991-92 के दौरान प्रत्याशित व्यय (करोड़ रुपये)	233	54	244	15
6.	8वीं योजना के लिए कार्यदल द्वारा सिफारिश किया गया परिव्यय (करोड़ रुपये)	1639	225	2292	88

1	2	3	4	5	6
7.	8वीं योजना के दौरान पूर्ण करने की संभावना (परियोजनाओं की संख्या)	12	32	16	7
8.	8वीं योजना से आगे ले जाये जाने की संभावना (परियोजनाओं की संख्या)	10	—	9	3
9.	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	2009	231	4528	56
10.	3/91 तक सृजित क्षमता (हजार हेक्टेयर)	423	48	1676	15
11.	1991-92 के लिए संभावित उपलब्धि (हजार हेक्टेयर)	50	19	115	4

टिप्पणी : उपर्युक्त कोई भी परियोजना विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही है। अतः राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्धारित परिव्ययों का दृढ़ता से अनुपालन करने का निर्णय लिया गया है।

अन्तर-बेसिन जल अन्तरण संबंधी राष्ट्रीय संदर्शी योजना

*482. **श्री के० पी० सिंह देव :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर अन्तर-बेसिन जल का अन्तरण करने हेतु एक राष्ट्रीय संदर्शी योजना का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न अन्तर-बेसिनों से ऐसे अन्तरण हेतु जल की मात्रा का निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जल संसाधनों के विकास के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिक जल वाले बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में जल को अन्तरित करने के लिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बड़ी नदियों और हिमालयी नदियों को अलग-अलग आपस में जोड़ने की परिकल्पना है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को इन प्रस्तावों को सम्पुष्ट करने का कार्य सौंपा गया है। यह निकट भविष्य में मूल बेसिन की उपयुक्त आवश्यकताएं पूरी करने के बाद अन्तरण के लिए उपलब्ध जल की मात्रा निर्धारित करने हेतु जल संतुलन अध्ययन करता है। उसके बाद, जल अन्तरण सम्पर्कों के विभिन्न घटकों के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है।

मैंगनीज अयस्क

*483. श्री रामचन्द्र घंगारे :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान मैंगनीज अयस्क का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में मैंगनीज का कितनी मात्रा में उपयोग किया गया तथा कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या मैंगनीज अयस्क के उत्पादन और निर्यात में निरन्तर कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसका उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान मैंगनीज अयस्क के उत्पादन, देश में उपयोग की गयी मात्रा तथा निर्यातित मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(मात्रा लाख टन में)

		1989-90	1990-91	1991-92
1.	उत्पादन	14.57	13.88*	44.67*
2.	देश में उपयोग की गई मात्रा	11.82	12.51*	13.23*
3.	निर्यात	3.83	2.95	2.60*

*अनन्तिम

नोट : उपलब्ध स्टाक के कारण देश में उपयोग की गयी तथा निर्यात की मात्रा सूचित उत्पादन से अधिक है।

(ग) उपर्युक्त ब्यौरे में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1991-92 के दौरान मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बढ़ा है। तथापि, निर्यात में कुछ कमी आई है।

(घ) सरकार की नीति का उद्देश्य यह है कि स्वदेशी उद्योग द्वारा इस्तेमाल किये जाने के लिए उच्च ग्रेड के अयस्क का संरक्षण हो, तदनुसार अपेक्षाकृत घटिया किस्म के मैंगनीज अयस्कों की केवल सीमित मात्रा के निर्यात करने की अनुमति है। विश्व में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में मंदी के कारण सामान्यत: मैंगनीज अयस्क की अन्तर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट आयी है जिससे निर्यात पर प्रभाव पड़ा है।

(ङ) मैंगनीज अयस्क के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो ने

खानों के सुव्यवस्थित विकास और अधिक उत्पादन पर बल देने के लिए खानों के नियमित निरीक्षण का कार्य शुरू किया है।

मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी दूरदर्शन समाचार एजेन्सियां

*484. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जिन गैर-सरकारी दूरदर्शन एजेन्सियों को मान्यता दी गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या ये सभी एजेन्सियां उक्त मानदण्डों का पालन कर रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी प्रत्येक एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सभी 18 टेलीविजन न्यूज एजेंसियां पत्र सूचना कार्यालय (पी० आई० बी०) द्वारा प्रत्यायित की गई हैं। इन न्यूज एजेंसियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. मैसर्स एशियन फिल्म्स् टी० वी० न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली।
2. मैसर्स बेदी फिल्मस् टी० वी० न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली।
3. मैसर्स सिने इंडिया इंटरनेशनल टी० वी० न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली।
4. मैसर्स प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया टी० वी० न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली।
5. मैसर्स एशियन न्यूज इंटरनेशनल टी० वी० न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली।
6. मैसर्स स्पाट फिल्मस् टी० वी० न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली।
7. मैसर्स टेलीविजन न्यूज एण्ड फीचर एजेंसी, नई दिल्ली।
8. मैसर्स टेलीविजन न्यूज इंडिया टी० वी न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली।
9. मैसर्स वेद फिल्मस् टी० वी० न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली।
10. मैसर्स जर्मन रेडियो एण्ड टेलीविजन, पश्चिम जर्मनी।
11. मैसर्स इंडिपेंडेंट टेलीविजन, लंदन।
12. मैसर्स वर्ल्डवाइड टेलीविजन न्यूज (डब्ल्यू० टी० एन०), लंदन।
13. मैसर्स विसन्यूज इंटरनेशनल टेलीविजन न्यूज एजेंसी, लंदन।
14. मैसर्स ईको-टेलीविजा, मैक्सिको।
15. मैसर्स अमेरिकन ब्राडकास्टिंग कंपनी, टी० वी० न्यूज एजेंसी, न्यूयार्क।

16. मैसर्स कोलम्बिया ब्राडकॉस्टिंग सर्विस, टेलीविजन न्यूज एजेंसी, जापान ।

17. मैसर्स यूरोपियन टेलीविजन सर्विस (जी० एम० बी० एच०), पश्चिम जर्मनी ।

18. मैसर्स जर्मन टेलीविजन नेटवर्क (ए० आर० डी०), एफ० आर० जी० ।

(ख) निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं :—

(1) एजेंसियों द्वारा परिचालित/निर्मित समाचारों की विषय-वस्तु में भारत सरकार के मुख्यालयों से प्राप्त समाचार तथा सूचना शामिल होनी चाहिए ।

(2) किसी टेलीविजन संगठन के कम से कम 6 अदाकर्ता ग्राहक होने चाहिए और उसे समाचार माध्यम संगठन से कम से कम 50,000 की वार्षिक अभिदान के रूप में आमदनी होनी चाहिए, जो किसी चार्टर्ड लेखाकार फार्म द्वारा प्रमाणित हो ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

इंडियन एयरलाइन्स के सेल्स एजेंट

*485. श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारी अपने सेल्स एजेंटों को अपने ही आरक्षण कार्यालयों से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितना वार्षिक वित्तीय घाटा हुआ है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक इस प्रथा के कार्यकरण पर पुनर्विचार कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

भूमि को जलमग्न होने से बचाना

*486. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी भर जाने की समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने ही 1500 हेक्टेयर तथा 872 हेक्टेयर क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को हल करने के लिए क्रमश: 926 लाख रुपये तथा 6.02 लाख रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव केन्द्रीय कृषि और सहकारिता मंत्रालय, कृषि विभाग को प्रस्तुत किए थे।

(ग) और (घ) जल जमाव वाले क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास सहित मृदा/अपक्षीण क्षेत्रों की समस्या को हल करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पर विचार किया गया था। तथापि, 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) की पुनरीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित राज्य सरकारों की समस्या की तीव्रता और सीमा के अध्यधीन राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यक्रम शुरू करने चाहिए।

बाल फिल्में

*487. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन पर गत दो वर्षों के दौरान कितनी बाल फिल्में प्रसारित की गई हैं;

(ख) क्या और अधिक बाल फिल्मों का प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अठारह।

(ख) और (ग) दूरदर्शन का सतत प्रयास रहता है कि पर्याप्त संख्या में बाल फिल्में प्रसारित की जाएं।

नवीनतम इस्पात प्रौद्योगिकी

*488. श्री रवि राय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1992 के "हिन्दू" में भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात उत्पादकों की नवीनतम इस्पात प्रौद्योगिकी दिये जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह प्रौद्योगिकी लघु इस्पात संयंत्रों के लिए उपयुक्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में हाल ही में हुई बातचीत के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) जी, हां। 15 जुलाई, 1992 के "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार में उल्लिखित प्रौद्योगिकी कोरेक्स प्रक्रिया से संबंधित है जो परम्परागत कोक ओवन धमन भट्टी प्रक्रिया के स्थान पर अकोककर कोयले का प्रयोग करके तप्त धातु/कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी है। यह प्रौद्योगिकी आस्ट्रिया की मैसर्स वोइस्ट अल्पाइन (वी० ए० आई०) की है। कोरेक्स प्रौद्योगिकी पर आधारित 3 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का पहला सयंत्र पिछले दो वर्षों से दक्षिण अफ्रीका में प्रचालनरत है। तथापि, इस प्रौद्योगिकी का अभी अन्य स्थानों पर परीक्षण किया जाना है।

कच्चा लोहा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और इसे कुछ शर्तों पर विदेशी सहयोग करार और विदेशी साम्य निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वत: मंजूरी की सुविधा भी प्राप्त है। भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता तभी होगी जब ये शर्तें पूर्ण रूप से पूरी नहीं होतीं। केवल मैसर्स पोमेक्स इस्पात लिमिटेड हैदराबाद ने सूचित किया है कि कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए कोरेक्स पद्धति अपनाने हेतु उन्होंने मैसर्स वोइस्ट अल्पाइन (वी० आई० ए०) आस्ट्रिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दी गई सूचना के अनुसार कोरेक्स प्रक्रिया के लाभ सही मालूम पड़ते हैं परन्तु यह उल्लेखनीय है कि कोरेक्स प्रक्रिया के लिए अकोककर कोयले की एक विशेष क्वालिटी की आवश्यकता होती है और अधिकांश भारतीय अकोककर कोयला, जैसा कि वह उपलब्ध है, इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। इसलिए यह आवश्यक है कि इसे कोक ब्रीज अथवा न्यून राखयुक्त आयातित कोलाटाइल कोयले के साथ मिलाया जाए। इस सीमा तक यह आयात आवश्यकता को दूर नहीं कर सकता।

कोरेक्स प्रक्रिया में आक्सीजन की अधिक मात्रा का प्रयोग होता है। आक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में अधिक बिजली लगती है और इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। कोरेक्स प्रक्रिया अधिशेष ईंधन गैस की अत्यधिक मात्रा का उत्पादन करती है जिसका किफायत के रूप में उपयोग किया जा सकता है ताकि इस प्रक्रिया को व्यवहार्य बनाया जा सके।

बारीक लौह अयस्क का निर्यात

*489. श्री के० प्रधानी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बारीक लौह अयस्क (आयरन ओर फाईन्स) का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा निर्यात किए गए ऐसे लौह अयस्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन खानों से इसका निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। 1991-92 से।

वर्ष 1991-92 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) के माध्यम से चीन को 46,000 टन लौह अयस्क के चूरे का निर्यात किया गया था। चालू वर्ष में अब तक लगभग 12,000 टन लौह अयस्क का निर्यात किया जा चुका है।

(ग) लौह अयस्क चूरे का निर्यात स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की सहायक कम्पनी इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) की गुआ स्थित लौह अयस्क खान से किया जा रहा है।

(घ) लौह अयस्क का निर्यात माध्यम अभिकरण खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की।

दूर संचार के लिए भू-केन्द्र

*490. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को अपने निजी रक्षित उपग्रह संचार नेटवर्क स्थापित करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नेटवर्क के लिए क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं तथा ऐसे नेटवर्क का टैरिफ ढांचा क्या है; और

(ग) ऐसे नेटवर्क के लिए अपेक्षित भू-केन्द्रों के स्वामित्व, अधिष्ठापन, रखरखाव और संचालन के सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग की क्या भूमिका होगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों को मामला-दर-मामला के आधार पर संचार मंत्रालय की पूर्व अनुमति से अपने कैप्टिव उपग्रह व्यापार संचार नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है।

(ख) इन्सेट-I उपग्रह पर आधारित कैप्टिव नेटवर्कों के लिए प्रमुख शर्तें और शुल्क का वर्तमान ढांचा संलग्न विवरण-I में दिया गया है जिसे सदन पटल पर रख दिया गया है।

(ग) कैप्टिव उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए आवश्यक भू-केन्द्रों के स्वामित्व, संस्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के मामले में दूरसंचार विभाग की वर्तमान भूमिका विस्तारपूर्वक संलग्न विवरण-II में दी गई है जिसे सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-I

इन्सेट-I के माध्यम से कैप्टिव उपग्रह संचार के लिए विस्तृत मार्ग-निर्देश

संवर्गी स्वामित्वधारकों के समर्पित प्रयोग के लिए आवश्यक भू-केन्द्र के स्वामित्व, संस्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के बारे में दूरसंचार विभाग पूर्ण सुगम्यता अपनाता है। इस प्रकार के भू-केन्द्र निम्नलिखित तरीकों से चलाये जा सकते हैं :—

(क) दूरसंचार विभाग का स्वामित्व और उसके द्वारा संस्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित ।

(ख) प्रयोगकर्त्ता का स्वामित्व लेकिन दूरसंचार विभाग द्वारा संस्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित ।

(ग) प्रयोगकर्त्ता का स्वामित्व लेकिन दूरसंचार विभाग द्वारा संस्थापित और तत्पश्चात् प्रयोगकर्त्ता द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित ।

(घ) प्रयोगकर्त्ता का स्वामित्व और उसी के द्वारा संस्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित ।

2. सामान्य शर्तें

प्रयोगकर्त्ता द्वारा भू-केन्द्र का प्रचालन और अनुरक्षण निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा :—

(क) ऐसे भू-केन्द्रों से लिए गए सर्किटों को वर्तमान भारतीय तार नियमावली के अनुसार दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक स्विच्ड नेटवर्क अभिगम्यता प्रदान नहीं की जाती है ।

(ख) प्रयोगकर्त्ता हर समय, दूसंचार विभाग के नेटवर्क प्रचालन और नियंत्रण केन्द्र की उपेक्षाओं तथा अनुदेशों के अनुरूप कार्य करेगा ।

(ग) अन्य किसी विवाद/अज्ञात क्षेत्रों के मामले में भारतीय तार अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

(घ) दूरसंचार विभाग के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं :—

—कतिपय अत्यावश्यकता की स्थितियों में जनहित को ध्यान में रखते हुए अन्तरिक्ष खण्ड की क्षमता कम कर सकता है ।

—कतिपय अत्यावश्यकता की स्थितियों में जनहित में भू-केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य अपने हाथ में ले सकता है ।

—किसी भी समय संस्थापनाओं का दौरा कर सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है; और

—सुविधा का उपयुक्त विस्तार करके जनहित में इसका उपयोग कर सकता है ।

(ङ) दूर संचार विभाग को उपयुक्त अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान ।

(च) अन्तरिक्ष खण्ड के सम्बन्ध में प्रभारों तथा दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किन्हीं भी अन्य प्रभारों का भुगतान ।

3. इन्सेट-I उपग्रह पर आधारित कैप्टिव नेटवर्क के लिए वर्तमान शुल्क

क. विभागीय भू-केन्द्रों के साथ कार्य कर रहे निजी स्वामित्व के भू-केन्द्र

इस मामले में, निजी स्वामित्व वाले भू-केन्द्रों के साथ कार्य कर रहे, दूरसंचार विभाग के प्रत्येक भू-केन्द्र तक नीचे से ऊपर की ओर संचार सम्पर्क और अथवा ऊपर से नीचे की ओर के संचार सम्पर्क के लिए पार्टी को आदेय होगा । इसके अलावा प्रयोगकर्त्ता अन्तरिक्ष खण्ड के प्रभारों का भुगतान करेगा

जो भू-केन्द्रों की सम्पर्क साध्यता की किस्म पर निर्भर होगा।

विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारों का मानदण्ड इस प्रकार होगा :—

(i) वायस अनुप्रयोग (बैण्ड चौड़ाई 3.1 किलोहर्टज) के लिए वायस ग्रेड सर्किट की एस०सी० पी० सी० किस्म के सम्बन्ध में

(क) दूरसंचार विभाग के भू-केन्द्र पर नीचे से ऊपर की ओर प्रत्येक संचार सम्पर्क अथवा ऊपर से नीचे की ओर के प्रत्येक संचार सम्पर्क के लिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष 1,00,000/-रु० की दर पर भुगतान करना होगा।

(ख) प्रयोक्कर्ता एक सर्किट (दोनों तरफ) के लिए अन्तरिक्ष खण्ड प्रभारों का नीचे लिखे अनुसार भुगतान करेगा जो भू-केन्द्रों के बीच की सम्पर्क साध्यता की किस्म पर निर्भर होगा :—

क्र० सं०	संचार सम्पर्क	प्रभार
1.	"ए" से "ए" भू-केन्द्रों के बीच	रु० 60,000 प्रतिवर्ष
2.	"ए" से "बी" भू-केन्द्रों के बीच	रु० 70,000 प्रतिवर्ष
3.	"ए" से "सी" भू-केन्द्रों के बीच	रु० 80,000 प्रतिवर्ष
4.	"बी" से "बी" भू-केन्द्रों के बीच	रु० 85,000 प्रतिवर्ष
5.	"बी" से "सी" भू-केन्द्रों के बीच	रु० 90,000 प्रतिवर्ष
6.	"सी" से "सी" भू-केन्द्रों के बीच	रु० 1,20,000 प्रतिवर्ष

(ii) वायस सक्रियता के बिना वायस ग्रेड सर्किट की सहायता से लोअर डाटा रेट के लिए सी० एस० एम०-एस०सी०पी०सी० सर्किट

(क) दूरसंचार विभाग के भू-केन्द्र पर नीचे से ऊपर के प्रत्येक सम्पर्क अथवा ऊपर से नीचे के प्रत्येक सम्पर्क के लिए उपर्युक्त क (i) (क) में उल्लिखित प्रभार का 1.25 गुणा प्रभार लिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक सर्किट (दोनों तरफ) के लिए अन्तरिक्ष खण्ड का प्रभार उपर्युक्त पैरा क (i) (ख) में उल्लिखित प्रभारों का 2.5 गुणा लिया जाएगा, जो उस भू-केन्द्र की किस्म के अनुसार होगा जिसके बीच वह प्रदान किया जाएगा।

(iii) वायस तथा 64 कि० बिट्स प्रति सेकेण्ड की गति तक डाटा के लिए पी० सी० एम०-पी० एस० के०-एस० सी० पी० सी०

(क) दूरसंचार विभाग के भू-केन्द्र पर नीचे से ऊपर के प्रत्येक सम्पर्क और ऊपर से नीचे के प्रत्येक सम्पर्क के लिए क (i) (क) में यथा विनिर्दिष्ट प्रभारों का 3 गुणा प्रभार लिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक सर्किट (दोनों तरफ) के लिए अन्तरिक्ष खण्ड का प्रभार पैरा क (i) (ख) में

उल्लिखित प्रभार का 7.5 गुणा किया जाएगा, जो उस भू-केन्द्र की किस्म के अनुसार होगा जिसके बीच वह प्रदान लिया गया है।

ख. दूरसंचार विभाग द्वारा निजी स्वामित्व के भू-केन्द्रों का प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए प्रभार—

पट्टे पर लिये जाने वाले अन्तरिक्ष खण्ड की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रभारों के अलावा, यदि निजी स्वामित्व के भू-केन्द्र का अनुरक्षण और प्रचालन दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है तो प्रत्येक स्थान के लिए, दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित सभी परिसम्पत्तियों की लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार का भुगतान प्रयोगकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी :

टाइप—ए—भू-केन्द्र की मैरिट संबंधी आंकड़ा...31.7 डीबी[1] के

टाइप—बी—भू-केन्द्र की मैरिट संबंधी आंकड़ा...25.7 डीबी[1] के

टाइप—सी—भू-केन्द्र की मैरिट संबंधी आंकड़ा...19.7 डीबी[1] के

विवरण-II

यद्यपि प्रयोगकर्त्ताओं को, उनके पास उपलब्ध अवसंरचना के आधार पर उपग्रह पर आधारित नेट वर्कों की योजना बनाने, उनकी संस्थापना और अनुरक्षण करने की अनुमति दी जाती है, तथापि दूरसंचार विभाग का निम्नलिखित कार्यों से संबंध रहेगा, जिसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा उपयुक्त प्रभार अलग से तय किये जाएंगे :—

(क) उपस्कर निर्देशन सहित प्रणाली इंजीनियरी की समग्र जांच।

(ख) इन्सेट समन्वय संबंधी सचिवों की समिति (आई सी सी) से संरूपण और अभिगम्यता की अनुमति।

(ग) अन्तरिक्ष खण्ड का आवंटन।

(घ) एंटीना विकिरण पद्धति सहित नये भू-केन्द्रों की अनिवार्य जांच।

(ङ) प्रचालन के दौरान नेटवर्क प्रचालन नियंत्रण केन्द्र (एन०ओ०सी०सी०) के जरिए नियंत्रण और पर्यवेक्षण।

(च) मासिक सूचना प्रणाली (एम० आई० एस०) की जानकारी के लिए कार्य निष्पादन की समीक्षा।

(छ) कार्य निष्पादन पैरामीटरों का रिकार्ड और विश्लेषण।

(ज) जनशक्ति का प्रशिक्षण (वैकल्पिक)।

(झ) प्रचालन के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा यथा अपेक्षित संस्थापनाओं का दौरा अथवा निरीक्षण।

(ञ) संस्थापनों की लाइसेंसिंग। आवृत्ति आबंटन की स्थायी सलाहकार समिति (सैक्फा)

से प्रयोगकर्ता द्वारा सीधे अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

4914. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और इससे सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं और पदों में सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"डेसू" का विद्युत विकास शुल्क

4915. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डेसू" दो बार विद्युत विकास शुल्क ले रहा है, एक बार क्षेत्र में विद्युतीकरण की योजना शुरू करते समय और दुबारा उन कालोनियों को स्थायी कनेक्शन मंजूर करते समय जिनके लिए शहर नियोजनकों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले ही दे दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उपयुक्त अनधिकृत/नियमित कालोनियों के लिए विद्युतिकरण सम्बन्धी स्कीम, 25./· प्लाट धारियों द्वारा अपेक्षित विकास प्रभारों का भुगतान किए जाने पर ही डसू द्वारा जारी की जाती है। डेसू की नीति के अनुसार सभी संदर्शी उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय वर्तमान दरों पर विकास प्रभारों सम्बन्धी राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है तथा कालोनी का विद्युतिकरण किए जाने की तिथि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। ऐसे आवेदनकर्ताओं के मामले में जिन्होंने पुरानी दरों के आधार पर विकास प्रभार सम्बन्धी राशि जमा कराई होती है, उनसे केवल पुरानी एवं संशोधित दरों में अन्तर की राशि वसूल की जाती है लेकिन विकास प्रभारों में संशोधन किए जाने जी तारीख से पूर्व डेसू द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए जाने पर किसी प्रकार की अन्य राशि वसूल नहीं की जाती है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के बारे में उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

4916. श्री बापू हरि चौरे :

श्री बी० देवराजन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है तथा सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप पदों को भरा जाता है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में विभिन्न सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का लक्ष्य प्रतिशतता तथा वास्तविक प्रतिनिधित्व में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना

4917. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नीति घोषित करने के बाद पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) किन-किन राज्यों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा पर्यटन का विकास करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों में शामिल हैं—विदेशी मुद्रा आय पर आय-कर से छूट, ग्रामीण, पर्वतीय तथा अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों का निर्माण करने पर 10 वर्ष की अवधि तक व्यय कर से और 50 प्रतिशत तक आय कर से छूट, साहसिक खेल उपकरणों पर घटी दर पर सीमा-शुल्क, चार्टर उड़ानों के संबंध में उदार नीति, पर्यटन उद्योग की ऋण संबंधी मांग को पूरा करने के लिए एक पर्यटन वित्त-निगम की स्थापना, आदि।

(ख) प्रोत्साहन देश के सभी राज्यों में मिलते हैं।

[अनुवाद]

गुवाहाटी के निकट कामाख्या का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करना

4918. श्री प्रबीन डेका :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी के निकट कामाख्या को राष्ट्रीय पर्यटन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन इस राज्य में विदेशी पर्यटकों के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनुमति देने संबंधी शर्तों में ढील देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1991-92 के दौरान कामाख्या मन्दिर में सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए केन्द्र सरकार ने 7.78 लाख रु० की मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति ने कामाख्या को तीर्थ पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास के लिए अभिनिर्धारित किया है।

(ग) और (घ) असम जाने वाले व्यक्तियों और ग्रुपों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट में ढील देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है।

दूरदर्शन के नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

4919. **श्री धर्मभिक्षम :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दूरदर्शन के कैजुअल आर्टिस्टों, प्रोडक्शन असिस्टेंट, लाइटिंग असिस्टेंट, मेक-अप असिस्टेंट, जनरल असिस्टेंट आदि के रूप में कार्यरत अपने सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के मामलों में इस निर्देश को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसरण में सरकार ने दूरदर्शन के कैजुअल आर्टिस्टों को नियमित करने हेतु एक स्कीम पहले ही तैयार कर ली है। समबद्ध ढंग से नियमित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

ए-320 विमानों को खड़े रखना

4920. **श्री मोहन रावले :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के 18 ए-320 विमानों में से 10 विमान अतिरिक्त पुर्जों के अभाव में सेवा में नहीं लाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ए-320 विमानों के सेवा में न लाए जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को या तो रद्द करना पड़ा है अथवा पुनः निर्धारित करना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो रद्द की गई अथवा पुनः निर्धारित उड़ानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जून, 1992 के दौरान निर्धारित प्रमुख रख-रखाव जांचों के लिए कुछ ए-320 विमान साथ-साथ नहीं बल्कि क्रमिक रूप से ग्राउंड रहे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय अनुक्रिया डाक कूपन

4921. डा० आर० मल्लू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रिया डाक कूपनों का विनिमय दिल्ली और अन्य स्थानों के केवल कुछ मुख्य डाक घरों में ही होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में ये कूपन केवल संसद मार्ग पर ही लिए जाते हैं अन्य स्थानों पर नहीं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि ये कूपन प्रत्येक डाकघर में लिए जाएं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) देश में सभी प्रधान डाकघरों और विभागीय उप-डाकघरों को इंटरनेशनल रिप्लाई कूपनों का विनिमय करने की सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। तथापि, दिल्ली के 12 डाकघरों में, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है, अभी हाल तक इंटरनेशनल रिप्लाई कूपनों का विनिमय किया जा रहा था। दिल्ली के सभी प्रधान डाकघरों और विभागीय उप-डाकघरों में इंटरनेशनल रिप्लाई कूपनों के विनिमय के लिए आदेश पुनः जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

अनुबन्ध—"क"

क्र०सं०	प्रधान डाकघर/उप डाकघर का नाम	स्तर
1.	पार्लियामेंट स्ट्रीट	प्रधान डाकघर
2.	सरोजिनी नगर	प्रधान डाकघर
3.	नई दिल्ली जी०पी०ओ०	प्रधान डाकघर
4.	दिल्ली जी०पी०ओ०	प्रधान डाकघर
5.	इन्द्रप्रस्थ	प्रधान डाकघर
6.	रमेश नगर	प्रधान डाकघर
7.	लोधी रोड	प्रधान डाकघर
8.	अशोक विहार	प्रधान डाकघर
9.	डी०एच०क्यू० डाकघर	उप डाकघर
10.	लाजपत नगर	उप डाकघर
11.	कनाट प्लेस	उप डाकघर
12.	ईस्टर्न कोर्ट	उप डाकघर

उड़ीसा में क्रोम अयस्क का उत्पादन

4922. **श्री शिवाजी पटनायक :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा के उपायों की दृष्टि से सुकिंदा घाटी से क्रोम अयस्क के उत्पादन हेतु यू० एन० डी० पी० की सहायता के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कारणों से 1989 से परियोजना मंजूरी के लिए लम्बित है :—

(i) यू०एन०डी०पी० से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 50,50,000 रु० की अनु-

मानित समकक्ष लागत के निधियन के लिए उड़ीसा सरकार की सहमति दिसम्बर, 1991 में ही प्राप्त हुई।

(ii) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यू०एन०डी०पी० की अनुमति लेने के लिए विभिन्न एजेंसियों अर्थात विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, योजना आयोग और तकनीकी विकास महानिदेशालय की सहमति प्राप्त की जानी थी।

(ग) इस समय यह परियोजना वित्त मंत्रालय और यू०एन०डी०पी० में 5,25,000 अमरीकी डालर के यू०एन०डी०पी० के योगदान के लिए विचाराधीन है। यू०एन०डी०पी० और यू०एन०डी०-टी०सी०डी० ने योजना की जांच की है और परियोजना के दस्तावेजों को पुनः तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एण्ड फार्मुलेशन (पी०डी०एफ०) मिशन को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना के बारे में यू०एन०डी०पी० की मंजूरी पी०डी०एफ० मिशन द्वारा किये जाने वाले अध्ययन और उसके परिणाम न मिलने के कारण लम्बित है।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों की आबादी में दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र

4923. मेजर डी०डी० खनोरिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है;

(ख) इन जिलों में इस प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या योजनायें बनायी गई हैं; और

(ग) उपर्युक्त जिलों में 90 प्रतिशत जनसंख्या को प्रसारण क्षेत्र की परिधि में लाने हेतु वर्ष-वार योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) इस समय अनुमानतः कांगड़ा जिले की 35 प्रतिशत, चम्बा जिले की 11 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो रही है। इन आंकड़ों में किनारे के उन क्षेत्रों की आबादी शामिल है जहां संतोषजनक टी०वी० रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीने और बूस्टर लगाने पड़ते हैं। तथापि, इस समय पालनपुर में जो अति अल्पशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है, उसके चालू हो जाने पर कांगड़ा जिले में दूरदर्शन सेवा में और वृद्धि हो जाएगी। साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं को देखते हुए धर्मशाला में वर्तमान अल्पशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्चशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने की भी परिकल्पना की गई है। इस ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर इन जिलों में दूरदर्शन सेवा में भी सुधार हो जाने की आशा है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोकिंग कोयले का आयात

4924. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार कोकिंग कोयले की खरीद के लिए आस्ट्रेलिया के साथ दीर्घावधि अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अक्तूबर, 1992 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 20 लाख टन कोककर कोयले (10 लाख टन की वैकल्पिक मात्रा सहित) की सप्लाई करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा जारी की गई है । ठेके का अन्तिम निर्णय निविदा के प्रत्युत्तर पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश के राज्य की राजधानी को अन्य शहरों से एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ा जाना

[हिन्दी]

4925. **श्री लाल बहादुर रावल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) उत्तर प्रदेश में उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें इस समय राज्य की राजधानी से एस०टी०डी० सुविधा से नहीं जोड़ा गया हैं;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 में सरकार का विचार इस सुविधा को उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) अमलोहा, हल्द्वानी एवं काठगोदाम ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अमलोहा और हल्द्वानी एवं काठगोदाम दोनों को 1993 के दौरान एस०टी०डी० से जोड़ने की योजना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नयी परियोजनाओं में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

4926. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नयी परियोजनाओं पर कुल कितना पूंजी निवेश किया है और इन परियोजनाओं में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है; और

ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने कोई नई परियोजना हाथ में नहीं ली है ।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (रु० लाखों में)
1989-90	2,888.60
1990-91	3,353.24
1991-92 (अनंतिम)	4,322.51

दिल्ली और बागडोगरा के बीच हवाई उड़ान

4927. **श्री सुब्रत मुखर्जी :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बागडोगरा के बीच दैनिक उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विमान क्षमता की कठिनाई के कारण, इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली और बागडोगरा के बीच एक दैनिक सेवा आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है ।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

4928. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान और पिछले दो वर्षों में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने कृषि पंपों को विद्युत चालित किया गया और चालू वर्ष के दौरान कितने कृषि पंपों को विद्युत चालित किए जाने का विचार है;

(ग) इस कार्यक्रम में कटौती किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लक्ष्यों में वृद्धि करने का है; आर

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) चालू वर्ष तथा विगत के दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु नियत धनराशि का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	राशि करोड़ों में
1992-93	27.65 रुपये
1991-92	30.96 रुपये
1990-91	54.70 रुपये

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत के दो वर्षों अर्थात 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ऊर्जित पम्पसैटों की संख्या 81,794 तथा 80,609 बताई गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10,820 पम्प सैटों को ऊर्जित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) पम्पसैटों के ऊर्जन सहित ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्यों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड के परामर्श से किया जाता है। जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों/बिजली बोर्डों द्वारा रखे गए प्रस्तावों, संसाधनों की कुल उपलब्धता इत्यादि पहलुओं को समुचित महत्व दिया जाता है। संसाधनों सम्बन्धी बाधाओं के कारण आन्ध्र प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि तथा लक्ष्यों में वृद्धि करना अभी सम्भव नहीं है।

नई मुक्त विमान सेवा नीति

[हिन्दी]

4929. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई मुक्त विमान सेवा नीति के अन्तर्गत परिचालन परमिट का प्रति वर्ष नवीकरण करवाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के नियमों की जटिलताओं तथा प्रति वर्ष नवीकरण की आवश्यकता के कारण अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमों को सरल बनाने तथा एक संशोधित दो या दस वर्ष की समयावधि निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ड) "ओपन स्काई नीति" शब्द का संबंध केवल भारत से बाहर का कार्गो उड़ानों से है। यह स्थाई आधार पर है। सिवाय अनुसूचित प्रचालकों के, भारत से बाहर कार्गो उड़ानों की अनुमति एक उड़ान से दूसरी उड़ान के आधार पर दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए कोई परमिट नहीं दिया जाता है।

सर्वाधिक लोकप्रिय टी० वी० धारावाहिक

[अनुवाद]

4930. श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसारित किये गये पांच ऐसे धारावाहिकों के नाम क्या हैं जिन्हें सर्वाधिक लोकप्रियता मिली और जिनसे सरकार को भी आय हुई; और

(ख) इन पांच धारावाहिकों से हुई आय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्रम सं०	धारावाहिक का नाम	अर्जित राजस्व (रुपये)
1.	महा भारत	59,75,00,000/-
2.	सोर्ड आफ टीपू सुलतान	19,54,55,000/-
3.	चाणक्य	12,44,75,000/-
4.	गुल गुलशन गुलफान	9,13,60,000/-
5.	मृगनयनी	6,52,85,000/-

बिहार में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

4931. श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक बिहार में भारत पर्यटन विकास निगम के कितने होटलों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या राज्य में पर्यटकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु वर्तमान होटल पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य में भारत पर्यटन विकास निगम के और अधिक होटलों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने बिहार में कोई नया होटल स्थापित नहीं किया है।

(ख) और (ग) आवास सुविधाओं के संवर्धन सहित पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता देती है। इस समय, बिहार राज्य में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नया होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम बंगाल में डाक घर

4932. श्री हाराधन राय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में जिला-वार कितने डाक घर थे;

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में जिला-वार कितने गांवों में डाकघर नहीं थे; और

(ग) चालू वर्ष में, कितने डाकघर कहां-कहां पर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में डाकघरों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में उन गांवों की जिला-वार संख्या, जिनमें डाकघर नहीं हैं, संलग्न विवरन-II में दी गई है।

(ग) हालांकि, वर्ष 1992-93 के दौरान पश्चिम बंगाल में 60 शाखा डाकघर और 10 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, उन डाकघरों का वास्तविक स्थान बताना संभव नहीं है क्योंकि इस संबंध में जनसंख्या, दूरी और आय के निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रस्ताव की जांच कर हर मामले के हिसाब से इन पर निर्णय लिया जाता है।

विवरण-I

अनुबंध-1

31. 3. 1992 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्किल में डाकघरों की जिलावार संख्या।

क्र०सं०	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	कलकत्ता	263

1	2	3
2.	उत्तरी चौबीस परगना	607
3.	दक्षिणी चौबीस परगना	754
4.	पुरुलिया	526
5.	मिदनापुर	1365
6.	हावड़ा	339
7.	हुगली	497
8.	बांकुरा	469
9.	नादिया	446
10.	बर्दवान	749
11.	बीरभूम	448
12.	मुरशिदाबाद	536
13.	मालदा	307
14.	पश्चिमी दिनाजपुर	341
15.	कूच बिहार	325
16.	दार्जिलिंग	183
17.	जलपाईगुड़ी	277
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)	97
	सिक्किम राज्य	
19.	पूर्वी जिला	86
20.	पश्चिमी जिला	24
21.	उत्तरी जिला	18
22.	दक्षिणी जिला	40
	योग	8687

विवरण–II

31. 3. 1992 की स्थिति के अनुसार उन गांवों की जिलावार संख्या जिनमें डाकघर हैं और जिनमें डाकघर नहीं हैं ।

क्र० सं०	जिले का नाम	गांव जहां डाकघर हैं ।	गांव जहां डाकघर नहीं हैं ।
1	2	3	4
1.	कलकत्ता	शून्य	शून्य
2.	उत्तरी चौबीस परगना	533	857
3.	दक्षिणी चौबीस परगना	705	1392
4.	पुरूलिया	497	2067
5.	मिदनापुर	1269	10019
6.	हावड़ा	273	535
7.	हुगली	418	1527
8.	बांकुरा	413	3271
9.	नादिया	397	1023
10.	बर्दवान	653	2157
11.	बीरभूम	423	2123
12.	मुरशिदाबाद	498	1659
13.	मालदा	289	1464
14.	पश्चिमी दिनाजपुर	313	129
15.	कूच बिहार	287	897
16.	दार्जिलिंग	168	503
17.	जलपाईगुड़ी	246	483
18.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)	68	434

1	2	3	4
	सिक्किम राज्य		
19.	पूर्वी जिला	39	40
20.	पश्चिमी जिला	29	94
21.	उत्तरी जिला	22	49
22.	दक्षिणी जिला	34	98
	योग	7574	31421

दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों में बम-विस्फोट की घटनाएं

[हिन्दी]

4933. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री एम० जे० राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान बम-विस्फोट हुए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जान-माल का कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार दूरदर्शन केन्द्रों तथा रेडियो स्टेशनों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) उठाए जा रहे कदमों में प्रतिष्ठानों तथा कार्मिकों की सुरक्षा को कड़ा करना, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल को तैनात करना तथा प्रतिष्ठानों की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की आवधिक पुनरीक्षा करना शामिल है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों में हुए बम विस्फोटों का ब्यौरा

दूरदर्शन

क्र०सं०	तारीख	दूरदर्शन/आकावाणी केन्द्र	घटना/हुआ नुकसान
1	2	3	4
1.	1-11-90	दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर	शौचालय, जिसकी दीवार टेलीफोन एक्सचेंज

1	2	3	4
			की दीवार के साथ साझी है, में बम विस्फोट/टेलीफोन आपरेटर को मामूली चोटें आईं।
2.	4-2-92	दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर	स्टूडियो की दीवार के पास बम विस्फोट हुआ जिससे अस्थायी लकड़ी की दीवार तथा (फाल्स) सीलिंग को नुकसान पहुंचा।
3.	23/24-5-92	अल्प शक्ति टी० वी० कुंभ कोणम, तमिलनाडु	ट्रांसमीटर की इमारत की खिड़की में लगे एयर कंडीशनर पर एक बम रखा गया था जिसके फट जाने से एयर कंडीशनर को नुकसान पहुंचा और कुछ शीशे तथा ट्यूब लाइटें टूट गईं।
	आकाशवाणी		
1.	17-9-90	आकाशवाणी, जबलपुर	दो देसी बम आकाशवाणी, जबलपुर के अहाते में फेंके गए जिनमें से एक बम फटा। कोई नुक्सान/हानि नहीं हुई।
2.	27-9-90	आकाशवाणी, वाराणसी	दो देसी बम आकाशवाणी के बाहर फटे, जिससे केन्द्र की परिधि की बाड़ को नुकसान पहुंचा।
3.	17-11-90	[illegible]ुर, श्रीनगर में आकाशवाणी ट्रांसमीटर	आकाशवाणी ट्रांसमीटर पर राकेट दागे गए जिससे ट्रांसमीटर की इमारत को मामूली नुक्सान पहुंचा।
4.	4-11-91	नारबल, श्रीनगर में आकाशवाणी ट्रांसमीटर	मास्ट को निशाना बनाकर आकाशवाणी ट्रांसमीटर पर राकेट दागे गए जो निशाने पर नहीं लगे परन्तु इनसे ट्रांसमीटर की दीवार को मामूली नुकसान पहुंचा।
5.	25-1-92	नारबल, श्रीनगर में आकाशवाणी ट्रांसमीटर	आकाशवाणी, ट्रांसमीटर पर राकेट दागे गए। सुरक्षा बाड़ को मामूली नुकसान पहुंचा।

1	2	3	4
6.	10-5-92	आकाशवाणी, राजबाग ट्रांसमीटर श्रीनगर	एक स्टिक ग्रेनेड अहाते में फेंका गया जिससे ट्रांसमीटर इमारत को घेरने वाली टिन शीट को मामूली नुकसान पहुंचा।

केरल के ओणम महोत्सव का दूरदर्शन प्रसारण

[अनुवाद]

4934. **श्री प्रो० सी० थामस :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के ओणम महोत्सव का इस वर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम में उचित प्रचार किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। इस अवसर पर एक मिलाजुला कार्यक्रम दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार

4935. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के विस्तार नवीकरण और विकास की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन/आकाशवाणी की आठवीं योजना की स्कीमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

फाउंड्रियों के लिए कच्चे माल की कमी

[हिन्दी]

4936. **श्री एम० जे० राठवा :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पर से नियन्त्रण हटाने के फलस्वरूप कच्चे माल की कमी के कारण तकनीकी विकास महानिदेशक के पास पंजीकृत सभी फाउंड्रियां प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित हुई फाउंड्रियों का ब्यौरा क्या है तथा कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या तीन प्रमुख इस्पात बनाने वाले उपक्रमों द्वारा ढलवा लोहे के निर्धारित कोटे के वितरण में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख) 16-1-1992 को लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने से फाउंड्री इकाइयां, जिनमें तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत इकाइयां भी शामिल हैं, प्रभावित नहीं हुई हैं। तथापि, देश में कच्चे लोहे की समग्र रूप से कमी है। 1991-92 में 19.2 लाख टन की कुल अनुमानित मांग की तुलना में 15.9 लाख टन का उत्पादन हुआ। कच्चे लोहे के प्रयोक्ता अपनी जरूरत पूरी कर सकें इसके लिए कच्चे लोहे के आयात को निर्बाध रूप से किए जाने की अनुमति है। 16-1-1992 से कच्चे लौह के आयात शुल्क को 55% से घटाकर 35% कर दिया गया है। निजी क्षेत्र में कच्चे लोहे के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नगर स्थित ताप विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

4937. **श्री विजय एन० पाटील :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० टी० पी० सी० के यमुना नगर ताप विद्युत संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपकरणों के क्रयादेश बी० एच० ई० एल० (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) और ए० बी० एल० को देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का स्वदेशी उपकरणों को प्राप्त करने हेतु देश में ही संसाधन जुटाने हेतु कोई दीर्घावधि योजना बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) यमुना नगर ताप विद्युत केन्द्र (4 × 210 मे० वा०) जिसे नैशनल पावर थर्मल कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०) द्वारा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) द्वारा 1259.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अक्तूबर, 1988 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया था। स्वदेशी वित्तपोषण पर आधारित 2198.15 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत के

सम्बन्ध में भी के० वि० प्रा० द्वारा जून, 1992 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वित्तपोषण सम्बन्धी स्रोतों को सुनिश्चित किये जाने के बाद परियोजना के सम्बन्ध में निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी। निधियां सुनिश्चित किए जाने के बाद ही स्वदेशी उपस्कर हेतु आर्डर दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

केरल के डाकघरों में टेलीफोन सुविधा

4938. **श्री थाइल जान अन्जलोज :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने डाकघरों/उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी डाकघरों/उप-डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो वहां यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) केरल में पी० सी० ओ० सुविधारहित डाकघरों/उप-डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :—

प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
11	304	45	2635

(ख) से (घ) जी, नहीं। सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की अलग से कोई योजना नहीं है। सरकार ने, सभी शहरों, कस्बों और पंचायत गांवों को 31-3-95 तक, उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। इस प्रकार के टेलीफोन संस्थापित करने के लिए सुझाए गए स्थानों में डाकघर एक स्थान होता है।

बिहार के गुमला और लोहरदग्गा जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र

[हिन्दी]

4939. **श्री ललित उरांव :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गुमला और लोहरदग्गा जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण किस चरण में है; और

(ग) ये केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :(क) से (ग) जी, हां।

लोहरदग्गा और गुमला में अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने की परियोजनाओं पर काम इस समय विभिन्न चरणों में चल रहा है। इन ट्रांसमीटरों के लिए उपकरणों की सप्लाई के आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं और इन स्थानों पर ट्रांसमीटर लगाने के लिए इमारतों का पता लगा लिया गया है। वर्तमान संकेतों के अनुसार लोहरदग्गा के ट्रांसमीटर के 1992-93 में और गुमला के ट्रांसमीटर के 1993-94 में सेवा के लिए चालू हो जाने की सम्भावना है।

मुम्बई से नैरोबी के लिए विमान सेवाएं

[अनुवाद]

4940. **श्री काशीराम राणा :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि मुम्बई से नैरोबी तक सप्ताह में तीन दिन चलने वाली विमान सेवाओं में से एक विमान सेवा को अहमदाबाद से शुरू किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद-नैरोबी-अहमदाबाद मार्ग पर एक सीधी उड़ान का अनुरोध किया था।

(ग) वाणिज्यिक कारणों से इस समय उड़ान आरम्भ करना व्यवहार्य नहीं है।

जालना में दूरदर्शन रिले केन्द्र

4941. **श्री अंकुशराव टोपे :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालना में, जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का एक वाणिज्यिक केन्द्र है, आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने तथा वर्तमान दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय जालना जिला आकाशवाणी से अच्छी तरह कवर होता है। जालना में अलग से आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक टी० वी० सेवा का सम्बन्ध है, जालना में कार्यरत अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के अलावा जालना जिले के काफी हिस्सों को औरंगाबाद के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से टी० वी० कवरेज प्राप्त होती है। जालना के अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में डायरेक्टरियों का मुद्रण

4942. श्री अन्ना जोशी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नवीनतम अद्यतन डायरेक्टरियां मुद्रित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों के लिए नयी डायरेक्टरियां कब तक मुद्रित करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र के रायगढ़, नासिक, अहमदनगर अकोला, भंडारा, अमरावती, यवतमाल, चन्द्रपुर, बुलढाना, नानदेड़, धुलें, जलगांव और नागपुर गौण स्विचन क्षेत्रों में अद्यतन निर्देशिकाएं नहीं छापी जा सकी।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) सभी क्षेत्रों में 1992 के दौरान निर्देशिकाएं प्रकाशित करने की योजना है।

टिहरी गढ़वाल में टेलीफोन एक्सचेंज

4943. श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस संबंध में हुई प्रगति का वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) (i) किसी स्थान पर नया टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना है जबकि कम से कम रजिस्ट्री शुदा मांग दस अथवा इससे अधिक हो जाती है।

(ii) पिछले 3 वर्षों के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज इस प्रकार हैं :—

1989-90	1990-91	1991-92
1	1	1

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन

4944. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) राज्यवार योजनागत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार विद्युत की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने और विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) पंचवर्षीय योजना के अन्त में सरकारी क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत उपयोग किया जायेगा और विद्युत उत्पादन कितना होगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए आठवीं योजना के दस्तावेजों के अनुसार आठवीं योजना के दौरान 30538 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें 9282 मेगावाट जल विद्युत, 20156 मेगावाट ताप विद्युत तथा 1100 मेगावाट नाभिकीय विद्युत शामिल है। राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरों को अभी योजना आयोग द्वारा राज्यों एवं केन्द्रीय क्षेत्र के संगठनों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

सातवीं योजनावधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, उपलब्धियों तथा उसके कारण प्रतिशत गिरावट को दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र/केन्द्र		वास्तविक लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धियां (मेगावाट)	लक्ष्य से पिछड़ने का प्रतिशत
1		2	3	4
उत्तरी क्षेत्र :				
1.	हरियाणा	488	478	2.1
2.	हिमाचल प्रदेश	143.5	139	3.9
3.	जम्मू एवं कश्मीर	76	79	*
4.	पंजाब	767.4	735.10	4.2
5.	राजस्थान	385.1	569.17	
6.	उत्तर प्रदेश	1794	1381.67	
7.	दिल्ली	—2	315	

1		2	3	4
8.	केन्द्रीय क्षेत्र (उ०क्षे०)	1995	3543	*
पश्चिमी क्षेत्र				
9.	गुजरात	1085	1205	*
10.	मध्य प्रदेश	947	407.43	56.9
11.	महाराष्ट्र	1739.5	2212.58	*
12.	केन्द्रीय क्षेत्र (प० क्षे०)	2760	2550	7.6
दक्षिणी क्षेत्र :				
13.	आंध्र प्रदेश	838.5	908.79	*
14.	कर्नाटक	593.25	425.4	28.3
15.	केरल	530	465	12.3
16.	तमिलनाडु	1416	1422.8	*
17.	केन्द्रीय क्षेत्र (द० क्षे०)	2075	2365	*
पूर्वी क्षेत्र :				
18.	बिहार	478.9	220	54.1
19.	डी०वी०सी०	760	340	55.3
20.	उड़ीसा	483.5	440	8.9
21.	सिक्किम	3.5	3.5	—
22.	प० बंगाल	814.7	320	60.7
23.	केन्द्रीय क्षेत्र (पू०क्षे०)	630	630	—
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :				
24.	असम	285	105	63.1
25.	मणिपुर	6.9	1.7	75.3
26.	नागालैंड	1	1	—
27.	त्रिपुरा	21	19	9.5
28.	मिजोरम	5.9	10.25	*

1		2	3	4
29.	अरुणाचल प्रदेश	9.6	2.75	71.3
30.	नीपको	100	106.5	*
31.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12	—	100
	जोड़ (अखिल भारत) :	22245.25	21401.64	3.8

*उपलब्धियां लक्ष्यों से अधिक थी।

बरेली में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण

[हिन्दी]

4945. श्री संतोष कुमार गंगवार :

डा० परशुराम गंगवार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली स्थित आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन स्टूडियो का निर्माण कार्य अब तक पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना आरम्भ करेगा; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन :

दूरदर्शन केन्द्र बरेली का स्थापना कार्य पूरा हो चुका है। इस केन्द्र में एक उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर तथा कार्यक्रम निर्माण सुविधा की व्यवस्था है। यद्यपि उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर के शीघ्र ही चालू कर दिए जाने की परिकल्पना है तथापि कार्यक्रम निर्माण सुविधा का शुरू किया जाना अपेक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जून, 1992 तक इस परियोजना पर 633.28 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

आकाशवाणी :

आकाशवाणी केन्द्र, बरेली के तकनीकी तौर पर सितम्बर, 1992 तक तैयार हो जाने की परिकल्पना है। केन्द्र के संचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के तैनात हो जाने पर केन्द्र चालू किया जा सकता है।

जून, 1992 तक इस परियोजना पर 239.578 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

तमिलनाडु में हिन्दी समाचार बुलेटिन का प्रसारण

[अनुवाद]

4946. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8.40 बजे दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित होने वाला हिन्दी समाचार बुलेटिन तमिलनाडु में प्रसारित नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस राज्य में इसका पुन: प्रसारण कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास से हिन्दी में राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन क, नवम्बर, 1982 से रिले किया जाना बंद कर दिया गया था।

(ग) मद्रास केन्द्र से इस बुलेटिन को पुन: शुरू किए जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा शुरू किया गया साक्षरता अभियान

4947. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रमों/धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रसारित किए गए कार्यक्रमों/धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास साक्षरता को प्रेरित करने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक विज्ञापन अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन काफी समय से साक्षरता विषय पर विभिन्न फार्मेटों में कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट कर रहे हैं। प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रसारित/टेलीकास्ट कार्यक्रमों का ब्यौरा एक स्थान पर संकलित नहीं रखा जाता। इस विषय पर स्पाट दूरदर्शन द्वारा उपयुक्त अंतराल पर प्रसारित किए जाते रहेंगे।

कर्नाटक में विमानन सुविधाओं का आधुनिकीकरण

4948. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गत तीन वर्षों के दौरान विमानन सुविधाओं के आधुनिकीकरण की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित विमानन आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

बंगलौर हवाई अड्डा :

(1) एक अर्ध-स्थायी ब्लाक का निर्माण किया गया है और इसका उपयोग आगमन कक्ष के रूप में किया जा रहा है।

(2) इस हवाई अड्डे पर दूरी मापक उपस्कर, स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली के साथ एक उपस्कर अवतरण प्रणाली भी संस्थापित की गयी है।

मंगलौर हवाई अड्डा :

मंगलौर हवाई अड्डे पर, दूरी मापक उपस्कर सहित सिंगल साइड बैंड और अति उच्च आवृत्ति सर्व परास संस्थापित किया गया है।

(ख) ये सभी कार्य पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किये गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताम्रलिप्ति राष्ट्रीय सरकार पर डाक टिकट

4949. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताम्रलिप्ति राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती समारोह के उपलक्ष में डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नए डाक-टिकट जारी करने का निर्णय, मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार और विस्तृत निर्माण प्रक्रिया में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए काफी पहले से किया जाता है। 1992 में नए डाक-टिकट जारी करने के कार्यक्रम पर 1991 में निर्णय ले लिया गया था और इसे घोषित कर दिया गया था। इस कार्यक्रम में "भारत छोड़ो आन्दोलन" की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर जारी करने के लिए 2 डाक-टिकट शामिल किए गए हैं।

उड़ीसा में दूरदर्शन के इलेक्ट्रानिक समाचार संकलन एकक

4950. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दूरदर्शन के इलैक्ट्रानिक समाचार संकलन के कितने एकक हैं;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे एककों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय उड़ीसा में दूरदर्शन के आठ इलैक्ट्रानिक समाचार संकलन एकक कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) भुवनेश्वर में लगाए जा रहे टी० वी, स्टूडियो केन्द्र में ऐसे 4 और ऐककों की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है।

संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्र

4951. **श्री रामलखन सिंह यादव :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान उनके मंत्रालय को संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने पत्रों की उनके प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पावती भेज दी गई थी तथा कितने पत्रों का अभी तक अंतिम उत्तर नहीं दिया गया है;

(ग) इन पत्रों को 15 दिनों के अन्दर पावती न भेजने तथा तीन महीनों के अन्दर पूरा उत्तर न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में। जनवरी, 1992 से 30 जून 1992 तक की छह महीनों की अवधि के दौरान अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर से प्राप्त पत्रों (संसद सदस्यों तथा मंत्रियों से प्राप्त पत्रों सहित) की संख्या 1854 थी।

(ख) और (ग) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर से प्राप्त मामलों की पावतियां उनकी प्राप्ति के 15 दिन के अंदर-अंदर अवश्य भेज दी जाती हैं। 30 जून, 1992 को निपटान के लिए कुल

675 मामले लंबित थे। इस अवधि के दौरान अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के 1942 संदर्भों के संबंध में अंतिम उत्तर भेजे गए जिनका संबंध 1.1.92 से 30.6.92 के दौरान प्राप्त 1854 संदर्भों से है तथा 31.12.91 को 763 संदर्भ निपटाने के लिए लंबित थे।

(घ) यद्यपि यथा शीघ्र अंतिम उत्तर भेजेने के लिए हर संभव प्रयास किये जाते हैं तथापि सभी संदर्भों का 3 महीने के अंदर निपटान करना संभव नहीं होता क्योंकि माध्यम एककों से सूचना एकत्र करने में, जो उन्हें अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त करनी होती है, कभी कभी समय लग जाता है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का कार्यकरण

4952. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बेंक दल ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की कार्यक्षमता और कार्यकरण तथा इसके लाभ अर्जित करने के तरीकों पर कोई टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को तीन संगठनों में विभक्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विश्व बेंक के प्रचालन मूल्यांकन प्रभाग ने अपनी परियोजना कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट, अप्रैल, 1992 में संस्थागत विकास, संयंत्र निर्माण, लागत नियंत्रण, प्रचालन सम्बन्धी दक्षता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० की आवश्यक तथा सर्वश्रेष्ठ निष्पादन की प्रशंसा की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन द्वारा फिल्मों के चयन की प्रक्रिया

4953. **श्री बलराज पासी :**

श्रीमती भावना चिखालिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस संबंध में प्रतिवेदन मिले हैं कि दूरदर्शन द्वारा चुनी गयी और प्रसारित की गई फिल्मों में अक्सर सामाजिक और प्रगतिशील विषय का अभाव होता है तथा सांस्कृतिक मूल्यों की भी कमी होती है;

(ख) क्या जनवरी, 1992 से लेकर जून, 1992 तक दूरदर्शन के केन्द्रों द्वारा चुनी गई फिल्मों

फिल्मों को प्रसारित किया गया था; और

(ग) दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए विदेशी फिल्मों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन द्वारा प्रसारित फिल्मों के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। दूरदर्शन को दर्शकों से शिकायत अथवा सुझाव नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं और सेवा को और अच्छा बनाने के लिए इन सुझावों और शिकायतों को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी, हां

(ग) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए विदेशी फिल्मों सहित, फिल्मों के चयन के मानदंड मोटे तौर पर ये हैं :

(क) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त फिल्म।

(ख) विषय-वस्तु के महत्व वाली फिल्म

(ग) सिनेमेटिक महत्व वाली फिल्म

(घ) मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म

(ङ) परिवार के साथ देखने योग्य फिल्म

(च) निर्माण का वर्ष

(छ) वाणिज्यिक दृष्टि से फिल्म को पहले कितनी सफलता मिली है।

(ज) दूरदर्शन पर यह फिल्म कितनी बार दिखाई जा चुकी है और किन-किन केन्द्रों से दिखाई जा चुकी है। कलात्मक/वयस्क विषयों पर विदेशी फिल्म भी देर रात्री के समय दिखाई जाती हैं।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबंध

4954. **श्री यशवंतराव पाटिल** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबंधों में अनेक कमियां हैं;

(ख) क्या इन कमियों के कारण अनेक लोगों ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत छः महीने के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं जिसके कारण गंभीर घटनाएं हुई हैं; और

(घ) सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार का भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) सुरक्षा संबंधी खामी की एक घटना हुई थी जिससे विमान के सुरक्षित परिचालन क खतरा हो सकता था ।

(घ) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यापक सुरक्षा उपाय पहले से ही लागू हैं इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इन पर लगातार निगरानी रखी जाती है ।

नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण

[अनुवाद]

4955. **श्री संदीपान भगवान थोरात** :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1992 के "इकॉनामिक टाईम्स" में नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपने विचार अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के अधिकारियों को भेज दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) जी, हां । एन० पी० टी० सी० हेतु आई० बी० आर० डी० ऋण के सम्बन्ध में 15.6.92 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

2. समाचार में निर्दिष्ट मुख्य मामला क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० को अंतरित किए जाने से सम्बन्धित है। विद्यमान क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के अन्तरण सम्बन्धी मामले पर द्वितीय चरण के दौरान विचार किए जाने का प्रस्ताव है ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

4956. **श्री सोमजी भाई डामोर** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के विमानों का व्यक्तिगत उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ान घंटों के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अकादमी द्वारा इस पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी प्रथा की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

4957. **श्री फूलचंद वर्मा** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में संसद सदस्यों के कोटे से कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए;

(ख) क्या ऐसे टेलीफोन के लिए कई महीने पहले ओ० बी० जारी किए जाने के बाद भी उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो शिकायतों की प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कारंवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) गाजियाबाद में पिछले छह महीने के दौरान संसद सदस्यों के कोटे से ग्यारह (11) टेलिफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे

(ख) मंजूर किए गए कनेक्शन = 11

संस्थापित किए गए कनेक्शन = 06

5 टेलीफोन कनेक्शन अभी तक निम्नलिखित कारणों से संस्थापित नहीं किए जा सके हैं :-

(i) पार्टी ने रजिस्ट्रेशन विवरण नहीं प्रस्तुत किए हैं।

(ii) पार्टी ने नाम बदलने के लिए आवेदन किया हुआ है।

(iii) क्षेत्र तकनीकी दृष्टी से उपयुक्त नहीं हैं।

(iv) दो मामले जुलाई, 1992 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुए हैं और संस्थापना की कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कच्चे माल की सप्लाई

[अनुवाद]

4958. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र स्थानीय रोलिंग मिलों तथा अन्य कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिवर्ष सप्लाई किये गये कच्चे माल की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा स्थानीय रोलिंग मिलों तथा अन्य कारखानों को कच्चे माल की पर्याप्त और नियमित सप्लाई नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) भिलाई इस्पात संयंत्र उत्पन्न होने वाली समस्त समरूप पुनर्बेलन योग्य इस्पात स्क्रैप को स्थानीय बेलन मिलों को निर्धारित मूल्यों पर और समूची विषम एवं समरूप अधिशेष स्क्रैप की नीलामी/निविदा जो अखिल भारतीय आधार पर सभी ग्राहकों (स्थानीय बेलन मिलों सहित) के लिए होती है, के माध्यम से बेचता है । नीलामी/निविदा के जरिए बेची गई सामग्री का लगभग 90 प्रतिशत भाग स्थानीय यूनिटों द्वारा ही खरीदी जाती है ।

(ख) उत्पन्न होने वाले इस्पात स्क्रैप की दोनों तरीकों से की गई वास्तविक बिक्री निम्नलिखित है :—

(इकाई : हजार टन)

अवधि	निर्धारित मूल्य पर वास्तविक बिक्री	नीलामी/निविदा के जरिए वास्तविक बिक्री
1991-92	40404	278016
अप्रैल, 92 से जून, 92	2960	53160

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार उपलब्धता के आधार पर स्थानीय

क्षेत्र की मिलों को सामग्री की सप्लाई की जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक ऊर्जा पर सेमिनार

4959. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक ऊर्जा सम्बन्धी सेमिनार बंगलौर में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बैठक में किन-किन विषयों पर विचार किया गया और क्या-क्या निर्णय लिए गए;

(घ) सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है या करने का विचार है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र द्वार टाटा एनर्जी रिचर्स इंस्टीट्यूट की सहायता से 6 मई, 1992 को बंगलौर में "इन्डस्ट्रीयल एनर्जी आडिट एक्सपीरिएन्सीज" के बारे में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार का उद्देश्य औद्योगिक कार्मिकों को ऊर्जा लेखा परीक्षा की पद्धति एवं कौशल (आर्ट एण्ड साइंस) से अवगत कराना था जोकि प्रबन्धकीय दायित्वों के लिए होता है और इसमें विभिन्न विभाग यथा उत्पादन, अनुरक्षण एवं सेवा शामिल होते हैं। विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र उपक्रमों के प्रतिनिधियों के रूप में उन्मासी कार्मिकों ने इस सेमिनार में भाग लिया था। प्रणालीगत ऊर्जा लेखा परीक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यों के माध्यम से ऊर्जा की बचत किए जाने की संभाव्यता का इस सेमिनार में विशेषरूप से जिक्र किया गया था। चूंकि ऊर्जा लेखा परीक्षा की आवश्यकता के बारे में औद्योगिक कार्मिकों में जागरूकता पैदा करने की दिशा में अपने किस्म की यह पहला सेमिनार था इसलिए सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के लिए आबंटित की गई राशि 1,14,953.32 करोड़ रुपये है।

हवाई अड्डों पर सुविधाएं

[हिन्दी]

4960. **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री राजेश कुमार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने हवाई अड्डों पर आधुनिक विमानों हेतु संचालन सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) क्या शिवशंकर भट्ट आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) विमान के प्रकार और हवाई अड्डों की स्थिति सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुसार सभी हवाई अड्डों पर पर्याप्त रूप से आधुनिक विमचालन सुविधाएं सुसज्जित हैं।

(ख) और (ग) शिवशंकर भट्ट आयोग ने भारत में प्रत्येक हवाई अड्डे पर और अनुसूचित सेवाओं पर जेट परिवहन विमानों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए धावनपथ के लिए कम से कम एक श्रेणी-1 उपस्कर अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) स्थापित करने की सिफारिश की है।

(घ) मौसम दृश्यता स्थिति हवाई अड्डे के चारों ओर पर्वतीय स्थल की स्थिति, विमान परिचालन का प्रकार ऐसे पहलू हैं जो हवाई अड्डे पर उपस्कर अवतरण प्रणाली की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बीस हवाई अड्डों पर उपस्कर अवतरण प्रणाली स्थापित की है। अधिकतर हवाई अड्डों पर मौजूदा परिस्थितियां उपस्कर अवतरण प्रणाली की व्यवस्था के लिए उचित आधार नहीं हैं।

दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के विद्युत संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

4961. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी समाचार एजेंसियों को समाचार रिले सुविधाएं

[हिन्दी]

4962. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विदेशी समाचार एजेंसियों को देश के नेटवर्क प्रसारण से समाचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या ऐसी समाचार एजेंसी केवल वित्तीय मामलों के ही सम्बन्ध में समाचार प्रसारित करेगी अथवा इसे पूरे समाचार प्रसारित करने की सुविधा दी जाएगी;

(ग) क्या अमरीका से प्रसारित होने वाली पत्रिका न्यूयार्क टाइम्स को दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारण की स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) किसी भी विदेशी समाचार एजेंसी को ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तिरुवनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रेस्तरां खोला जाना

[अनुवाद]

4963. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोई रेस्तरां नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार वहां एक रेस्तरां खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केरल पर्यटन विकास निगम और त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल पर रेस्तरां सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कनिष्क होटल में स्थान किराये पर देना

[हिन्दी]

4964. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को "कनिष्क प्लाजा" में अनियमित मापन के कारण

स्थान किराये पर देने के कारण भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) 1983 में भारत पर्यटन विकास निगम ने जब पहली बार कनिष्क प्लाजा में स्थान किराये पर दिया था तब सर्कुलेशन एरिया को जिसमें बरामदे, शौचालय, आदि सम्मिलित हैं और जिनका प्रयोग सभी किरायेदार करते हैं, किराये पर देने योग्य स्थान में शामिल नहीं किया गया था हालांकि दरें इस प्रकार से निर्धारित की गई थीं कि उनसे सर्कुलेशन एरिया के लिए भी प्रतिपूर्ति होनी थी। तो भी सरकारी लेखा-परीक्षकों ने इस वजह से 12.23 लाख रुपये की हानि का उल्लेख किया है। यह सूचित हानि किराये पर देने योग्य स्थान की व्याख्या में भिन्नता होने के कारण हुई है।

तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में संलिप्त एयर इंडिया के कर्मचारी

[अनुवाद]

4965. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री बलराज पासी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कर्मचारी तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष 1991 में और 1992 में अब तक इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत एक वर्ष के दौरान एयर इंडिया के एक यातायात सहायक का एक मामला ध्यान में आया था जो मेनड्रेक्स टेबलेटों के नमूनों का निर्यात करने की कोशिश कर रहा था। अनुशासनात्मक कार्रवाई होने तक, उन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

(घ) तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए एयर इंडिया के सुरक्षा और सतर्कता स्टाफ द्वारा आवश्यक निगरानी रखी जाती है। ऐसी गतिविधियों में लगे हुए कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। निवारक उपाय करने के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के साथ भी सम्पर्क किया जाता है।

सिंधु नदी जल-विवाद

[हिन्दी]

4966. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1960 में भारत-पाकिस्तान सिंधु जल विवाद का समाधान करने संबंधी मामला विश्व बैंक के अन्तर्गत उठाया गया था और इस सम्बन्ध में दोनों देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर भी किये थे;

(ख) क्या भारत को रावी, व्यास और सतलुज का पानी इस तथ्य के आधार पर छोड़ा गया था कि भारत ने राजस्थान के विस्तृत रेगिस्तान में पानी की सप्लाई करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर रावी-व्यास के पानी की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संधि और भारत को पानी की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। सितम्बर, 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस संधि के अन्तर्गत भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदियों के जल के एकमात्र उपयोग के लिए आबंटन का आधार केवल राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं था।

(ग) पिछले 32 वर्षों से संधि का संचालन संतोषजनक रहा है और भारत रावी नदी के बाढ़ जल के लगभग 1.25 बिलियन क्यूबिक मीटर को छोड़कर, जिसका उपयोग रावी नदी पर निर्माणाधीन रंजित सागर बांध के पूर्ण होने पर शुरू किया जाएगा, औसत वर्ष में उपलब्ध इन तीनों नदियों का लगभग 40 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग करने में समर्थ रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत, संधि के प्रावधानों के अनुसार घरेलू प्रयोग, फसली क्षेत्रों की सिंचाई और जल विद्युत पुनरुत्पादन के लिए भी चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों के जल का उपयोग कर रहा है।

राज्य बिजली बोर्डों की ओर एन० टी० पी० सी० की बकाया राशि

[अनुवाद]

4967. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को राज्य बिजली बोर्डों से निगम के देय बकाया राशि

न मिलने के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर नकदी आवक समस्याओं के कारण विद्युत उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा है;

(ख) क्या नकद लेन-देन की शर्तों पर कार्य कर रही कोयला कम्पनियों को राज्य बिजली बोर्डों से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों की निधियों को रोककर उन्हें निगम को देने हेतु वित्त तथा योजना मंत्रालय से सम्पर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन० टी० पी० सी० को अपनी विद्युत उत्पादन सुविधाओं में सुधार की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क), (ग) से (ङ) राज्य बिजली बोर्डों व अन्य के द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के बावजूद विद्युत के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि इससे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को धन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ा है। विद्युत के उत्पादन और सप्लाई को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और केन्द्रीय सरकार ने भुगतान न करने वाले राज्यों, राज्य बिजली बोर्डों को अपने बकाया राशि का भुगतान करने हेतु ऋण पत्र की अवधि बढ़ाने के लिए कहा है। इन प्रयासों के बावजूद जब बकाया धनराशि वसूली नहीं जा सकी तब केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से वसूली करनी पड़ी।

(ख) ऊर्जा उद्योग को नकद पाओं की योजना के आधार पर कुछ अपवादों को छोड़ते हुए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कोयला कम्पनियों को भुगतान किया जाता है।

जामरानी बांध, उत्तर प्रदेश

4968. **श्री राजवीर सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले में जामरानी बांध परियोजना को केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दिए जाने की शर्त पर स्वीकृति दी थी;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में कोई कार्य योजना थी; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जामरानी सिंचाई परियोजना वर्ष 1975 में योजना आयोग द्वारा 61.25 करोड़ रुपये के लिए अनुमोदित की गई। 144.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को संशोधित बहुप्रयोजनी परियोजना के प्रस्ताव पर वर्ष 1989 में परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया और पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भूजल के संयुक्त प्रयोग के प्रचालनात्मक कार्यक्रम को विकसित किए जाने की शर्त पर स्वीकार्य पाया गया।

(ख) और (ग) हाल में पर्यावरण और वन दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति के संबंध में 20-7-92 को मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को बहुविषयक समिति के सहयोग से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विचार किये जाने के लिए अक्तूबर, 1992 तक सुप्रलेखित रिपोर्ट तैयार करनी है। राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कार्रवाई करने हेतु परियोजना अनुमान को अद्यतन करने की भी अपेक्षा है।

राथूरा (उत्तर प्रदेश) में तांबे की खानों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

4969. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चमोली जिले (उत्तर प्रदेश) में राथूरा (धानपुर) के आस-पास के क्षेत्रों में जिन्हें ब्रिटिश शासन काल में सड़क निर्माण हेतु बन्द कर दिया गया था, तांबे की खानों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने जिला चमोली (उ०प्र०), राथूरा (धानपुर) सहित डाबरी-पिंगलापानी-रुद्रप्रयाग क्षेत्रों में तांबा, जस्ता, टिन और टंगस्टन के भू-रासायनिक मूल्यांकन की योजना बनाई है। फील्ड सत्रों 1992-93 (1 अक्तूबर, 1992 से आरम्भ) और 1993-94 के दौरान सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों का बन्द होना

[हिन्दी]

4970. **श्री छेदी पासवान** :

श्री लाल बाबू राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण देश में कुछ औद्योगिक इकाइयों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन/उनका कार्य निष्पादन निम्नलिखित जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है—कच्ची माल सामग्री की उपलब्धता, उत्पाद की मांग, औद्योगिक संबंध, प्रबंधकीय दक्षता आदि और विद्युत की कमी, केवल एक सहायक घटक है। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई, राज्यों की वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती है और यह संबंधित राज्य सरकार/रा० बि० बोर्ड का दायित्व है। तथापि, विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, कम निर्माण अवधि वाली विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्धन एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना तथा अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कम वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना।

कर्नाटक के लिए कच्चे लोहे का कोटा

[अनुवाद]

4971. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के लघु क्षेत्र के लिए इस समय कच्चे लोहे का कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या कर्नाटक में लघु उद्योगों को कच्चा लोहा ओर कोक न मिलने के कारण हानि हो रही है;

(ग) क्या कर्नाटक में लघु क्षेत्र के लिए कच्चे लोहे और कोक का कोटा बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (के० एस० एस० आई० डी० सी०) को 17,000 टन कच्चे लोहे का अनन्तिम रूप से आबंटन किया गया है जो गत वर्षों के आबंटन से अधिक है।

(ख) और (ग) कर्नाटक के लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कच्चे लोहे का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) देश में कच्चे लोहे की समग्र रूप से कमी है। 1991-92 में 19.2 लाख टन की कुल अनुमानित मांग की तुलना में 15.9 लाख टन उत्पादन हुआ। कच्चा लोहा के प्रयोक्ता उद्योग अपनी

समग्र आवश्यकता को पूरा कर सकें इसके लिए कच्चे लोहे को निर्बाध रूप से आयात करने की छूट दी गई है। 16 जनवरी, 1992 से कच्चे लोहे पर आयात शुल्क 55 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र में कच्चे लोहे के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं में सुधार

[हिन्दी]

4972. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 52 जल विद्युत परियोजनाओं में सुधार करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये परियोजनाएं राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार का इन परियोजनाओं में कितने प्रतिशत निवेश है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में विद्युत संयंत्र

4973. **श्री दाऊ दयाल जोशी :**

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में कुछ और विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संयंत्रों को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना (2 × 250 मेगावाट) को विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत किया है। विश्व बैंक ने ऋण स्वीकृत नहीं किया है। विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा यह बता पाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा

4974. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) संसाधनों की उपलब्धता तथा आपसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पठारी क्षेत्रों के लिए अलग से कोई व्यापक योजनाएं तैयार नहीं की जाती हैं, सिंचाई के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा व्यक्तिगत स्कीमों को शुरू किया जाता है ।

बुन्देलखंड, मालवा, बघेलखंड और विंध्याचल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पठारों में व्यापक क्षेत्र शामिल हैं तथा इस क्षेत्र में 20 वृहद और 82 मध्यम स्कीम पहले से ही विद्यमान हैं, जबकि राज्य सरकारों द्वारा अन्य 15 वृहद और 22 मध्यम स्कीमें शुरू की गई हैं । इन स्कीमों की चरम सिंचाई क्षमता लगभग 2.8 मिलियन हेक्टेयर है ।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग

4975. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाए गए बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या बाढ़ समस्या का स्थाई हल ढूंढ़ने हेतु क्या उपाय करने के सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुल कितने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) देश में 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से, 200 लाख हेक्टेयर चिर-कालिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा में पड़ता है । आयोग ने बाढ़ समस्या को कम करने के लिए गैर संरचनात्मक उपायों के साथ-साथ अल्पावधिक और दीर्घ

आवधिक दोनों प्रकार के उपायों का सुझाव दिया है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ों से सुरक्षा के लिए, लगभग 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की परिकल्पना की गयी है।

मध्य प्रदेश में हीरे के खनन पर प्रतिबन्ध

4976. **श्री रामकृष्ण कुसमरिया :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हीरे के खनन पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन समाचार बुलेटिनों में हिंसा की खबरें

[अनुवाद]

4977. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों में हिंसा की खबरों के प्रसारण के संबंध में कोई दिशा निर्देश निर्धारित हैं;

(ख) क्या युगोस्लाविया/दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं का चित्रण करने वाले प्रसारणों के विषय में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो समाचार बुलेटिनों में ऐसे समाचारों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन की समाचार नीति का मूल यह सुनिश्चित करना है कि समाचारिक महत्व के आधार पर चुने गए सिद्धान्त राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों का तथ्यात्मक सही-सही और वस्तुपरक प्रसार किया जाए।

(ख) ऐसा ब्यौरा एक स्थान पर संकलित कर के नहीं रखा जाता।

(ग) कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

सोने का बैंक-विरंजन

4978. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक सोना निकालने हेतु कर्नाटक राज्य के स्वामित्व वाली हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड की स्वर्ण अयस्क का जैव-विरंजन शुरू करने की योजना है;

(ख) क्या नयी प्रौद्योगिकी खानों से अतिरिक्त सोना निकालने में सहायक होगी;

(ग) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान ने ऐसे सहजात अवयवों का पता लगाया है जो गंधक को उड़ा कर स्वर्ण को अलग कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां। हट्टी खान अयस्कों से सोने की प्राप्ति बढ़ाने की व्यवहारिकता स्थापित करने की दिशा में एक अनुसंधान व विकास प्रयास के रूप में सोने के अयस्क और पछोड़न की बायो-प्रोसेसिंग का अध्ययन करने का काम हट्टी गोल्ड माइंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर को सौंपा गया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) हट्टी खान से उच्च सल्फाइडिक रिफ्रेक्ट्री स्वर्ण अयस्क और पछोड़न की विस्तृत बायो-लीचिंग करने के लिए विस्तृत प्रयोगशाला परिक्षण किए गए हैं। ऐसे मूल जीव, जो सल्फर को ग्रहण कर सकते हैं और स्वर्ण को अलग कर सकते हैं, उनको प्रयोगशाला में कलचर और विकसित किया गया है। प्राप्त बैक्टेरिया इसप्रकार है :-

(1) **बीचिंग बैक्टेरिया**

थीयोबेसिलस फेरो- आक्सीडेंस बेसीलस सब्टाइलिज, थीयोबेसिलस थियो- आक्सीडेंस

(2) **फून्गी**

एसपरजिलस नाइजर, पेनिसिलियम। अधिक स्वर्ण प्राप्ति के लिए बायो-प्रोसेसिंग अभी प्रयोगशाला स्तर पर है।

केन्द्रीय जल विद्युत परियोजनाओं के लिए धन

4979. **श्री गुरूदास कामत :**

श्री आर्ज फर्नाण्डीज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं को धन न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में आकाशवाणी केन्द्र

4980. **डा० विश्वनाथम कैनिथी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) समूचे श्रीकाकुलम जिले को विशाखापट्टनम के 100 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर से दिन की प्राथमिक ग्रेड रेडियो सेवा और हैदराबाद के 10 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर से शार्टवेव समर्थक सेवा प्राप्त होती है।

कर्नाटक में टेलिफोन कनेक्शन

4981. **श्री जी० माडे गौडा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक में प्रत्येक जिले में, विशेषत: बंगलौर शहर में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक जिले में विशेषकर बंगलौर शहर में कुल कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जिलेवार ब्यौरे अनुबंध -1 में दिए हुए हैं।

अनुबंध-1

क्रम सं०	जिले का नाम	1991-92 के दौरान प्रदान किए गए जिले वार नए कनेक्शन	1992-93 के दौरान प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित जिले-वार नए कनेक्शन
1	2	3	4
1.	बंगलौर	10623	9420
2.	दक्षिण कन्नड	6609	7140

1	2	3	4
3.	मैसूर	3404	4500
4.	बेलगांव	1260	1850
5.	हुबली	3559	3570
6.	दावनगेरे	2272	1360
7.	हासन	1413	1200
8.	माण्ड्या	806	1860
9.	कोलार	1058	1500
10.	टुमकुर	684	1760
11.	बेल्लारि	2130	1140
12.	बीजापुर	1651	1860
13.	गुलबर्गा	1338	2500
14.	रायचूर	1856	1570
15.	बीदर	850	350
16.	चिकमगलूर	753	1250
17.	कोडागू	479	860
18.	शिमोगा	834	1860
19.	उत्तर कन्नड	1211	1430
	जोड़	42790	46000

उत्तर प्रदेश में डाक एवं तार घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

[हिन्दी]

4983. श्री राम बदन :

डा० लाल बहादुर रावल

श्री सत्यपाल सिंह यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले जाने वाले डाकघरों, तार घरों तथा

टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान आजमगढ़ और मऊ जिलों में कितने-कितने एस० टी० डी० और आई० एस० टी० डी० कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या क्रमश: विवरण-I और II में दी गई है। उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान 10 विभागीय उप डाक घर तथा 75 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लक्ष्य को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सर्किलों के अध्यक्ष डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार शर्तें पूरी होने तथा जनता की मांग और आवश्यकताएं पूरी होने पर डाकघर खोलेंगे।

(ख) अलाट की गई राशि इस प्रकार है :-

डाकघर	31.28 लाख रु०
टेलीफोन	1.5 करोड़ रु०
तारघर	किसी डाकघर में तारघर की व्यवस्था करते समय प्रारंभ में पैसे खर्च नहीं होते अत: आबंटन की मांग नहीं की जाती है।

(ग) 1991-92 के दौरान आजमगढ़ जिले के पांचमउ जिले के एक, बुलन्दशहर जिले के दो एक्सचेंजों तथा अलीगढ़ और आगरा जिलों में एस० टी० डी०/ आई० एस० डी० सुविधाएं प्रदान की गई और किसी अन्य एक्सचेंज में ये सुविधाएं प्रदान नहीं की गई।

विवरण-I

अनुबन्ध

1992-93 के दौरान संभवतया संस्थापित किए जाने वाले एक्सचेंजों की जिला वार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	5
2.	अलीगढ़	3
3.	अल्मोड़ा	1
4.	बरेली	4
5.	बाराबंकी	1
6.	बस्ती	1

1	2	3
7.	फैजाबाद	1
8.	हरदोई	1
9.	जौनपुर	2
10.	मुजफ्फरपुर	2
11.	नैनीताल	2
12.	कानपुर देहात	1
13.	पौड़ी	1
14.	प्रतापगढ़	2
15.	पिथौरागढ़	1
16.	रायबरेली	1
17.	सहारनपुर	2
18.	सीतापुर	1
19.	सुल्तानपुर	6
20.	मथुरा	2
21.	मिर्जापुर	1
	योग	41

विवरण-II

1992-93 के दौरान तार सुविधाओं सहित खोले जाने वाले प्रस्तावित एल० डी० पी० टी० की जिलेवार संख्या

जिला	संख्या	जिला	संख्या
1	2	3	4
1. आगरा	1	4. अलमोड़ा	1
2. अलीगढ़	1	5. आजमगढ़	1
3. इलाहाबाद	1	6. बरेली	1

1	2	3	4
7. बहराइच	1	29. झांसी	1
8. बुलंदशहर	1	30. कानपुर देहात	1
9. बदायूं	1	31. मऊ	1
10. बांदा	1	32. मेरठ	1
11. बलिया	1	33. मथुरा	1
12. बस्ती	1	34. मुजफ्फरनगर	1
13. बाराबंकी	1	35. मुरादाबाद	1
14. बिजनौर	1	36. महाराजगंज	1
15. चमोली	1	37. नैनीताल	1
16. देहरादून	1	38. उरई	1
17. देवरिया	1	39. प्रतापगढ़	1
18. एटा	1	40. पौड़ी	1
19. फरुखाबाद	1	41. रायबरेली	1
20. फैजाबाद	1	42. शाहजहांपुर	1
21. फिरोजपुर	1	43. सीतापुर	1
22. गोरखपुर	1	44. सहारनपुर	1
23. गोंडा	1	45. सुलतानपुर	1
24. गाजियाबाद	1	46. सिद्धार्थ नगर	1
25 हरिद्वार	1	47. संभल	1
26. हरदोई	1	48. टिहरी	1
27. हमीरपुर	1	49. सोनभद्र	1
28. जौनपुर	1	50 वाराणसी	1
		योग =	50

डीजल विद्युत संयंत्र यलाहंका

[अनुवाद]

4984. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र में येलाहंका में लगाई जाने वाली डीजल विद्युत परियोजना लागत में वृद्धि होने के कारण अवांछनीय हो गई है जैसा कि 30 जून, 1992 के "इकानोमिक टाइम्स" में समाचार छपा है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का विचार इस परियोजना को कर्नाटक सरकार की सहायता से पूरा करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यों को अपने हाथ में नहीं लेता है। यह राज्य क्षेत्र की परियोजना है, जोकि कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

सूरत के लिए विमान सेवाएं शुरू करना

4985. श्री छीतू भाई गामीत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंदौर, बंगलौर, दिल्ली और भावनगर से सूरत के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूरत का हवाई अड्डा इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में उपलब्ध विमानों के परि-चालन के लिए उपयुक्त नहीं है। वायुदूत सप्ताह में तीन दिन बम्बई-सूरत-भावनगर और वापसी मार्ग

पर परिचालन करता है। परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से उसकी सूरत से अन्य स्टेशनों के लिए परिचालन की कोई योजना नहीं है।

कलकत्ता में विद्युत परियोजना के लिए कक्ष स्थापित करना

[हिन्दी]

4986. **प्रो० रीता वर्मा :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मैथन ताप विद्युत परियोजना (दायां किनारा) से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन के लिए कोई कक्ष स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कक्ष को मैथम में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ताकि कार्य निष्पादन सुचारू रूप से हो सके; और

(ग) इस कक्ष के द्वारा अब तक शीर्षवार कितनी राशि खर्च की गई है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) मैथन (दायां तट) ताप विद्युत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों का कार्य निष्पादन करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में एक कक्ष मैथन में विद्यमान है।

(ग) 1991-92 तक इस कक्ष पर किए गए व्यय का वर्षवार, शीर्षवार ब्यौरा निम्नवत् है :—

(लाख रुपये में)

मदें	वर्ष				
	88-89	89-90	90-91	91-92	जोड़
अन्य परिसम्पत्तियां	—	33.58	0.54	—	34.12
आरम्भिक तथा जांच-पड़ताल	25.58	15.70	49.51	—	90.69
समाशोधन व्यय	1.92	23.03	12.33	—	37.28
स्थापना तथा अपरिव्यय	1.53	8.27	6.19	10.00	25.99
योग	28.93	80.58	68.57	10.00	188.08

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

4987. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची को निपटाने के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंजवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमानित विस्तार योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ओ० वाई० टी०, गैर ओ० वाई० टी०/विशेष गैर-ओ० वाई० टी०/एस० एस० श्रेणियों की 30-6-92 तक की प्रतीक्षा सूची को 31-12-92 तक और गैर-ओ० वाई० टी०/सामान्य की 31-3-88 तक की प्रतीक्षा सूची को 31-3-93 तक निपटा देने का प्रस्ताव है।

विवरण

अनुबन्ध

1992-93 का अनुमानित कार्यक्रम (संशोधित)

क्र० सं०	एक्सचेंज/आर० एल० यू० का नाम	जोड़ी जाने वाली क्षमता (लाइनों में)
1	2	3
1.	यमुना विहार	3000
2.	लक्ष्मी नगर	20000
3.	दिल्ली गेट	6000
4.	जनकपुरी	12000
5.	रोहिणी सेक्टर-III	4000
6.	रोहिणी सेक्टर-IX	3000
7.	शादीपुर	500
8.	[illegible]	4000
9.	मयूर विहार	3000
10.	करोलबाग	5000

1	2	3
11.	शक्तिनगर	24000
12.	ईदगाह	1000
13.	जोरबाग	18000
14.	नांगलोई	2000
15.	अलीपुर	1000
16.	सेना भवन	500
17.	नजफगढ़	1000
18.	पश्चिम विहार	4000
19.	बावली	1000
20.	नेहरू प्लेस	8000
21.	चाणक्यपुरी	3000
22.	हौजखास	3000
23.	बसंतकुंज	1000
24.	शाहदरा	6000
25.	राजौरी गार्डन	14000
26.	ओखला	3000
27.	मुखर्जी नगर	2000
28.	केशवपुरम	4000
29.	हरि नगर	5000
30.	छत्तरपुर	1000
	कुल योग :	163000
	प्रतिस्थापन	21600
	निवल	141400

महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाएं

4988. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग महाराष्ट्र की विद्युत परियोजना में पूंजी-निवेश के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या आबंटित धनराशि जारी कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक जारी कर दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 1992-93 के लिए महाराष्ट्र हेतु विद्युत क्षेत्र के लिए 802.61 करोड़ रुपये वार्षिक योजना परिव्यय का अनुमोदन कर दिया है और इसकी अपेक्षा आठवीं योजना के लिए 4572.65 करोड़ रुपये के परिव्यय (अपारम्परिक ऊर्जा को छोड़कर) हेतु सहमति प्रदान कर दी है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार राज्य योजनाओं हेतु ब्लाक ऋण/अनुदान के आधार पर सहायता प्रदान करती है। राज्यों के लिए योजना परिव्यय और क्षेत्रीय आबंटनों का निर्धारण उनके परामर्श से योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

दूरसंचार कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र भत्ता

[हिन्दी]

4989. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत दूरसंचार विभाग के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत दूरसंचार विभाग के अस्थायी नियमित कर्मचारियों को इस भत्ते की अदायगी न होने सम्बन्धी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को यह भत्ता देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नैनीताल/हल्द्वानी/देहरादून/ऋषिकेश और श्रीनगर (गढ़वाल) में पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान न किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऋषिकेश और हल्द्वानी में पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता नियमानुसार अनुमत्य नहीं है। देहरादून, नैनीताल और श्रीनगर (गढ़वाल) में पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता दिया जा रहा है।

(1) पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता, समुद्र-तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थानों में दिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए समुद्र-तल से किसी पर्वतीय स्थान की ऊंचाई, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा माप-निर्धारित और स्वीकृत अधिसूचित क्षेत्र या नगर-पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के भीतर स्थित उच्चतम शिखर की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए।

(2) वित्त मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के उन पर्वतीय स्थानों की एक सूची पहले से ही जारी की हुई है जो पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते की मंजूरी के लिए निर्धारित किये गये हैं। इनमें, नैनीताल, धारचुला, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, रानीखेत, लैंसडाउन, मंसूरी, जड़ीपाणी, नरेन्द्र नगर, उत्तर काशी और देहरादून शामिल हैं।

(3) श्रीनगर (गढ़वाल) में पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता दिया जा रहा है लेकिन इसकी पात्रता के मामले की वित्त मंत्रालय के उपयुक्त अनुदेशों के अनुसार जांच की जा रही है क्योंकि इसकी पात्रता के बारे में कुछ संदेह है।

रोजगार समाचार का प्रकाशन

4990. **श्री दिलीप भाई संघानी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार" इस समय किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का "एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार" को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार को अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू भाषा में प्रकाशित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए मानदण्ड

4991. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र उन्हीं स्थानों/स्थलों में स्थापित नहीं किये गये जबकि वे कथित मानदण्डों को पूरा करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन केन्द्रों को स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए जिन मानदण्डों का अनुसरण किया जाता है उनमें कई बातें शामिल होती हैं, जैसे किसी अन्य मौजूदा स्टेशनों के सिग्नलों से कवर न होने वाले क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करना, पहाड़ी, पिछड़े, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना तकनीकी व्यवहार्यता, शेष ग्रामीण और शहरी आबादी की कवरेज सीमा कार्यक्रम निर्माण और लिंकेज सुविधाओं की उपलब्धता, भाषायी और सांस्कृतिक आवश्यकताएं और वित्तीय साधनों की उपलब्धता।

(ख) और (ग) देश के सभी जिले रेडियो कवरेज के अन्तर्गत आते हैं। चुराचांदपुर (मणिपुर) और मोकोकचुंग (नागालैण्ड) को छोड़कर सभी जिलों को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से दूरदर्शन कवरेज प्राप्त होती है। तथापि, इन दोनों जिलों में टी० वी० ट्रांसमीटर लगाये जा रहे हैं।

हरियाणा में बिना बारी के टेलीफोनों का आबंटन किया जाना

[अनुवाद]

4992. **श्री अवतार सिंह भडाना** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991 से जून, 1992 तक बिना बारी के कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य को, विशेषकर हरियाणा को मंजूर किए गए टेलीफोनों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जुलाई, 1991 से जून, 1992 के बीच बिना बारी के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 24,042 है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अनुबन्ध

जुलाई, 1991 से जून, 1992 की अवधि के बीच बिना बारी के मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के ब्यौरे

क्र० सं०	दूरसंचार सर्किल का नाम	मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
1.	असम	304

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	2846
3.	बिहार	398
4.	गुजरात	594
5.	हरियाणा	642
6.	हिमाचल प्रदेश	57
7.	जम्मू तथा कश्मीर	371
8.	कर्नाटक	1005
9.	केरल	936
10.	मध्य प्रदेश	693
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	927
12.	उत्तर पूर्व सर्किल	81
13.	उड़ीसा	145
14.	पंजाब	997
15.	राजस्थान	1978
16	तमिलनाडु	862
17.	उत्तर प्रदेश	2234
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	233
	बड़े टेलीफोन जिले	
1.	दिल्ली	7,584
2.	बम्बई	634
3.	कलकत्ता (जनवरी—जून, 92) (क्रम सं० 18 पर पश्चिम बंगाल में जून—दिसम्बर, 1991 के आंकड़े शामिल हैं)	230
4.	मद्रास (जनवरी—जून, 92) (क्रम सं० 16 पर तमिलनाडु में जून—दिसम्बर, 1991 के आंकड़े शामिल हैं)	291
	योग :	24042

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में रुपये में किराया लिया जाना

4993. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में फिर से रुपये में किराया लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उससे कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस कारंवाई का मुख्य उद्देश्य भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों में स्थायी टैरिफ उपलब्ध करा कर देश में पर्यटकों का आगमन बढ़ाना है।

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ सैकण्डरी स्टील टेक्नोलोजी

4994. **श्री कमल चौधरी :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सैकेण्डरी स्टील टैक्नोलोजी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए प्रस्तावित स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सैकेण्डरी स्टील टेक्नालाजी जो पंजीकृत सोसाइटी है, का पुनर्बेलन प्रौद्योगिकी में कार्योन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए पंजाब में मण्डी गोबिन्दगढ़ में एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। संस्थान के प्राधिकारियों ने परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने सहित प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए हैं।

निर्माणाधीन परियोजनाएं

4995. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री के० प्रधानी :

श्री राम सिंह काश्वा :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार बड़े और मध्यम दर्जे की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) योजना जिसमें उन्हें शुरू किया गया, के अनुसार निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

निर्माणाधीन वृहद और मध्यम परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क० सं०	राज्य	वृहद परियोजनाएं संख्या	मध्यम परियोजनाएं संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	2	9
4.	बिहार	15	29
5.	गोआ	1	9
6.	गुजरात	9	57
7.	हरियाणा	7	3
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	10
10.	कर्नाटक	93	13
11.	केरल	12	5
12.	मध्य प्रदेश	19	35

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	36	46
14.	मणिपुर	3	—
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—
18.	उड़ीसा	4	10
19.	पंजाब	2	1
20.	राजस्थान	5	8
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	2	5
23.	त्रिपुरा	—	3
24.	उत्तर प्रदेश	24	11
25.	पश्चिम बंगाल	3	17
	कुल :	171	292

विवरण-II

योजना, जिसमें उन्हें शुरू किया गया, के अनुसार निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

योजना जिसमें शुरू	सातवीं योजना (1985—90) से आगे लायी गयी परियोजनाओं की संख्या		
	बृहद	मध्यम	कुल
1	2	3	4
I	2	2	4
II	5	—	5
III	16	4	20
वार्षिक योजना 1966—69	5	1	6

1	2	3	4
iv	20	10	30
v	59	105	164
वार्षिक योजना 1978—80	13	31	44
vi	34	98	132
vii	17	41	58
कुल :	171	292	463

टिप्पणी : ये गैर-योजना परियोजनाओं में भी शामिल हैं।

विवरण-III

विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाएं

क० सं०	परियोजना का नाम	विशेष केन्द्रीय सहायता का स्रोत	3/92 तक निर्मुक्त की गई राशि (करोड़ रु०)	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	सतलुज यमुना नहर (पंजाब में जल वाहक नहर)	यह परियोजना पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है	476	केवल थोड़ा कार्य शेष है।
2.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	अग्रिम योजना सहायता, सूखा राहत सहायता तथा सीमा क्षेत्र विकास अनुदान	182.10	आठवीं योजना से आगे।
3.	पोटेरु वृहद सिंचाई परियोजना, उड़ीसा	गृह मंत्रालय से सहायता प्राप्त कर रही है	59.69	आठवीं योजना।
4.	बंजर मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश	खान मंत्रालय से सहायता प्राप्त कर रही है।	उपलब्ध नहीं	आठवीं योजना।
5.	सतीगुडा मध्यम सिंचाई परियोजना, उड़ीसा	गृह मंत्रालय से सहायता प्राप्त कर रही है।	—वही—	आठवीं योजना।

इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं में कमान क्षेत्र कार्यों के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सहायता मिल रही है।

बिहार में विद्युत संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई

[हिन्दी]

4996. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में कमी का कारण अच्छे किस्म के कोयले का अभाव होना है;

(ख) क्या प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन में सफल सिद्ध हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किये जाएंगे; और

(ङ) ये कब तक स्थापित कर लिये जाएंगे ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पतरातू, बरौनी तथा मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र डिजाइन ग्रेड के अनुरूप ही कोयला प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में कमी का कारण अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की कमी होना नहीं है।

(ख) जी, हां। तथापि, गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की तुलना में अधिक है।

(ग) से (ङ) इस समय बिहार में गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

जामनगर, गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलना

[अनुवाद]

4997. **श्री चन्द्रेश पटेल** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले में विभिन्न स्थानों पर कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों को गत तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य में, एक्सचेंज-वार, व्यय हुई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदला जायेगा और प्रत्येक एक्सचेंज पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला जामनगर (गुजरात) में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया उनके नामों एवं उन पर किये गये व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले गये टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम	व्यय किया गया अनुमानित व्यय रुपये
1989-90	शून्य	—
	(1) कलवाड	38,78,016/-
	(2) खाडिनार	7,29,441/-
	(3) जोडिया	7,53,664/-
	(4) ओखा	11,23,386/-
1991-92	(1) सेठवाडला	4,52,747/-
	(2) बलचाडी	4,24,858/-
	(3) अल्लाबाडा	9,08,858/-
	(4) जेवापुर	8,31,582/-
	(5) लालपुर	16,36,528/-
	(6) मोती बानूगर	4,95,521/-
	(7) ध्रोल	42,16,657/-

(1)　उन स्थानों के नाम जहां 1992-93 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की योजना है और उन पर किये जाने वाले सम्भावित व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

एक्सचेंज का नाम	किए जाने वाला सम्भावित व्यय
1	2
(1) कलवाड (बदल दिया गया)	36,96,154/-
(2) जमजोधपुर	59,15,078/-
(3) मीठापुर	59,15,078/-
(4) सिक्का	10,04,680/-
(5) अमराम	12,63,752/-

1	2
(6) बावला	12,63,752/-
(7) जामरावल	12,63,752/-
(8) निकावा	12,63,752/-
(9) सापर	12,63,752/-
(10) भातिया	16,56,471/-
(11) सालया	16,56,471/-
(12) भंगोर	5,75,689/-
(13) फल्ला	5,33,438/-
(14) जामकल्याणपुर	5,75,689/-
(15) कनालूस	5,75,689/-
(16) लुरेडी	5,75,689/-
(17) लाटीपुर	5,75,689/-
(18) माटवा	5,75,689/-
(19) मोवन	5,75,689/-
(20) समाना	5,75,689/-
(21) सिदसार	5,54,411/-
(22) जामवंथाली	5,75,689/-
(23) लष्ठेरा	5,75,689/-

गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

[हिन्दी]

4998. श्री राम पाल सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पूर्वी क्षेत्र में गंगा नदी में आई बाढ़ के पानी से प्रभावित क्षेत्रों को बचाने के लिये उपायों का सुझाव देने हेतु वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था;

(ख) गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा, राज्यवार कुल कितने क्षेत्र को गंगा नदी पर बाढ़ के पानी

से बचाया गया है; और

(ग) शेष क्षेत्रों को कब तक बचाया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) 172 लाख हेक्टेयर, जिसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती थी, में से गंगा बेसिन में किये गए उपायों से 72.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

(ग) यह मुख्य रूप से निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विस्थापित लोगों को क्षतिपूर्ति

[अनुवाद]

4999. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान मुख्य सिंचाई अथवा जलविद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यवार कितनी भूमि अधिगृहीत की गई तथा कितने परिवार लोग वहां से विस्थापित किये गए;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के लिए हटाए गए परिवारों/व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा राज्यवार कितने परिवार/लोगों को इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की गयी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सिंचाई अथवा जल-विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा कुछ चुनिन्दा परियोजनाओं के सिवाय वृहद सिंचाई अथवा जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हटाए गए परिवारों/व्यक्तियों की संख्या तथा मुआवजा दिए गए परिवारों/व्यक्तियों की संख्या सहित भूमि अधिग्रहण किए गए क्षेत्र की सूचना का हिसाब केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता है । हटाये गये परिवारों/व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राज्य सरकारों की अपनी नीतियां हैं । इसके अतिरिक्त, जलाशय परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय जल बोर्ड की उप समिति द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय नीति के प्रारूप पर राष्ट्रीय जल बोर्ड की 7 जुलाई, 1992 को आयोजित चौथी बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा राज्यों के विचार प्राप्त कर लेने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जायेगा ।

हेरिटेज होटल

5000. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हवेलियों, किलों और महलों को

हैरिटेज होटलों के रूप में उपयोग को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1950 से पहले बने महलों, दुर्गों, हवेलियों, किलों, आदि में चल रहे होटलों को शामिल करने के लिए "हैरिटेज होटलों" की एक नई श्रेणी प्रारम्भ की गई है। हैरिटेज सम्पत्तियों को होटलों में बदलने के लिए परियोजना स्तर पर अनुमोदित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भी तैयार कर लिए गए हैं ताकि पर्यटकों के लिए अतिरिक्त कमरे उपलब्ध कराए जा सकें तथा इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सके।

इस्पात उद्योग पर ट्रक मालिकों की हड़ताल का प्रभाव

5001. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की ट्रक मालिकों की हड़ताल का इस्पात क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी क्षति हुई; और

(ग) संचित भण्डार की आगे सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) इस्पात क्षेत्र पर हड़ताल का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हड़ताल थोड़े समय की ही थी। एकीकृत इस्पात संयंत्र ऐसी परिस्थितियों के सम्बन्ध में माल सूची का अनुरक्षण करते हैं। अतः इस हड़ताल से इस्पात संयंत्रों को कोई क्षति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, व्यवस्था पर निर्भर करते हुए इस्पात संयंत्रों ने स्टाक का रेल माध्यम से संचालन के सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए। परन्तु, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि हड़ताल थोड़े ही दिन में समाप्त हो गई थी।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

5002. **डा० सी० सिलवेरा** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनवरी से जून के बीच बड़ी संख्या में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंज-वार इन टेलीफोनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये सभी टेलीफोन कनेक्शन लगा दिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ङ) जो स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शन अभी नहीं लगाये गए हैं उन्हें कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में जनवरी से जून, 1992 के दौरान बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर 5596 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए। इन टेलीफोनों की एक्सचेंजवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन टेलीफोन कनेक्शनों को विभिन्न कारणों से संस्थापित नहीं किया गया जैसे पार्टी द्वारा पंजीकरण के ब्यौरे, बाद में हुए पते में परिवर्तन के ब्यौरे नहीं दिए गए, उस क्षेत्र में कनेक्शन लगाना व्यवहार्य नहीं था तथा तकनीकी बाधाएं थीं।

(ङ) इन कनेक्शनों को यथाशीघ्र संस्थापित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ये कनेक्शन मार्च, 1993 तक निश्चित रूप से प्रदान करने की संभावना है।

विवरण

1.1.1992 से 30.6.1992 तक बिना बारी के प्राथमिकता आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या।

एक्सचेंज का नाम	प्राप्त हुई मंजूरियों की कुल संख्या	प्रदान किए गए टेलीफोनों की कुल संख्या
1	2	3
जनपथ	72	958
जोरबाग	286	210
किदवई भवन	178	99
राजपथ	32	25
सेना भवन	44	39
लोदी रोड (पीआरएक्स)	8	6
अलीपुर	5	2
बादली	17	10
तीस हजारी	75	40
शक्तिनगर	528	289
नरेला	9	5
लारेंस रोड	34	15

1	2	3
रोहिणी	270	140
दिल्ली गेट	136	78
ईदगाह	126	88
लक्ष्मी नगर	591	358
यमुना विहार	70	37
शाहदरा	305	137
मयूर विहार	122	61
चाणक्यपुरी	360	242
हौजखास	257	152
नेहरू प्लेस	443	244
बसंत कुंज	63	35
छतरपुर	235	126
तेखण्ड	2	3
दिल्ली कैंट	35	24
जनकपुरी	407	261
करोल बाग	139	80
नजफगढ़	8	3
नांगलोई	40	25
राजौरी गार्डन	506	296
शादीपुर	10	7
पश्चिम विहार	105	61
समालखा	3	2
	6500	3323

सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

5003. श्री रतिलाल वर्मा :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

श्रीमती महेन्द्र कुमार :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिंचाई परियोजनाओं के लिए छोटे किसानों की सहायता हेतु राज्यों को कोई सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई सिंचाई परियोजनाओं के शुरू करने के लिए विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(ग) और (घ) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन, कार्यान्वयन और प्रबन्ध राज्यों द्वारा राज्य की निधियों से किया जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	जिस दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई (करोड़ रुपए)			स्कीम का स्वरूप
		1989-90	1990-91	1991-92	
1			2		3
1.	स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि द्वारा सिंचाई को बढ़ावा देना	1.80	1.95	1.43	लघु सिंचाई स्कीमों की प्रतिष्ठापना के लिए छोटे/सीमान्त किसानों को राज सहायता प्रदान की जाती है ।

1			2		3
2.	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता	66.29	97.87	94.20	लघु सिंचाई इस स्कीम का ऐसा घटक है जिसके अन्तर्गत राजसहायता प्रदान की जाती है।
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	47.25	52.19	58.28	लघु सिंचाई स्कीम का घटक है।
4.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	347.93	346.59	321.31	लघु सिंचाई की प्रतिष्ठापना स्कीम का एक घटक है जिसके अंतर्गत गरीब छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।
5.	जवाहर रोजगार योजना	2139.12	2000.95	1815.57	लघु सिंचाई स्कीम का वह घटक है जिसके अंतर्गत 1990-91 से "मिलियन वेल्स स्कीम" के लिए 20 प्रतिशत निधियां निर्धारित की जाती है।

दिल्ली में "पे-फोन्स"

[हिन्दी]

5004. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने व्यक्तियों को एस० टी० डी०/आई० एस० डी० पे-फोन्स उपलब्ध करा कर रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ख) इन टेलीफोन कनेक्शनों को जारी करने के क्या नियम हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) दिल्ली में विक्रय अधिकार योजना के अधीन 876 एस० टी० डी०/आई० एस० डी० पे-फोन कार्य कर रहे हैं। इस योजना के अधीन कुछ "पे-फोन" एजेंसियां चला रही हैं और कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। विक्रय अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यक्तियों की सही-सही संख्या का पता लगाना संभव नहीं है। तथापि इन्होंने शायद, कम से कम 876 व्यक्तियों को तो रोजगार प्रदान किया ही होगा।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन उन सभी लोगों को उदारतापूर्वक आबंटित किये जाते हैं जो इन्हें, निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रचालित करने की पेशकश करते हैं। एक्सचेंज क्षमता के 5 प्रतिशत तक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में डाकघर

[अनुवाद]

5005. **डा० परशुराम गंगवार** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में कुल कितने उप डाकघर हैं;

(ख) उनमें से ऐसे उप डाकघरों की संख्या कितनी है जो ऐसे भवनों में चलाए जा रहे हैं, जहां पानी, बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार को इन उप-डाकघरों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में चौदह उप डाकघर हैं।

(ख) सभी 14 डाकघरों में पानी और बिजली की सुविधा प्रदान कर दी गई है। तथापि, 6 डाकघर अभी भी ऐसे हैं, जहां टायलट सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) इन 6 डाकघरों में टायलट सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

तांबे का उत्पादन

5006. **श्री विश्वेश्वर भगत** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तांबे का उत्पादन कितना होता है और इसकी मांग कितनी है;

(ख) क्या मांग को पूरा करने के लिए कितना तांबा आयात किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तांबे के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में तांबा धातु का घरेलू उत्पादन लगभग 50,000 टन वार्षिक है जबकि, वर्तमान वार्षिक मांग लगभग 1.8 लाख टन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तांबा और तांबा मदों की आयातित मात्रा इस प्रकार है—

वर्ष	मात्रा (हजार कि० ग्रा०)
1989-90	182493
1990-91	192258
1991-92 (अप्रैल—दिसम्बर)	96172

(ग) उपलब्ध और ज्ञात भंडारों से देशी उत्पादन से निकट भविष्य में तांबे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सम्भव नहीं है। तथापि, तांबे का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास किये जा रहे हैं। धन उपलब्ध होने पर, 8वीं योजना के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विस्तार और आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

I. पश्चिमी सेक्टर (राजस्थान)

1. खेतड़ी प्रगालक और रिफाइनरी का विस्तार 31,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन वार्षिक करना।

2. कोलिहान खान की वार्षिक अयस्क उत्पादन क्षमता को 0.6 मिलियन टन से बढ़ाकर 0.75 मिलियन टन करना।

3. 0.6 मिलियन टन वार्षिक अयस्क क्षमता की बनवास खान का विकास।

4. खेतड़ी सान्द्रक का आधुनिकीकरण।

II. मध्य सेक्टर (मध्य प्रदेश)

1. मलंजखंड खान का 2 मिलियन टन वार्षिक से 3 मिलियन टन वार्षिक तक विस्तार।

III. पूर्वी सेक्टर (बिहार)

1. 0.75 मिलियन टन अयस्क और संभाल क्षमता के सान्द्रक सहित चापरी-सिद्धेश्वर खान का विकास।

2. सिंहभूम पट्टी में इंडियन कापर काम्प्लैक्स की मौजूदा खानों का विस्तार और आधुनिकीकरण।

असमिया समाचार पत्रों का परिचालन

5007. **श्री उद्धव बर्मन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असमिया समाचार पत्रों के क्या नाम हैं और गत तीन वर्षों के दौरान दृश्य और प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन के लिए उनके कितने औसत परिचालन का उपयोग किया;

(ख) इस अवधि के दौरान समाचार पत्रवार कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) उन असमिया समाचार पत्रों के क्या नाम हैं तथा उनका तुलनात्मक परिचालन कितना है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन हेतु डी० ए० वी० पी० से अनुरोध किया लेकिन जिनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जिन असमियां समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये गये उनके नाम और औसत प्रसार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान असमियां समाचारपत्रों को अदा की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

1989-90	—	8,14,766.00 रुपये
1990-91	—	10,44,072.00 रुपये
1991-92	—	16,70,302.00 रुपये

(ग) सभी समाचारपत्र जो विज्ञापनों के लिए आवेदन करते हैं और विज्ञापन नीति में दी गई न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करते हैं विज्ञापन सूची में शामिल किये जाते हैं और उन्हें प्रचार आवश्यकताओं तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार विज्ञापन दिये जाते हैं।

विवरण

उन असमियां प्रकाशनों के नाम जिन्हें सरकार द्वारा 1989-90 के दौरान विज्ञापन दिए गए

क्र०सं०	प्रकाशन का नाम	नगर	आवधिकता	प्रचार संख्या
1	2	3	4	5
1.	दैनिक असम	गुवाहाटी	दैनिक	45,069
2.	दैनिक जन्मभूमि	जोरहाट	दैनिक	36,810
3.	साप्ताहिक नीलाचल	गुवाहाटी	साप्ताहिक	77,236
4.	जन्मभूमि साप्ताहिक	जोरहाट	साप्ताहिक	11,802
5.	महाजाति	तेजपुर	अर्ध-साप्ताहिक	7,250
6.	आलोक	गुवाहाटी	साप्ताहिक	8,192
7.	संध्या नागरिक	गुवाहाटी	साप्ताहिक	22,004
8.	अग्रदूत	गुवाहाटी	अर्ध-साप्ताहिक	42,073
9.	मा—लक्ष्मी	उत्तरी लखीमपुर	साप्ताहिक	4,302
10.	जनक्रांति	गुवाहाटी	साप्ताहिक	13,675
11.	बिसमोई	गुवाहाटी	मासिक	20,747

1	2	3	4	5
12.	जनजीवन	गुवाहाटी	साप्ताहिक	13,420
13.	साप्ताहिक धनश्री	गोलाघाट	साप्ताहिक	2,055
14.	तदन्त	गुवाहाटी	मासिक	5,938
15.	संध्या प्रहरी	दिसपुर	साप्ताहिक	7,215
16.	मौचक	जोरहाट	मासिक	11,133
17.	साप्ताहिक मुजाहिद	गुवाहाटी	साप्ताहिक	8,624
18.	संध्या बतोरी	गुवाहाटी	साप्ताहिक	7,495
19.	नूतन दैनिक	गुवाहाटी	दैनिक	12,655
20.	अजिर असम	गुवाहाटी	दैनिक	12,798
21.	बारपीठ	बारपेटा	साप्ताहिक	10,484
22.	सायंकाल	गुवाहाटी	पाक्षिक	52,317
23.	सदीन	गुवाहाटी	साप्ताहिक	34,395
24.	सूत्रधार	गुवाहाटी	पाक्षिक	11,518
25.	प्रांतिक	गुवाहाटी	पाक्षिक	28,769
26.	असम स्पन्दन	डिब्रूगढ़	साप्ताहिक	7,420
27.	वातावरण	डिब्रूगढ़	साप्ताहिक	7,612
28.	पवित्र असम	गुवाहाटी	साप्ताहिक	10,452

उन असमियां प्रकाशनों के नाम जिन्हें वि० दृ० प्र० निदेशालय द्वारा 1990-91 के दौरान सरकारी विज्ञापन दिए गए

क्र०सं०	प्रकाशन का नाम	नगर	आवधिकता	प्रसार संख्या
1.	दैनिक असम	गुवाहाटी	दैनिक	38,269
2.	दैनिक जन्मभूमि	जोरहाट	दैनिक	35,826
3.	जन्मभूमि साप्ताहिक	जोरहाट	साप्ताहिक	11,926
4.	महाजाति	तेजपुर	अर्ध-साप्ताहिक	7,250
5.	आलोक	गुवाहाटी	साप्ताहिक	10,653
6.	सांध्या नागरिक	गुवाहाटी	साप्ताहिक	24,624
7.	अग्रदूत	गुवाहाटी	अर्ध-साप्ताहिक	42,073
8.	मां-लक्ष्मी	उत्तर लखीमपुर	साप्ताहिक	5,074

1	2	3	4	5
9.	बिसमोई	डिब्रुगढ़	मासिक	22,900
10.	जनजीवन	गुवाहाटी	साप्ताहिक	13,650
11.	तदन्त	गुवाहाटी	मासिक	5,016
12.	मौचक	जोरहाट	मासिक	11,833
13.	साप्ताहिक मुजाहिद	गुवाहाटी	साप्ताहिक	8,922
14.	नूतन दैनिक	गुवाहाटी	दैनिक	40,922
15.	अजीर असम	गुवाहाटी	दैनिक	18,525
16.	बारपीठ	बारपेटा	साप्ताहिक	10,484
17.	सायंकाल	गुवाहाटी	पाक्षिक	50,446
18.	सदीन	गुवाहाटी	साप्ताहिक	56,730
19.	सूत्रधार	गुवाहाटी	पाक्षिक	12,722
20.	प्रांतिक	गुवाहाटी	पाक्षिक	22,176
21.	असम स्पन्दन	डिब्रूगढ़	साप्ताहिक	8,335
22.	वातावरण	डिब्रूगढ़	साप्ताहिक	7,612
23.	पवित्र असम	गुवाहाटी	साप्ताहिक	10,567
24.	अनुसंधान	गुवाहाटी	पाक्षिक	9,023
25.	पूर्वांचल	गुवाहाटी	अर्ध-साप्ताहिक	25,000
26.	संध्या संवाद	तेजपुर	साप्ताहिक	6,602
27.	पूर्वांचल बटोरी	तिनसुकिया	साप्ताहिक	4,770

उन असमियां प्रकाशनों के नाम जिन्हें सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान विज्ञापन दिए गए

क्र०सं०	प्रकाशन का नाम	नगर	आवधिकता	प्रसार संख्या
1.	दैनिक असम	गुवाहाटी	दैनिक	38,245
2.	दैनिक जन्मभूमि	जोरहाट	दैनिक	40,119
3.	महाजाति	तेजपुर	अर्ध-साप्ताहिक	7,250
4.	आलोक	गुवाहाटी	साप्ताहिक	8,192
5.	सांध्य नागरिक	गुवाहाटी	साप्ताहिक	24,475
6.	अग्रदूत	गुवाहाटी	अर्ध-साप्ताहिक	42,073
7.	मा-लक्ष्मी	उत्तरी लखीमपुर	साप्ताहिक	5,020

1	2	3	4	5
8.	बिसमोई	हैबतपुर	मासिक	25,419
9.	जनजीवन	गुवाहाटी	साप्ताहिक	14,890
10.	साप्ताहिक-जनश्री	गोलाघाट	साप्ताहिक	2,045
11.	मौचक	जोरहाट	मासिक	11,322
12.	साप्ताहिक मुजाहिद	गुवाहाटी	साप्ताहिक	12,523
13.	नूतन दैनिक	गुवाहाटी	दैनिक	35,210
14.	अजिर असम	गुवाहाटी	दैनिक	20,572
15.	सायंकाल	गुवाहाटी	पाक्षिक	49,993
16.	सदीन	गुवाहाटी	साप्ताहिक	67,306
17.	सूत्रधार	गुवाहाटी	पाक्षिक	13,139
18.	प्रांतिक	गुवाहाटी	पाक्षिक	20,616
19.	असम स्पन्दन	डिब्रूगढ़	साप्ताहिक	8,660
20.	वातावरण	डिब्रूगढ़	साप्ताहिक	8,102
21.	पवित्र असम	गुवाहाटी	साप्ताहिक	11,247
22.	पूर्वांचल	गुवाहाटी	अर्ध-साप्ताहिक	26,214
23.	सांध्य संवाद	तेजपुर	साप्ताहिक	8,050
24.	नूतन अवस्कर	जोरहाट	मासिक	3,814
25.	पूर्वांचल बटोरी	तिनसुखिया	साप्ताहिक	5,210
26.	बुधवार	गुवाहाटी	साप्ताहिक	25,989
27.	चित्र संवाद	गुवाहाटी	साप्ताहिक	7,007

कर्नाटक में पर्यटन का विकास

5008. **श्री वी० धनंजय कुमार :**

श्री रामचन्द्रन वीरप्पा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से पर्यटन विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई है तथा कितने प्रस्ताव अभी लम्बित हैं;

(ग) लम्बित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी; और

(घ) 1992-93 के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 1992-93 के दौरान 91.00 लाख रु० की चार परियोजनाओं/स्कीमों को वित्तीय सहायता देने के लिए सूचीबद्ध किया है। राज्य सरकार से अनुमानों सहित विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

भू-कटाव रोधी योजना

5009. **श्री आयनल अबेदिन :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध से निकलने वाली गंगा नहर के दाहिने किनारे में कुछ जगहों पर हुए भू-कटाव के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के लिए व्यापक भू-कटाव रोधी योजना शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) फरक्का बराज के अनुप्रवाह पर गंगा के बायें तट पर कुछ स्थलों पर कटाव हुआ है। नदी के टेढ़े-मेढ़े होकर बहने की प्रवृत्ति की वजह से समय-समय पर स्थिति में बदलाव आता है।

(ख) और (ग) जी, हां। सुभेद्य पहुंचों का पता लगाया गया है तथा 587.58 लाख रुपये की लागत की स्कीमें पहले हा निष्पादित की जा चुकी हैं।

बालासोर, उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन

5010. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर जिले में लगाये गये सार्वजनिक टेलीफोन पिछले दो वर्ष से खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उस के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। कुछ समय तक वे खराब पड़े हुए थे क्योंकि तार और अन्तर सामग्री (पोस्ट मैटीरियल) की चोरी हो गई थी।

(ख) बालासोर जिले में जो लम्बी दूरी वाले टेलीफोन चोरी के कारण प्रभावित हुए थे उनके नाम इस प्रकार हैं : विष्णुपुर, अल्लाबाद, छत्रपुर, राज बेरहमपुर और बीडीपुर।

(ग) मामला पुलिस प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाया गया है। इन सभी लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए एम०ए०आर०आर० टाइप की रेडियो प्रणाली पुनः स्थापित करने के लिए योजना तैयार की गई है।

इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया तथा वायुदूत में विमानचालकों की संख्या

5011. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और एअर इंडिया में विमानचालकों की श्रेणी-वार वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) त्याग पत्रों या अन्य के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितने विमानचालकों की आवश्यकता पड़ती है; और

(ग) इन विमानचालकों की प्रत्येक श्रेणी के लिये कितनी शैक्षिक योग्यता आवश्यक है और अपना काम संभालने से पूर्व उन्हें कितना प्रशिक्षण दिया जाता है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और एअर इंडिया में विमान चालकों की संख्या इस प्रकार है :

इंडियन एयरलाइंस		वायुदूत		एअर इंडिया	
एक्जिक्यूटिव विमानचालक	72	कैप्टन-	44	कमाण्डर	148
लाइन विमानचालक	454	प्रथम अधिकारी	70	सह-विमान चालक	174
प्रशिक्षु विमान चालक	66	प्रशिक्षु विमानचालक	05	प्रशिक्षु विमान चालक	34
	592				356
		वरिष्ठ विमान चालक (कृषि विमानन)	05		
		कनिष्ठ विमान चालक (कृषि विमानन)	07		
		प्रशिक्षु विमान (हेलीकाप्टर विमानचालक) चालक कृषि विमानन	06		
			137		

(ख) विमानचालकों की आवश्यकता परिचालन के मानदण्ड पर, वर्षानुवर्ष आधार पर बदलती रहती है।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और एअर इंडिया मे विमानचालकों की शैक्षिक अर्हताएं उन्हें दिये जाने वाले प्रशिक्षण

इंडियन एयरलाइंस

शैक्षिक अर्हताएं :

मैट्रिक पास अथवा समकक्ष। भौतिक शास्त्र और गणित विषयों वाले स्नातकों को तरजीह दी जाती है।

दिया जाने वाला प्रशिक्षण

प्रशिक्षु विमानचालक के रूप में चयन के बाद उम्मीदवारों को सिमुलेटर और व्यवहारिक उड़ान प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और बाद में उन्हें बी-737 विमान पर सह-विमानचालक के रूप में लगाया जाता है।

वायुदूत

शैक्षिक अर्हताएं—मैट्रिक पास अथवा समकक्ष।

दिया जाने वाला प्रशिक्षण

कैप्टिन के लिए एच एस 748/एफ-27 विमान पर उड़ान प्रशिक्षण का समय 8 से 10 घंटे और सह-विमानचालक के लिए 10 से 15 घंटे हैं। डोर्नियर विमान पर उनकी प्रगति के आधार पर कैप्टिन के लिए यह अवधि 6 से 8 घंटे और विमानचालक के लिए 8 से 12 घंटे हैं।

एयर इंडिया

शैक्षिक अर्हताएं

सह विमानचालक के लिए	एस० एस० सी० या समकक्ष
प्रशिक्षु विमानचालक के लिए	उम्मीदवार (10+2) वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

दिया जाने वाला प्रशिक्षण

प्रशिक्षु विमानचालकों को 16 मास का आंतरिक ग्राउंड, तकनीकी जेट औरियन्टेशन, सिमुलेटर/उड़ान प्रशिक्षण दिया जाता है। सह-विमानचालकों को उड़ान ड्यूटी पर जाने से पहले 5 मास का प्रशिक्षण दिया जाता है।

मुम्बई में जाली डाक टिकट

5012. **श्री राम कापसे** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मार्च, 1992 में मुम्बई में जाली डाक

टिकटों को छापने का एक गिरोह पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमे सरकार को कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच करवाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) चकला एम० आई० डी० सी० डाकघर के डाक सहायक श्री एल० डी० राजभर ने दिनांक 18. 3. 92 को हाइब्रिड इलेक्ट्रानिक्स हाउस, एम०आई०डी०सी, प्लाट न०. एफ- 17, अंधेरी सदर, शांतिनगर, अंकुर रोड, कंडीवाली ईस्ट, बम्बई के एक कर्मचारी श्री नामदेव एकनाथ परब द्वारा दिए गए दो पार्सलों पर जाली डाक टिकट लगे हुए पाए। संदेह होने पर पार्सलों को रोक लिया गया इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को की गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टयता एक ऐसे गिरोह का पता लगाया जो जाली डाक-टिकटों की छपाई में लगा था और उसने आफ सेट प्रिंटिंग मशीन, छिद्रण मशीन, 5,315/-रुपये के जाली डाक-टिकट और अन्य उपकरणों सहित सात व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है।

(ग) संदेह है कि प्रयोग किए गए जाली डाक-टिकटों का कुल मूल्य 1,79,485/- रुपये है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पुलिस ने न्यायालय में एक आपराधिक मामला दायर किया है।

(च) ऐसे जाली डाक-टिकटों का प्रयोग न होने देने और इसे बेचने/प्रयोग करने की कोशिश करते हुए व्यक्ति को पकड़ने के लिए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित अनुदेश दे दिए गए हैं।

एस० टी० डी०/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के लिए लक्ष्य/उपलब्धि

[हिन्दी]

5013. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार और राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इनमें से कितने एस० टी० डी०/सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों को आवंटित किए गये ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये हैं जिन्हें सदन-पटल पर रखा गया है।

(ग) पिछले वर्ष लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ।

(घ) कुछ सर्किलों में, तकनीकी और सामग्री सम्बन्धी अड़चनों के कारण मामूली सी कमी आई है।

(ङ) वर्तमान उदार नीति के अंतर्गत सार्वजनिक टेलीफोन तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर उन सबको आवंटित किये जाते हैं जो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इन्हें चलाने की पेशकश करते हैं। अत: जाति/वर्ग आदि के आधार पर अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

विवरण

अनुबंध

एस० टी० डी० युक्त सार्वजनिक टेलीफोनों के लक्ष्यों/उपलब्धियों का विवरण

क्र०सं०	सर्किल का नाम	1989-90 लक्ष्य/उपलब्धियां	1990-91 लक्ष्य/उपलब्धियां	1991-92 लक्ष्य/उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्रप्रदेश	500/270	700/701	400/822
2.	असम	50/1	100/28	50/43
3.	बिहार	100/82	300/60	100/371
4.	गुजरात	400/71	1100/782	200/1082
5.	जम्मू एवं कश्मीर	50/9	50/7	50/25
6.	केरल	500/279	500/635	200/673
7.	कर्नाटक	500/188	900/902	350/722
8.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	900/124	2400/797	1600/2223
9.	मध्य प्रदेश	500/69	600/314	300/1233
10.	उड़ीसा	100/14	200/30	50/233
11.	हरियाणा	50/16	200/178	50/273
12.	हिमाचल प्रदेश	50/102	100/7	50/10
13.	पंजाब	150/38	450/462	200/537

1	2	3	4	5
14.	राजस्थान	150/8	400/63	100/519
15.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड मिजोरम और त्रिपुरा)	50/24	100/10	50/76
16.	तमिलनाडु	900/915	2200/1849	1400/781
17.	उत्तर प्रदेश	500/122	1300/259	800/1357
18.	पश्चिम बंगाल	550/16	1800/59	750/340
19.	दिल्ली	500/56	1600/249	800/310
	जोड़	6500/2222	15000/7192	7500/11630

डा० भीमराव अम्बेडकर का जन्मशती समारोह

[अनुवाद]

5014. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मशती समारोह के अवसर पर किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): (क) और (ख), एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

विवरण

डा० बी० आर० अम्बेडकर की शताब्दी समारोहों के दौरान नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के अधीनवर्ती संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां ।
2. भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल क्षेत्र में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों को भेजना ।
3. नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद से निकलने वाले उत्कृष्ट अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ट्राफी प्रारंभ करना।

4. कर्मचारियों के बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना।

5. डा० अम्बेडकर के कार्यों पर निबंध प्रतियोगिता, कविता पाठ आदि

6. बम्बई हवाई अड्डे से डा० अम्बेडकर के जन्म स्थान (महु) और वहां से वापसी तक साइकिलिंग अभियान।

7. बम्बई उड़ान क्लब द्वारा आर्थिक तथा समाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए मुफ्त मनोरंजक उड़ान।

8. डा० अम्बेडकर पर फिल्मों को प्रदर्शित किया जाना तथा लाइब्रेरियों के लिए साहित्य प्राप्त करना।

9. प्रौढ़ साक्षरता, व्याख्यान तथा वृक्षारोपण अभियान।

10. हवाई अड्डों पर डा० अम्बेडकर के चित्र तथा उद्धरण प्रदर्शित करना।

11. इंडियन एयरलाइंस हाउस जर्नल "स्वागतिका" के प्रथम पृष्ठ पर डा० अम्बेडकर का चित्र तथा उनके जीवन, कार्यों और उपदेशों पर लेखों वाला एक स्मारक अंक निकालना।

12. रामलीला ग्राउंड, दिल्ली में डा० अम्बेडकर मेला "नामक प्रदर्शन-व-मेले में नागर विमानन पैविलियन की स्थापना करना।

वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा आरंभ की गई परियोजनाएं

5015. श्री अमल दत्ता :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में ये परियोजनाएं किस वर्ष शुरू की गई;

(ग) क्या इस उपक्रम द्वारा पश्चिम बंगाल में भी कोई परियोजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर हेडवर्क्स का नियंत्रण

5016. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समझौते के अनुसार रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हैडवर्क्स बोर्ड का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के पास होना चाहिए;

(ख) क्या इसके बावजूद पंजाब की सरकार ने इन्हें भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को नहीं सौंपा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र ने पंजाब सरकार को इस सम्बन्ध में क्या निर्देश दिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) प्रश्नगत हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड (बी० बी० एम० बी०) को हस्तांतरित किया जाना है। पंजाब सरकार ने, बी० बी० एम० बी० की तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित किए गए वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार पर राजस्थान तथा हरियाणा को जल की सप्लाई किया जाना सुनिश्चित कर दिया है।

चण्डीगढ़ के लिए सिंचाई सुविधाएं

5017. **श्री पवन कुमार बंसल** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं विकसित करने हेतु क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं; और

(ख) इस समय चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा कुल कितने कृषि क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जाती है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में शहरीकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण बड़े पैमाने पर किये जाने के कारण कृषि भूमि तीव्रता से संकुचित होती जा रही है.। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र के गांवों में कृषि भूमि के 3210 हेक्टेयर में से 1626 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं पहले ही प्रदान की गई हैं जिसमें चालू वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान सिंचाई के अंतर्गत लाया गया 10 हेक्टेयर क्षेत्र भी सम्मिलित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—95) के दौरान सिंचाई के अंतर्गत 90 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1992-93 के दौरान सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के वास्ते 100 लाख रुपए का कुल परिव्यय प्रदान किया जाएगा।

पंजाब में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

5018. **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की

संवर्गवार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक भर लिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पंजाब में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कोई ताप विद्युत परियोजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेल्स एजेंटों द्वारा रिज़र्वेशन बुकिंग

[अनुवाद]

5019. **श्री तरित बरण तोपदार** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1992 के इकानामिक टाइम्स में "फिक्टीसियस बुकिंग्स हिट इंडियन एयरलाइन्स फ्लाइट्स" के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस ने यह बताया है कि इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसकी आरक्षण प्रणाली में फर्जी बुकिंग करके हेर-फेर की जा रही है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी आरक्षण प्रणाली में अपने नियंत्रण कार्यकलापों को कड़ा कर दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए निकटता से निगरानी रखी जाती है कि इसकी सेवाओं में कोई फर्जी बुकिंग न हो।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी प्रबन्ध

5020. **श्री प्रफुल पटेल** :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और अगले पांच वर्षों में इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार आठवीं योजनावधि के दौरान पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में 640.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। संयंत्र-वार ब्यौरा

निम्नानुसार है :—

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र	218 करोड़ रुपये
(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	87 करोड़ रुपये
(ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र	176 करोड़ रुपये
(घ) बोकारो इस्पात संयंत्र	86 करोड़ रुपये
(ङ) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी	73 करोड़ रुपये
कुल :	640 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश में नहरें बनाना

[हिन्दी]

5021. **श्री हरि केवल प्रसाद** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में नहरें बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) इस स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

असम में बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

5022. **डा० जयन्त रंगपी** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान असम की सरकार से बड़ी और मध्यम स्तर की कितनी सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) केन्द्र सरकार ने उनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) शेष परियोजनाओं को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) असम सरकार ने जुलाई, 1989 से जून, 1992 तक गत तीन वर्षों के दौरान 3 बृहद और 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए भेजे हैं।

(ख) और (ग) जांच के बाद, 3 वृहद परियोजनाएं नामशः पगलादिया, गरुफुला और दोयांग तथा 4 मध्यम परियोजनाएं नामशः साइमन, कृष्णई, दिकहो तथा बूरई मूल आयोजना में जल उपलब्धता, अभिकल्प बाढ़, अन्तर्राज्यीय पहलुओं, पर्यावरण और वन स्वीकृति से सम्बन्धित खामियों के कारण राज्य सरकार को लौटा दी गयीं। फरवरी, 1992 में केन्द्रीय जल आयोग में हुई अधिकारियों की बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पांचवीं परियोजना नामशः बूरी सूती पर राज्य सरकार द्वारा जल उपलब्धता, अभिकल्प बाढ़, सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग तथा अन्तर-राष्ट्रीय पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना भेजी जानी है।

(घ) परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करती है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से पर्यावरण, वन तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापना पहलुओं से स्वीकृति प्राप्त करती है और योजना में पर्याप्त निधियों का प्रावधान करती है।

कन्याकुमारी में ताप विद्युत संयंत्र

5023. श्री एन० डेनिस :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) कन्याकुमारी में ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने के बारे में तमिलनाडु बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में हीरों की खुदाई

[हिन्दी]

5024. आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में हीरों की खुदाई का कार्य किसी विदेशी/स्वदेशी बहुराष्ट्रीय संस्था को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खानों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भुवनेश्वर में नए सर्किल कार्यालय के लिए भवन

[अनुवाद]

5025. श्री अनादि चरण दास :

क्या संचार मंत्री 25 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार भुवनेश्वर में मौजूदा सर्किल कार्यालय के निकट आवश्यक भूमि आबंटित करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भवन का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

5026. श्री राम टहल चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991-92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी टेलीफोन एक्सचेंजों ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1992-93 के दौरान ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज कहां-कहां लगाए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्थान विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-1

1991-92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले नए एक्सचेंजों का जिलेवार ब्यौरा

जिले का नाम	खोले गए एक्सचेंजों के नाम	स्थानों की संख्या
1. सहरसा	राण गांव, सूर्य बाजार	2
2. मुजफ्फरपुर	माधोपुर, टर्की	2
3. दरभंगा	रायम, बाहेरी	3
4. औरंगाबाद	ओबरा, मदनपुर	2
5. बोकारो	कठारा, लालपानीया	2
6. हजारीबाग	चंदवारा, झुमरा, जयनगर, राजरापाड़ा, ईछाक, बरकाठा, चेरही, अरखंमा	8
7. पूर्णिया	हारडा	1
8. सिंहभूम (पश्चिम)	गुवा, नामोंदा, जगंतोपुर	3
9. पटना	दीपनगर, दानयवाम, सिमरा	3
10. मधुबनी	अरेर, कलौही, तुलापतगंज	3
11. धनबाद	कुन्द्रा, बलियापुर, राजगंज, बाघमारा, मुगमा,	5
12. चतरा	सिमारिया	1
13. गिरीडीह	बेनबाद	1
14. रांची	मेकलूसकीगंज, नागदी	2
15. गया	चेरखा	1
16. वैशाली	वैशाली	1
17. बेगूसराय	बछवाड़ा	1
18. अरारिया	जोखीहाट	1
19. मुंगेर	कजारा, बरियापुर	2
20. भागलपुर	पिठना, साजौर, साजावपुर, अकबर नगर	4
21. सुपौल	किशनपुर	1
22. सीवान	बरहारिया	1
23. सिंहभूम (पूर्व)	बाहारागीरा	1
24. रोहतास	धिनारा	1
	योग :	51

विवरण-II

1992-93 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना की सम्भावना है, उनके स्थान

क्र०सं०	स्थान	क्र०सं०	स्थान
1	2	3	4
1.	करेटारी	24.	रायडीह
2.	तंदुआ	25.	चैनपुर
3.	चुरचू	26.	विष्णुपुर
4.	सुलताना	27.	घाघरा
5.	बहरीआछ नगर	28.	महुआनगर
6.	गिडडी	29.	गारू
7.	पांडू	30.	तांतनगर
8.	बारकठा	31.	माझोंन
9.	तेनुघाट	32.	कुचेरी
10.	गडडी	33.	ईछगढ़
11.	जानुआ	34.	जालीडीह
12.	देवरी	35.	महुवा
13.	बिरनी	36.	कारीन
14.	गावना	37.	महेशमुंवा
15.	इटलोरी	38.	नूनीहाट
16.	मरकाचू	39.	बाहेगामा
17.	पिरतराम	40.	महाराजपुर
18.	सवगाना	41.	चाकी
19.	नवाडीह	42.	चांपी
20.	बाडम	43.	इस्लामपुर
21.	कालबीरा	44.	चुर्या
22.	बानो	45.	बानोरा
23.	बारिया	46.	सिलसो

1	2	3	4
47.	रुपौली	54.	कोटवा
48.	आजमनगर	55.	सिढ़ा
49.	चौसा	56.	बायच
50.	नारायणपुर	57.	बठानहा
51.	बीहपुर	58.	बाजोपाट्टी
52.	माजोरगंज	59.	सिमरी
53.	चोरई	60.	लडानिया

प्राथमिकता के आधार पर भोपाल में टेलीफोन कनेक्शनों का लगाया जाना

5027. **श्री सूरजभानु सोलंकी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल, मध्य प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत नये टेलीफोन कनेक्शन लगाने में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) "एस० एस०" श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुछ आवेदकों द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज सही नहीं पाए गए। इनकी जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया कि 25 मामलों में "एस० एस०" श्रेणी के अन्तर्गत बिना बारी के टेलीफोनों की मंजूरी सम्बन्धी जमा कराए गए दस्तावेज जाली थे।

(ग) जाली दस्तावेजों के आधार पर "गैर-ओ० वाई० टी०, एस० एस०" श्रेणी के अन्तर्गत संस्थापित सत्रह टेलीफोनों के कनेक्शन विधिवत् रूप से नोटिस देने के बाद काट दिए गए हैं और आठ मामलों में कनेक्शन रोक दिए गए हैं।

दिल्ली के ताप विद्युत संयंत्रों में रिक्तियां

[अनुवाद]

5028. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तथा राजघाट ताप विद्युत स्टेशनों में बेलदारों तथा खलासियों के बहुत से पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रोजगार कार्यालय द्वारा प्रवर्तित उम्मीदवारों को साक्षात्कार/चयन हेतु बुलाया गया था;

(घ) यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन रिक्तियों को कब तक भर लिया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) बेलदारों (जिनका पदनाम अब सहायक लाइन मेट ग्रेड-2 है) एवं खलासियों (जिनका पदनाम अब जनरेशन मेट ग्रेड-2 है) के समय-समय पर रिक्त हुए बहुत से पदों को, मितव्यता सम्बन्धी निर्देशों के कारण डेसू द्वारा नहीं भरा गया। अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए डेसू ने 21-2-92 को रोजगार कार्यालय में इन ग्रेडों में 317 रिक्तियों को अधिसूचित किया है। इसमें से अनुसूचित जातियों के लिए 48 पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए 24 पद आरक्षित हैं। रोजगार कार्यालय द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को अपना जीवन-वृत्त आदि प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद साक्षात्कार आयोजित किए जाने/अभ्यर्थियों का चयन किए जाने सम्बन्धी प्रक्रिया में 3-4 महीने का समय लगने की सम्भावना है। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में ऐसा कोई पद रिक्त नहीं है।

फिल्मों का आयात

5029. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयात की गई फिल्मों की संख्या और आयात करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नई आयात नीति के आने से फिल्मों के आयात की पूर्ववर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी; और

(ग) यदि हां, तो देश के फिल्म उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) विभिन्न आयात करने वाली एजेंसियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयात की गई फिल्मों की संख्या इस प्रकार है :—

आयात करने वाली एजेंसी	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4
मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट	62	58	39

1	2	3	4
एसोसिएशन आफ अमेरिका			
भारतीय निजी पार्टियां	26	26	9
सोवेक्सपोर्ट फिल्म	3	2	1
अनिवासी भारतीय	21	22	3
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	62	33	21

फिल्मों का आयात 21 जनवरी, 1988 की फिल्म आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

(ख) फीचर फिल्मों के आयात को 1 अप्रैल, 1992 से विसरणीकरण (डिकैनलाइजेशन) कर दिया गया है। तथापि, विसरणीकरण के बाद फीचर फिल्मों के आयात के लिए प्रक्रिया को सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसे शीघ्र अधिसूचित करने की सम्भावना है।

(ग) देश के फिल्म उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। 21 जनवरी, 1988 की फिल्म आयात नीति के अनुसार केवल अच्छी और सौंदर्यपरक सिनेमा के आयात की अनुमति दी जाएगी।

पन बिजली उत्पादन

5030. **श्री लाईता उम्ब्रे** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में, राज्यवार पनबिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का उनकी अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्र की सभी परियोजनाएं "नीपको" (पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति सहकारिता) अथवा राज्य/केन्द्र की अन्य एजेंसियों के अन्तर्गत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी निजी कम्पनी ने इस क्षेत्र में अभी तक कोई परियोजना शुरू की है अथवा किसी राज्य सरकार ने विदेशी कम्पनियों को यह कार्य सौंपा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (च) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में

राज्यवार अनुमानित जल विद्युत शक्यता निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	राज्य	60 प्रतिशत भार संयंत्र (मेगावाट) पर जल विद्युत शक्यता
1.	असम	351.00
2.	मेघालय	1070.00
3.	त्रिपुरा	9.00
4.	अरूणाचल प्रदेश	26756.00
5.	मणिपुर	1176.00
6.	मिजोरम	1455.00
7.	नागालैंड	1040.00
	जोड़ :	31857.00

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इस समय केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों में 455.2 मेगावाट औसत अधिष्ठापित क्षमता वाली 9 (नौ) छोटी तथा बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालन में हैं तथा 644.95 मेगावाट औसत अधिष्ठापित क्षमता वाली 8 (आठ) परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। विस्तृत ब्योरा क्रमश: संलग्न विवरण I व II में दिया गया है।

(ङ) और (च) उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में किसी भी निजी कम्पनी ने अभी तक कोई विद्युत परियोजना अपने हाथ में नहीं ली है। असम सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं को निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु विज्ञापित किया है :—

(1)	अमगुरी सी० सी० जी० टी०	—	360	मेगावाट
(2)	नामरूप टी० पी० एस० ओपन/संयुक्त साइकिल	—	60	मेगावाट
(3)	बासखंडी ओपन साइकिल	—	22.5	मेगावाट
(4)	अदमतिल्ला ओपन साइकिल	—	15	मेगावाट

त्रिपुरा में 100 मेगावाट गैस-आधारित विद्युत परियोजना को उत्तरी-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किए जाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विवरण-I

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में प्रचालनाधीन छोटी तथा बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य/संगठन	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	लोन्डोंग	असम/नीपको	50

1	2	3	4
2.	कोपिली	असम/नीपको	100
3.	लोकतक	मणिपुर/एन०एच०पी०सी०	105
	राज्य क्षेत्र		
4.	उमियम-1	मेघालय	36.0
5.	उमियम उमत्रु-2	मेघालय	18.0
6.	उमियम उमत्रु-3	मेघालय	60.0
7.	उमत्रु	मेघालय	11.2
8.	उमियम उमत्रु*	मेघालय	60.0
9.	गुमटी	त्रिपुरा	15.0
		जोड़ :	455.0

*यूनिट-1 25-6-92 को रोल किया गया
यूनिट-2 22-6-92 को रोल किया गया

विवरण-II

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में निर्माणाधीन छोटी तथा बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना नाम	राज्य/संगठन	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	दोयांग	नीपको/नागालैंड	75
2.	रंगा नदी चरण-1	नीपको/अरुणाचल प्रदेश	405
	राज्य क्षेत्र		
3.	लिकिमरो	नागालैंड	24
4.	नूरानंग	अरुणाचल प्रदेश	6
5.	धनसिरी	असम	19.95
6.	लोअर बोरपानी (करबी लांगपी)	असम	100
7.	दलाइमा	असम	6.00
8.	सेरलुई-बी	मिजोरम	9.00
		जोड़ :	644.95

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन

[हिन्दी]

5031. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 तक उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता क्या थी;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश भी उन प्रदेशों में से एक है जो बिजली की कमी का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं परियोजना में राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के किन प्रस्तावों को शामिल किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 5527.24 मेगावाट थी, जिसमें से जल विद्युत 1432.55 मेगावाट और ताप विद्युत 4094.69 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त 31-1-92 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 4367 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता के केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशन भी हैं जिसमें 3912 मेगावाट ताप विद्युत और 455 मेगावाट न्यूक्लीय विद्युत शामिल है।

(ख) अप्रैल—जून, 1992 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी 12.8 प्रतिशत थी जबकि अखिल भारत आधार पर यह कमी 10.1 प्रतिशत रही।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) नई विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करना, (2) संयंत्र सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बिजली बोर्ड को सहायता देना, (3) पुरानी उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, (4) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, (5) आनुषंगिक विद्युत उपभोग में कमी करना आदि।

मानव चालित एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

5032. श्री सत्य देव सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों की, जिलावार संख्या कितनी है; और

(ख) इन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में कब तक बदल दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या इस प्रकार है :—

	जिला	एक्सचेंज का नाम
1.	देहरादून	1. ऋषिकेश
2.	रामपुर	1. बिलासपुर
3.	नैनीताल	1. हलद्वानी
		2. काठगोदाम
4.	मुरादाबाद	1. अलमोड़ा
		2. चंदौसी
5.	बिजनौर	1. धामपुर
		2. नजीबाबाद
6.	जौनपुर	1. शाहगंज

(ख) मार्च, 1993 तक।

बिहार में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन देना

5033. **श्री शिवशरण सिंह :**

श्री ललित उरांव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर और वैशाली में किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज लगाये गये हैं तथा इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) बिहार में उन ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या कितनी है जिनमें अब टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ग) प्रत्येक जिले में उन पंचायतों की संख्या कितनी है जिनमें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) प्रत्येक जिले की ऐसी पंचायतों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) मार्च, 1995 तक।

विवरण-I

उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में संस्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों का नाम

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज का प्रकार
1	2	3
	मुजफ्फरपुर जिला	
1.	मुजफ्फरपुर	इलेक्ट्रो मैकेनिकल
2.	नरमा	—वही—
3.	बरूई	—वही—
4.	बोछमा	—वही—
5.	करनौल	—वही—
6.	जयपुर	—वही—
7.	देवरिया	—वही—
8.	मीनापुर	—वही—
9.	मोतीपुर	इलेक्ट्रानिक
10.	वानी	—वही—
11.	कांति	—वही—
12.	कुरहानी	—वही—
13.	माधोपुर	—वही—
14.	टर्की	—वही—
	वैशाली जिला	
1.	महनार	इलेक्ट्रो मैकेनिकल
2.	पाटेपुर	—वही—
3.	जनदाहा	—वही—
4.	हाजीपुर	इलेक्ट्रानिक
5.	महुआ	—वही—

1	2	3
6.	डालगंज	इलैक्ट्रानिक
7.	सराई	—वही—
8.	भगवानपुर	—वही—
9.	देसारी	—वही—
10.	गौरौल	—वही—
11.	बीदूपुर	—वही—
12.	वैशाली	—वही—

विवरण-II

क्र० सं०	जिले का नाम	पंचायतों की संख्या	30-6-92 को टेलीफोन सुविधा वाली पंचायतों की संख्या	30-6-92 को बिना टेलीफोन सुविधा वाले ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	औरंगाबाद	236	55	181
2.	भागलपुर	291	72	219
3.	पटना	367	80	287
4.	बाका	146	62	84
5.	बी० एस० नगर	43	35	8
6.	धनबाद	184	80	104
7.	गिरीडीह	324	88	236
8.	हजारीबाग	298	90	208
9.	छतरा	96	60	36
10.	पलामू (डालटनगंज)	202	65	137
11.	गुड्डा	177	38	139
12.	रांची	364	115	249
13.	गुमला	310	50	260

1	2	3	4	5
14.	लोहरदगा	67	27	40
15.	रोतास	278	64	214
16.	भाबुआ	159	45	114
17.	बी० देवघर	140	40	100
18.	गोड्डा	147	38	109
19.	साहेबगंज	230	38	192
20.	दुमका	283	45	238
21.	सिंहभूम (पूर्व) (जमशेदपुर)	150	90	60
22.	सिंहभूम (पश्चिम) (चाईबासा)	323	98	225
23.	गया	365	72	293
24.	जहानाबाद	148	42	106
25.	नवादा	174	42	132
26.	बेगूसराय	252	110	141
27.	खगड़िया	150	76	74
28.	दरभंगा	327	76	251
29.	मधुबनी	371	200	171
30.	मुजफ्फरपुर	321	166	155
31.	समस्तीपुर	337	196	141
32.	सहारा सहरसा	181	47	134
33.	चंपारन (पूर्व) (मोतिहारी)	397	190	207
34.	चंपारन (पश्चिम) (बेतिया)	345	210	135
35.	मुंगेर	272	90	182
36.	जमुई	153	61	92

1	2	3	4	5
37.	सीतामढ़ी	299	176	123
38.	पूर्णिया	234	56	178
39.	कटिहार	220	80	140
40.	अररिया	193	157	36
41.	किशनगंज	118	43	75
42.	सुपौला	155	80	75
43.	मधेपुरा	189	91	98
44.	सीवान	306	120	186
45.	गोपालगंज	241	88	153
46.	वैशाली	258	99	159
47.	नालंदा	214	109	105
48.	भोजपुर	248	104	144
49.	बक्सर	152	100	52
50.	छपरा	328	124	204

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण में सुधार करने सम्बन्धी योजनाएं

[अनुवाद]

5034. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण में सुधार करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विद्यमान नेट-वर्क को सशक्त बनाने हेतु अनेक योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इनके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) रेडियो/टी०वी० कवरेज को सुदृढ़ करने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क. आकाशवाणी :

1. नये रेडियो स्टेशन/स्थानीय रेडियो स्टेशन	—	14	(1 पहले से ही चालू है)
2. मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना	—	6	(1 पहले से ही चालू है)
3. अतिरिक्त ट्रांसमीटर	—	2	

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत—62.33 करोड़ रुपये

ख. दूरदर्शन :

1. स्टूडियो सुविधाओं सहित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	—	8	(8 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर बिना स्टूडियो सुविधाओं के चालू हैं)
2. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	—	3	
3. अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	—	19	(11 चालू हैं)
4. कार्यक्रम निर्माण तथा फीडिंग केन्द्र	—	1	

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत—61.07 करोड़ रुपये

वामनपुरम सिंचाई परियोजना

5035. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वामन पुरम सिंचाई परियोजना को लघु सिंचाई परियोजनाओं में शामिल करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिल गई है; और

(घ) परियोजना कब तक पूरे होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केरल सरकार ने वामनपुरम मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 15.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है, तथा योजना आयोग के कार्य दल ने आठवीं योजना के लिए 33.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है।

(ग) मध्यम परियोजना होने के कारण, इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव केन्द्र में प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) परियोजना को आठवीं योजना में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

यमुना नदी के जल का वितरण

[हिन्दी]

5036. **श्री शिबू सोरेन :**

श्री साईमन मराण्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी के जल के वितरण के बारे में 18 जुलाई, 1992 को संबंधित मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित मुख्य मंत्री इस मामले को सुलझाने के लिए एक यमुना जल बोर्ड के गठन पर सहमत थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह समस्या कब तक सुलझा दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यमुना बेसिन राज्यों के सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली के उपराज्यपाल की बैठक 19 जुलाई, 92 को आयोजित की गई।

(ख) 28 मार्च, 1992 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में प्रस्तावित रेनुका बांध, दिल्ली के लिए समानान्तर चैनल, हथिनीकुंड बराज, किशाऊ बांध के निर्माण और पेयजल प्रयोजनों के लिए यमुना जल के बंटवारे से सम्बन्धित मामलों पर 19 जुलाई, 1992 को हुई अन्तर-राज्यीय बैठक में और विचार-विमर्श किया गया। राज्यों के बीच लगभग सभी सम्बन्धित मुद्दों पर मोटे तौर पर सहमति का दृष्टिकोण रहा और यह निर्णय लिया गया कि सूचना तथा आंकड़ों के बीच कुछ अन्तर का पता लगाने और यमुना नदी से ओखला तक जल की उपलब्धता और उसके प्रयोग के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक पुन: आकलन करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी अधिकारियों की एक और बैठक बुलाई जाएगी। यह भी सहमति हुई कि सभी मुद्दों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए मुख्य मंत्रियों की अगली अन्तर्राज्यीय बैठक 17 अगस्त, 1992 को बुलाई जाएगी।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने 29 जुलाई, 92 को बेसिन राज्यों के तकनीकी अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की।

(ग) से (ङ) 28.3.92 को हुई बैठक में सभी राज्यों ने यमुना नदी के सम्बन्धित विकास तथा प्रबन्ध के लिए यमुना नदी बोर्ड की स्थापना करना स्वीकार किया। इस प्रस्तावित बोर्ड का ढांचा 19 जुलाई, 1992 को हुई बैठक में परिचालित किया गया था ताकि इस पर 17 अगस्त, 1992 को होने वाली अगली अन्तर्राज्यीय बैठक में विचार विमर्श किया जा सके।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा एनीमेशन लघु फिल्मों तथा फीचर फिल्मों का निर्माण

[अनुवाद]

5037. श्री एम० जी० रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी एनीमेशन लघु फिल्मों तथा एनीमेशन फीचर फिल्मों का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्माण किया गया तथा प्रसारण किया गया;

(ख) क्या देश में सिनेमा थिएटर का निर्माण करने के लिए इस निगम द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, कितनी सहायता-राशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान (जुलाई, 1992 तक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 12 फिल्में तैयार की गई और इनमें से 10 फिल्में दिखाई गई। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान कोई लघु एनिमेशन अथवा एनिमेशन फीचर फिल्म तैयार नहीं की है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्वयं फिल्मों का निर्माण करने के अलावा दूरदर्शन और अन्य पार्टियों के सहयोग से भी फिल्में बनाता है और फिल्म के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी देता है।

(ख) जी, हां।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऋण की मंजूर और वितरित की गई राशि (पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बद्ध आंशिक ऋणों के वितरण भी शामिल है। (इस प्रकार से है) :—

वर्ष	मंजूर राशि	वितरित राशि (रुपये लाख में)
1989-90	94.50	9.89
1990-91	शून्य	29.08
1991-92	116.50	20.25

उल्लेखनीय है कि बहुत से मामलों में मंजूर किया गया ऋण अभी वितरित नहीं किया गया है क्योंकि आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं।

हीराकुंड पनबिजली परियोजना हेतु विदेशी विकास एजेंसी की सहायता

5038. डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विकास एजेंसी, उड़ीसा में हीराकुंड पनबिजली परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा की उपर्युक्त परियोजना हेतु विदेशी विकास एजेंसी से कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ग) सरकार ने इस परियोजना हेतु शीघ्र धन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी (ओ०डी०ए०) हीराकुंड-1 जल विद्युत केन्द्र के यूनिट-1 और 2 के नवीकरण, आधुनिकीकरण के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने हेतु सिद्धान्ततः सहमत हो गई है। इस कार्य हेतु अनन्तिम रूप से 16 मिलियन पौंड राशि का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) परियोजना के लिए सहायता सम्बन्धी राशि का शीघ्र निर्धारण किए जाने की दृष्टि से ओ०डी०ए० मूल्यांकन शिष्टमंडल (मिशन), जिसने जुलाई, 1992 में भारत का दौरा किया था, समेत ओ०डी०ए० के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया गया है।

राजस्थान में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करना

5039. श्री राम नारायण बैरवा :

श्री बाऊ दयाल जोशी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में, जयपुर सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या ये कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा, जिला-वार (जयपुर सहित) क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में कोडुवल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज

5040. श्री के० मुरलीधरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोडुवल्ली, कोझीकोड जिला स्थित टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण कार्य किस चरण में है;

(ख) इस एक्सचेंज को कब तक खोले जाने का विचार है; और

(ग) कोडुवल्ली को एस०टी०डी० सुविधा कब तक प्रदान किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) एक इलैक्ट्रो-मकैनिकल स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही कार्य कर रहा है और उसे 8वीं योजना के अंत तक 1,000 लाइनों (आर०एल०यू०) वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदलने की योजना है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान।

तमिलनाडु में जयांकोंडम में संयुक्त क्षेत्र में विद्युत संयंत्र

5041. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु के जयांकोंडम में संयुक्त क्षेत्र में ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी निर्माण कम्पनियों को अस्थायी कनेक्शन

5042. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेसू को निजी निर्माण कम्पनियों को केवल दो महीनों के लिए वैध अस्थायी कनेक्शनों के आधार पर बिजली की सप्लाई देने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का कोप-भाजन बनना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कारण डेसू को कितनी वित्तीय हानि हुई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, ऐसे और कितने मामले हुए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सब जज दिल्ली, न्यायालय ने अपने दिनांक 6-3-1992 के आदेश में एक निजी निर्माण कम्पनी, जिसे केवल दो महीनों के लिए वैध अस्थायी विद्युत कनैक्शन दिया गया था, को लगभग 8 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी विद्युत कनैक्शन दिये जाने की अनुमति दिए जाने के बारे में टिप्पणी की है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यथोक्त निर्माण कम्पनी द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने के लिए इसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के अलावा डेसू भी सम्बन्धित कर्मचारियों, जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती है, के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

(ख) और (ग) डेसू के अनुसार यथोक्त निजी निर्माण कम्पनी को 28-11-1984 से 10-1-1985 तक के लिए अस्थायी विद्युत कनैक्शन की अनुमति दी गई थी लेकिन न्यायालय के अन्तरिम आदेशों को मद्देनजर रखते हुए कनैक्शन को काटा नहीं जा सका और न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में 8-3-1992 को इस कनैक्शन को काट दिया गया था। डेसू ने यथोक्त कम्पनी के लिए पहले ही 1,43,636/- रुपये का बिल भेज दिया है और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 455 की शर्तों के अनुसार देय राशि की वसूली के लिए कार्रवाई किए जाने की शुरुआत कर दी गई है। विगत के तीन वर्षों के सम्बन्ध में इस प्रकार का अन्य कोई मामला डेसू की जानकारी में नहीं आया है।

हैदराबाद के लिए वायुदूत सेवाएं पुनः शुरू करना

5043. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के लिए वायुदूत सेवाओं को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हैदराबाद के लिए वायुदूत सेवाएं पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) विमानों की अनुपलब्धता के कारण हैदराबाद से वायुदूत के परिचालन 7.7.92 से पुनः 14.7.92 तक बन्द रहे।

(ग) इन सेवाओं को 15.7.92 से पुनः आरंभ कर दिया गया।

पश्चिमी गोदावरी में जल निकास कार्यों के लिए विश्व बैंक से सहायता

5054. **श्री धर्मभिक्षम :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी में निकासी कार्यों के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता मिली है;

(ख) इस प्रकार के कितने कार्य आरम्भ किये गए हैं; और

(ग) ये योजनायें इस समय किस चरण पर हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संसद समाचार को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने का प्रस्ताव

5045. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव "संसद समाचार", "पार्लियामेंट न्यूज" को विभिन्न राज्यों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) प्रसारण समय साधनों और जनशक्ति की कमियां इसके कारण हैं।

कोलार सोने की खानों में पूंजी निवेश

5046. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कोलार सोने की खानों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है और इन खानों में वार्षिक खनन व्यय कितना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : केन्द्रीय सरकार ने कोलार में और अन्य क्षेत्रों में स्वर्ण खनन में लगी अपनी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में (31.3.1992 को) 9919 लाख रुपए निवेश किए हैं। इस निवेश में 4606 लाख रुपए की इक्विटी, 4618 लाख रुपए योजना ऋण तथा 695 लाख रुपए गैर-योजना ऋण शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान इस खनन कम्पनी का वर्ष-वार कुल खर्च इस प्रकार है :

वर्ष	(करोड़ रुपये में) खर्च
1987-88	49.38
1988-89	55.84
1989-90	76.63
1990-91	79.04
1991-92	91.66 (अनन्तिम)

टेलीफोन केबलों की चोरी

5047. श्री मोहन रावले :

क्या संचार मंत्री, 6 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या टेलीफोन केबलों की चोरी के मामले में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) रु० 2,57,70,842.00 (दो करोड़ सत्तावन लाख सत्तर हजार आठ सौ बयालीस रु०)

(2) संलग्न विवरण के अनुसार।

(3) प्रत्येक मामले में, स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी है।

(4) अधिकांश मामलों की पुलिस प्राधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों से सम्बन्धित ब्यौरों के अनुसार, जैसा कि अनुबंध में बताया है, यह देखा गया है कि चोरी के मामलों में वृद्धि हो रही है।

विवरण

अनुबंध-1

देश में टेलीफोन केबलों की चोरी

(मूल्य रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989	1990	1991
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2,79,193	1,21,709	93,600
2.	कर्नाटक	2,94,516	3,56,651	4,[illegible]7,988
3.	हरियाणा	1,00,000	14,560	54,800
4.	हिमाचल प्रदेश	1,82,600	1,97,860	1,11,700
5.	पंजाब	6,35,627	35,255	3,02,500
6.	केरल	2,96,740	1,29,046	2,34,020
7.	तमिलनाडू	18,495	1,07,215	36,560
8.	राजस्थान	शून्य	11,240	1,02,325
9.	असम	शून्य	22,713	2,17,[illegible]
10.	उड़ीसा	27,97,325	7,21,286	33,08,809
11.	बिहार	14,543	1,35,974	14,77,764
12.	मध्य प्रदेश	2,84,480	11,35,192	6,79,917
13.	पश्चिमी बंगाल	2,39,595	1,80,200	1,59,270
14.	सिक्किम	शून्य	शून्य	45,300
15.	गुजरात	4,730	6,06,222	1,39,275
16.	उत्तर प्रदेश	2,32,725	1,35,890	12,65,521

1	2	3	4	5
17.	*महाराष्ट्र*	*1,60,792*	*91,490*	*4,24,355*
18.	गोवा	91,215	89,610	8,000
19.	जम्मू और कश्मीर	17,900	1,52,940	6,93,760
20.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	5,000	1,81,100
21.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
22.	मेघालय	45,748	6,600	1,70,340
23.	मिजोरम	शून्य	1,300	8,900
24.	नागालैंड	शून्य	55,000	2,45,000
25	त्रिपुरा	10,200	14,000	2,11,550
महानगर का नाम				
1.	दिल्ली	3,23,5|4	8,54,390	5,77,2999
2.	बम्बई	2,54,526	13,100	2,64,501
3.	कलकत्ता	6,10,102	14,67,695	2,57,540
4.	मद्रास	65,535	1,38,904	3,21,395
		69,60,101	68,01,042	1,200,9699

कुल मूल्य — रु० 2,57,70,842

(दो करोड़ सत्तावन लाख सत्तर हजार आठ सौ बयालिस)

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के "कुल्टी वर्क्स" का आधुनिकीकरण और विस्तार

5048. **श्री हाराधन राय :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के "कुल्टी वर्क्स" के आधुनिकीकरण और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) "इस्को" विशेषतः बर्नपुर स्थित इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण पर पूंजीगत खर्च

की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजना सम्बन्धी निधि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सरकार इस समय इस्को में निजी सह भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। "इस्को" म निजी भागीदारी की संभावनाओं की चल रही जांच के परिणाम को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उपायों के साथ-साथ कुल्टी कारखाने पर भी विचार किया जाएगा।

आकाशवाणी केन्द्र, आगरा का दर्जा बढ़ाना

[हिन्दी]

5049. **श्री भगवान शंकर रावत** :

क्या **सूचना और** प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा स्थित आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा तथा प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में आगरा के महत्व को देखते हुए पर्यटकों को उसकी सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देने के लिए सरकार का विचार आकाशवाणी, आगरा पर कुछ विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी की आगरा के मौजूदा 10 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाकर 20 कि० वा० मी० वे० करने की स्कीम है।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) और (ङ) आकाशवाणी, आगरा द्वारा पर्यटकों को वहां की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। 1 जनवरी 1992 से 31 जुलाई, 1992 की अवधि के दौरान आकाशवाणी, आगरा द्वारा ऐसे 13 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

(च) यह सवाल पैदा नहीं होता।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को प्राप्त आवेदन

[अनुवाद]

5050. **श्री राम नाईक** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड

को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बोर्ड ने कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किए तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से कितने आवेदन पत्र फिल्म प्रमाणीकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील में गए; और

(घ) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) कैलेंडर 1989, 1990, 1991 के दौरान तथा जून, 1992 तक भारतीय फीचर फिल्मों तथा विदेशी फीचर फिल्मों के (सेलूलाइड) प्रमाणन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

	भारतीय	विदेशी
1989	817	176
1990	971	156
1991	909	104
1992 (जून तक)	368	36

(ख) उक्त अवधि के दौरान, 75 भारतीय फीचर फिल्मों तथा 38 विदेशी फीचर फिल्मों को प्रमाणन के लिए अस्वीकृत किया गया चूंकि ये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी एक अथवा इससे अधिक फिल्म प्रमाणन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करती थीं ।

(ग) और (घ) उक्त अवधि के दौरान, प्रमाणीकरण अपीलीय अधिकरण को भारतीय फीचर फिल्मों के प्रमाणन के लिए अस्वीकृत करने के खिलाफ 38 अपीलें प्राप्त हुई। इनमें से 30 अपीलों को स्वीकार कर लिया गया तथा 8 को खारिज कर दिया गया । विदेशी फीचर फिल्मों के मामले में 29 अपीलें प्राप्त हुई । इनमें से 18 अपीलों को स्वीकार कर लिया गया, 10 को खारिज कर दिया गया तथा एक का निर्णय अभी होना है ।

दामोदर घाटी निगम से बोकारो इस्पात संयंत्र को विद्युत आपूर्ति

[हिन्दी]

श्री एन० जे० राठवा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र को दामोदर घाटी निगम से मई, 1992 के दौरान अनियमित विद्युत आपूर्ति के क्या कारण थे;

(ख) अनियमित आपूर्ति कितने दिन जारी रही और इसके कारण उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) प्रणाली में विद्युत की सप्लाई में कमी संबंधी स्थिति के कारण मई, 1992 मास के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र को विद्युत की सप्लाई अनियमित रही थी।

(ख) नौ दिनों तक प्रतिदिन सारे दिन और 19 दिनों तक प्रतिदिन 4 से 20 घंटे के बीच प्रतिबंधित विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों के अनुसार, विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के कारण मई, 1992 महीने के दौरान संयंत्र में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 36,360 टन कम रहा।

(ग) विद्युत की कमी सम्बन्धी स्थिति के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र के फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र और भूटान स्थित चूखा जल विद्युत केन्द्र से क्रमश: 9.. मे० वा० (15%) तथा ...5 मे० वा० (15%) आबंटित हिस्से के अलावा डी० वी० सी० को उपर्युक्त विद्युत केन्द्रों के अनाबंटित हिस्से में से भी सहायता प्रदान की जा रही है।

औरंगाबाद दूरदर्शन केन्द्र में स्टूडियो की सुविधा

[अनुवाद]

5052. श्री अंकुशराव टोपे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में औरंगाबाद दूरदर्शन केन्द्र में स्टूडियो की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) साधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि देश में अतिरिक्त टी० वी० स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना करने से पूर्व मौजूदा स्टूडियो को सुदृढ़ किया जाए और बनाए जा रहे स्टूडियों को चालू किया जाए।

बिहार में डाकघरों को मंजूरी दिया जाना

5053. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में बिहार के किशनगंज, अरारिया और पूर्णिया जिले के लिए शाखा डाकघरों, उप-डाकघरों तथा विभागेतर डाकघरों को किन-किन स्थानों पर खोलने के लिए मंजूरी दी गई है;

(ख) 31 मार्च, 1992 को वास्तव में ऐसे कार्यरत डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ग) मंजूर किए गए डाकघरों को खोले जाने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) पिछले तीन वर्षों में किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर ही मंजूर किए गए हैं और उन्हें खोला गया है । इनका विवरण संलग्न विवरण-I (क) में दिया गया है ।

(ख) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या विवरण-II (ख) में दी गई है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों के लिए मंजूर किए गए सभी नये डाकघर खोल दिए गए हैं और इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

विवरण-I

(क) पिछले तीन वर्षों 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान बिहार के तीन जिले किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में मंजूर किए गए डाकघरों के स्थान ।

जिला का नाम	क्र० सं०	डाकघर की स्थिति	डाकघर की श्रेणी
1		3	4
किशनगंज जिला	1.	नटवापारा	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
	2.	बागलहारी	—वही—
	3.	मिर्जापुर	—वही—
	4.	सिरसी	—वही—
अररिया जिला	1.	मोहोनी	—वही—
	2.	काराकिया	—वही—
	3.	चिकनीघाट	—वही—
	4.	बंसधर आश्रमपुर	—वही—
	5.	मेंहंदीपुर	—वही—
	6.	महसाली	—वही—
पूर्णिया जिला	1.	अजरखापा	—वही—
	2.	एकराहा	—वही—
	3.	चांदपुर	—वही—
	4.	बागमाह	—वही—

1	2	3	4
	5.	नौलखी	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
	6.	सोहनगांव	—वही—
	7.	मनसुरिया	—वही—
	8.	चांखटा	—वही—
	9.	टेटराही	—वही—
	10.	खोसरा	—वही—

विवरण-II

(ख) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार तीन जिले किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1.	किशनगंज	शून्य	7	77
2.	अररिया	शून्य	13	144
3.	पूर्णिया	1	20	156

चालू सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने सम्बन्धी केन्द्रीय दल

5054. **श्री ललित उरांव** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए कोई दल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने किन-किन राज्यों का दौरा किया तथा दल द्वारा विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक इन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान

5055. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय जल प्रबन्धन संस्थान गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या संस्थान को मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य स्थानों के क्या नाम हैं जहां इसे स्थापित किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार का राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंध संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) उक्त संस्थान को मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) संस्थान का प्रस्तावित स्थान जबलपुर है। इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना के दौरान लगभग 17.80 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

ताम्रलिप्ति राष्ट्रीय सरकार का स्वर्ण जयन्ती समारोह

5056. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी ने ताम्रलिप्ति राष्ट्रीय सरकार 1942 की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर कोई कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) "भारत छोड़ो आंदोलन" की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे और इस सम्बन्ध में किए जाने वाले आयोजनों की विस्तृत कवरेज की जाएगी। आकाशवाणी द्वारा विभिन्न समारोहों पर साक्षात्कार वार्ताएं, रेडियो, फीचर और रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जायेगी।

दूरदर्शन इस विषय पर फिल्में, धारावाहिक, फीचर वार्ताएं इत्यादि प्रसारित करेगा। फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित "क्विट इंडिया" नामक वृत्तचित्र 16 जुलाई, 1992 को दूरदर्शन द्वारा पहले ही प्रसारित किया जा चुका है।

इसके अलावा, आकाशवाणी का ताम्रलिप्ति राष्ट्रीय सरकार, 1942 से सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार प्रसारित करने का भी विचार है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र

[हिन्दी]

5057. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री एन० जे० राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन की सीमा के साथ लगने वाले किन-किन राज्यों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा किन-किन राज्यों में इन्हें स्थापित करने का विचार है;

(ख) ये केन्द्र कब स्थापित किए गए तथा वहां से मनोरंजन तथा क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम कितनी अवधि के लिए प्रसारित किए जाते हैं; और

(ग) इन स्थानीय केन्द्रों द्वारा प्रत्येक महीने कितने कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तथा क्या इनकी संख्या पर्याप्त है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) चीन के साथ लगने वाले सभी पांच राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में इस समय भिन्न-भिन्न शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इनके अलावा, इन राज्यों में भिन्न-भिन्न शक्ति वाले और टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जाने की परिकल्पना की गई है। इन राज्यों में वर्तमान ट्रांसमीटर गत दो दशकों में विभिन्न चरणों में भिन्न-भिन्न समय पर लगाए गए थे। इन राज्यों के सीमावर्ती जिलों में सभी ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा उपग्रह के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें मनोरंजक कार्यक्रम और क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम शामिल होते हैं।

(ग) इस समय चीन के साथ लगने वाले दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

शिप ब्रेकिंग उद्योग में जापान के साथ करार

[अनुवाद]

5058. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिप ब्रेकिंग उद्योग में भारत और जापान के बीच कोई करार किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों के टेलीफोन कोटे में वृद्धि

5059. श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कोटा प्रतिवर्ष 15 से बढ़ाकर 40 करने के बारे में उन्हें संसद सदस्यों का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या यह मांग भी की गई है कि निर्वाचन क्षेत्र के लिए दस कनेक्शन देने की शर्त को हटा दिया जाए तथा देश के किसी भी भाग में सम्पूर्ण कोटे के कनेक्शन देने की अनुमति दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) कुछ संसद सदस्यों ने, समय-समय पर, अपना वार्षिक टेलीफोन कोटा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) फिलहाल, मौजूदा मार्गनिर्देशों में सामान्य नियम के बतौर परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमेरिकी विमान कम्पनियों द्वारा भारतीयों के प्रति भेदभाव

5060. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी विमान कम्पनियों द्वारा भारतीयों के साथ भेद-भाव के मामले जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अभी हाल ही में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नदी घाटी के विकास हेतु विशेष योजना

5061. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री बलराज पासी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में नदी-घाटी के विकास तथा मृदा-संरक्षण कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप प्रदान करने हेतु कोई विशेष योजना बनाये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मृदा-संरक्षण की निम्नलिखित दो निर्माणाधीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को अनुमोदित किया गया है :—

(i) नदी-घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा-संरक्षण ।

(ii) बाढ़प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध ।

गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ये स्कीमें क्रियान्वित की जाती हैं । इन स्कीमों के अन्तर्गत क्रांतिक रूप से अपक्षीण जल विभाजकों को उपयुक्त मृदा-संरक्षण उपायों से ठीक किया जा रहा है ।

कोकिंग कोल का आयात

[हिन्दी]

5062. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री रामकृष्ण कोंताला :

श्री एन० जे० राठवा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने टन कोकिंग कोल का आयात करने का लक्ष्य रखा गया है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी;

(ख) कोकिंग कोल के आयात के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान तथा चालू वर्ष में कितने कोकिंग कोल का आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(घ) इसकी प्रति टन सी० आई० एफ० (लागत बीमा भाड़ा) कीमत कितनी है; और

(ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को कोकिंग कोल का कितना आवंटन किया गया ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क), (ख) और (ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वी० एस० पी०) के लिए कोककर कोयले के आयात का लक्ष्य लगभग 60 लाख टन निर्धारित किया गया है । इसमें "सेल" के लिए 38.6 लाख टन से 40 लाख टन और वी० एस० पी० के लिए 21.5 लाख टन है । आयात के कुल मूल्य की जानकारी तभी मिल सकेगी जब आयात के लिए सम्पूर्ण मात्रा का करार होगा ।

कोककर कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच मात्रात्मक तथा गुणात्मक अन्तराल को पूरा

करने के लिए आयात किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 और 1992-93 (जून तक) के दौरान "सेल" और बी० एस० पी० द्वारा कोककर कोयले के आयात और उनके मूल्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (दस लाख टन)	अनुमानित लागत भाड़ा मूल्य (करोड़ रुपये)	अनुमानित औसतन सी०आई०एफ० मूल्य प्रति टन (रुपये)
'सेल'			
1991-92	4.255	672. 5	1583
1992-93 (जून तक)	1.283	247.00	1928
बी० एस० पी०			
1991-92	0.989	168.46	1703
1992-93 (जून तक)	0.466	91.75	1969

राजमहल, बिहार में चीनी मिट्टी पर आधारित उद्योग

5063. श्री साईमन मराण्डी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या बिहार के संथाल परगना स्थित राजमहल में चीनी मिट्टी पर आधारित उद्योग लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने बताया है कि उनका राजमहल में—चीनी मिट्टी पर आधारित कोई उद्योग लगाने का प्रस्ताव नहीं है। बिहार राज्य खनिज विकास निगम के पास उस क्षेत्र में कोई चीनी मिट्टी का पट्टा नहीं है।

केन्द्रीय जल आयोग के कार्यकरण के संबंध में गठित अध्ययन दल

[अनुवाद]

5064 श्रीमती कृष्णेन्द्रकौर (दीपा) :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय के कार्यकरण संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सिफारिशों में से प्रत्येक सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विशेष रूप से केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय की कार्य प्रणाली पर कोई अध्ययन दल गठित नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग अपनी नीतियों और कार्यपद्धतियों, जिनके लिए इसकी प्रत्येक स्कन्ध के वास्ते एक कार्य बल गठित किया गया है, के निष्पादन और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए आन्तरिक पुनरीक्षा कर रहा है। इस आयोग का, जून, 1993 तक अपनी आन्तरिक पुनरीक्षा की अंतिम रिपोर्ट को पूरा करने का कार्यक्रम है।

अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात संबंधी नियम

[हिन्दी]

5065. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री राजेश कुमार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात संबंधी कोई नियम/विनियम हैं;

(ख) क्या किसी देश के विमान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रवेश कर इन नियमों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भारतीय विमान ने किसी दूसरे देश के विमानन क्षेत्र में प्रवेश कर इन नियमों का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) 31.7.89 से 31 7.92 तक की अवधि के दौरान ए० टी० एस० मार्ग उल्लंघन के 34 मामलों का पता चला था। ये उल्लंघन अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, हालैंड, ईराक, इटली, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, सऊदी अरब, स्विटजरलैंड, यू० के०, यू० एस० ए०, यू० एस० एस० आर० तथा वियतनाम की एयरलाइनों ने किये।

(घ) और (ङ) इस अवधि के दौरान विकचालन/विमान-चालक की त्रुटि के कारण क्रमशः इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया के विमानों द्वारा ए०टी०एस०, मार्ग उल्लंघन की एक घटना की सूचना दी गई है।

राजस्थान में ग्राम पंचायतों को दूरभाष सुविधा

5066. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में प्रत्येक जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को अब तक दूरभाष सुविधा उपलब्ध करायी गई है;

(ख) भविष्य में प्रत्येक जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे;

(घ) क्या ग्राम पंचायतों में टेलीफोन खराब पड़े रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने टेलीफोन व्यवस्था के सुचारू चालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और इन्हें सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) संसाधन उपलब्ध होने पर मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से।

(घ) और (ङ) जी नहीं। लाइन और उपस्कर में खराबी आ जाने के कारण कुछ दोषों की जानकारी प्राप्त हुई थी जिन्हें ठीक कर दिया गया है।

(ङ) संबंधित अनुरक्षण स्टाफ को इन टेलीफोनों के सेवा-निष्पादन को मानीटर जांच करने के लिए विस्तृत मार्ग निर्देश तथा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में जलमग्न क्षेत्र

5067. श्री राम पूजन पटेल :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में जल-मग्न हुए क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में जलमग्न क्षेत्र का अनुमान 57684 वर्ग किमी० लगाया गया है।

(ग) जलमग्नता और जल निकास की समस्या से निबटने के लिए प्रारम्भ किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :

(i) सतही और भू जल का संयुक्त प्रयोग

(ii) सिंचाई प्रणालियों में जल निकास की पर्याप्त सुविधा प्रदान करना

(iii) असुरक्षित पहुंचों में नहरों और क्षेत्र नालियों को पक्का करना

(iv) विकसित जल प्रबंध प्रक्रियाएं

(v) सभी नई परियोजनाओं, जो भविष्य में शुरू की जानी हैं, में सिंचाई के एक अनिवार्य भाग के रूप में जल निकास को सम्मिलित करना।

बिहार में परिमार सिंचाई योजना

[अनुवाद]

5068. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

प्रो० रीता वर्मा :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले की परिमार सिंचाई योजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए वर्षों से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परिमार सिंचाई स्कीम 89.48 लाख रुपये की अनुमानित लागत से नालन्दा जिले में तैयार की गई है। यह स्कीम 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने के लिए बनाई गई थी। चूंकि कमान में सम्पूर्ण क्षेत्र की सिंचाई नहीं हो रही है, इसलिए राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अंतर्गत बाह्य सहायता मांगने हेतु 198.20 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम के नवीकरण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का विचार है। यह स्कीम केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत भवनों में टेलीफोन

[हिन्दी]

5069. श्री राम बदन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने डाक घरों में अब तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं लगाये गये हैं और कितने डाक घरों से टेलीफोन हटा कर पंचायत भवनों में लगाये गये हैं;

(ख) राज्य में कितने पंचायत भवनों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने पंचायत भवनों में अब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गयी

है; और

(घ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) (i) इस समय उत्तर प्रदेश में 14306 डाकघरों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ii) जिन डाकघरों से टेलीफोन हटाकर बाद में उन्हें पंचायत भवनों में लगाया गया उनकी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों को दिल्ली से जोड़ना

[अनुवाद]

5070. **श्री बलराज पासी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को एस० टी० डी० सुविधा के द्वारा दिल्ली से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ कितने जिला मुख्यालयों और ऐसे शहरों का अभी चयन किया जाना है;

(ग) क्या एस० टी० डी० सुविधा के द्वारा जिला मुख्यालयों और ऐसे शहरों को जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां, अमरोहा तथा हल्द्वानी-एवं-काठगोदाम को छोड़कर।

(ख) जिला मुख्यालय··············शून्य।

इस प्रकार के अन्य शहर·········केवल दो।

(ग) जी हां।

(घ) अमरोहा और हल्द्वानी ही मात्र दो ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है लेकिन यहां एसटीडी सुविधा नहीं है। इन दोनों शहरों को मार्च, 93 तक एसटीडी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

गुजरात में टेलीफोन निर्देशिका

5071. **श्री छीतुभाई गामीत :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन निदेशिका को प्रकाशित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) गुजरात के विभिन्न टेलीफोन जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित की गयी टेलीफोन निदेशिकाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निदेशिका के प्रकाशन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) टेलीफोन डायरेक्टरियों का प्रकाशन सकेंडरी स्विचन क्षेत्र के अनुसार वर्ष में एक बार किया जाता है।

(ख) और (ग) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं जिसे संलग्न किया गया है।

विवरण

गुजरात में पिछले 3 वर्षों के दौरान टेलीफोन डाइरेक्टरियों के प्रकाशन का ब्यौरा

जिले/एस एस ए का नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान, प्रकाशित की गई टेलीफोन डाइरेक्टरियों के ब्यौरे
1	2
1. अहमदाबाद शहर	1990 और 92 में दो बार
2. गांधीनगर तथा अहमदाबाद ग्रामीण	शून्य
3. बड़ोदरा	एक बार 1991
4. राजकोट	दो बार 1990 और 1992
5. सूरत	एक बार 1991
6. नाडियाड	एक बार 1992
7. भावनगर	एक बार 1991
8. जूनागढ़	एक बार 1991
9. जामनगर	एक बार 1991
10. भुज	दो बार 1990 और 1991
11. बलसाड़	एक बार 1991
12. मेहसाना	एक बार 1991
13. अमरेली	एक बार 1989
14. भड़ौच	अप्रकाशित
15. गोधरा	एक बार 1992

1	2
16. हिम्मतनगर	एक बार 1991
17. पालनपुर	एक बार 1991.
18. सुरेन्द्रनगर	एक बार 1991.

भड़ौच, अहमदाबाद ग्रामीण तथा गांधीनगर की टेलीफोन डाइरेक्टरियां इसलिए प्रकाशित नहीं की जा सकी क्योंकि कोई प्रकाशक प्रकाशन के लिए तैयार नहीं हो सका था।

महानगरों में टेलीफोन

5072. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक महानगर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ख) प्रत्येक महानगर में बकाया टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे और इनका नगर-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 30-6-92 की स्थिति के अनुसार महानगरों में टेलीफोन लगवाने के लिए लंबित आवेदनों की संख्या (प्रतीक्षा सूची की स्थिति) नीचे दी गई है :

1. बम्बई = 239658
2. कलकत्ता = 49614.
3. दिल्ली = 336652
4. मद्रास = 100065

(ख) दूरसंचार विभाग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) तैयार की है जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो।

इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, 8वीं योजना अवधि के अंत तक, तदनुसार विस्तार की योजनाएं बनाई गई हैं।

30-6-92 की स्थिति के अनुसार मौजूदा प्रतीक्षा सूची को उपर्युक्त एक्सचेंजों में 31-3-97 तक निपटाए जाने की संभावना है।

शेयरों की बिक्री

[हिन्दी]

5073. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लोधी होटल तथा आगरा, वाराणसी और खजुराहो में अन्य होटलों के शेयरों को कम दरों पर बेचा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इन्हें किस मूल्य पर बेचा गया है; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारत पर्यटन विकास निगम को कितना घाटा हुआ तथा इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अंडमान और निकोबार में टी० वी० ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

5074. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार में और अधिक टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां । संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में इस समय एक अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है ।

उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत गांव

[हिन्दी]

5075. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी :

श्री रामपाल सिंह :

श्री गया प्रसाद कोरी :

डा० लाल बहादुर रावल :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है उनकी संख्या, जिला वार, कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया उनकी संख्या, जिला-वार कितनी है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कितनी धन-राशि का आबंटव किया गया;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 1992-93 के लिए बजट में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(छ) इस राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ज) इस राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान तथा मार्च 1992 तक जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया हैं इनका जिलेवार ब्यौरे को दर्शाने वाली सारणी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विगत के तीन वर्षों के दौरान राज्य योजना गत उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	(करोड़ रुपये में) आवंटन
1989-90	144.89 रुपये
1990-91	91.00 रुपये
1991-92	75.32 रुपये

(घ) और (ङ) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें सम्बन्धित राज्य सरकारों (राज्य बिजली बोर्डों) द्वारा तैयार की जाती हैं, जो कि संबंधित राज्यों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आर० ई० सी० द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों से राज्यों द्वारा इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाता है। जहां तक उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू०पी०एस०ई०बी०) के अनुसार मार्च, 1992 के अन्त तक इन जिलों में 11,151 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जबकि चालू वर्ष (1992-93) के दौरान 425 अतिरिक्त गांवों का विद्युतीकरण किए जाने

का यू०पी०एस०ई०बी० का कार्यक्रम है।

(च) ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1992-93 के लिए 71.05 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(छ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्यों का अभी निर्धारण किया जाना है।

(ज) उत्तर प्रदेश के शेष गांवों का विद्युतीकरण किए जाने में जितना समय लगेगा, यह संसाधनों की उपलब्धता और आठवीं एवं अनुवर्ती योजनावधियों के दौरान इस प्रयोजन के लिए वार्षिक योजना के आवंटनों पर निर्भर करता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गांवों के विद्युतीकरण एवं 3/92 तक संचयी उपलब्धियों का जिलेवार ब्यौरा

क्र० सं० जिला	विद्युतीकृत गांव			3/92 तक संचयी उपलब्धि
	1989-90	1990-91	1991-92	
1　2	3	4	5	6
1. सहारनपुर 2. हरिद्वार	15	70	4	1631
3. मेरठ	1	—	—	1039
4. गाजियाबाद	—	—	—	754
5. बुलन्दशहर	1	—	—	1404
6. मुजफ्फरनगर	—	2	—	929
7. अलीगढ़	18	20	2	1703
8. मथुरा	25	7	—	867
9. आगरा 10. फिरोजाबाद	50	59	8	1129
11. मैनपुरी	21	20	8	1144
12. एटा	21	23	11	1099
13. बरेली	30	50	10	1383
14. बिजनौर	37	15	10	1669

1	2	3	4	5	6
15.	बदायूं	34	36	13	1375
16.	मुरादाबाद	64	40	4	2227
17.	रामपुर	24	15	6	813
18.	शाहजहांपुर	16	30	21	1134
19.	पीलीभीत	15	21	10	767
20.	फर्रुखाबाद	35	40	4	1390
21. 22.	इटावा कानपुर नगर	35	36	11	951
23.	कानपुर देहात	82	60	24	1228
24.	फतेहपुर	33	33	9	1104
25.	इलाहाबाद	80	79	19	3059
26.	झांसी	13	19	10	523
27.	ललितपुर	8	13	6	326
28.	जालौन	14	25	10	638
29.	हमीरपुर	11	22	4	536
30.	बान्दा	10	20	21	762
31.	वाराणसी	21	48	12	2609
32.	मिर्जापुर				
33.	सोनभद्र	39	34	5	1249
34.	जौनपुर	15	76	13	2967
35.	गाजीपुर	—	—	—	2543
36.	गोरखपुर				
37.	महाराजगंज	46	59	27	2657
38.	बलिया	28	88	5	1727
39.	देवरिया	32	66	26	2291

1	2	3	4	5	6
40.	बस्ती	77	72	64	3162
41.	सिद्धार्थनगर				
42.	आजमगढ़	134	95	11	4539
43.	मऊ				
44.	[illegible]	—	—	—	916
45.	रायबरेली	—	—	—	1749
46.	उन्नाव	12	28	15	933
47.	सीतापुर	26	34	20	1018
48.	हरदोई	22	28	13	926
49.	खेरी	59	30	13	1288
50.	फैजाबाद	28	100	7	2172
51.	गोण्डा	12	46	146	1573
52.	बहराईच	35	47	12	1347
53.	सुल्तानपुर	19	54	2	2398
54.	प्रतापगढ़	39	29	14	1547
55.	बाराबंकी	20	33	19	963
56.	नैनीताल	57	19	18	1802
57.	अल्मोड़ा	107	97	31	2351
58.	पिथौरागढ़	46	102	50	1366
59.	देहरादून	22	14	5	712
60.	उत्तरकाशी	18	24	5	601
61.	चमोली	48	30	30	1105
62.	पौड़ीगढ़वाल	111	113	60	1907
63.	टिहरी गढ़वाल	46	86	31	1307
	जोड़	1832	2207	744	83309

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर बांध

5076. **श्री तेजनारायण सिंह :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में गंगा नदी पर बांध बनाकर इसका पानी सोन नदी में लाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि उससे कुछ नहरें निकाल कर बिहार को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्र में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में डाक और तार सुविधाएं

[अनुवाद]

5077. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हरियाणा में स्थित डाकघरों और तारघरों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में प्रत्येक डाकघर और तारघर द्वारा अखिल भारतीय औसत की तुलना में अधिक जनसंख्या की सेवा की जाती है; और

(ग) राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर और तार सुविधाओं के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) हरियाणा में डाकघरों और तारघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी हां, अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य में प्रति डाकघर और तारघर द्वारा सेवा प्राप्त करने वाली जनसंख्या अधिक है । सम्पूर्ण भारत में प्रति डाकघर द्वारा सेवा प्राप्त करने वाली औसत जनसंख्या 5613 है जबकि हरियाणा में यह 6394 है ।

(ग) संपूर्ण आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है । वर्ष 1992-93 में डाकघर खोलने के लिए 2.5 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं । जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है, इसके लिए धनराशि केन्द्रीय रूप से रखी जाती है और पी० सी० आधारित

काउंटर मशीनों, डाक-टिकट विक्रयण मशीनों और अन्य कार्यालय उपस्कर की आपूर्ति निदेशालय द्वारा सीधा आर्डर देकर की जाएगी।

तारघर

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में तारघर सुविधाओं का विस्तार/आधुनिकीकरण करने के लिए 78 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

विवरण

हरियाणा में स्थित डाकघरों और तारघरों का जिलावार विवरण

क्र०सं०	जिला का नाम	डाकघर	तारघर
1.	अम्बाला	175	43
2.	यमुना नगर	125	19
3.	भिवानी	214	24
4.	फरीदाबाद	121	11
5.	गुड़गांव	152	23
6.	महेन्द्रगढ़	118	10
7.	रिवाड़ी	117	24
8.	हिसार	333	25
9.	सिरसा	152	15
10.	कुरुक्षेत्र	99	18
11.	कैथल	119	18
12.	करनाल	133	34
13.	पानीपत	115	22
14.	जीन्द	156	19
15.	रोहतक	247	58
16.	सोनीपत	175	25

[हिन्दी]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में विकलांगों के लिए आरक्षण

5078. **श्री अवतार सिंह भड़ाना :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने विकलांगों के लिए आरक्षित तीन प्रतिशत कोटे में भर्तियां की हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आरक्षित कोटा भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा श्रेणी 'ग' गैर तकनीकी पदों में विकलांग कोटा के अंतर्गत अपेक्षित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान का पालन किया जा रहा है। डेसू में श्रेणी 'घ' का कोई पद नहीं है। सीधी भर्ती पर रोक सम्बन्धी मामलों को छोड़कर, उपर्युक्त आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती हेतु समय-समय पर कर्मचारी चयन आयोग/रोजगार कार्यालय आदि से अनुरोध किया जाता है।

केरल में विद्युत की स्थिति

[अनुवाद]

5079. **श्री थाइल जान अंजलोस** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युत की स्थिति बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान केरल में ऊर्जा की कमी क्रमश: 0.5% तथा 3.3% थी जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत क्रमश: 7.9% एवं 7.8% था।

(ग) केरल में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, कम निर्माण अवधि वाली विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्धन एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना।

एअर इंडिया की विमान परिचारिकाएं

5080. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया की विमान परिचारिकाओं को 45 वर्ष की आयु के बाद कार्यालय का कार्य करने को कहा जाता है;

(ख) क्या एअर इंडिया के विमान चालक दल के सदस्य 45 वर्ष की आयु के बाद भी "केबिन ड्यूटी" में ही तैनात रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) कर्मीदल के पुरुष सदस्यों के रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार, उन्हें उनकी सेवा-निवृत्ति होने तक उड़ान ड्यूटियों में लगाया जाता है ।

राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन

5081. **श्री रवि राय :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के साथ हाल ही में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) खान मंत्रालय ने 9 जून, 1992 को मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) के साथ वर्ष 1992-93 के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । यह समझौता ज्ञापन 20 जुलाई, 1992 को सभा पटल पर रख दिया गया है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

5082. **श्री के० प्रधानी :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम रूस की सहायता से किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए कुल 5 अन्तर्राष्ट्रीय टर्नकी पैकेजों में से दो पैकेजों अर्थात सिन्टर प्लान्ट-2 और बेसिक आक्सीजन फर्नेस शाप के लिए मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टी०पी०ई०) को सेल द्वारा आर्डर दे दिए गए हैं । इन दोनों पैकेजों के लिए मैसर्स टी० पी० ई० पूर्तिकर्त्ता ऋण उपलब्ध करा रहा है ।

गुजरात में विद्युत संयंत्र

5088. **श्री ब्रजेश पटेल :**

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के वर्तमान विद्युत संकट को देखते हुए सरकार का वहां पर और अधिक

विद्युत संयंत्र लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों को कब चालू किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई विद्युत स्कीमों का ब्यौरा निम्न है :—

क्र० सं०	स्कीमों का नाम	क्षमता (मे० वा०)	अवस्थिति
1	2	3	4
1.	गांधार जीटीसीसी चरण -2 (एनपीटीसी)	650	धनोर गांव जिला भड़ौच ।
2.	गांधार जीटीसीसी (जीपीसीएल)	515	पागुथान तथा कसाद गांव भंड़ौच ।
3.	पिपावाव जीटीसीसी (जीपीसीएल)	615	दक्षिण सौराष्ट्र में महुवा जाफराबाद ।
4.	वानकबोरी जीटीसीसी (जीईबी)	600	वानकबोरी

निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं गुजरात में क्रियान्वयनाधीन हैं :—

राज्य क्षेत्र

1.	सिक्का विस्तार	120	जामनगर
2.	उत्राण सीसीजी आधारित विद्युत संयंत्र	3×33 जीटी +1×45 एसटी	सूरत
3.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार-3	70	कच्छ
4.	कदाना पीएसएस -2	2×6	जिला पंचमहल
5.	सरदार सरोवर परियोजना		
	(क) रिवर बैड पावर हाउस	6×200	जिला भंड़ौच
	(ख) नहर शीर्ष पावर हाउस	5×50	जिला भंड़ौच

केन्द्रीय क्षेत्र

1.	क्वास सीसीजी आधारित विद्युत संयंत्र	1×106 जीटी +2×110 एसटी	सूरत

1	2	3	4
2.	गांधार गैस आधारित विद्युत संयंत्र	3×131 जीटी + 1×255 एसटी	भड़ौच
3.	ककड़पाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र	220	सूरत

(ग) स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति निवेश सम्बन्धी कुछ शर्तों को पूरा किए जाने तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के तहत अपेक्षित औपचारिकताएं सुनिश्चित किये जाने संबंधी शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि परियोजना प्राधिकारी निवेश संबंधी स्वीकृतियों से पूर्व समानान्तर क्रियाकलापों की तरह अन्य विभागों से अपेक्षित लिंकेज तथा स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकें।

हवाई अड्डों का विकास

5084. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

श्री सत्यनारायण जटिया :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थित हवाई अड्डों का विकास करने तथा उनका दर्जा बढ़ाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) हवाई अड्डों का विकास करने और दर्जा बढ़ाने का कार्य कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) प्रत्येक हवाई अड्डे पर पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ङ) क्या राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने अथवा दर्जा बढ़ाने के लिए विदेशों से सहायता मांगी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे हवाई अड्डे कौन-कौन से हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) देश में हवाई अड्डों का विकास और उन्नयन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रचालक (एयर लाइन) द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जाता है। 1992-93 के दौरान अंतर्देशीय हवाई अड्डों के विकास के लिए 133.64 लाख रुपए और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए 117.97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में टेलीफोन डायरेक्टरी

[हिन्दी]

5085. श्री राम लखन सिंह यादव :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटे शहरों में टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) टेलीफोन डाइरेक्टरियों का प्रकाशन सेकेंडरी स्विच क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। सेकेंडरी स्विच क्षेत्रों में सभी एक्सचेंज एस० एस० ए० टेलीफोन डाइरेक्टरी में शामिल किए जाते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खनिजों की खोज

[अनुवाद]

5086. श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक धातु/खनिज की अनुमानित मात्रा क्या है; और

(ग) खनिजों की उचित ढंग से खोज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में किये गये सर्वेक्षण और गवेषण के फलस्वरूप पलामू जिले में औरंगा कोल फील्ड के बन्हारडी ब्लाक में कोयले के कुल 111.05 मिलियन टन भंडारों की पुष्टि की गई है।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा आधार धातु (सीसा, जस्ता, तांबा) के आरम्भिक गवेषण से भागलपुर जिले में सिंहारा क्षेत्र के परिमित जोन, सिंहभूम जिले में [illegible] क्षेत्र, कुलामारा या जुब्लाटोला क्षेत्र, रंगामाती पहाड़ क्षेत्र, तामाडूंगरी-रंगामाटिया ब्लाक और खरसवान-संखाडीह ब्लाक में खनिजीकरण का पता लगाया गया।

(ग) खनिजों का विदोहन, खनिज निक्षेपों की आर्थिक लाभप्रदता पर निर्भर करता है।

राजस्थान में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

[हिन्दी]

5087. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ताप विद्युत संयंत्रों को किस-किस तरह से कोयले की सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार निकटवर्ती खानों से अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई के लिए लगातार अनुरोध करती आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राजस्थान के कोटा ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एन० सी० एल०) के सिंगरौली कोयला क्षेत्रों, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एस० ई० सी० एल०) की कोरिया-रेवा कोयला क्षेत्रों तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी० सी० सी० एल०) के झरिया कोयला क्षेत्रों से की जाती है।

(ख) और (ग) कोटा विद्युत केन्द्र के लिए मूल दीर्घावधि लिंकेज एन० सी० एल० के साथ है। तथापि, कोटा के लिए कोयले की सप्लाई पारम्परिक रूप से कोरिया रेवा (एस ई० सी० एल०) से की जा रही है जोकि एक युक्तिसंगत स्रोत है तथा कोयले की गुणवत्ता भी ठीक है। दोनो स्रोतों से सप्लाई में कमी होने के कारण जनवरी, 1986 से भारत कोकिंग कोल (बी० सी० सी० एल०) से भी आंशिक सप्लाई शुरू की गई थी। बी० सी० सी० एल० से सप्लाई किया गया कोयला घटिया किस्म का है और यह दूर भी बहुत है। अतः राजस्थान सरकार से इस बात के लिए आग्रह किया गया कि कोटा विद्युत केन्द्र की उसकी पूरी आवश्यकताओं के अनुरूप एन० सी० एल० तथा एस० ई० सी० एल० क्षेत्रों से कोयले की सप्लाई की जाए। किन्तु एन० सी० एल० तथा एस० ई० सी० एल० के अपर्याप्त उत्पादन के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाया था।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन अदालतें

5088. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु मध्य प्रदेश में किसी टेलीफोन अदालत का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसने अब तक कितनी बैठकें आयोजित की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य में इसकी बैठकें किन-किन तारीखों में करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश में टेलीफोन अदालतों की 15 बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनन पट्टे के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

[अनुवाद]

5089. श्री रतिलाल वर्मा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान भारतीय खान ब्यूरो को खनन पट्टे के लिए कितने आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) कितने आवेदन पत्रों को निपटा दिया गया है;

(ग) कितने आवेदन पत्र अब भी स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनन पट्टों के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित राज्य सरकारों को पेश किये जाते हैं। परन्तु आवेदक द्वारा महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने होते हैं। 1990-91, 1991-92 के दौरान खनिज रियायत नियम, 1960 के अन्तर्गत खनन पट्टों की मंजूरी और नवीकरण के लिए प्राप्त खनन योजनाओं की कुल संख्या क्रमश: 439 और 347 है।

(ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्राप्त 786 खनन योजनाओं में से 647 योजनाएं 20 जुलाई, 1992 को निपटा दी गई हैं और 91 खनन योजनाएं भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई टिप्पणियों के आधार पर संशोधन करने के लिए पार्टियों को लौटा दी गई हैं।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो और महानिदेशक खान सुरक्षा (टिप्पणी के लिये) के पास 20 जून, 1992 को बकाया खनन योजनाओं की संख्या क्रमश: 28 और 20 है।

(घ) खनन योजनाएं आमतौर पर प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर निपटा दी जाती हैं। इसके लिए आवेदक को भारतीय खान ब्यूरो को संतुष्ट करना होता है कि सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में टेलीफोन

5090. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान टेलीफोन लाइनों के अलावा पचहत्तर लाख और टेलीफोन लाइनें उपलब्ध करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक राज्य को अलग-अलग उपलब्ध की जाने वाली टेलीफोन लाइनों की संख्या क्या है;

(ग) कर्नाटक में 1992 के दौरान कुल कितनी टेलीफोन लाइनें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कर्नाटक को पहले अन्य राज्यों की तुलना में पर्याप्त टेलीफोन लाइनें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) योजना अवधि के दौरान प्रदान किये जाने वाले प्रस्तावित टलीफोन कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण दी गई है।

(ग) 1992-93 के दौरान कर्नाटक में कुल 46000 टेलीफोन लाइनें प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1991-92 के दौरान प्रस्तावित टेलीफोनों को चालू किये जाने के कार्यक्रम का सर्किलवार ब्यौरा

क्र० सं०	सर्किल का नाम	सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	514300
2.	असम	59100
3.	बिहार	101000
4.	गुजरात (दादर, नगरहवेली, दमन एवं दीव सहित)	630400
5.	हरियाणा	230600
6.	हिमाचल प्रदेश	56400
7.	जम्मू एवं कश्मीर	42300
8.	कर्नाटक	475700
9.	केरल	390600
10.	मध्य प्रदेश	319600

1	2	3
11.	महाराष्ट्र (गोवा और म० टे० नि० लि० बम्बई सहित)	1670700
12.	उत्तर पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नागालैंड इत्यादि)	25100
13.	उड़ीसा	48900
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	39,700
15.	राजस्थान	331600
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी मद्रास सहित)	634200
17.	उत्तर प्रदेश	421000
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार और कलकत्ता)	181800
19.	दिल्ली	970000
	जोड़ :	7500000

मलाजखंड तांबा परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

[हिन्दी]

5091. **श्री विश्वेश्वर भगत :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलाजखंड तांबा परियोजना के शुरू होने से कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) क्या सभी विस्थापितों को रोजगार दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को कब तक रोजगार दिए जाने की सम्भावना है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मलाजखंड तांबा संयंत्र के आरम्भ होने के कारण लगभग 720 व्यक्ति विस्थापित हुए थे।

(ख) अब तक कम्पनी द्वारा 704 भूमि वंचितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(ग) शेष भूमि वंचितों को कुछ लम्बित मुकदमेबाजी के कारण अब तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका। लम्बित मुकदमेबाजी के पूरा होने और सही दावेदार की पुष्टि होने के बाद कम्पनी द्वारा ऐसे भूमि-वंचितों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार किया जाना

[अनुवाद]

5092. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री आनन्द राव देशमुख

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय ने दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार हेतु पांच सूत्रीय योजना बनाई है;

(ख) इस संदर्भ में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) आठवीं योजना के लिए प्रथम वर्ष में प्रारम्भिक रूप से कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) विभाग ने दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए कोई पांच सूत्रीय कार्यनीति तैयार नहीं की है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित प्रस्तावों (1992—97) में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है :—

(i) 75 लाख नई टेलीफोन लाइनें जोड़ना।

(ii) 31200 टेलेक्स लाइनें जोड़ना।

(iii) सभी ग्राम पंचायतों में 1-4-95 तक ग्राम पंचायत टेलीफोन प्रदान करना।

(iv) शहरी क्षेत्रों में प्रति 100 घरों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना।

(v) राष्ट्रीय राजमार्गों पर राजमार्ग टेलीफोन प्रदान करना।

(vi) 1-4-97 तक सभी एक्सचेंजों को एस० टी० डी० प्रदान करना।

(vii) मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे सेल्युलर मोबाइल, वासमेल, इलेक्ट्रानिक मेल, आडियो कान्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग को मुख्यतः विक्रय अधिकार के आधार पर प्रदान किया जाना है।

उपरोक्त सभी सेवाएं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

(ग) योजना आयोग ने वार्षिक योजना (1992-93) के लिए दूरसंचार सेवाओं के लिए रु० 5200 करोड़ की प्रक्षेपित आवश्यकताओं के बदले रु० 4500 करोड़ के परिव्यय की मंजूरी दी है।

इस्पात का उत्पादन

5093. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला तथा बर्नपुर में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात की विभिन्न वस्तुओं तथा कच्चे माल के उत्पादन हेतु वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन का वर्षवार लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था और कितनी उपलब्धि हुई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात का वर्ष-वार कितना आयात किया गया; और

(घ) प्रतिवर्ष इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर में तथा "सेल" के सम्बन्ध में कुल इस्पात की विभिन्न मदों और विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लिए पिछले तीन वर्षों के निर्धारित वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि संलग्न विवरण-I में दर्शायी गई है ।

उपरोक्त इस्पात संयंत्रों से सम्बद्ध खानों में उत्पादित कच्चे माल के उत्पादन के लिए निर्धारित वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित इस्पात की मात्रा निम्नानुसार है :—

(मात्रा : दस लाख टन)

(मात्रा : करोड़ रुपये)

वर्ष	'सेल' द्वारा		देश द्वारा	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1989-90	0.115	88.3	1.46	1562
1990-91	शून्य	शून्य	1.25	1382
1991-92	शून्य	शून्य	0.99	1335

विवरण-I

संयंत्र	वर्ष	अर्ध-तैयार		चपटे उत्पाद		अधचपटे उत्पाद		कुल विक्रय उत्पाद	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सेल'	1989-90	888.8	1095.1	4657	3931.7	2265.5	2036.3	7811.3	7063.1
	1990-91	1040.5	1126.7	4553	4173.4	2182.5	2062.7	7776	7362.8
	1991-92	1189.5	1296.5	4493	4553.9	2268.5	2178.2	7951	8028.6
भिलाई इस्पात संयंत्र	1989-90	602	698.3	633	503.6	1600	1391.8	2835	2593.7
	1990-91	642	740.3	725	645.3	1483	1409.3	2850	2794.9
	1991-92	890	938.5	640	674.4	1550	1491.2	3080	3104.1
दुर्गापुर	1989-90	165.5	182.3	160	131.4	401.5	386.5	727	700.2
	1990-91	157.5	178.2	140	141.3	429.5	407.8	727	727.3
	1991-92	163.5	171	145	140.9	401.5	369.6	710	681.5
राउरकेला	1989-90	20	21.5	1130	1089.9	0	0	1150	1114.4
	1990-91	22	29.1	1038	1056	0	0	1060	1085.1
	1991-92	22	31.8	1058	1093.5	0	0	1080	1125.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बोकारो	1989-90	60	128.2	2734	2197.1	0	0	2794	2325.3
	1990-91	150	95.4	2650	2330.8	0	0	2800	2426.2
	1991-92	50	85.3	2650	2645.1	0	0	2700	2730.4
'इस्को'	1989-90	41.3	64.8	0	9.7	264	258	305.3	332.5
	1990-91	69	83.7	0	0	270	245.6	339	329.3
	1991-92	64	69.9	0	0	317	317.4	381	387.3

विवरण-III

'सेल' से सम्बद्ध खानों में उत्पादित कच्चे माल के उत्पादन के लिए वर्षवार निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य-प्राप्ति

(हजार टन)

संयंत्र	खान	1989-90		1990-91		1991-92	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8
भिलाई	राजहरा (लोह-अयस्क)	3380	3190	3200	3443	3450	3463
	दल्ली (लोह अयस्क)	2945	2393	2800	2902	3050	3060
	नन्दिनी (चूना पत्थर)	1117	864	1028	855	1150	1117

1	2	3	4	5	6	7	8
	हिरी (डोलोमाइट)	421	208	200	163	160	131
दुर्गापुर	बोलानी (लौह अयस्क)	1140	1108	1200	1146	1300	1215
राउरकेला	बरसुआ (लौह अयस्क)	1550	1587	1550	1636	1675	1769
	काल्टा (लौह अयस्क)	400	479	370	395	430	469
	बर्नापनी (चूना-पत्थर)	460	522	460	501	370	410
	सतना (चूना-पत्थर)	165	175	165	167	170	188
बोकारो	किरीबुरू (लौह अयस्क)	2920	2654	3187	1835	2820	2546
	मेघाटाबुरू (लौह अयस्क)	2295	2242	2457	1800	2430	2504
	भवनाथपुर (चूना-पत्थर)	1019	712	940	381	865	385
	तुलसीडामर (डोलोमाइट)	200	201	240	116	240	149
	कुटेश्वर (चूना-पत्थर)	952	623	900	513	728	516
इस्को	गुआ (लौह अयस्क)	1636	1728	1974	1842	2105	2538
	मनोहरपुर (लौह अयस्क)	246	246	275	241	280	251
	चासनाला (कोयला)	360	348	400	303	400	353
	जितपुर (कोयला)	180	134	200	111	180	147

भुवनेश्वर में भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय

5094. **श्री शिवाजी पटनायक** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर में भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

5095. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में टेलीफोन, डाक तथा तार विभागों में अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह संख्या कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के अनुसार ही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) टेलीफोन, डाक और तार विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :—

(i) टेलीफोन	—	54
(ii) डाक	—	41
(iii) तार	—	6

(ख) अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अलग-अलग स्थानों के लिए अलग से कोई मंजूरी जारी नहीं की जाती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन साहित्य

5096. **श्री बापू हरि चौरे** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में पर्यटन सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई समाचार पत्रिका प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित अधिकांश प्रचार सामग्री अंग्रेजी में होती है क्योंकि यह विदेश स्थित पर्यटक भेजने वाली मार्किटों में वितरणार्थ होती है। तथापि, स्वदेशी पर्यटकों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ सामग्री हिन्दी में भी तैयार कराई जाती है।

(ग) और (घ) एक त्रैमासिक सूचना पत्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका पहला अंक अगस्त, 1992 में आएगा।

"डिजनीलैंड" परियोजना

5097. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान "डिजनीलैंड परियोजना" के विकास के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस में उसी दिन यात्रा करने की सुविधा

5098. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने मद्रास, मुम्बई तथा कलकत्ता से दिल्ली के लिए उसी दिन यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है;

(ख) क्या बंगलौर से नई दिल्ली के लिए "उसी दिन वापसी यात्रा" की सुविधा प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या समय सारिणी में परिवर्तन के लिए कार्यवाही करने और बंगलौर से नई दिल्ली के लिए "उसी दिन वापसी यात्रा" की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इंडियन एयरलाइंस की 1992-93 की शरदकालीन समयावली में बंगलौर से दिल्ली के लिए एक प्रातःकालीन उड़ान परिचालित करने की योजना है।

डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्मशताब्दी पर विशेष कार्यक्रम

[हिन्दी]

5099. श्री राम विलास पासवान :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी पर कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारत रत्न बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के सम्बन्ध में खान मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र उपक्रमों/संगठनों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खान मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी उपक्रमों/संगठनों द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. शिक्षा

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को उनके स्कूलों में छात्रवृत्तियां देना।

(ख) केन्द्रीय/सरकारी उपक्रमों में नौकरियों में आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण देना।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाना।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं चलाना।

2. संस्कृति तथा खेल

(क) संस्कृति तथा खेल कार्यक्रम।

(ख) अखिल भारतीय फुटबाल टूर्नमेंट।

(ग) निबन्ध प्रतियोगिताएं।

(घ) रंगमंच नाटक।

(ङ) इस्तहार/नारे/चित्रकला प्रतियोगिताएं।

(च) डा० भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर फिल्म शो/प्रदर्शनी।

3. कल्याण योजनाएं

(क) स्वच्छ पेयजल मुहैया करने के लिए नलकूपों तथा हैंडपम्पों का निर्माण।

(ख) झुग्गी-झोंपड़ियों का सुधार।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को योगदान।

(घ) सफाई अभियान।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को हस्तशिल्प/कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण।

4. अन्य योजनाएं

(क) डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी वर्ष के अन्तिम दिवस कार्यक्रम।

(ख) अम्बेडकर उद्यान का उद्घाटन।

(ग) विशेष बैठकें तथा प्रभात फेरियां।

(घ) डा० भीमराव अम्बेडकर की संगमरमर/धातु प्रतिमा की स्थापना।

(ङ) डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम से सड़कों का नामकरण।

चम्बल कमान क्षेत्र विकास चरण-तीन के लिए विश्व बैंक सहायता

[अनुवाद]

5100. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चम्बल कमान क्षेत्र विकास चरण-तीन के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो चम्बल कमान क्षेत्र विकास, चरण-तीन परियोजना की संशोधित लागत कितनी है;

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) परियोजना इस समय किस चरण में है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

5101. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैस पर आधारित और अधिक विद्युत संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप पंजाब में विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन

[अनुवाद]

5102. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन (यूनिट लाख में) के निर्धारित लक्ष्य का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(आंकड़े मिलियन टन में)

	अवधि 1991-92		
श्रेणी	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशतता
1	2	3	4
उ० प्र० रा० बि० बोर्ड			
ताप विद्युत	14390	12661	88.0
जल विद्युत	4923	5547	112.7
जोड़	19313	18208	94.3
उ० प्र० विद्युत उत्पादक निगम	1100	770	70.0
एन० टी० पी० सी०			
सिंगरौली	12000	14029	116.9
रिहन्द	5350	6522	121.9
एनसीआर	175	0	0 0
औरिया जीटी	1900	3835	201.8
दादरी	335	0	0.0

1	2	3	4
एन० एच० पी० सी०			
टनकपुर	5	0	0.0
नरोरा ए० पी० एस०	1370	552	40.3
उ० प्र० जोड़			
ताप विद्युत	35250	37817	107.3
न्यूक्लीय	1370	552	40.3
जल विद्युत	4928	5547	112.6
जोड़	41548	43916	105.7

ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का कार्यनिष्पादन यूनिटों की कार्य अवधि, कोयले की गुणवत्ता, प्रणाली भार परिस्थितियों राज्य/क्षेत्र में जल विद्युत-ताप विद्युत मिश्रण, यूनिटों के नियोजित अनुरक्षण एवं उनकी जबरन बन्दी और पारेषण सम्बन्धी समस्याओं पर निर्भर करता है। जल-विद्युत उत्पादन, जलाशयों में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

कूरियर कम्पनियां

5103. **श्री प्रफुल पटेल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक कार्यक्षमता लाने के अभियान के रूप में सिद्धान्त रूप से कूरियर कम्पनियों को कानूनी रूप से डाक सेवाओं से प्रतियोगिता करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम में टेलीफोन एक्सचेंज हेतु भवन

5104. **श्री प्रबीन डेका :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने हेतु भवनों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 18 टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण शुरू किए जाने की सम्भावना है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों :—

1. तिनसुकिया
2. डिब्रूगढ़
3. सिबसागर
4. धुबरी
5. बिलासीपाड़ा
6. डुमडुमा
7. ढेरगांव
8. ढेकियाजुली
9. नामरूप
10. बिजनी
11. पाठशाला
12. दुलियाजान
13. नलबाड़ी
14. बारपेटा रोड़
15. हाफलोंग
16. होजाई
17. बदरपुर
18. लाला

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस० टी० डी०/सार्वजनिक टेलीफोन

5105. श्री एन० डेनिस :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस०टी०डी०/सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपस्कार उपलब्ध होने पर मार्च, 1993 तक देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रति 50 कि० मी० की दूरी पर एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने की योजना है।

उड़ीसा के जाजपुर में टेलीफोन भवन के लिए भूमि

5106. **श्री अनादि चरण दास** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के जाजपुर कस्बे में टेलीफोन भवन काम्पलेक्स के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) कब तक उक्त भवन के निर्माण कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 3.15 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को दिनांक 28-5-92 को 8.03 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

मामला न्यायाधीन है, भूमि अधिग्रहण और भवन-निर्माण का कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।

"माइक्रो-लाइट" विमानों की खरीद

[हिन्दी]

5107. **श्री सूरजभानु सोलंकी** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "माइक्रो लाइट" विमानों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने विमानों का आयात किया गया और इन्हें किस उपयोग में लाया जाएगा;

(ग) क्या इन विमानों की खरीद करने के बाद इन्हें अब तक प्रयोग में नहीं लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) ऐरो क्लब आफ इंडिया द्वारा चौबीस तथा निजी व्यक्तियों अथवा क्लबों द्वारा छः अन्य

विमानों का आयात किया गया है। इनका आयात हवाई क्रीडाओं के विकास के लिए किया गया था।

(ग) जी, नहीं इनमें से कुछ विमानों ने उड़ान भरी थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

[अनुवाद]

5108. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की कुछ विद्युत परियोजनाओं ने विद्युत उत्पादन का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो एकक-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में बिहार के विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित वास्तविक विद्युत उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

केन्द्र का नाम	लक्ष्य	वास्तविक	संयंत्र भार गुणक (%)	
	(मि० यू०)	(मि० यू०)	लक्ष्य	वास्तविक
ताप विद्युत				
पतरातू	2500	1333	37.0	19.7
बरौनी	800	448	29.4	19.6
मुजफ्फरपुर	650	557	33.6	28.8
जोड़	3950	2338	34.6	21.3
जल विद्युत				
कोसी	6	17		
सुबर्णरेखा	218	229		
जोड़	224	246		
जोड़	4174	2584		

लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाने के कारणों में प्रमुख कारण राज्य के ताप विद्युत केन्द्रों का

घटिया कार्यनिष्पादन था।

(ग) बिहार में बिजली की उपलब्धता में सुधार किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायो में ये शामिल हैं :— विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से बिजली का ईष्टतम उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्धन तथा ऊर्जा संरक्षण, पड़ौसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता लेना इत्यादि।

लम्बित विद्युत परियोजनाएं

5109. श्री अजय मुखोपाध्याय :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के अनेक विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):(क) और (ख) राज्य सरकारों के 70 प्रस्ताव विभिन्न स्वीकृतियों के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं। परियोजना के लिए स्वीकृतियां कोयला लिंकेज, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति, जल की उपलब्धता के लिए केन्द्रीय जल आयोग, नागर विमानन, पारेषण प्रणाली आदि जैसे विभिन्न निवेशों/सांविधिक स्वीकृतियों पर निर्भर करती हैं जो कि तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु अपेक्षित होती हैं।

(ग) विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की व्यापक रूप से विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा मानीटरिंग की जाती है। के० वि० प्रा० परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रमुख ठेकेदारों के साथ निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा सुधारात्मक उपाए किए जाने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है।

दूरदर्शन में कीमती टेपों का बेकार पड़े रहना

5110. श्री गुरुदास कामत :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन अभिलेखागार में श्वेत-श्याम कीमती टेपें बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें उचित ढंग से संभाल कर रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा पहले इस्तेमाल में लाई जाने वाली दो इंच की वीडियो टेपों (ब्लेक एण्ड व्हाइट) को अब लाईब्रेरी में रखा गया है क्योंकि इन्हें आजकल इस्तेमाल में लाए जा रहे उपकरण पर नहीं चलाया जा सकता।

(ग) दूरदर्शन द्वारा महत्वपूर्ण टेपों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए अपेक्षित अधिक स्थान और अतिरिक्त आधारभूत ढांचे की पहले ही व्यवस्था कर दी गयी है।

विदेशी फीचर फिल्मों का आयात

5111. **श्री एम० ओ० रेड्डी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी फीचर फिल्मों का आयात करने और उनको हिन्दी भाषा में डब करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को विदेशी फीचर और एनिमेशन फिल्मों तथा एनिमेशन वृत्तचित्रों के आयात के लिए अनिवासी भारतीयों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में पुरस्कार प्राप्त फिल्मों और देश में दिखाई गई फिल्मों का ब्यौरा क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) फीचर फिल्मों के आयात का 1 अप्रैल, 1992 से विसरणीकरण (डिकैनलाइजेशन) कर दिया गया है। तथापि विसरणीकरण के बाद फीचर फिल्मों के आयात के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इन्हें शीघ्र अधिसूचित करने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई फिल्मों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि फिल्मों का प्रदर्शन निजी क्षेत्र में होता है अतः दिखाई गई फिल्मों के नामों के बारे में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

विवरण

विभिन्न एजेन्सियों द्वारा आयात की गई फिल्मों की सूची

1989-90

मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एशोसिएशन

आफ अमेरिका (एम०पी०ई०ए०ए०)

क्र०सं०	नाम	क्र०सं०	नाम
1.	बिलो	2.	आफ लिमिट्स

क्र०सं० नाम	क्र०सं० नाम
3. डेड पूल	31. कैलीज हिरोज
4. ओलिवर एण्ड कम्पनी	32. डार्सिंग मास्टर्स
5 गुरिल्लाज इन द लिस्ट	33. द बिग नाइज
6 इ्रस्ट टू किल	34. इन लाइक फंट
7. चेरी 2000	35. डेडली परसूट्स
8. मंकी साईस	36. मिसीसिपी बर्निंग
9. द मर्कनरीज	37. काकटेल
10. पेटल अट्रेक्शन	38. नाइन्टी नाटन गुंडरेल
11 द टेन कमांडेंट्स	39. सिंग
12. बोर्न इन ईस्टला	40. सेवर्थ साइन
13. डे आफ द जेकल	41. डैट मैन
14. डिस्टेन्ट थंडर	42. द फ्लाइ सेकण्ड-II
15. द प्रेसिडयो	43, मैरीड टू दि माब
16. प्लेन्स, ट्रेन्स एण्ड आटोमोबाइल्स	44. लेथर वेपन-II
17. स्कोण्ड	45. डेड काम
18. कमिंग टू अमेरिका	46. दि अवेस
19. क्रोकोडाइल डंडी-II	47. टिवसिं
20. मास्क्यूरेड	48. हनी, आई श्रंक दि किड्स
21. लाइक फावर लाइक सन	49. लाइसेंस टू किल
22. लाइसेंस टू ड्राइव	50. रेन मैन
23. पुलिस एकेडैमी-5	51. रिट्रेड
24. हर अलिबी	52. दि नेकेड गन
25. डेंजरस लेंजों	53. दि एक्यूज्ड
26. प्रंटिक	54. गौन विद दि विंड
27. टेक्विला सन राइज	55. गोर्की पार्क
28. बीचेज (ए०के०ए० फारएवर फ्रेंड्स)	56. दि बिलीवर्स
29. थ्री फुगिटिव्ज	57. सी नो इविल, हार्ड नो इविल
30. बिग बिजनेस	58. चांसेज आर

क्र०सं०	नाम	क्र०सं०	नाम

59. वाइस वर्सा
60. घोस्टबस्टर्स-II
61. दि जनवरी मैन
62. एड्राई व्हाइट सीजन

निजी भारतीय पार्टियां

1. गोल्डन डार्ट हीरो
2. टावू (लव मी)
3. यू आनली लव वंस
4. एण्ड व्हट नाऊ जेंटिलमैन
5. पोटेटोज
6. हाऊस कार टू
7. इल्यूट आई (रन फार यूअर लाइफ)
8. दि कुक, दि थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर
9. गाइ डि मोपैसेंट (गाइ इन लव)
10. ओमेन आन दि रूफ
11. प्राइवेट टीचिंग
12. बाडिली कांस्ट्रेंट्स
13. मैथ्यूज पेंसेंस
14. ऐंजल्स बाइट
15. माजुरका और डैथ
16. लव मी नाट
17. लव स्ट्रेंज लव
18. मी माइ सेल्फ एण्ड आई
19. हाऊ टू मेक लव टू नीग्रो विदाउट गेटिंग टायर्ड
20. ली फांसे डि एल आर्ट
21. लाइफ क्लासेज
22. लव इन जर्मनी
23. साउथ (सड)
24. समर नाईट विद ग्रीक
25. दि एप्पल गेम
26. प्राक व्हाई ?

सोवेक्सपोर्ट फिल्म

1. दि रगमिर्स सीक्रेट वोयेज
2. दि चार्म आफ दि स्नेक्स वैली
3. शेहराजदे लास्ट नाइट

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (रा०फा०वि०नि०

1. नं० 1 आफ दि सीक्रेट सर्विस
2. दि व्हेल्स आफ अगस्त
3. मार्डन टाइम्स (1936) (आर०आई०)
4. सिटी लाइट्स (1931) (आर०आई०)
5. लाइम लाइट (1952) (आर०आई०)
6. दि ग्रेट डिक्टेटर (1940)
7. दि गोल्ड रस (1925)
8. डौग्स लाइफ
9. दि किड आइडल क्लास
10. मानसियर वरडौक्स
11. दि सर्कस डेज प्लेजर
12. ए किंग इन न्यूयार्क
13. दि चेपलिन रिव्यू
14. दि बिग बास
15. दि सिंगर नाट दि सांग
16. विक्टिम
17. अर्ली बर्ड
18. सोलोंग एट दि फेयर

क्र०सं०	नाम	क्र०सं०	नाम
19.	दि विंड कॅननाट रीड	48.	रेड राईडिंग हुड
20.	बोयज इन ब्राउन	49.	हेंसल एण्ड ग्रेटल
21.	डाक्टर इन दि हाऊस	50.	दि फाग प्रिंस
22.	स्पेनिश गार्डनर	51.	इम्परर्स न्यू क्लाथ्स
23.	वोले लीव्ज स्टे	52.	ब्यूटी एण्ड दी बीस्ट
24.	अस्सा	53.	किंग लियर
25.	बी०एम०एक्स० बेंडिट्स	54.	मैनेक्वीन
26.	स्पेनिश फ्लाई	55.	बेबेट्स फीस्ट
27.	फीयर इन दि की	56.	रिटर्न आफ दि ड्रेगन
28.	आई विटनेस	57.	सेक्स लाइज एण्ड वीडियो टेप
29.	वन मिलियन इयर बी०सी०	58.	माइस्टिक पीजा
30.	कैरी आन स्पाइंग	59.	टाक रेडियो
31.	कैरी आन नर्स	60.	पेले दि कांकरर
32.	रेनसम	61.	कोबरा वर्ड
33.	लव थाई नेबर	62.	सुपर सोनिक मैन
34.	नेवर से नेवर अगेन		1990-91
35.	ए हिल आन दि डार्क साइड आफ दि मून		एम०पी०ई०ए०ए०
36.	फ्लाईट आफ दि ईगल	1.	वर्थ विनिंग
37.	प्रिजिज आनर	2.	वार आफ दि रोजेज
38.	फ्लाइंग	3.	स्पाई हू लव्ड मी
39.	संघाई एक्सप्रेस	4.	फ्राम रसिया विद लव
40.	चैपलिन फीवरेट्स	5.	बी०आर० नो एन्जिल्स
41.	दि किचन टोटो	6.	ड्रेगनेट
42.	दि लास्ट आएसिस	7.	बैक टू फ्यूचर-II
43.	ओरडिल बाई इन्नोसेन्स	8.	बोर्न आन दि फोर्थ जुलाई
44.	स्लिपिंग ब्यूटी	9.	कमांडो
45.	स्नो व्हाइट एण्ड दि सेवन ड्वार्फ्स	10.	दि डर्टी डजन
46.	रमप्लेसटिल्टस्किन	11.	लवर बोय
47.	पुस इन बूट्स	12.	पुलिस एकेडमी-6

क्र०सं० नाम	क्र०सं० नाम
13 टैंगो एण्ड केश	41. लुक हू इज टाकिंग
14. पिंक कैलीलाक	42. डिक ट्रेसी
15. ब्लैक रेन	43. बर्ड आन ए वायर
16 वाइल्ड्स प्ले	44. दि ईडियट फ्राम यू०एच०एफ०
17. ब्लाइंड फ्यूरी	45. सीक्रेट एडमाइरर
18. बर्बस	46. अप दि क्रीक
19. सी आफ लव	47. फारेन बाडी
20. स्काई राइडर्स	48. वाइटल साइन्स
21 प्रेटी ओमेन	49. डाउन-टाउन
22. टर्नर एण्ड हार्क	50. लास्ट राइट्स
23. हार्ड टू किल	51. घोस्ट
24. दि लिटिल मरमेड	52. वुड स्टौक
25. दि पैकेज	53. फ्लैट लाइनर्स
26. रेड हीट	54. लाकअप
27. ब्लू हीट	55. कम सी दि पैराडाइज
28. नेवी सील्स	55.(क) मिलर्स क्रासिंग
29. डाई हार्ट-2	56. होम अलोन
30. एण्डवेंचर्स आफ फोर्ड फेयर लेन	57. स्काई राइडर्स
31. टोटल रीकाल	58. वुडस्टाक
32. ड्रीम कीम	I-सोवेक्सपोर्ट फिल्म
33. स्टेनले एण्ड ईरीश	1. किंग आफ क्राइम
34. आलवेज	2. न्यू फेयरी टेल्स आफ वोहराजदे
35. पेरेंट हुड	II-निजी भारतीय पार्टियां
36. बैक टू दि फ्यूचर-3	1. मिराज (चीन)
37. इंटरनल अफेयर्स	2. दि रेनबो (यू०एस०ए०)
38. डेज आफ थंडर	3. स्टर्नबर्गशूटिंग स्टार (आस्ट्रिया)
39. के-9	4. स्टीलिंग हैवन (यू० के०)
40. नाइट आफ दि क्रीप्स	5. डायमण्ड स्कल्स (यू०के०)
	6. मोमेंट्स आफ लव (इटली)

क्र०सं० नाम	क्र०सं० नाम
7. जर्नी टू दि साउथ (अर्जेन्टीना)	9. ब्लाइंड रेज
8. नाइट आफ दि बेवरले हिल्स (यू०के०)	10. डियर अमरीका
9. मोनवेल अमोर डेक्योल्योर (फ्रांस)	11. पास्कल्स आईसलेंड
10. एस०एच०ई० (यू०एस०ए०)	12. एवरी वडी विन्स
11. नाइट आफ बिल्डिंग (यू०एस०ए०)	13. ड्राईविंग मिस डेजी
12. मैग्नीफिसिएंट लवर (फ्रांस)	14. डाक्टर एम०
13. साउथ विंड, दि एन्ड आफ दि गेम (फ्रांस)	15. व्हेन हैरी मेट सैली
14. अलेक्स (यू०एस०ए०)	16. क्वीन आफ हार्टस
15. लव अराउंड कार्नर (मैक्सिको)	17. टू ब्लड
16. सेन्ट्रल स्टेशन (जर्मनी)	18. पीस मेकर
17. उना माई लव (यूगोस्लाविया)	19. प्रिवियस बाडीली हार्म
18. पिट काल (स्वीडन)	20. डाटर्स इन ला इन रिवोल्ट
19. मैजिक लैग्ज (चाईना)	21. टोकियो पाप
20. स्वीट बंच (ग्रीस)	22. दि नेवीगेटर
21. स्वैप्ट अवे (इटली)	23. डोमिनो प्रिंसिपल
22. ए बुक आफ हीरोज (यू०के०)	24. कैपरिकोर्न वन
23. फेबियन दि लवर (जर्मनी)	25. लीजेंड आफ दि लोन रेन्जर
24. टु आल युअर लव्ज (चेकोस्लोवाकिया)	26. सैटर्न-3
25. इन दि लाइन आफ ड्यूटी-4 (यू०के०)	27. आल क्वाइट आन दि वैस्टर्न फ्रंट
26. पैराडाइज (यू०एस०ए०)	28. बार्डर लाइन
एन०एफ०डी०सी०	29. फेयरवेल माई लवली
1. ए कार्पस पेरडू	30. दि केलेन्डरा क्रासिंग
2. दि ग्लास मैनागरी	31. लव एन्ड बुलेट्स
3. विन्सेट, दि लाइफ एन्ड डैथ आफ वैन गाग	32. एस्केप टू एथीना
4. दि म्यूजिक टीचर	33. वायज आफ दि डैम्ड
5. दि मार्डर्नस	1991-92
6. ए गर्ल फ्राम हुनान	एम०पी०ई०ए०
7. दि हिबस्कस टाऊन	1. मियामी ब्ल्यूज
8. रेड सारघम	2. शी डेविल
	3. कैडलेकमैन

क्र०सं० नाम	क्र०सं० नाम
4. मैड हाऊस	33. डाइंग यंग
5. लूज कैनन्स	34. डक
6. आई लव यू टू डैथ	35. गौकी-5
7. हरलेम नाइट्स	36. रिगार्डिंग हेनरी
8. जाज	37. किंग राल्फ
9. दि साइलेंस आफ दि लैम्बस	38. हार्डवे
10. किंडर गार्डन काप	39. गाड फादर-3
11. पैसिफिक हाइट्स	**निजी भारतीय पार्टियां**
12. एडवर्ड सीजर हैंड्स	1. आर्ट आफ लविंग
13. क्लास एक्शन	2. स्कीनी टाइगर फैटी ड्रेगन
14. राबिन हुड	3. रेज
15. हंट फार रेड अक्टूबर	4. फ्लाइट नार्थ
16. अनदर फोर्टी-एट आवर्स	5. लोला
17. हटसन हाक	6. वाइल्ड एट हार्ट
18. म्यूटेंट निन्जा थरटल्स-2	7. बैड रूम आइज-2
19. स्लीपिंग विद एनीमी	8. लव लौक
20. अफक्स-2, दि डैडली आर्ट आफ इल्यूजन	9. एंजिल्स
21. प्वाइंट ब्रेक	**सोवेक्सफोर्ड फिल्म**
22. टीनेजेंट (ए०के०ए० इफ लुक्स कुड किल)	1. लिटिल वेरा
23. बायज इन दि हुड	**एन०एफ०डी०सी०**
24. ओनली दि लोनली	1. 1001 नाइट्स (शेहराजाद)
25. रिटर्न टू दि ब्लू लैगून	2. स्ट्रीट आफ नो रिटर्न
26. नेकेड गन $2\frac{1}{2}$—दि स्मैल आफ फीयर	3. वाईपर
27. रन	4. फ्यूचर फोर्स
28. दि रोकेटियर	5. पिंक एंजिल्स
29. दि डैड पूल	6. ब्लड मोनिया
30. मैकेनाज गोल्ड	7. चेन गेंग वोमेन
31. बैक ड्राफ्ट	8. दि स्टेप मदर
32. राबिन हुड—दि प्रिंस आफ थीव्ज	

क्र०सं०	नाम	क्र०सं०	नाम
9.	दि वाइल्ड राइडर्स	16.	स्टिलेटो
10.	दि यंग ग्रेजुएट्स	17.	लोनली इन अमेरिका
11.	डैथ रो गेम शो	18.	शार्ट टाईम
12.	दि वर्जिन आफ सेन्ट फांसिस हाई	19.	मार्शल ला
13.	सेन्टी	20.	बुल्स आई
14.	स्विचिंग चैनल्स	21.	वीक एन्ड विद कटे
15.	रो डील		

दामोदर वैली कारपोरेशन का मेजिया विद्युत संयंत्र

5112. **डा० आर० मल्लू :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर वैली कारपोरेशन के मेजिया ताप विद्युत संयंत्र में वित्तीय संकट के कारण और विलम्ब होने की संभावना है, जैसा कि 11 जुलाई, 1992 के 'इकोनामिक टाइम्स' में छपा है;

(ख) क्या वित्तीय संकट के कारण देश के कुछ अन्य विद्युत संयंत्रों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन एकत्रित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निधियों की अपर्याप्तता के कारण जिन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित होने की सम्भावना है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण करने हेतु राज्यों के सहयोग से सार्वजनिक निगमों के माध्यम से निधियां जुटाए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि जहां तक एन०टी०पी०सी०, एन०एच०पी०सी० एवं डी०वी०सी० की विद्युत परियोजनाओं का सम्बन्ध है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन निगमों को विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु 1397 करोड़ रुपये के विद्युत बांड आबंटित किए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	राज्य	स्वरूप	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
1.	तेनूघाट चरण-1 यूनिट-1 व 2	बिहार	ताप विद्युत	2×210
2.	तेनूघाट चरण-2 यूनिट 3, 4 एवं 5	—वही—	—वही—	3×210
3.	पानीपत यूनिट-6	हरियाणा	—वही—	1×210
4.	लारजी	हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	3×42
5.	घान्वी	—वही—	—वही—	3×7.5
6.	उहल-3	—वही—	—वही—	4×17.5
7.	तावा	मध्य प्रदेश	—वही—	2×6
8.	नर्मदा सागर	—वही—	—वही—	8×125
9	.राजघाट	मध्य प्रदेश/ उत्तर प्रदेश	—वही—	3×15
10.	संजय गांधी विस्तार, बिरसिंघपुर यूनिट 3 व 4	मध्य प्रदेश	ताप विद्युत	2×210
11.	खापरखेड़ा विस्तार चरण-2 यूनिट 3 व 4	महाराष्ट्र	—वही—	2×210
12.	इब ताप विद्युत परियोजना। यूनिट 3 एवं 4	उड़ीसा	—वही—	2×210
13.	एस०वाई०एल०	पंजाब	जल विद्युत	2×18+2×7
14.	यू०बी०डी०सी०-3	—वही—	—वही—	2×15
15.	कोटा चरण-3 यूनिट-5	राजस्थान	ताप विद्युत	1×210
16.	मनेरी भाली-2	उत्तर प्रदेश	जल विद्युत	4×76
17.	लखवाड़ व्यासी	—वही—	—वही—	3×100+2×60
18.	श्रीनगर	—वही—	—वही—	6×55
19.	विष्णुप्रयाग	—वही—	—वही—	4×120
20.	टांडा यूनिट-4	—वही—	ताप विद्युत	1×110
21.	अनपारा 'ख' यूनिट 4 व 5	—वही—	—वही—	2×500

1	2	3	4	5
22.	बक्रेश्वर-1, 2 एवं 3	प० बंगाल	ताप विद्युत	3 × 210
केन्द्रीय क्षेत्र				
23.	रंगा नदी चरण-1	अरुणाचल प्रदेश	जल विद्युत	3 × 135
24.	कोयलकारो/एन०एच० पी०सी०	बिहार	—वही—	4 × 172.5 + 1 × 20
25.	दोयांग/नीपको	नागालैंड	—वही—	3 × 25
26.	रणजीत 3/एन०एच० पी०सी०	सिक्किम	—वही—	3 × 20
27.	टिहरी चरण-1/टी०एच० डी०सी० संयुक्त उपक्रम	उत्तर प्रदेश	—वही—	4 × 250

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दूरसंचार योजना

5113. **श्री बब्बूलाल चन्द्राकर :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ दूरसंचार आधार बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों का निर्माण करने के लिए गैर-सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र में नये एकक स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने टेलीफोन उपकरणों, आधुनिक ई०पी०ए०बी०एक्स० आदि हेतु निर्यातकों को आयात अर्हता लाइसेंस देने का भी निर्णय किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण की दृष्टि से आठवीं योजना (1992—97) के जो प्रस्ताव तैयार किए हैं उसकी महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

—ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना

—1.4.95 तक सभी पंचायत वाले ग्रामों में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करना।

—1.4.97 तक 1.5 लाख अतिरिक्त ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना।

—सभी एक्सचेंजों में 1.4.97 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करना।

—सभी मैनुअल एक्सचेंजों को मार्च, 94 तक हटाकर नेटवर्क से पूरी तरह आटोमेटिक बनाना।

—सभी कम क्षमता वाले इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदलना।

(ग) सरकार ने दूरसंचार सेक्टर को लाइसेंस मुक्त कर दिया है अतः प्राइवेट/संयुक्त क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों के विनिर्माण के लिए नई यूनिटों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता नहीं रह गई है। ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों के विनिर्माण के लिए प्राइवेट/संयुक्त क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता बढ़ाई गई है।

(घ) सरकार ने पापुलेटेड/लोडेड प्रिंटेड सर्किट बोर्डों के आयात के लिए टेलीफोन उपकरणों और ई० पी० ए० बी० एक्स० आदि सहित ग्राहक दूरसंचार उपस्कर के निर्यात के उद्देश्य से एफ०ओ०बी० मूल्य के 30% तक विशेष आयात लाइसेंस की मंजूरी की अनुमति देने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की है।

बिहार की नन्दिनी सिंचाई परियोजना

[हिन्दी]

5114. **श्री शीबू सोरेन :**

श्री साईमन मराण्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की नंदिनी सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इसे पूरा करने में कुल कितनी अनुमानित धनराशि व्यय होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) बिहार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1982 में शुरू की गई नन्दिनी जलाशय परियोजना का निर्माण वर्ष 1989 में पूरा हो गया था। परियोजना की 961.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में राज्य सरकार द्वारा 856 लाख रुपये व्यय किए गए।

दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ तापीय विद्युत संयंत्र को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई

[अनुवाद]

5115. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मई, 1992 के दैनिक समाचार पत्र 'दी स्टेट्समैन' में इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत संयंत्र, दिल्ली को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के विद्युत संयंत्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में

सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विभिन्न विद्युत संयंत्रों के लिए रक्षित खानों के रखरखाव हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का रुख तमिलनाडु की ओर बदलना

5116. **श्री एन० डेनिस :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का रुख तमिलनाडु के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने कार्यालय अध्ययनों के बाद पम्बा अचनकोविल-वैगई सम्पर्क की प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। अध्ययनों से पता चलता है कि 668 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह परियोजना तमिलनाडु में एक लाख हेक्टेयर सिंचाई और केरल को 16.9 मेगावाट विद्युत का लाभ प्रदान करती है।

पंजाब में टेलीफोन कनेक्शन

5117. **श्री कमल चौधरी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान जिले वार कितने टेलीफोन कनेक्शनों का आवंटन किया गया; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान पंजाब में प्रत्येक जिले में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण-I में दी गई है जिसे संलग्न किया गया है।

(ख) अपेक्षित जानकारी विवरण-II में दी गई है जिसे संलग्न किया गया है।

विवरण-I

पंजाब में 1990-91 और 1991-92 के दौरान जिलेवार अलाट किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्रम सं०	जिला	1990-91	1991-92
1.	अमृतसर	1210	672
2.	भटिंडा	630	917
3.	फिरोजपुर	434	1170
4.	फरीदकोट	372	979
5.	गुरदासपुर	1426	867
6.	होशियारपुर	245	2056
7.	जालंधर	1110	2223
8.	कपुरथला	599	1536
9.	लुधियाना	3357	4252
10.	पटियाला	1254	1275
11.	रोपड़	105	190
12.	संगरूर	802	1209
	योग	11544	17346

विवरण-II

पंजाब में 1992-93 के दौरान जिलेवार अलाट किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्रम सं०	जिला	1992-93 के दौरान प्रस्तावित नये कनेक्शन
1	2	3
1.	अमृतसर	700
2.	भटिंडा	500
3.	मनासा	150

1	2	3
4.	फिरोजपुर	850
5.	फरीदकोट	1500
6.	होशियारपुर	1650
7.	रोपड़	1050
8.	जालंधर	5000
9.	कपूरथला	150
10.	लुधियाना	8700
11.	गुरूदासपुर	1150
12.	पटियाला	350
13.	फतेहगढ़ साहिब (सिरहिन्द)	1200
14.	संगरूर	450
	योग	24,400

त्रिवेन्द्रम से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें :

5118. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई बाह्य देश अथवा विदेशी कम्पनी त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा आरम्भ करने के लिए अनुमति मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिये जाने से लेकर अब तक वहां से आरंभ की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :(क) जी, हां।

(ख) अमीरात (यू० ए० ई० की एयरलाइन) का दुबई और त्रिवेन्द्रम् के बीच प्रति सप्ताह चार सेवाएं आरंभ करने का प्रस्ताव था। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं। तथापि, कोई अंतिम समझौता न हो सका।

(ग) 1-1-1991 को त्रिवेन्द्रम् हवाई अड्डे के लिए/वहां से होकर जब इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था और आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न एयरलाइनों द्वारा प्रति सप्ताह

परिचालित अन्तराष्ट्रीय उड़ानों की स्थिति नीचे दी गयी है :

एयरलाइन	1-1-1991	1-8-1992
एयर इंडिया	11.5	16
इंडियन एयरलाइंस	5	6
एयर लंका	5	6
गल्फ एयर	शून्य	4

तमिलनाडु में खानों की खोज

5119. **डा० (श्रीमती) के० एम० सौन्दरम :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय भौमिकी सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से तमिलनाडु में नयी खानों की खोज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण कराया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :(क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण धर्मपुरी जिले और उत्तरी आर्कट जिले के अलंगायम क्षेत्र के हुरूर क्षेत्र में मौलिब्डेनम; पेरिया- और कोयमबटूर जिलों सलेम जिले में अत्तूर और धर्मपुरी जिले में मोटूसुलकाराई के सत्यमंगलम क्षेत्र में आधार धातुओं और प्लेटीनायड और उत्तरी आर्कट, दक्षिण आर्कट और धर्मपुरी जिलों में सोने के लिए आरम्भिक गवेषण और खोज कर रहा है। नेवेली के दक्षिण क्षेत्र में लिग्नाइट के गवेषण के लिए भी कार्य किया जा रहा है।

हाल ही में अब तक किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) ने धर्मपुरी जिले के हुरूर क्षेत्र में 0·78%एम० ओ० अंश वाले मौलिब्डेनम अयस्क के 2·38 मिलियन टन भंडारों का अनुमान लगाया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खान मंत्रालय में कथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

5120. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत उपक्रमों/संगठनों के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह याद .) : (क) से (घ) मंत्रालय, संगठनों और सरकारी उपक्रमों में समय-समय पर संगठनों और सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के खिलाफ कदाचार अथवा अनियमितताओं की शिकायतें/आरोप मिलते रहते हैं। इन शिकायतों की जांच की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाता है, तो निर्धारित नियमों और कार्यविधियों के अनुसार, अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई आरम्भ की जाती है। जहां आरोप सिद्ध हो जाते हैं, वहां दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है। इन गतिविधियों के खिलाफ निवारक, निगरानी और दंडात्मक उपाय करने के लिए मंत्रालय के अधीन संगठनों/सरकारी उपक्रमों में कार्यकारी निदेशक (सतर्कता)/मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ आई० पी० एस०/अन्य अधिकारी के अधीन सतर्कता यूनिट की व्यवस्था की गई है। इन संगठनों/सरकारी उपक्रमों के सतर्कता मामलों/कार्यकलापों की भी मंत्रालय में समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया जा सके और इन्हें निपटाया जा सके।

बिहार में बिजली की सप्लाई

[अनुवाद]

5121. श्री छेदी पासवान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को इसकी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम बिजली सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वहां प्रति वर्ष बिजली की कितनी आवश्यकता थी और कितनी बिजली सप्लाई की गयी;

(ग) क्या बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में कम बिजली उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बिहार को अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में विद्युत सप्लाई सम्बन्धी स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	आवश्यकता (मि०यू०)	उपलब्धता (मि०यू०)	कमी मि०यू०	कमी %
1	2	3	4	5
1989-90	6270	5440	830	13.2

1	2	3	4	5
1990-91	6745	4812	1973	28.7
1991-92	7415	5215	2200	29.7

नोट: मि० यू० = मिलियन यूनिट ।

(ग) बिहार में विद्युत की उपलब्धता, राष्ट्रीय औसत से कम रही है । 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान अखिल भारत आधार पर विद्युत सप्लाई की कमी 7.9% थी जबकी 1991-92 के दौरान यह 7.8% रही है जोकि बिहार में विद्युत की कमी से कम है ।

(घ) बिहार में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं — विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों के विद्युत उत्पादन को अधिकतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबन्धन एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपाय करना, पड़ौसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्रदान करना आदि ।

बीना नदी सिंचाई परियोजना

5122. **श्री रामकृष्ण कुसमरिया :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की बीना नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विलम्ब से परियोजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हो गयी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) लगभग 203 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की बीना नदी सिंचाई परियोजना राज्य सरकार से अभी मार्च, 1992 में प्राप्त हुई थी । जिसमें 66,500 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गयी है । केन्द्रीय जल आयोग और राज्य सरकार के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों ने जल उपलब्धता और परियोजना रिपोर्ट में गैर वन प्रयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित खामियों पर जून, 1992 में विचार विमर्श किया और राज्य सरकार द्वारा अनुपालना के लिए एक कार्यक्रम बनाने का निर्णय किया ।

महाराष्ट्र में भूमि तल पर पत्र पेटियां

5123. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुमंजिली इमारतों के निवासियों के लिए भूमि-तल पर पत्र-पेटियां रखना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इस आशय के आदेश कब जारी किये गये थे; और

(ग) महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर यह आदेश क्रियान्वित किया गया है और कहां-कहा क्रियान्वित किया जाना अभी बाकी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं, बहुमंजिल इमारतों में अन्य तलों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए अपनी गैर राजिस्ट्रीकृत डाक हेतु भूतल पर डाक डिब्बे को लगाना पहले से ही नियमों में है लेकिन यह उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको महा-डाकपाल द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) यह आदेश 29-5-91 को जारी किया गया।

(ग) आदेश को अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। गैर रजिस्ट्रीकृत डाक को अभी भी महाराष्ट्र और अन्यत्र है जहां डाक डिब्बा नहीं लगा हुआ है डाक को दरवाजे पर ही दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से प्रकाशित समाचारपत्र

5124. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी और अंग्रेजी में दैनिक समाचारपत्र मुद्रित करने वाली उन फर्मों/कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके कार्यालय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हैं;

(ख) उन मुद्रकों का ब्यौरा क्या है जो अपने दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से मुद्रित नहीं करा रहे हैं परंतु अखबारी कागज ले रहे हैं;

(ग) इन समाचारपत्रों से जुड़े हुए उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके पास प्रेस के मान्यता प्राप्त कार्ड हैं;

(घ) क्या समाचारपत्रों के कुछ व्यक्ति अपने दैनिक समाचारपत्रों को नियमित रूस से मुद्रित नहीं कर रहे हैं और प्रेस के मान्यता प्राप्त कार्यों और अपने आवंटन के अखबारी कागज का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अखबारी कागज आवंटन नीति के अनुसार केवल नियमित समाचारपत्रों को ही अखबारी कागज आबंटित किया जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जिन पत्रकारों के पास प्रेस के प्रत्यायण कार्ड हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) संवाददाताओं द्वारा प्रत्यायन कार्डों के दुरुपयोग किए जाने की किसी भी घटना की रिपोर्ट पत्र सूचना कार्यालय से नहीं मिली है। अनियमित समाचारपत्रों को अखबारी कागज आबंटित नहीं किया जाता।

(ङ) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

विवरण-1

31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश में हिन्दी तथा अंग्रेजी में दैनिक समाचारपत्रों को मुद्रित करने वाली फर्मों/कंपनियों का ब्यौरा ।

उत्तर प्रदेश

फर्म/कंपनी का नाम	समाचार पत्रों का नाम और प्रकाशन का स्थान
1	2
दि एसोशिएट जरनल्स लि०	नेशनल हेराल्ड, लखनऊ
-तथैव-	नवजीवन, लखनऊ
इलाहाबाद पत्रिका (प्रा०) लि०	नार्दन इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद
-तथैव-	नार्दन इंडिया पत्रिका, लखनऊ
-तथैव-	नार्दन पत्रिका, कानपुर
-तथैव-	अमृत प्रभात, लखनऊ
-तथैव-	अमृत प्रभात, इलाहाबाद
दि पाइनियर लिमिटेड	पाइनियर, लखनऊ
-तथैव-	दि पाइनियर, वाराणसी
-तथैव-	स्वतंत्र भारत, कानपुर
-तथैव-	स्वतंत्र भारत, लखनऊ
-तथैव-	स्वतंत्र भारत, वाराणसी
जनसेवक कार्यालय लिमिटेड	टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ
-तथैव-	नवभारत टाइम्स, लखनऊ
सत्यम प्रकाशन	नव सत्यम, बरेली
गुप्ता बंधु प्रकाशन	राष्ट्र चिन्ह, गोरखपुर
चेतना प्रकाशन प्रा० लिमिटेड	स्वतंत्र चेतना लखनऊ
-तथैव-	स्वतंत्र चेतना, गोरखपुर

1	2
जनन मंडल लिमिटेड	आज, लखनऊ
-तथैव-	आज वाराणसी
-तथैव-	आज, गोरखपुर
-तथैव-	आज, बरेली
-तथैव-	आज, कानपुर
-तथैव-	आज, आगरा
अमर उजाला पब्लिकेशन	अमर उजाला, मुरादाबाद
-तथैव-	अमर उजाला, आगरा
-तथैव-	अमर उजाला, बरेली
-तथैव-	अमर उजाला, मेरठ
मैसर्स गरूण प्रकाशन (प्रा०) लि०	विश्व मानव, शहारनपुर
-तथैव	विश्व मानव, बरेली
विद्या प्रकाशन	वृतांत, ऊन्नाव
संदेश प्रकाशन	युग संदेश, बरेली
राजेन्द्र प्रकाशन	बालिक क्षेत्र, बलिया
जागरण प्रकाशन (प्रा०) लि०	दैनिक जागरण, आगरा
जागरण लिमिटेड	दैनिक जागरण, मेरठ
जागरण प्रकाशन (प्रा०) लि०	जागरण (दैनिक), बरेली
जागरण प्रकाशन	जागरण (दैनिक), कानपुर
जागरण पब्लिकेशन	जागरण (दैनिक), लखनऊ
-तथैव-	जागरण (दैनिक), इलाहाबाद
-तथैव-	जागरण (दैनिक), गोरखपुर
अप्सरा प्रकाशन	एक झलक, शाहजहांपुर
मैसर्स नया संसार पब्लिकेशन	हिमालय, मुरादाबाद
पूर्वोत्तर समाचार संस्थान लि०	हिन्दी दैनिक, गोरखपुर
जनवार्ता प्रकाशन (प्रा०) लि०	जनवार्ता, वाराणसी

1	2
गायत्री प्रकाशन (प्रा०) लि०	लोक जन समाचार, कानपुर
प्रकाश कृष्ण चंद्र प्रकाशन	लखनऊ मेल, रायबरेली
-तथैव-	लखनऊ मेल, लखनऊ
मध्य प्रदेश	
मैसर्स राईटर्स एण्ड पब्लिशर्स लि०	दैनिक भास्कर (अंग्रेजी) भोपाल
-तथैव-	दैनिक भास्कर, उज्जैन
-तथैव-	दैनिक भास्कर (हिन्दी), भोपाल
-तथैव-	दैनिक भास्कर, ग्वालियर
-तथैव-	दैनिक भास्कर, जबलपुर
आचरण प्रिन्टर्स प्रा० लिमिटेड	आचरण, सागर
-तथैव-	आचरण, ग्वालियर
-तथैव-	दैनिक आचरण, ग्वालियर
आजाद पब्लिकेशन	अमर सैनिक, मुरेना
प्रगति प्रकाशन लिमिटेड	अमृत संदेश, रायपुर
पत्रकार प्रकाशन	देश बन्धु, सतना
-तथैव-	देश बन्धु, जबलपुर
-तथैव-	देश बन्धु, रायपुर
ए० ई० पब्लिकेशन प्रा० लि०	ज्ञान युग प्रभात, जबलपुर
मैसर्स एसोसिएटेड प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (एम० पी०) प्रा० लि०	इन्दौर समाचार, इन्दौर
जागरण पब्लिकेशन	जागरण, रीवा
जागरण पब्लिकेशन	जागरण, भोपाल
-तथैव-	जागरण, इन्दौर
विमल पब्लिकेशन	जन अनुभूति, उज्जैन
गणेश पुर प्रकाशन प्र० लि०	लोक गाथा, ग्वालियर
सार्वजनिक निधि पब्लिकेशन	सार्वजनिक निधि, खण्डवा

1	2
श्री रीवा प्रकाशन लिमिटेड	स्वदेश, भोपाल
-तथैव-	स्वदेश, रायपुर
-तथैव-	स्वदेश, इन्दौर
-तथैव-	स्वदेश, ग्वालियर
विश्व भ्रमण प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (प्रा०) लिमिटेड	विश्व भ्रमण, इन्दौर

विवरण-II

उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश से प्रकाशित दैनिकों/साप्ताहिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्यायित संवाददाताओं की सूची।

क्रम संख्या	पत्रकारों का नाम	जिन दैनिकों/साप्ताहिकों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, उनके नाम
	1	2
	उत्तर प्रदेश	
1.	श्री आर० सी० पंडित	आज, वाराणसी
2.	श्री अरविंद कुमार सिंह	अमर उजाला, आगरा
3.	श्री सुरेश सिंह	अमृत प्रभात, इलाहाबाद
4.	श्री शिव शंकर गोस्वामी	अमृत प्रभात, इलाहाबाद
5.	सुश्री इन्दु अरोड़ा	गांडीव, वाराणसी
6.	श्री गणेश शुक्ल	जन मोर्चा, लखनऊ
7.	श्री जगदीश कुमार शर्मा	जनता युग, अलीगढ़
8	श्री विजय शंकर	जनता युग, अलीगढ़
9.	श्री कृष्ण कुमार	मेरठ समाचार, मेरठ
10.	श्री जमना दास अख्तर	मुजफ्फर नगर बुलेटिन, मुजफ्फरनगर
11.	श्री आर० के० जोशी	पायनियर, लखनऊ
12.	सुश्री सरोज नेगी	-तथैव-
13.	श्री पी० जी० ठाकुरता	-तथैव-

	1	2
14.	सुश्री सुभा सिंह	पायनिर, लखनऊ
15.	प्रदीप पुरी	-तथैव-
16.	श्री के० वी० रमेश	-तथैव-
17.	श्री प्रकाश कुमार पात्रा	-तथैव-
18.	सुश्री रीतू सरीन	-तथैव-
19.	श्री डी०डी० पालीवाल	सैनिक, आगरा
20.	श्री डी० एस० मेहता	उत्तर उजाला, हलद्वानी
21.	श्री उमाकांत लखेड़ा	विश्व मानव, बरैली
22.	श्री विजय शेखरी	हिंद, गाजियाबाद (साप्ताहिक)
23	श्री कमल शेखरी	-तथैव-
24.	श्री कुलदीप कपूर	प्रयाग राज टाइम्स, इलाहाबाद
	मध्य प्रदेश	
1.	श्री सुनील कपूर	दैनिक भास्कर, भोपाल
2.	श्री चतुर्भुज मिश्र	-तथैव-
3.	श्री राकेश कुमार	दैनिक नई दुनिया, भोपाल
4.	श्री देवेन्द्र उपाध्याय	देश बन्धु, राजपुर
5.	श्री राजीव रंजन नाग	जागरण, भोपाल
6.	श्री बच्चन श्रीवास्तव	जागरण, झांसी
7.	श्री कमल अय्यूब	मध्य प्रदेश क्रोनिकल, भोपाल
8.	श्री राम शरण जोशी	नई दुनिया, इन्दौर
9.	श्री मनोहर पुरी	स्वदेश, ग्वालियर
10·	श्री आर० के० शर्मा	स्वदेश, भोपाल

विद्युत उत्पादन के लिए मास्टर प्लान

5125. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में विद्युत उत्पादन के लिए कोई मास्टर प्लान

तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन किये जाने का प्रस्ताव है और इससे कितना विद्युत उत्पादन होगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2006-2007 (दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक) राष्ट्रीय विद्युत विकास के परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आगामी 15 वर्षों के दौरान देश की विद्युत प्रणाली को 1,20,000 मेगावाट से 1,30,000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत संयंत्र क्षमता तथा उसके समतुल्य पारेषण एवं वितरण की आवश्यकता होगी। विद्युत विकास की आयोजना के लिए देश में विभिन्न प्रकार की विद्युत सम्बन्धी मांग का अनुमान लगाने हेतु वस्तुतः दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाए जाने की आवश्यकता है। अध्ययनों में राज्यवार क्षमता संवर्धन का अनुमान नहीं लगाया गया है। क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन क्षमता संवर्धन निम्न प्रकार से है :—

क्षेत्र	10वीं योजना (2006-2007) के अन्त तक अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
उत्तरी	64446
पश्चिमी	57101
दक्षिणी	49611
पूर्वी	35664
उत्तर-पूर्वी	4480
अखिल भारत	211302

(ग) 15 वर्षों की विद्युत विकास योजना में निवेश करने के लिए वर्तमान मूल्यों के आधार पर 450,000 करोड़ रुपये की निधियां अपेक्षित होंगी। निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अनुमोदन के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए 79,589 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

दूरदर्शन संवाददाताओं द्वारा सर्वदलीय बैठक का विवरण दिया जाना

[हिन्दी]

5126. श्री राम विलास पासवान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संसद और विधान सभाओं के सर्वदलीय सदस्यों के 16 और 17 जून, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन का विवरण

देने के लिए दूरदर्शन के पत्रकारों को नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने पत्रकार नियुक्त किए गए थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) संवाददाता ही केवल समाचार संकलन के स्रोत नहीं होते। उक्त सम्मेलन को कवर करने के लिए दूरदर्शन की कैमरा यूनिट को भेजा गया था। दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों में इस कैमरा यूनिट द्वारा लिए गए दृश्य भी दिखाए गए थे।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

[अनुवाद]

5127. श्री अण्णा जोशी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में जिलावार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य द्वारा पहले ही गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण (उन गांवों को छोड़कर जिनका विद्युतीकरण व्यवहार्य नहीं है) किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। जहां तक पम्पसैटों के ऊर्जन का सम्बन्ध है, ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से एवं राज्य योजना के अन्तर्गत 48300 पम्पसैटों के अनुमोदित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 50,000 पम्पसैटों का ऊर्जन किए जाने का कार्यक्रम था। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, 86,656 पम्पसैट ऊर्जित किए गए हैं जिनके सम्बन्ध में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में पम्पसैट ऊर्जन के सम्बन्ध में जिलेवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र० सं०	जिले का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	ग्रेटर बम्बई	0	0
2.	थाणे	400	676

1	2	3	4
3.	रायगढ़	200	314
4.	रत्नागिरी	200	514
5.	सिन्धुदुर्ग	400	724
6.	नासिक	3500	7224
7.	धुले	2000	3442
8.	जलगांव	2000	4210
9.	अहमदनगर	3500	5647
10.	पुणे	4000	7500
11.	सतपुरा	2000	3897
12.	सांगली	2000	4416
13.	सीलापुर	4000	6672
14.	कोल्हापुर	1000	2558
15.	औरंगाबाद	2100	3109
16.	जालना	1700	2055
17.	परभाणी	2200	3306
18.	नांदेड़	800	2739
19.	बीड	3000	5359
20.	ओस्मानाबाद	1900	2343
21.	लातुर	1800	2581
22.	बुल्दाना	2000	3597
23.	अकोला	1500	1453
24.	अमरावती	1000	2923
25.	येओतमाल	1500	2404
26.	वर्धा	900	1502
27.	नागपुर	2000	3536
28.	भण्डारा	00	1525

1	2	3	4
29.	चन्द्रपुर	500	926
30.	गढ़चिरोली	700	126
	जोड़ :	5000*	86616

*महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य ।

उड़ीसा में बिजली की स्थिति

5128. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में उड़ीसा को कितनी अतिरिक्त बिजली दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में आठवीं योजना के अन्त तक कुल मिलाकर 2576 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता, जिसमें 1840 मेगावाट ताप विद्युत और 736 मेगावाट जल विद्युत जोड़े जाने की आशा है । आठवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए उड़ीसा राज्य हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं का पता लगाया गया है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम तथा इष्टतम क्षमता	92—97 के दौरान के लाभ
1	2	3
	राज्य क्षेत्र	
1.	रंगाली विस्तार यूनिट-5 (3×50 मेगावाट)	50 मेगावाट
2.	अपर इन्द्रावती (4×150 मेगावाट)	600 मेगावाट
3.	अपर कोलाब यूनिट-4 (1×80 मेगावाट)	80 मेगावाट
4.	पातेरू (2×3 मेगावाट)	6 मेगावाट
5.	इब ताप विद्युत केन्द्र (4×210 मेगावाट)	840 मेगावाट

1	2	3
	केन्द्रीय क्षेत्र	
6.	तलचेर-1 ताप विद्युत केन्द्र (2×500 मेगावाट)	1000 मेगावाट
	जोड़ :	2576 मेगावाट

उड़ीसा की विद्युत परियोजनाएं

5129. श्री सुभाष चन्द्र नायक :

श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई थीं; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

5130. श्रीमती [illegible]:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में प्रतिवर्ष रखे गए तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन राज्यों में बचे हुए गांवों के विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विगत के तीन वर्षों अर्थात् 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण

के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार है :—

गांव

	1989-90		1990-91		1991-92	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
उत्तर प्रदेश	2365	1832	2350	2207	750	744
राजस्थान	1018	1805	510	839	550	760

पम्प सेट

	1989-90		1990-91		1991-92	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
उत्तर प्रदेश	20,000	19573	16100	18506	12500	22134
राजस्थान	16000	29596	14200	33987	10450	25100

(ख) इन राज्यों के शेष गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम संसाधनों की उपलब्धता तथा आठवीं तथा अनुवर्ती योजना अवधियों में इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजना आबंटन किए जाने पर निर्भर करेगा। वर्ष 1992-93 के लिए राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए क्रमश: 64.30 करोड़ रुपये तथा 86.05 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण

5131. श्री नवल किशोर राय :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
श्री शरद दिघे :
श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री अंकुशराव टोपे :
श्री शरद यादव :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री राम नाईक :
श्री गुरुदास कामत :
श्री हरिन पाठक :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :
श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्री परस राम भारद्वाज :
श्री सत्य नारायण जटिया :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट, 1979 की मुख्य-मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इस पंचाट को कहां तक लागू किया है;

(ग) नर्मदा घाटी के आस-पास के लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या परियोजना की पुनरीक्षा के लिए स्वतन्त्र आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निदेशों के अनुसार, नर्मदा सागर बांध सरदार सरोवर बांध के निर्माण के साथ-साथ अथवा उससे पहले पूरा हो जाएगा। इस पंचाट में इस शर्त के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्यक्रम गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई नवीनतम क्रियान्वयन अनुसूची के अनुसार, सरदार सरोवर बांध के जून, 1998 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, जबकि नर्मदा सागर बांध को जून, 1998 तक क्रेस्ट स्तर तक पूरा करने का प्रस्ताव है। सरदार सरोवर बांध के जलमग्न क्षेत्र से विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा अपनाई गई नीतियां इस पंचाट के अन्तर्गत दी गई नीतियों से काफी अधिक उदार हैं। इस अधिकरण के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण का प्रबोधन कर रही है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन का प्रबोधन कर रहा है। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक भी बैंक मिशनों के माध्यम से आवधिक रूप से इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की प्रगति का प्रबोधन करता रहा है।

विवरण-I

वर्ष 1979 के नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :—

1. 75 प्रतिशत विश्वसनीयता के आधार पर सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा के जल की उपयोज्य मात्रा 28 मिलियन एकड़ फुट (34,537.44 मिलियन घन मीटर) होगी, इस प्रकार

राज्यों के बीच निम्न प्रकार बांटी जाएगी :—

मध्य प्रदेश : 18.25 मिलियन एकड़ फुट (22,511.01 मिलियन घन मीटर)

गुजरात : 9.00 मिलियन एकड़ फुट (11,101.32 मिलियन घन मीटर)

राजस्थान : 0.50 मिलियन एकड़ फुट (616.74 मिलियन घन मीटर)

महाराष्ट्र : 0.25 मिलियन एकड़ फुट (308.37 मिलियन घन मीटर)

28.00 मिलियन एकड़ फुट (34,537.44 मिलियन घन मीटर)

2. सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई पूर्ण जलाशय स्तर +138.68 मीटर तथा अधिकतम जल स्तर +140.21 मीटर नियत किया जाना चाहिए। तदनुसार गुजरात इस बांध के निर्माण का कार्य शुरू करेगा और इसे पूरा करेगा।

3. किसी भी दिन नहर शीर्ष और नदी तल विद्युत घर पर नवगाम में उत्पादित की गई निवल विद्युत को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों द्वारा 57:27:16 के अनुपात में बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को विद्युत आपूर्ति करने के लिए गुजरात राज्य में निर्मित संचार लाइनों सहित इस परियोजना के विद्युत भाग की पूंजीगत लागत, ऋण यदि कोई है तो उसकी स्वीकृति देने के बाद सरदार सरोवर परियोजना के बांध और अनुषंगिक कार्यों अर्थात यूनिट-I जैसी सामान्य सुविधाओं की निवल लागत का 56.1 प्रतिशत तथा प्रत्येक वर्ष सरदार सरोवर विद्युत परिसर की प्रचालन और अनुरक्षण लागत को उपर्युक्त के अनुसार इसी अनुपात में तीनों राज्यों द्वारा बांटा जाएगा।

4. गुजरात और राजस्थान के बीच 18:1 के अनुपात में सरदार सरोवर परियोजना के सिंचाई घटकों की लागत का बंटवारा।

5. मध्य प्रदेश सरदार सरोवर बांध के निर्माण के साथ-साथ अथवा उससे पहले 262.13 मीटर पूर्ण जलाशय स्तर पर नर्मदा सागर बांध के निर्माण कार्य को शुरू करेगा तथा इसे पूरा करेगा।

6. विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए भूमि का अधिग्रहण।

7. विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रावधान।

8. नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णय और आदेशों के क्रियान्वयन की अनुपालना प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन।

9. पुनरीक्षा समिति का गठन।

10. सरदार सरोवर परियोजना के कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन।

विवरण-II

प्रगति की स्थिति : पुनर्स्थापना और पुनर्वास

क्र० सं०	मद	यूनिट	जून, 92 तक उपलब्धि
1	2	3	4
(क) गुजरात में			
1.	कृषि भूमि का आबंटन	(i) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	4942
		(ii) क्षेत्र हेक्टेयर में	9880
2.	गृह भूखंडों का आबंटन	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	3824
3.	पुनः अवस्थिति स्थल	संख्या	201
4.	भरण-पोषण भत्ते का भुगतान	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	4323
5.	पुनर्वास अनुदान का भुगतान	—वही—	1667
6.	अनुग्रह राशि का भुगतान	—वही—	4177
7.	परियोजना से प्रभावित परिवार जिन्हें उत्पादकारी परिसम्पत्तियां दी गई हैं	—वही—	8180
8.	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को दिया गया रोजगार	संख्या	373
9.	बीमा रक्षण	संख्या	5418
10.	प्रदान की गई नागरिक सुविधाएं		
	(क) प्राथमिक विद्यालय	संख्या	15
	(ख) कुएं	संख्या	32
	(ग) हैन्ड पम्प	संख्या	135
	(घ) आन्तरिक सड़क	कि० मी०	69.84
	(ङ) पहुंच सड़क	कि० मी०	23.35
	(च) वृक्ष प्लेटफार्म	संख्या	80

1	2	3	4
	(छ) विद्युतीकरण	(पुनर्वास स्थलों की संख्या)	19
	(ज) ट्रांजिट शेड	संख्या	3351
(ख) महाराष्ट्र में			
1.	कृषि भूमि का आबंटन	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	49
2.	गृह भूखंडों का आबंटन	संख्या	59 (10 बालिग पुत्रों सहित)
3.	प्रदान की गई नागरिक सुविधाएं	संख्या	1
	(क) प्राथमिक विद्यालय	संख्या	1
	(ख) हैंड पम्प	संख्या	1
	(ग) औषधालय	संख्या	1
	(घ) बीज भंडार	संख्या	1
	(ङ) पंचायत घर	संख्या	1

(ग) मध्य प्रदेश में

36 जलमग्न गांवों के लिए पुनः अवस्थिति स्थलों का चयन किया गया है। 305 हेक्टेयर कृषि भूमि का भी पता लगाया गया है। 6 पुनःअवस्थिति स्थलों पर नागरिक सुविधाओं के निर्माण का कार्य चल रहा है।

मणिपुर में जापानी पर्यटक

5132. **श्री याइमा सिंह युमनाम :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में जापानी पर्यटक प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य का दौरा करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जापान के कुल कितने लोगों ने मणिपुर की यात्रा की;

(ग) क्या जापान सरकार से द्वितीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए जापानी लोगों की यादगार में यहां स्मारक का निर्माण कराने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) राज्य

सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1989, 1990 और 1991 में मणिपुर में आए जापानी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 16, 34, और 180 थी।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

अनपारा-बी ताप विद्युत संयंत्र

5133. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री राजवीर सिंह :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनपारा-बी ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को अन्तर का भुगतान करने के लिए कहा गया है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के विशेष आदेशों के बावजूद राज्य सरकार को 100% वृद्धि नहीं मिल पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अनियमितता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा टेलीफोन की स्वीकृति

[हिन्दी]

5134. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

श्री अन्ना जोशी :

श्री केशरी लाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रक्रिया के विरुद्ध जिसके अन्तर्गत राज्यों की राजधानियों के टेलीफोन महाप्रबन्धकों को संसद सदस्यों की सिफारिश पर टेलीफोन स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है, क्योंकि इस प्रक्रिया में और टेलीफोन स्वीकृत करने में दिल्ली से पूर्व केन्द्रीकृत व्यवस्था की अपेक्षा अधिक समय लगता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। माननीय सांसदों की सिफारिश पर स्वीकृत अधिकांश टेलीफोन 30 दिन की अवधि के भीतर संस्थापित कर दिए जाते हैं। तथापि कुछ मामलों में तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य न पाए जाने तथा उपभोक्ताओं से रजिस्ट्रेशन विवरण आदि समय पर न प्राप्त हो सकने के कारण टेलीफोनों के संस्थापना में कुछ अधिक समय लग जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

5135. **श्री बी० एन० रेड्डी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय गैस प्राधिकरण और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अनुमानों के आधार पर गैस पर आधारित चार गैस संयंत्रों के लिए बनाई गई योजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने राज्य में विद्युत संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन के लिए जल तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग

5136. **श्री प्रवीन डेका** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए राज्यवार अनुमानतः कितने जल तथा प्राकृतिक गैस संसाधन हैं;

(ख) इन संसाधनों के उपयोग किये जाने का अब तक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाए किए हैं/कर रही है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में अनुमान लगाए अनुसार उनमें विद्यमान जल- विद्युत परियोजना सम्बन्धी क्षमता और गैस आधारित

परियोजनाओं हेतु गैस के आबन्टन सम्बन्धी विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र० सं०	राज्य	60% भार गुणक पर आधारित जल-विद्युत शक्यता (मे०वा०)	विकसित + विकासाधीन + के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृतशक्यता का कुल प्रतिशत	गैस का आबंटन (एम०एम०एस० सी०एम०डी० में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2909.0	49.21	1.90
2.	अरूणाचल प्रदेश	26756.0	1.41	—
3.	असम	351.0	57.69	4.28
4.	बिहार	538.0	61.51	—
5.	गोवा	30.0	6.00	—
6.	गुजरात	409.0	60.96	7.55
7.	हरियाणा	64.0	98.96	2.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1647.0	23.92	—
9.	जम्मू और कश्मीर	7487.0	15.8	—
10.	कर्नाटक	4347.0	60.61	—
11.	केरल	2301.0	60.12	—
12.	मध्य प्रदेश	2774.0	64.85	—
13.	महाराष्ट्र	2460.0	53.06	6.00
14.	मणिपुर	1176.0	6.68	—
15.	मेघालय	1070.0	11.37	—
16.	मिजोरम	1455.0	4.99	—
17.	नागालैण्ड	1040.0	7,87	—
18.	उड़ीसा	1983.0	55.95	—
19.	पंजाब	922.0	97.51	—
20.	राजस्थान	291.0	68.96	2.0
21.	सिक्किम	1283.0	26.42	—

	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	1206.0	83.36	2.06
23.	त्रिपुरा	9.0	94.44	4.49
24.	उत्तर प्रदेश	9744.0	25.66	5.75
25.	पश्चिम बंगाल	1786.0	11.12	—

(ग) सरकार द्वारा आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में जल विद्युत के विकास की गति को तेज किए जाने और गैस आधारित विद्युत उत्पादन का यथासंभव अधिकतम विकास करने हेतु सभी आवश्यक उपाय किए जाने के माध्यम से समग्र प्रतिष्ठापित क्षमता में जल-विद्युत एवं ताप-विद्युत उत्पादन क्षमता का 40 से 60 के बीच ईष्टतम अनुपात प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

अपर इन्द्रावती विद्युत परियोजना

5137. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा में अपर इन्द्रावती पनबिजली परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) इस परियोजना के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे एककों को चालू करने के क्या कार्यक्रम हैं; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उड़ीसा में अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 600 मेगावाट (4×150 मेगावाट) है। वर्तमान अनुमान के अनुसार परियोजना के यूनिट 1, 2, 3 और 4 का क्रमश: 9/93, 1/94, 5/94 और 9/94 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) यूनिट-1 के बैरल के कंक्रीट, यूनिट-2 के लोअर ब्रेकिट नींव, यूनिट-3 के पिट लाइनर और यूनिट-4 के स्पीरल केसिंग सम्बन्धी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जुलाई, 1991 के दौरान आई बाढ़ के पश्चात हैडरेस टनल (एच० आर० टी०) के अन्तर्वाह में कोफर बांध का पुन: निर्माण कर लिया गया है। पेन स्टाक बटर फ्लाई वाल्वों के लिए मैसर्स भेल को आर्डर दे दिया गया है और टी० जी० सेटों के प्रमुख पुर्जे (कम्पोनेंट) फूजी, जापान से प्राप्त कर लिए गए हैं।

एयर इंडिया के विमान का दुरुपयोग :

5138. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री पाइलट द्वारा व्यक्तिगत उपयोग हेतु एअर इंडिया के विमान के बारे में 13 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया के विमान के दोषी पाए गए पायलट कमांडर के विरुद्ध की गई अनु-

शासनात्मक कार्यवाही के क्या परिणाम निकले;

(ख) इंधन की खपत के कारण एअर इंडिया को अनुमानतः कितने यातायात राजस्व का, जो विमान द्वारा यात्रियों को लाने ले जाने से प्राप्त होता, घाटा हुआ है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जांच अभी चल रही है और इसके पूरी होने के बाद विस्तृत सूचना सदन पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन के चैकों का गायब होना

5139. **श्री मोहन रावले** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 6 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) संसद मार्ग डाकघर के अधिकारियों तथा राष्ट्रीयकृत बेंकों के प्रबन्धकों, जिनके साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था, ने इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) इस मामले में आगे और क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) मामले की जांच अभी चल रही है लेकिन धोके से भुना लिए गए चैकों के तीन मामलों में से एक चैक का केनरा बेंक, शक्ति नगर, दिल्ली के साथ निपटारा हो गया है और 2,05,800/- रुपये की रकम वसूल हो गई है। अन्य दो मामलों के लिये सम्बद्ध बेंकों और डाक प्राधिकारियों के साथ कारंवाई चल रही है। इस सम्बन्ध में और आगे कारंवाई जांच के पूरा होने के बाद ही की जायेगी।

डेसू में कृतिक बल

5140. **श्री मदनलाल खुराना** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विद्युत सप्लाई में कमियों को कम करने तथा डेसू द्वारा उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृतिक बल ने कोई रिपोर्ट दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) दिल्ली में बिजली की मांग व

उपलब्धता का प्रबोधन करने तथा बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने हेतु सरकार ने एक कृतिक बल गठित किया है। कृतिक बल द्वारा स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा उसके उन प्रेक्षणों/सुझावों, जोकि प्रमुख रूप से विभिन्न पारेषण लाइनों तथा उप केन्द्रों के निर्माण की प्रगति शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना आदि से सम्बन्धित होते हैं, पर डेसू तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

यह कृतिक बल डेसू की वितरण प्रणाली में त्रुटियों सम्बन्धी घटनाओं अथवा उपभोक्ता सेवाओं के पहलुओं की विशेषतौर पर निगरानी नहीं करता है।

स्वापक औषधों के व्यापार में शामिल इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी

5141. **श्री राम कापसे :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जनवरी, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया, संस्करण के अनुसार नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों ने इंडियन एयरलाइंस के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 21-11-91 को इंडियन एयरलाइंस के एक लीडर को नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उससे 500 ग्राम हैरोइन बरामद की गयी थी।

(ग) से (ङ) पुलिस ने उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। इस कर्मचारी को उसके गिरफ्तार किये जाने की तारीख से निलंबित कर दिया गया है।

एल्यूमिनियम संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता

5142. **श्री के० पी० सिंह देव :**

डा० कृपासिंधु भोई :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश एल्यूमिनियम संयंत्रों की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उक्त योजना के दौरान मौजूदा अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई गई है;

(घ) क्या एल्यूमिनियम संयंत्रों के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार

है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापित क्षमता 6,10,000 टन वार्षिक है।

(ख) एल्यूमिनियम कार्यदल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एल्यूमिनियम की उपलब्धता का निम्न प्रकार अनुमान लगाया है :—

वर्ष	उपलब्धता (टन)
1992-93	503,000
1993-94	540,000
1994-95	550,000
1995-96	550,000
1996-97	550,000

सरकारी कम्पनियों-नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) और भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) के सम्बन्ध में 1992-93 के लिए एल्यूमिनियम उत्पादन का लक्ष्य क्रमश: 195,000 टन और 94,000 टन है।

(ग) एल्यूमिनियम उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। तथापि, सरकारी क्षेत्र की नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने अपनी विद्यमान/क्षमता के विस्तार का एक प्रस्ताव रखा है।

(घ) और (ङ) खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की दो कम्पनियों-नाल्को और बाल्को के स्थापित गृहीत विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कम्पनी	क्षमता (मे० वाट में)
नाल्को	120 मे० वा० की 5 यूनिटें, 120 मे० वा० की 6 वीं यूनिट निर्माणाधीन है।
बाल्को	67.5 मे० वा० की 4 यूनिटें।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय

5143. डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की शाखाओं की स्थापना

की गई है;

(ख) क्या उड़ीसा में कटक में निगम की केवल एक ही शाखा है;

(ग) क्या राज्य में सम्बलपुर में एक अन्य शाखा की स्थापना के लिए मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का मुख्यालय बम्बई में है और इसके प्रादेशिक कार्यालय दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता तथा शाखा कार्यालय गुवाहाटी, पटना, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नए उपाय

5144. **श्री चित्त बसु** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु कोई नया विधायी उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तीन भाषाओं में समाचारपत्र प्रकाशित करने वाला "दिल्ली" घराना

5145. **श्री राजेश कुमार** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने तीन भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले "दिल्ली" घराने को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां के कर्मचारियों ने बंद करने के प्रति विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। मितव्ययता की दृष्टि से किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इस्पात का निर्यात

5146. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत पारेषण टावरों के निर्माण हेतु इस्पात की सप्लाई के लिये एक मध्यपूर्व की तथा एक मिश्र की कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन में रखी गई शर्तें क्या हैं;

(ग) उक्त फर्मों को इस्पात कब तक सप्लाई किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने का अनुमान है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में डीजल का उत्पादन करने वाली परियोजना की स्थापना

5146क. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में डीजल का उत्पादन करने वाली परियोजना की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा डीजल आधारित विद्युत केन्द्रों जिनके लिए उनके द्वारा विदेशी द्विपक्षीय सहायता हेतु अनुरोध किया गया है, की स्थापना सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं :—

परियोजना	क्षमता (मे० वा०)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
कासारगोडे	60	13085
ब्रम्हपुरम	100	29680

वडाकरा/कोजीकोड (समीप कालीकट)	120	24611

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्षतः इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्वीकार कर ली गई है। केरल सरकार द्वारा विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित किए जाने के बाद ही इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक एवं निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, 12 बजे माननीय कल्याण मंत्री श्री सीता राम केसरी जी एक स्टेटमेंट देने वाले हैं। हमारा निवेदन है कि वह स्टेटमेंट अभी हो जाय, तो ठीक रहेगा। मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति दूंगा। उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है। वह एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, मैं कुछ अन्य लोगों को अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यदि अभी स्टेटमेंट हो जाए, तो उचित रहेगा। हम लोगों की कान्फरेंस चल रही है। हम सब लोग उसमें जा रहे हैं। यदि अभी नहीं होता है, तो फिर जब हम आ जाएं, तब होना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, यहां मौजूद हैं। यदि वे 12 बजे दे देंगे, तो ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह यहां उपस्थित हैं। उनका वक्तव्य तैयार है। वह वक्तव्य देने जा रहे हैं श्री हरिकिशोर सिंह ने मिजोरम के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्हें इस मुद्दे को उठाने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस पर मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है। आप इस पर चर्चा करने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा एक अत्यन्त दुखद और दर्दनाक घटना की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कल मिजोरम की राजधानी के पास भूस्खलन से लगभग 100 मजदूरों की मृत्यु हो गई, उसमें अधिकतर मजदूर बिहार के थे। वे दो श्रमिक शिविरों में रहते थे। दर्जनों लोग घायल हैं। मिजोरम की सरकार ने उनको 6 हजार रुपए प्रति परिवार को देने का निर्णय किया है, लेकिन अध्यक्ष जी, यह मामला इतना

नाजुक और दर्दनाक है कि इसके उपर सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए । लोग अपना घर-बार छोड़कर रोजगार की खोज में बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं और ऐसी जगहों पर उनको कांट्रेक्टर्स लोग रखते हैं जहां उनको सुरक्षा नहीं मिल पाती है ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कश्मीर में कुछ वर्ष पहले बिहार के 100 मजदूर बर्फ में दबकर मर गए थे । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन मजदूरों के परिवारों को कम से कम 5 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा दिया जाए और ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के लिए शिविर ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जो हर दृष्टि से सुरक्षित हों, चाहे वे मिजोरम में हों, चाहे कश्मीर में हों और चाहे किसी अन्य राज्यों में हों । उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए ।

[अनुवाद]

डा० सी० सिलवेरा (मिजोरम) : मिजोरम में घटित दुर्घटना अब तक की सबसे दु:खद घटना है । मिजोरम में भू-स्खलन होना तथा चक्रवात आना एक आम बात है । लेकिन इस प्रकार का भू-स्खलन पहले कभी नहीं हुआ है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत से व्यक्तियों की जानें गई हैं । मुझे लगता है कि 20 से अधिक लोगों की जानें गई हैं इस समय हमें यह मालूम नहीं है कि वास्तव में मलबे के नीचे कितने लोग दब गये हैं । सत्रह मकान मलबे में दब गये हैं और 44 लोग घायल हुए हैं आज सुबह 9 बजे तक 24 शव निकाले जा चुके थे । लेकिन चूंकि यह एक चट्टानी क्षेत्र है इसलिए मृत शवों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है जब तक केन्द्र सरकार कुछ नहीं करेगी मृत शवों को बाहर निकालना कठिन है ।

महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि अधिकांश दुर्भाग्यशाली लोग बिहार के थे यह सच है कि उनमें से बहुत से लोग बिहार के हैं । लेकिन उनमें से बहुत से मिजोलोग भी है और यह कहना ठीक नहीं लगता कि ठेकेदारों ने उन्हें असुरक्षित स्थान पर रखा था । इस क्षेत्र में जिन्हें मिजो लोगों द्वारा पक्के भवन बनाये गये हैं उनमें कुछ मिजो लोग भी वहां रह रहे थे । अत: यह कहना उचित नहीं है कि इन श्रमिकों को असुरक्षित स्थान पर ठहराया गया था । यह केवल दुर्भाग्य है कि यह दुर्घटना घटित हुई और यह एक आकस्मिक घटना है । महोदय, जिस स्थान पर भू- स्खलन हुआ है उस स्थान के भवनों की भवन सामग्री जैसे स्टोन चिप्स तथा पत्थर आदि प्राइवेट तथा सरकारी दोनों ठेकेदारों से लिये गये थे । यह घटना लगातार बारिश तथा चट्टानों के लगातार विस्फोटन के कारण हुई ।

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि केन्द्र द्वारा पहले इस प्रकार की घटनाओं पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया था । अप्रैल, 1991 में चक्रवात से बहुत सी फसलों तथा मकानों को क्षति पहुंची थी जिससे 35 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा था । केन्द्र ने प्रधानमंत्री राहत कोष में से केवल 10 लाख रुपये दिये थे । अत: स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मैं सरकार से तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं और सुझाव देता हूं कि इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य किये जायें । प्रथमत: केन्द्र सरकार को आईजोल के बी० आर० टी० एफ० के कार्मिकों को बचाव कार्यों में सहायता करने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार बचाव कार्य करवाने में इतनी समक्ष नहीं है । दूसरा, मैं केन्द्र सरकार से निरीक्षक टीम को तुरन्त आइजोल भेजने तथा स्थिति व नुकसान का जायजा लेने और आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को सलाह देने का अनुरोध करता हूं । तीसरा, सरकार को संतप्त तथा घायल व्यक्तियों और प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है उन्हें उदार हृदय से राहत सहायता देने का अनुरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सदन मिजोरम के प्रभावित हुए सभी भाइयों तथा बहनों से सहानुभूति रखता है। आम तौर पर सरकार जितनी सहायता दे सकती है देती है। मैं सरकार से सभी प्रकार की सहायता जिसमें शवों को बाहर निकालने तथा अन्य सहायता जो दे सकती है, करने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : इसकी जांच भी होनी चाहिए।···(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन पर स्टेटमेंट होने दीजिए। हमें कानफ्रेंस में जाना है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, सीमा सड़क संगठन|आर्गेनाइजेशन की एक समस्या है। अवैज्ञानिक खुदाई कार्य चल रहा है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने कि कोशिश कीजिए और मैं जानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल, सेना तथा रक्षा कार्मिक सहायता कर सकते हैं। यह कहना आवश्यक नहीं है कि किस विभाग को इसे देखना चाहिए। जब मैंने भारत सरकार कहा है तो इसमें सब कुछ आ जाता है कृपया इस बात को समझिये। अब, आपने इस के लिए कहा भी नहीं हैं और फिर भी मैंने समय दिया है तो आप को इसका अर्थ तथा महत्व समझना चाहिए।

अब, माननीय मंत्री एक वक्तव्य देगें।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

12.09 म० प०

आरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी स्थिति

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : 1991 के आम चुनाव में कांग्रेस (आई) पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में यह वायदा किया था कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण लागू करते समय गरीबों को प्राथमिकता दी जायगी और यदि गरीब तबके में कोई उपलब्ध न हो तो इन सुविधाओं का लाभ पिछड़े वर्ग के ही अन्य सदस्यों को दिया जाएगा।

1.2 विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के साथ इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। राजनीतिक दलों के साथ हुए विचार विमर्श से बनी आम सहमति के आलोक में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 अगस्त, 1990 जिसमें भारत सरकार के सिविल पदों एवं सेवाओं की सीधी भर्ती में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप स पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 सितम्बर, 1991 द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए गए :

(क). भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत रिक्तियों में इन वर्गों के अधिक गरीब उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ऐसे उम्मीदवार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हों तो उन रिक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

(ख) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 10 प्रतिशत रिक्तियां आर्थिक रूप से पिछड़े उन अन्य वर्गों के लिए आरक्षित होंगी जिन्हें किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े अथा आर्थिक रूप से पिछड़े उन अन्य वर्गों की, जिन्हें किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं है, पहचान के लिए मानदण्ड पृथक रूप से जारी किए जा रहे हैं।

2. दिनांक 13.8.1990 के कार्यालय ज्ञापन तथा 25.9.1991 के परवर्ती कार्यालय ज्ञापन के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिकाओं में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह जानना चाहा कि 25.9.1991 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित आर्थिक मान्दण्ड की सूची को सरकार कब तक और कैसे प्रस्तुत कर पाएगी। न्यायालय को यह बताया गया कि सरकार राज्य सरकारों तथा राजनीतिक दलों से परामर्श करके और यदि संभव हुआ तो इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाकर आर्थिक मानदण्ड के बारे में कोई निर्णय लेगी।

3. मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दी, जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।

4. 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को उठाये गये उन कदमों की जानकारी दी गई जो सरकार ने आर्थिक मानदण्ड के प्रश्न पर राष्ट्रीय सहमति विकसित करने की दिशा में उठाए थे। यह भी सूचित किया गया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर यह वांछनीय होगा कि सावधानी पूर्वक कार्रवाई की जाए तथा उचित विचार विमर्श के पश्चात ही कोई कदम उठाया जाए, जिससे सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण वातावरण में ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके।

5. 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पहले ही पूरी कर ली है और इसके निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।

6. इसी दौरान सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ परामर्श पूरा कर लिया है। इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए 10 अप्रैल, 1992 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उपराज्यपालों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

7. मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उप राज्यपालों के सम्मेलन में विचार विमर्श से उत्पन्न हुए आर्थिक मानदण्ड के निर्धारण से संबंधित तकनीकी मामलों की जांच की गई है।

8. अब यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया जाए ताकि इस विषय पर उनके विचार जाने जा सकें।

9. 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने आर्थिक मानदण्ड की संवैधानिकता के सवाल पर भी बहस सुनी है। आशा है तब तक सर्वोच्च न्यायालय के विचारों का लाभ भी संभवतः मिल सकेगा।

10. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार तथा राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार आर्थिक मानदण्ड के बारे में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेगी।

आरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने संबंधी स्थिति के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में

[अनुवाद]

श्री चन्द्र जीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, सरकार की ओर से जान-बूझकर देरी की गई है। इस सदन में सरकार को वायदा किये हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। हर बार कांग्रेस घोषणापत्र का हवाला दिया जाता है लेकिन एक वर्ष से अधिक समय के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर इस सदन में अपने प्रथम भाषण में प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वे सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से सलाह करके राष्ट्रीय सहमति लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब मंत्री जी कहते हैं कि सरकार अब एक बैठक बुलाने के बारे में सोच रही है। मैं सरकार पर जान-बूझकर देरी लगाने तथा इस पिछड़े वर्ग के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाता हूं। इसलिए, महोदय, सरकार को तुरन्त विभिन्न पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए।

इसी प्रकार सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह भी नहीं बताया है कि सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण नीति क्या होगी उन्होंने केवल एक अधिसूचना जारी की है। यह संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है। मैं कहूंगा कि उन्होंने दोनों उपबंधों को जान-बूझकर मिला दिया है। यह सम्भावना है कि उच्चतम न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा। अपने पूर्व निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए और 50 प्रतिशत भर्ती प्रतियोगिता द्वारा की जानी चाहिए लेकिन अब यदि ये 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रखते हैं तो आरक्षण 60 प्रतिशत हो जाएगा जो कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय के विरुद्ध होगा। मेरा विचार है कि इसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी।

हमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग भर्ती सेवाओं में आरक्षण के योग्य भी हैं, वे बेरोजगार भी हैं और सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए लेकिन इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। महोदय, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर पूरी तरह से चर्चा करवायी जानी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है इसलिए मैं आपसे इस पर पूरी तरह से चर्चा करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी कार्य मंत्रणा में चर्चा करेंगे और यह पता लगायेंगे कि क्या ऐसा करना सम्भव है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम लोग इस मैरिट पर बहस नहीं कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्या उस पर नहीं करेगी, हम उस पर नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी ने आज जो बातें कही हैं, मंत्री जी बहुत पुराने सदस्य हैं और पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित भी हैं। पिछले 1980 से यही मामला कांग्रेस पार्टी ने चलाया है कि हम एक राष्ट्रीय आम सहमति पैदा कर रहे हैं और 1980 से इसी जगह पर हम लोग मांग करते रहे हैं, हमने सरकार से उस समय भी कहा था कि सरकार की नीयत साफ नहीं हो तो सरकार कह दे कि हम मण्डल कमीशन के पक्ष में नहीं हैं, हम उसको लागू नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसको जेल में बन्द करके रोज-रोज मारते रहने पर 1980 से हम सरकार का यही सवाल सुनते आ रहे हैं। मैं सरकार से एक क्लैरीफिकेशन यह चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : क्लैरीफिकेशन का आपको मौका दूंगा तो सबको मुझे देना पड़ेगा।

श्री राम विलास पासवान : सारी, क्लैरीफिकेशन नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आपकी नालिज में लाना चाहता हूं कि 4 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने साफ तौर से कहा था कि हम 28 जनवरी तक हर हालत में इकोनौमिक क्राइटीरिया के सम्बन्ध में अपनी राय दे देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसम्बर को कहा, सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अगली 28 जनवरी तक स्थगित कर दी। अदालत ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह अगली सुनवाई तक आर्थिक आरक्षण का आधार स्पष्ट कर दे। केन्द्र ने सुनवाई की अगली तारीख तक अगर आर्थिक आरक्षण का आधार स्पष्ट नहीं किया तो अदालत आगे इन्तजार नहीं करेगी, यह कोर्ट ने कहा।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश, जिनकी आपने चर्चा की, मुख्य न्यायाधीश श्री केनिया ने इस मामले में एडीशनल सोलीसिटर जनरल श्री अलताफ अहमद से जानना चाहा, कि सरकार ने आरक्षण के लिए आर्थिक आधार के बारे में क्या तय किया और सरकार की वह सफाई कहां है, जिसे उसने आज की तारीख तक कोर्ट में पेश करने का वायदा किया था। सरकार ने वायदा किया था कि 4 दिसम्बर तक पेश कर देंगे और 4 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अभी तक वायदा पूरा क्यों नहीं किया है, आप इसका जवाब दें। जिस पर श्री अहमद ने कहा कि सरकार आर्थिक आरक्षण के बारे में फैसले की जानकारी...

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, कोर्ट में सब कुछ हुआ है। आपने कह दिया, हमने माना कि इसका डिस्कशन होना चाहिए। मैंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : एक सैन्टेंस में हम खत्म कर रहे हैं न। इस पर श्री अहमद ने कहा कि सरकार आर्थिक आरक्षण के बारे में अपने फैसले की जानकारी 25 जनवरी तक हर हालत में दे देगी। सरकार आर्थिक आधार तय करने के काम में जुटी हुई है और इसे अन्तिम रूप 25 जनवरी तक दे दिया जायेगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया और जनवरी के बजाय आज हम अगस्त में पहुंच रहे हैं लेकिन इतनी वायदा खिलाफी इसके बाद हमारे और आपके ऊपर हो रही है। हम लोगों ने जो उठाया था, यही उठाया था कि कोर्ट के सम्बन्ध में हमको

[श्री राम विलास पासवान]

कुछ नहीं करना है । हमारा चार्ज सिर्फ सरकार के ऊपर है कि सरकार हमेशा वायदा खिलाफी कोर्ट के सामने कर रही है और सरकार की नीयत साफ नहीं है इसलिए हम लोग फुल डिस्कशन की डिमांड तो करते ही हैं, उस पर आप अपने विचार भी देंगे, लेकिन हम सरकार को चार्ज करना चाहते हैं कि यह सरकार पिछड़े वर्ग के हितों के खिलाफ है और यह सरकार मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना नहीं चाहती है ।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस सरकार पर आरोप लगाया है । अतः मुझे रिकार्ड ठीक करने के लिए कुछ मिनट दीजिए मैं पिछड़े समुदाय का हूं और यदि कुछ लाभ पिछड़े समुदाय को दिये जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी । सारी समस्या पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा उत्पन्न की गई है । वह यहां उपस्थित हैं । उन्होंने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया था । उन्होंने जान-बूझकर सूची में आरक्षण के योग्य समुदायों की एक सूची को शामिल नहीं किया था । महोदय, मैं तत्कालीन सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाता हूं । उन्होंने न केवल पिछड़े वर्ग को लाभ नहीं दिया बल्कि उन्होंने इस देश में समूचे पिछड़े वर्ग के साथ भी विश्वासघात किया था क्योंकि उन्होंने पन्डोरा बाक्स खोला हुआ था । मण्डल आयोग की सिफारिशों में 3743 समुदायों की सूची है । यदि उन्होंने इन 3743 समुदायों को आरक्षण देने का निर्णय लिया होता तो मैंने उनको बधाई दे दी होती । लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने अपना स्वयं का एक वक्तव्य दे दिया जिसमें पिछड़े वर्गों की पूर्णतया उपेक्षा की गई थी । ऐसा आदेश नहीं था । मुझे बहुत दुःख है कि पिछड़े वर्गों के साथ विश्वासघात किया गया ।

उनके स्वयं के वक्तव्य में कहा गया था कि एक नई सूची बनाना बहुत कठिन काम था इसलिए इसके लिए न्यायालय में जाना पड़ा था । अतः भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने पन्डोरा बोक्स को जान-बूझकर खोला था और उन्होंने सूची तैयार नहीं की थी । इसलिए देरी हुई थी ।

मैं सरकार से नई सूची तैयार करने के लिए कहूंगा जिससे कि पिछड़े वर्गों को जो वास्तव में पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित है, को लाभ दिया जा सके । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिए अन्यथा यह एक पूर्ण विवाद बन जायेगा ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस पर सरकार का जो वक्तव्य आया है, इस वक्तव्य से वह चार्ज हमारा प्रमाणित हो गया है, जो पिछले दिनों हमने सात तारीख को सरकार पर लगाया था । सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस की पैरवी नहीं की । अभी श्री राम विलास पासवान ने उसको स्पष्टतः बता दिया कि केस की पैरवी नहीं की और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार कर रही है, अपने क्राइटीरिया के मुताबिक उसको लागू कराने के लिए, क्राइटीरिया फिक्स अप कराने के लिए भी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार करेगी । श्री चार्ल्स ने कहा, रिकार्ड स्टेट करने के लिए, कि वी०पी० सिंह जी ने गड़बड़ी कर दी तो आज गड़बड़ी को सुधारने का इनको मौका मिला है तो इतने दिनों में इन्होंने गड़बड़ी को क्यों नहीं सुधारा, अगर सचमुच में कोई गड़बड़ी

थी ? कोई गड़बड़ी नहीं थी इसलिए यह गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं और मण्डल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू नहीं करना चाहते हैं बल्कि उस स्पिरिट को और उस रिकमेण्डेशन को सब दिन के लिए दफना देना चाहते हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पैरवी नहीं की और संविधान की मूल भावना के खिलाफ आर्थिक आधार उसमें जोड़ा है और इसके आधार पर उच्च वर्गों के रिजर्वेशन को एक साथ क्लब कर दिया है ताकि दो काउण्ट पर रिजर्वेशन का समूचा इसका नोटिफिकेशन टूट जाय, सुप्रीम कोर्ट से। एक इस आधार पर कि कुल आरक्षण 50 परसेण्ट से अधिक हो गया और दूसरा इस आधार पर कि संविधान के 15(4), 16(4) में कहीं आर्थिक आधार का जिक्र नहीं किया गया है।

यह आज एक्सपोज हो गए हैं। हम आपसे मांग करेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि इस पर पूरी चर्चा आप सदन में करा दें ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, जब हम चुनाव जीत कर आते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं और हम वायदा करते हैं कि संविधान के खिलाफ हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जब तक यहां से उसमें कोई संशोधन नहीं हो जाता है। जो मैंने अभी तक संविधान पढ़ा है और जिस अनुच्छेद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लाया जाता है तो किसी भी तरह का उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं है तो फिर उसमें आर्थिक आधार जोड़ना संविधान का उल्लंघन करना है। अभी सरकार की तरफ से आर्थिक आधार जोड़ा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में आर्थिक आधार लगाया गया है, वह दिखा दीजिए। अगर आर्थिक आधार संविधान में नहीं लगा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए तो सर्वमान्य है।···((व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा के लिए हम बाद में टाईम दे रहे हैं।

श्री तेजनारायण सिंह : ···(व्यवधान) मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। उसमें सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन न किया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ 85 प्रतिशत लोगों का मन जुड़ा हुआ है। सरकार से कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के बयान से हम लोगों की चिंता और बढ़ गई है। मैं तमाम उन बिन्दुओं को नहीं लूंगा जो हमारे साथियों ने उठाए हैं। मैं उनका समर्थन करते हुए इतना ही कहूंगा कि यह जो चिंता बन गई है और जो हम लोगों की आशंका थी कि इसके अन्दर इस तरह से खेल खेला जायेगा और देर होने की बात होगी। पोलिटिकल पार्टीज की राय का जब जनवरी में आश्वासन दिया था जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। कब राय ली जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जायेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जायेगा तब इधर फैसला होगा और फिर कोई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो यह सारे व्यूह-जाल में फंसने की बात है। आपने कह दिया कि इस पर बहस होगी। इस पर विस्तार न करते हुए यह कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब होने वाला है और आप कब बहस करने वाले हैं। इसी सैशन में आप बहस कराने की कृपा करें जिसमें हम पूरी बात कह सकें।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के पांच-छह लोग बोल चुके हैं। मैंने कह दिया है कि इस पर डिसकश लेने के लिए डिसकसन करेंगे, आप बोलेंगे तो वह कैसे चलेगा।

...(**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)...(**व्यवधान**) सरकार का ध्यान आया तो सरकार की मंशा असंदिग्ध है।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। अलग मुद्दे पर, इस मुद्दे पर नहीं। मैं इस मुद्दे पर कुछ सुनना नहीं चाहता।

(**व्यवधान**)

जी, नहीं। अन्यथा, यह नियन्त्रण से बाहर हो जायेगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सरकार ने अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है और यह जान-बूझकर टालमटोल की नीति अपनाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : जिस ढंग से हम कोशिश करते हैं तो उसको आप बिगाड़ देते हैं।

...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उस बात को समझते हैं? मैंने कहा था कि मैं इस मामले की कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करूंगा और यह देखने का प्रयास करूंगा कि क्या समय उपलब्ध है। मैंने यह नहीं कहा था कि हम इस मामले पर चर्चा नहीं करेंगे और उसके बावजूद आप जोर दे रहे हैं जैसा कि किसी ने किसी को किसी बारे में नहीं कहा है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि...

[अनुवाद]

हम आर्थिक मानदण्ड के बारे में राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

लेकिन उन्होंने जानकारी दी कि हमारी चर्चा मुख्य मंत्रियों से हो चुकी है। वह चर्चा क्या हुई है और उसमें कुछ कन्सेन्सस बना है क्या, कुछ सहमति बनी है क्या, हम उससे परिचित हो सकते

हैं क्या और मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने प्रदेश के संदर्भ में क्या कहा है। मैं मानता हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उस समय जिस समय हम आपको श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का समर्थन कर रहे थे तो मुझे विश्वास है कि इसकी भी जानकारी होगी कि हमारे घोषणापत्र में मोटे तौर पर मंडल आयोग के आधार पर पिछड़े वर्गों को आश्वासन देने की हिमायत की गई थी। हम उसके खिलाफ में नहीं थे। उसमें कुछ बातें जोड़ी थीं जो इससे सम्बन्धित हैं और जो आपने सितम्बर में नोटिफिकेशन जारी किया तो बाद में आपके घोषणापत्र में यह बात नहीं थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े वर्गों का समर्थन करते हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं उनको 1990 और 91 के अनुभव के आधार पर यह समझना चाहिए कि टकराव से ही उनका भला नहीं होगा। उसमें राष्ट्रीय सहमति जहां तक सम्भव हो उसके आधार पर जो भी व्यवस्था होगी उसी से पिछड़े वर्गों का लाभ होगा। इस कारण अभी-अभी कांग्रेस पक्ष की तरफ से उनके एक पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि ने जो बात कही उसमें वजन है। वरना दो साल नहीं लगते और आपके ही नेतृत्व से उन वर्गों का भला हो जाता। उस समय क्यों नहीं किया गया, क्या कारण था यह जब चर्चा होगी तब विस्तार से हम कहेंगे। लेकिन आज इस पर सरकार को खुलासा करना चाहिए, सरकार इसको टालती रहे यह बात ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है जब भी चर्चा हो हमें जानकारी दी जाये, ज्ञापन दिया जाये कि मुख्य मंत्रियों से आपकी चर्चा हुई और क्या राय बनी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय आडवाणी जी को सूचित करने के लिए मैं कहना चाहता हूं उस समय किसी को छोड़ने की बात नहीं थी, प्रथम चरण में जो पिछड़े जिन राज्यों में मान लिए गए जिसकी आम स्वीकृति हो चुकी थी, जो मण्डल कमीशन की लिस्ट में हैं और कामन हैं उन तक रखा गया। वहां तक उनको रखा जाये यह बात थी और उसको केन्द्र में लेकर पहले चरण में किया जाये जिससे विवाद न उठे, यह दृष्टिकोण था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप जी जब प्रधान मंत्री थे उनको जानकारी है कि जिस दिन वे घोषणा करने वाले थे उस दिन न केवल मैंने बल्कि जो अन्य साथी यहां बैठे हैं जिनका तब सरकार को समर्थन प्राप्त था उन्होंने भी कहा कि जल्दबाजी न करें। इस विषय पर सलाह करें। आपने उस समय जो उत्तर दिया कि जल्दबाजी क्यों करनी पड़ रही है, आपकी वह आन्तरिक समस्या थी जिसके कारण आपने कहा कि मुझे यह करना पड़ रहा है।

श्री राम विलास पासवान : जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को इसमें देरी भी नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस समय हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री के नाते श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। प्रश्न यह है कि इस सरकार ने सितम्बर 1991 में एक विधिवत घोषणा की थी।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : विधिवत;

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह एक विधिवत घोषणा नहीं थी। यह मंत्री हैं, महोदय,

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

(व्यवधान) कुछ मंत्रियों के लिए यह एक विधिवत घोषणा नहीं थी और मेरे विचार से कुछ के लिए यह एक विधिवत घोषणा थी । सरकार की तरफ से की जाने वाली घोषणा को हम ने विधिवत घोषणा माना है कि :

> "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े तथा आर्थिक रूप से पिछड़े उन अन्य वर्गों की, जिन्हें किसी भी विद्यमान आरक्षण योजना के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त नही है, पहचान के लिए मानदण्ड पृथक रूप से जारी किये जा रहे हैं।"

सितम्बर में यह संकेत दिया गया था । इसमें स्पष्ट नहीं किया गया था उच्चतम न्यायालय ने मापदण्ड के लिए कई बार पूछा था । उच्चतम न्यायालय में यह बताया गया था और श्री सीता राम केसरी के वर्तमान वक्तव्य में भी यह कहा गया है :—

> "न्यायालय को यह बताया गया कि सरकार राज्य सरकारों तथा राजनीतिक दलों से परामर्श कर के और यदि संभव हुआ तो इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाकर आर्थिक मानदण्ड के बारे में कोई निर्णय लेगी।"

प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है । यह जनवरी में नहीं कहा था । सितम्बर में सरकार ने कहा था कि इस मुद्दे को अलग से लिया जायेगा । ऐसा नहीं किया गया । उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए कहा था । सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया था ।

> "इसी दौरान सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ परामर्श कर लिया है।"

मैं फिर से वक्तव्य पढ़ रहा हूं ।

> "मुख्य मंत्रियों/राज्य पालों/उप राज्य पालो के सम्मेलन में विचार विमर्श से उत्पन्न हुए आर्थिक मानदण्ड के निर्धारण से संबंधित तकनीकि मामलो की जांच की गई है।"

मेरे विचार से प्रत्येक मुद्दे को लिया गया है । अब केवल यही दलील ली गई है कि राजनीतिक पार्टियों से सलाह नहीं ली गई है । लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का इस बारे में अभी तक अपना कोई विचार नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उनका प्रस्ताव क्या है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : बिल्कुल यही मुद्दा है । किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार राजनीतिक दलों के विचारों को जानना पसन्द करेगी ? मामले को केवल दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर टालने से बात नहीं बनेगी । प्रश्न यह है क्या सरकार का इस मुद्दे पर अपना कोई विचार है ? उनके अन्य कई विषयों पर कोई विचार नहीं है । हम जानते हैं समय-समय पर यह बताया है अधिकतर उनके पास कोई विचार नहीं है कि व क्या कर रहे हैं और स्थिति से कैसे निपटना है यह एक विस्तृत मामला है और समूचा देश चिन्तित है इस मामले की महत्ता को कम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है अत: यह उचित समय है कि सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि उनके अनुसार काफी कार्यवाही की जा

चुकी है उन्होंने सितम्बर 91 में आश्वासन दिया था कि वे मानदण्ड जारी करने जा रहे हैं आज फिर हमें बताया गया है कि इस उद्देश्य के लिए आने वाले सत्र में इस्तेमाल किया जायेगा। मैं नहीं जानता कि क्या यह सम्भव होगा कि कुछ उपलब्ध हो जाएगा और कुछ उपलब्ध नहीं होगा। तब वे कहेंगे 'खेद है कि हम इसे नहीं कर सके। अगले सत्र में देखेंगें' उन्हें खुलकर और ईमानदारी से कहना चाहिए वे अब उच्चतम न्यायालय पर निर्भर हैं उन्हें ऐसा कहने का साहस करना चाहिए। उन्हें ऐसा कहने का साहस नहीं है। अब वे उच्चतम न्यायालय पर निर्भर हैं और इसलिए मामले में देरी कर रही है। यह उचित समय है जल्दी से जल्दी इस मामले को अन्तिम रूप दे देना चाहिए हमने यह भी कहा है कि देश के पिछड़े वर्ग को सहायता की आवश्यकता है इस में कोई शक नहीं है। वे शिकार बन रहे हैं और काफी देर से इन्तजार कर रहे हैं यह स्थिति आगे तक जारी नहीं रहनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, बार्सिलोना ओलम्पिक के बारे में पिछली बार एक-दो दिन पहले कहा था, निवेदन किया था कि उसके बारे में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। बार्सिलोना ओलम्पिक में हिन्दुस्तान की जो पराजय हुई है, वह केवल पराजय ही नहीं है बल्कि शर्मनाक पराजय है क्योंकि हिन्दुस्तान इतनी बड़ी आबादी वाला देश एक भी पदक प्राप्त नहीं कर सका है। इससे तो मारिशस, सूरीनाम जैसे देश भी अच्छे रहे जो अपने देश के लिए कोई न कोई पदक जीतकर लाये हैं। हिन्दुस्तान को कोई पदक न मिलने का मूल कारण जो हो लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो खेल के अधिकारी हैं, वे खेल की क्या व्यवस्था करते हैं। वे न तो खेल से जुड़े रहते हैं और न उन्हें खेल की जानकारी होती है। हमारे जल संसाधन मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल हैं जिनको मालूम नहीं है और वे खेल से कभी जुड़े हुए नहीं हैं तो खिलाड़ियों का क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं ? इनके उच्च पदों पर बने रहने से इस समस्या का हल नहीं होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, बार्सिलोना ओलम्पिक में भारत की पराजय से विश्व में उसके न केवल सम्मान को धक्का लगा है बल्कि राष्ट्रीय सम्मान को भी चोट पहुंची है। मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के सम्मान को गिराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्वाभाविक खेल खेलने की भावना गांव वालों में होती है, उनको नकारा जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है बल्कि शहर के ऐसे लोगों का चयन किया जाता है जो चयनकर्त्ता शहर के ही होते हैं। गांव के लोगों को सम्मिलित करने पर राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाया जा सकता है। आशा है आप इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर चर्चा करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम श्री वीरेन्द्र सिंह की बात का समर्थन करते हैं क्योंकि लिम्बा राम गांव का ही था जो कुछ कर सका बाकी मेरिट वाले लोग कहां खत्म हो गये, यह पता करना है ?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, बार्सिलोना ओलम्पिक खेलों पर एक विशेष चर्चा की जानी चाहिए। मण्डल और मण्डल विरोधी तत्व सक्रिय हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने क्रिकेट खेला है, उनको मैं चांस दूंगा···

(व्यवधान)

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल चार पंक्तियां इस बारे में कहूंगा···

हैलो बार्सिलोना,
देखा था
एक सपना सुन्दर सलौना
पदक सुनहरा रजत का
कांस्य का एक तो
जरूर होना ही होना ।
पर
जब खुली आंख तो
हाय री तकदीर
हुआ वही जो था होना ।
पदक न सुनहरा, रजत काभी न मिला ।
और कांस्य के लिए क्या रोना ।
हाय बार्सिलोना,
हाय बार्सिलोना ।।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : महोदय, मैं बड़े रोष और चिंता के साथ हाल के बार्सिलोना ओलम्पिक खेलों में भारतीय महाद्वीप के घटिया प्रदर्शन के बारे में सभा को सूचित करना चाहता हूं । हमने एक भी मेडल प्राप्त नहीं किया है, जोकि खेलों के संयोजकों और खिलाड़ियों, दोनों के लिए बहुत ही शर्म की बात है । वास्तव में कुछेक खेलों में, जहां हमें अच्छे प्रदर्शन की बजाये मेडल जीतने का पूरा यकीन था, में भी हम अन्त में जाकर चूक गए । इसी हल्के प्रदर्शन ने देश की 85 करोड़ आबादी को निराशाजनक परिणाम दिये हैं और आज हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहा है ।

मुझे इंडियन चीफ-डी-मिशन के उस वक्तव्य को पढ़कर गहरा धक्का लगा है जिसमें कहा गया है कि ओलम्पिक खेलों में घटिया प्रदर्शन के लिए खराब 'ड्रा' उत्तरदायी हैं।

देश को श्री लिम्बा राम से मेडल जीतने की पूरी उम्मीद थी। भले ही उसने अपना अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया परन्तु फिर भी वह भारत को मेडल दिलवाने में सफल नहीं हो सका। देश को वास्तव में निराशा हाथ लगी है और मैं इस बात की जोरदार सिफारिश करता हूं कि खेलों के सभी संयोजकों को अपने सम्बन्धित खेल निकायों से इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मुझे इस बात की हैरानी हुई है कि खेल-कूद विभाग के केबिनेट मंत्री, जिन्हें बार्सिलोना जाना था, ने भी देश में किन्हीं राजनैतिक कारणों को ध्यान में रखकर आखिर में अपनी बार्सिलोना यात्रा स्थगित कर दी। मुझे विश्वास है कि यदि वह वहां गए होते तो उससे भारतीय खिलाड़ियों को नैतिक बल मिल सकता था।

महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बार्सिलोना में भारतीय टीम का जो पतन हुआ है, उस पर सभा में आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दी जाये।... (**व्यवधान**)...

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : भारत को एक भी मेडल नहीं मिला है, मैं इनकी बात का सपोर्ट करता हूं।... (**व्यवधान**)...

श्री चेतन पी० एस० चौहान : स्पीकर साहब, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसा नहीं है। आप 50 करोड़ से 12 करोड़ तक बजट लाएंगे और फिर बोलेंगे कि यह भी ठीक नहीं है। आप किसी को दोष मत दीजिए। अगर दोष है तो हम सब लोगों का है।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : अध्यक्ष जी, वी० पी० सिंह जी ने कहा है कि मण्डल कमीशन में जो कम्यूनिटियां हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली हुई है उनको तो मिली हुई है और जो नयी कम्यूनिटी शामिल करनी हैं उनकी गिनती की जाए कि उनकी तादाद कितनी है।... (**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस प्रकार से बोलते रहेंगे तो मैं तो आपको बोलने का समय देता हूं और आप हर समय इसी तरह करते हैं। यह ठीक नहीं है।

[**अनुवाद**]

मैं यह पसंद नहीं करता। मैंने आपको बोलने का मौका दिया और आप इस तरह करते रहते हैं। यह ठीक नहीं है।

[**हिन्दी**]

श्री हरचन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनकी तादाद के मुताबिक सवर्ण जातियों से काटकर उनको उतनी रिजर्वेशन दी जाए और वह कह दें। हमारे साथ उनको न फंसाया जाए। हमारे यहां के वजीफों में सवर्ण जातियां फंसायी हुई हैं। वह वजीफे सवर्ण जाति के लोग ला जाते हैं। इस बात

[श्री हरचन्द सिंह]

से इनको बिल्कुल अलहदा रखा जाए और ए या बी कैटागरी करके उनको अलहदा रिजर्वेशन दी जाए, हमारे साथ न फंसाया जाए।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : वह विषय बदल गया है हरचंद सिंह जी।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, क्या आप बार्सिलोना ओलम्पिक्स पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मुझे समय तो दें, तभी मैं इन सभी बातों पर चर्चा की अनुमति दे सकूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : स्पीकर साहब, इस दफा की बार्सिलोना ओलम्पिक्स में हम लोगों का परफीर्मेंस खराब रहा, इसके बारे में मैंने पिछली दफा भी अपनी बात रखी थी। अध्यक्ष महोदय, आज तक की तारीख में भारत ने अगर कभी ओलम्पिक में एक पदक लिया है तो वह हाकी से मिला है -- चाहे कांस्य मिला हो, स्वर्ण मिला हो या रजत मिला हो। अब हाकी में भी हम लोग इतना पिछड़ गए जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं आपके जरिए सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहूंगा कि कुछ गेम्स को आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान सिलेक्ट करे जिसके अन्दर हिन्दुस्तान का पोटेंशियल हो और उसी में प्रैक्टिस करवाकर हम दुनिया भर से अच्छे कोचेज को बुलवाकर उसकी ट्रेनिंग दें। इसमें थोड़ा पैसा जरूर लगेगा लेकिन वर्ल्ड लेवल के अच्छे कोच को बुलवाकर तीन-चार फील्ड में हम तैयार करें। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सिपाही हर जगह जाए और पिटकर आ जाए। चन्द फील्ड्ज के अन्दर हम कोशिश करें जैसे कि हमारी परम्परा रही है तीरंदाजी में या घुड़सवारी में, या तैराकी भी हो सकती है। साइकिल हमारे यहां 80 करोड़ में से 50 करोड़ लोग चलाते हैं। ये सब जो फील्ड्स हैं इनमें ट्रेनिंग देने का काम करें तो हमें उम्मीद है कि आने वाले अगले ओलम्पिक में हम कुछ कर पाएंगे और अभी जैसा चौहान साहब बोल रहे थे, वह भी जरूरी है कि ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नहीं हैं, जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स में भाग नहीं लिया हो, सरकार के सामने यह विचार रखा जाए कि अच्छे लोग जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, जो स्पोर्ट्स के बारे में जानते हों, उनको ही किसी पद पर रखा जाए, ऐसे लोगों को ही शामिल किया जाए तभी जाकर हमें उम्मीद होगी कि आगे हम लोगों को कुछ कामयाबी मिल सकेगी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर विषय को यहां उठाना चाहता हूं क्योंकि पूरा देश जब कल भारत के स्वाधीनता संग्राम की, 1942 के "क्विट इण्डिया मूवमैंट" की स्वर्ण जयन्ती मना रहा था।

12.45 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उसी समय, हर साल की तरह, बम्बई के ग्वालियाटैंक मैदान में स्थित शहीद स्मारक पर वहां के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे तो पुलिस और प्रशासन की अनुमति के बावजूद, जब वे 8 बजे के बाद वहां पहुंचे तो स्थानीय पुलिस ने उनके ऊपर बर्बर लाठी चार्ज किया, उनको बूटों से मारा, डंडों से मारा और घूंसों से मारा। उस घटना में घायल होने वालों में, इस माननीय सदन की काफी समय तक सदस्या रहने वाली श्रीमती प्रमिला दण्डवते, श्रीमती मृणाल गोरे, श्रीमती पारिख, डा० जी० जी० पारिख, मंगला पारिख जी, श्रीमती शरद राव और श्री शरद राव शामिल हैं। इस तरह दर्जनों लोगों को वहां बुरी तरह से पीटा गया।

महोदय, वे सभी लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से और पुलिस की अनुमति से वहां गए थे, उन लोगों को पीटना, हमारी श्रद्धांजलि सभा में एक शर्मनाक अध्याय जोड़ने वाली घटना है। मैं इस घटना की तीव्र शब्दों में निन्दा करता हूं और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी घटना की जांच करायी जाए। जो पुलिस अधिकारी इन सम्माननीय महिलाओं पर बर्बर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार हों, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्यवाही करने की कोशिश करे और सरकार इस सदन में आश्वस्त करे कि दोषी लोगों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी बात उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जो हमने भारत के स्वाधीनता संग्राम का स्वर्ण जयन्ती समारोह मानाया, वह कोई पार्टी अफेयर नहीं है, समूचे भारत की सम्पूर्ण जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का वह प्रतिबिम्ब है लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस हिसाब से बरसों से ये समारोह आयोजित किये जा रहे हैं, इतने बड़े संकल्प दिवस को एक पार्टी अफेयर के रूप में सरकार ने बदल दिया है। उस स्वाधीनता संग्राम के उत्सव को मनाने के लिए जो सरकार की ओर से समिति गठित की गई है, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उस समिति में एक ऐसे व्यक्ति को सदस्य मनोनीत किया गया है, जिनका स्वाधीनता संग्राम से कोई संबंध नहीं रहा है उल्टे वह व्यक्ति द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान ब्रिटिश हकूमत की आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता था, उसमें रिक्रूटमेंट आफिसर थे। जब ऐसे व्यक्ति को उस समारोह समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है, वह स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का घोर अपमान है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सरकार उसकी आई०बी० से जांच कराये। सरकार बिना कोई इंक्वायरी किए हुए उनको स्वाधीनता संग्राम सम्मानित पेंशन भी देना चाहती है, घोषणा कर दी गई है। इससे बड़ा अपमान, इस स्वर्ण जयन्ती अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों का कोई दूसरा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

यदि आप अनुमति देंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन जो इस सदन की परम्परा रही है, मैंने नाम नहीं लिया है, अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं बता सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है (व्यवधान)

वे इसी सदन के एक माननीय सदस्य और भूतपूर्व मंत्री रहे हैं। (व्यवधान)

मेरा आग्रह है कि आप उनके बारे में जांच करवाइये कि क्या वे वास्तव में स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे या स्वाधीनता संग्राम से उनका किसी तरह का ताल्लुक रहा है। यदि इस तरह कार्यवाही

[श्री मोहन सिंह]

होगी तो मुझे अफसोस और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस नई पीढ़ी को हम आगे स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों से अनुप्राणित करके नये संग्राम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जरा इससे हटकर कुछ कहना चाहता हूं। महासचिव ने अध्यक्ष के साथ जाना है। राज्य सभा से जो संदेश प्राप्त हुआ है आपकी कृपानुमति से महासचिव उस संदेश से इस सभा को सूचित करेंगे।

[हिन्दी]

12.48 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"(1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 अगस्त, 1992 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 1992 को हुई उसकी बैठक में पारित किये गए राष्ट्रीय जल मार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मण्डल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक, 1992 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(2) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार 7 अगस्त, 1992 को हुई अपनी बैठक में संसदीय समिति के सम्बन्ध में प्रतिभूतियों, शेयरों, बन्ध पत्रों तथा अन्य वित्तीय लिखतों आदि से सम्बन्धित संव्यवहारों में हुई अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों की जांच करने और इन संव्यवहारों के बारे में जिन बैंकों, स्टाक-एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका का पता चला है अथवा पता चल सकता है, के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर सहमत हुई है :—

"कि यह सभा लोक सभा द्वारा की गई सिफारिश कि 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति बनायी जानी चाहिए जिसमें लोक सभा से 20 सदस्य और राज्य सभा से 10 सदस्य शामिल किए जाएं :

(एक) प्रतिभूतियों, शेयरों, बंधपत्रों तथा अन्य वित्तीय लिखितों आदि से सम्बन्धित संव्यवहारों में हुई अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों की जांच करने और इन संव्यवहारों के बारे में जिन बैंकों, स्टाक-एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका का पता चला है अथवा पता चल सकता है;

(दो) इन संव्यवहारों के सम्बन्ध में व्यक्तियों, संस्थाओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना;

(तीन) उपर्युक्त संदर्भ में यदि नियंत्रण प्रणाली और पर्यवेक्षणीय प्रणाली की कोई असफलताएं/खामियां हैं अथवा इसका कोई दुरुपयोग हुआ है, तो इसका पता लगाना;

(चार) प्रणाली में सुधार करने और उसे सुरक्षित बनाने की दिशा में सिफारिशें करना जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न घट सकें;

(पांच) भविष्य में अपनायी जाने वाली नीतियों और विनियमों के सम्बन्ध में उचित सिफारिशें करना;

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि लोक सभा में 6 अगस्त, 1992 को जिस प्रस्ताव पर सहमति हो गई है, वह प्रस्ताव 6 अगस्त, 1992 को राज्य सभा को भेजा गया है और राज्य सभा संकल्प लेती है कि वह भी उक्त समिति के गठन में लोक सभा के साथ है और समिति के लिए राज्य सभा भी अपने दस सदस्यों की नियुक्ति करती है जिनके नाम इस प्रकार से हैं : सर्वश्री एस० एस० अहलुवालिया, त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी, जगेश देसाई, दीपेन घोष, गुरूदास दास गुप्ता, एच० हनुमनतप्पा, मुरासोली मारन, एस० जयपाल रेड्डी, यशवंत सिन्हा और राम नरेश यादव।

12.49 म० प०

वित्तीय समितियां—एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं "वित्तीय समितियां (1991-92)—एक समीक्षा" के (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य-काल जारी है अब श्री लोकनाथ बोल सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान केरल में बार-बार हो रहे साम्प्रदायिक दंगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में 16 जुलाई, को वहां पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। केन्द्रीय आसूचना विभाग ने इन दंगों के बारे में यह कह कर केरल सरकार को चेतावनी दी है कि अयोध्या मामले के आधार पर वहां भी दंगे भड़क सकते हैं। परन्तु वहां राज्य सरकार की पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। सेना इन घटनाओं को नियंत्रित कर सकी। सेना द्वारा बार-बार फ्लैग-मार्च करने पर ही वहां पर ऐसी घटनायें समाप्त हो पायी हैं।

दोबारा अभी दो दिन पहले वहां पर ऐसी ही घटना घटी है। जैसा कि आप जानते हैं, केरल एक शान्तिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राज्य है। हमें केरल पर गर्व है। लेकिन वहां पर जो बार-बार

[श्री लोकनाथ चौधरी]

साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, विशेषकर दक्षिण में, वह चिन्ता का कारण है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्र को इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। भारत सरकार को और कांग्रेस दल को—जिसकी सरकार वहां पर है—भी यह जानना चाहिए कि वहां पर जो बार-बार साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उन पर रोक लगाने में उनकी सरकार क्यों असफल रही है ?

उनकी सरकार में जो अन्दरूनी गड़बड़ी है, उसकी भी इस तरह की घटनाओं के पीछे बराबर जिम्मेदारी है।

इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में तत्काल कदम उठायें जायें और यदि आवश्यक हो तो केरल राज्य की सरकार को अनुदेश जारी किये जायें कि आई० एस० एस० जैसे साम्प्रदायिक संगठनों और आर० एस० एस० जैसे कट्टरपंथी संगठनों, जोकि इनमें शामिल हैं, पर पाबन्दी लगा दी जाए। यह मेरा अनुरोध है। धन्यवाद (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार सदस्यों को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

श्री कोडी कुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, यह तो केरल का विषय है। हमें इस पर अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो इस सभा का स्थायी नियम बन चुका है कि केवल उन सदस्यों के नाम पुकारे जाएंगे जो दिन में अग्रिम सूचना देंगे। अन्य सदस्यों के नाम नहीं पुकारे जाएंगे। अब मैं श्री पृथ्वीराज चव्हाण को आमंत्रित करता हूं कि वह अपने विचार रखें।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण उपक्रम दी एच० एम० टी० लिमिटेड के बारे में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

कर्नाटक के टुमकुर क्षेत्र में एक एच० एम० टी० घड़ी कारखाना लगा हुआ है जिसका प्रधान-कार्यालय बंगलौर में है। यह कारखाना 1977 में स्थापित किया गया था और विगत 12 वर्षों से वर्ष 1990 तक, इसने लगातार अच्छा लाभ अर्जित किया है। परन्तु गत एक वर्ष से इस कारखाने ने अच्छे परिणाम नहीं दिखाये हैं। लाभ अर्जित करने वाला कारखाना अब हानि उठाने वाला कारखाना बन गया है और यह कारखाना रुग्ण इकाई बनने की ओर बढ़ रहा है। 8.30 करोड़ रुपये की अनुमानित आय के मुकाबले में, इस कारखाने को 5 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। कुप्रबन्धन, कर्मचारियों पर अत्याचार, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और चोरी, मशीनों और उपकरणों की भारी खरीद, 50 करोड़ रुपये तक की राशि की क्वार्ट्ज घड़ियां बनाने वाली एक परियोजना को बन्द कर देना और बाहरी एजेन्सियों से कार्य करवाना आदि घटनाएं कारखाने को हो रहे घाटे के पीछे मुख्यत: जुड़ी हैं।

इन परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार से पुरजोर आग्रह करूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप

करें और सरकार पर पड़ने वाले बोझ को रोका जाये तथा टुमकुर में जो एच० एम० टी० घड़ी कारखाना है, उसमें स्वच्छ और शान्त वातावरण पैदा किया जाये।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और रेल मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड ने अभी एक फैसला लिया है कि कोयले से चलने वाले इंजन अब नहीं चलेंगे। फलस्वरूप जहां-जहां इन इन्जनों को चलाने की व्यवस्था में काम करने वाले मजदूर लोग थे, वे अब बेकार हो गए हैं।

गया में 200 मजदूर लोको में काम करते थे, जिनकी मजदूरी से उनके परिवार के हजारों लोग अपना भरण-पोषण करते थे। वे खानदानी तौर पर यह काम करते आ रहे थे। उनके दादा-परदादा भी यही काम करते रहे हैं। अब उनको रोजगार न मिलने के कारण और रेलवे के कोयले के इन्जनों का चलना बन्द होने के कारण उनको बड़ी कठिनाई हो रही है। उन लोगों ने अपनी ओर से एक नोटिस भी दिया था कि हम लोगों को कहीं भी काम दिया जाए।

जब उनको काम नहीं दिया गया तो उन्होंने पटना हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। हाई कोर्ट ने उनको स्टे आर्डर दिया कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक उनको काम में लगाए रखा जाए। लेकिन उस पर रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने 8 तारीख को रेलवे लाइन पर धरना दिया। तीन हजार मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। उनका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कर रहे हैं।

हम निवेदन करेंगे कि सरकार उन मजदूरों को कहीं न कहीं काम दे। वे सभी मजदूर हरिजन हैं।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मिजोरम में 78 मजदूरों की मृत्यु हुई है और 44 घायल हुए हैं। अखबार पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि यह संख्या बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं है। अखबार में आया है कि घाटी में बहुत लोग दबे हुए थे जो चिल्ला रहे थे और कुछ समय बाद उनकी आवाज बन्द हो गई। इसका मतलब यह है कि मरने वालों की संख्या सौ से अधिक है। सरकार की तरफ से वहां कोई व्यवस्था नहीं है। मिजोरम की सरकार बहुत कम मात्रा में लोगों को कुछ दे सकी है।

मरने वाले गरीब हैं। हवाई जहाज में दुर्घटना में यदि कोई मरता है तो एक-एक लाख रुपया दिया जाता है और हवाई जहाज में वही चढ़ता है जिसके पास सम्पत्ति होती है। वे गरीब लोग हैं, डेली वेजेज पर काम करते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार को कम से कम 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और उनके घर के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। जो घायल हुए हैं उनको भी सुविधा दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मदन लाल खुराना जी बोलेंगे।

कृपया मुझे क्षमा करें। हमें कुछ नियमों का अनुकरण करना चाहिए। जिस नियम पर हम सभी सहमत हैं, उसका अनुकरण करना चाहिए और वह नियम यह है कि हमें काम की सूची के

अनुसार चलना चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मारुति उद्योग के कई घोटाले, सैंकड़ों, करोड़ों के मामले, जिनको सी० बी० आई० ने सिद्ध कर दिया है, सुजुकी के अफसर को, जिसका टर्म खत्म हो रहा था, हजारों-करोड़ों की विदेशी मुद्रा से फायदा पहुंचाया । विदेशी दबाव में आकर उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया । जिस व्यक्ति की जगह जेल में होनी चाहिए, सी० बी० आई० ने केस प्रूव कर दिया है, उन्होंने लिखा है कि 420 का मुकदमा दर्ज करने दिया जाए । मेरे पास दस्तावेज हैं, मैंने स्पीकर साहब को सब लिखकर दिया है । 2000 बोक्सेस, जो इम्पोर्टेड कम्पोनेन्ट्स के हैं, 83-84 में जो मारुति बनी थी उसके लिए पुर्जे मंगवाए गए थे । आज भी 50-60 करोड़ के पुर्जे पड़े हुए हैं । उनमें जंग लग रहा है, वे किसी काम के नहीं हैं लेकिन वे इम्पोर्ट किए गए ।

गुड़गांव में 100 एकड़ लैंड खरीदी, जांच हुई और यह पाया गया, विजिलेंस डिपार्टमेंट में यह खबर आई 16-10-91 को कि वहां के तीन आई० ए० एस० आफिसर सस्पेंड हो गए । लेकिन इस अफसर को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया । इस पर कार्यवाही नहीं हुई है । 73-74 कारें अन्दर से आती हैं और उसी दिन गायब हो जाती हैं । कारें गायब हो गई हैं, आज तक उनका पता नहीं है ।

1.00 म० प०

सी० बी० आई० ने प्रूव कर दिया है । ऐसे अनेक 14-15 मामले हैं और दो मामलों में सी० बी० आई० ने प्रूव भी कर दिया है । मैंने सम्बन्धित मन्त्री से बात भी की । मन्त्री जी यह मानते हैं कि घोटाला हुआ है और उसकी जगह जेल में होनी चाहिए । हम इस पर पूरी डिसकशन कराना चाहते हैं । मिनिस्टर साहब इस पर अपना स्टेटमेंट दें । जो कुछ भी वहां हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है । मैंने पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी यह मामला उठाया था । मुझे यह कहा गया कि सुजुकी ने चूंकि अपने शेयरों को 45 परसेंट से बढ़ाकर 51 परसेंट कर दिया है··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1992-93 के दौरान एच०एम०टी०सी० द्वारा बारजमदा क्षेत्र से लौह-अयस्क निकालने के मामले में प्रस्तावित कटौती से 20,000 कामगारों के बाहर हो जाने का खतरा है जिनमें से अधिकतर लोग उड़ीसा राज्य के सुन्दरगढ़ और किओनझार जिलों के हैं और बिहार राज्य के सिंहभूम जिले के हैं जोकि बेरोजगार हो जाएंगे । ये कामगार किओनझार, सुन्दरगढ़ और सिंहभूम जिलों के हैं जोकि काफी समय से लौह-अयस्क खानों में काम करते आए हैं । उनके पास अजीविका का और कोई भी साधन नहीं है ।

इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि उड़ीसा और बिहार के इन क्षेत्रों से लौह-अयस्क को निकालने के काम को बढ़ावा दिया जाए और वहां पर प्रचलित बेरोजगारी की समस्या का निवारण किया जाए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अन्य माननीय सदस्यों को भी समय देना चाहिए । मैं सूची के अनुसार सदस्यों के नाम पुकारूंगा ।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर में ग्रामीण क्षेत्रों में तार प्रणाली का कार्यकरण बिल्कुल असंतोषजनक है। कभी-कभी तो तार इस तरह से भेजे जाते हैं जैसे कि आम पत्र और बेरक घाटी इस मामले से सबसे अधिक कु-प्रभावित है। चार-पांच ग्रामीण डाकघरों में मैं स्वयं गया हूं और मैंने देखा है कि इन डाकघरों की स्थिति काफी उपेक्षित है। वहां पर तार मशीनें तो हैं परन्तु व्यावहारिक तौर पर वे अनुपयोगी हैं; तारघर पुरानी और टूटी-फूटी इमारतों में हैं और एक तार घर से दूसरे तारघर के बीच की तार-लाइन का रखरखाव भी ठीक तरह से नहीं किया जा रहा।

अतः मैं उम्मीद करता हूं कि संचार मंत्रालय इस मामले पर तत्काल विचार करने की कृपा करेगा जिससे पूर्वोत्तर में ग्रामीण क्षेत्रों में तार-प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके और एक ऐसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग की सेवा में किसी भी तरह की अड़चन न आने पाये।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्रूड आयल की रायल्टी के बारे में सरकार ने एक ईश्वरन कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1991 में दे दी थी। गुजरात सरकार ने वह रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए और इसकी कापी गुजरात सरकार को मिले, इसके बारे में बहुत बार केन्द्र सरकार से आग्रह किया लेकिन कई महीने बीत जाने पर भी सरकार ने कोई निर्णय लिया नहीं है। गुजरात से 6 मिलियन टन क्रूड आयल निकलता है। 1989 में हमारी एडहाक रायल्टी 100 रुपये बढ़ायी गई। 1990 से हमारी रायल्टी के बारे में सरकार को निर्णय करना है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ईश्वरन कमेटी की रिपोर्ट जल्दी सरकार स्वीकार कर लें क्योंकि हमें लगता है कि प्रतिदिन इसमें 200 रुपये ईश्वरन कमेटी ने इन्क्रीज करने का निर्णय लिया है। इससे हर साल 120 करोड़ रुपये गुजरात को मिलेंगे। आज गुजरात सरकार बहुत खराब स्थिति में है। विकास के कामों के लिए उसके पास पैसा नहीं है। यह हम और आप जानते हैं। 120 करोड़ रुपये के हिसाब से दो साल में ढाई सौ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मिल सकते हैं। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि वह ईश्वरन कमेटी की रिपोर्ट जल्द स्वीकार कर ले और वह इम्पली-मेंट हो। गुजरात का जितना रुपया बकाया है, उसे आप जल्दी देने की कृपा करें।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र जनपद पौड़ी एवं चमोली (उ०प्र०) की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (पौड़ी) एवं विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना (चमोली) क्रमशः वर्ष 1988 एवं 1978 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थी किन्तु खेद है कि इतनी लम्बी समयावधि के बाद भी इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है जिसका प्रमुख कारण इन दोनों परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का आबंटन नहीं किया जाना है।

महोदय, इन पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इन परियोजनाओं का बड़ा महत्व है किन्तु जिस गति से इनका निर्माण किया जा रहा है तथा जिस प्रकार इनके लिए धन का आबंटन किया जा रहा है, उस हिसाब से आगामी 20 वर्षों में भी यह परियोजनाएं कार्य नहीं कर पावेंगी। यह एक दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति होगी। समय व्यतीत होने के साथ-साथ इन परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि होगी और यह देश की संपत्ति का नुकसान ही होगा।

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी]

महोदय, इन परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण से इन पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों की विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, यहां का विद्युतीकरण हो पायेगा तथा कुछ सीमा तक बेरोजगारी भी दूर होगी। मुझे खेद है कि सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इन दोनों जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक धनराशि का आबंटन कर इनका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : महोदय, मुझे उड़ीसा के कालाहण्डी जिले के जूनागढ़ निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक श्री विक्रम केशरी देव का टेलीफोन से सन्देश प्राप्त हुआ है कि कलमपुर, जूनागढ़, भवानी, पटना, धर्मगढ़ और हटी, टेल और उदान्ती नदियों के निकटस्थ क्षेत्रों पर बाढ़ का अत्यन्त प्रभाव पड़ा है। अप्रत्याशित भारी वर्षा के कारण, टेल, हटी और उदांती नदियां किनारों से ऊपर बह रही हैं जिससे कृषि क्षेत्रों और छप्पर वाले घरों को क्षति पहुंची है तथा सड़कें टूट गई हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता और राहत की जरूरत है क्योंकि राज्य सरकार की सहायता सभी क्षेत्रों में बहुत कम हैं।

इसलिए इस सम्माननीय सभा से मैं अपील करता हूं कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : महोदय, आपके माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा।

केरल के लोग एल०पी०जी० कनेक्शन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। केरल में, एल०पी०जी० की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। केरल में प्रत्येक एल०पी०जी० एजेन्सी में बहुत से आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं। आवेदक एल०पी०जी० कनेक्शन के लिए पांच वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

केरल में एल०पी०जी० की मांग बहुत अधिक है परन्तु आबंटन बहुत कम है। भारत सरकार इस बात से परिचित है कि केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। केरल में मिट्टी के तेल की उपलब्धि बहुत कम है और वहां जलाने की लकड़ी की भारी कमी है।

केरल में दूसरे राज्यों की तुलना में एल०पी०जी० एजेंसियां बहुत कम है। भारत सरकार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एजेंसी आवंटन की मांग करने वाले आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है।

अतः मैं भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वह केरल के लोगों की आवश्यक मांग पर गौर करें और अतिशीघ्र इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री धनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस गम्भीर मामले पर गौर करें जो मैं उठा रहा हूं। समाचार पत्रों में छपा है कि कर्नाटक में परसों एक आय-

कर छापे में शराब के एक बड़े व्यापारी के घर से एक सौ बीस करोड़ से ज्यादा की परिसम्पत्तियों के दस्तावेज और नकद राशि मिली है जो कि बेहिसाब थी।

कल भी शराब के एक और बड़े व्यापारी के घर पर एक छापे में अस्सी करोड़ से ज्यादा की परिसम्पत्तियां और नकद राशि मिली है।

ऐसा कहा गया है कि बंगारप्पा मंत्रालय के एक मंत्री इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। नाम न बताएं।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं नाम नहीं ले रहा हूं हालांकि मुझे नाम मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्ति का नाम मत लीजिए।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : यह एक आरोप है।

श्री वी० धनंजय कुमार : कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। यह सच है। बंगारप्पा मंत्रालय का एक कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार का एक मुख्य सचिव प्रत्यक्ष रूप से इस मामले से सम्बद्ध हैं और राज्य उत्पाद शुल्क आयुक्त और एक कैबिनेट मंत्री इस शराब के व्यापारी द्वारा कुछ महीने पहले आयोजित एक समारोह में शामिल हुए थे।

अब मैं जानना चाहूंगा कि इतना धन कहां से आता है? इसके पीछे कौन है? इस मामले में कितने उच्च स्तर के राजनीतिज्ञ शामिल हैं? इस बेहिसाबी धन और परिसम्पत्तियों का राजनीतिज्ञों और अधिकारियों से क्या सम्बन्ध है।

मैं दूसरे मुद्दे का भी जिक्र करना चाहूंगा। आज के इण्डियन एक्सप्रेस में कर्नाटक के अनेक मामलों का जिक्र है। शायद तीन चार पृष्ठों में अनेकानेक रिपोर्ट हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित हैं। अब संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। परन्तु हम सुनते आ रहे हैं कि कर्नाटक में, सरकार ही सी०बी०आई० जांच में बाधा डाल रही है।

आज के समाचार पत्रों में छपा है कि कर्नाटक सरकार का न्याय मंत्री, स्वयं फेयरग्रोथ मामलों से सम्बद्ध है और उसके पास से भारी संख्या में शेयर मिले हैं। वह लगातार सी०बी०आई० जांच में बाधा डाल रहे हैं। परन्तु यदि वस्तुस्थिति यही है तो मैं नहीं जानता कि इन आयकर छापों फेयरग्रोथ मामले में आगे जांच कर्नाटक में ठीक प्रकार से होगी। इस समय मैं यह नहीं कहना चाहता कि इन मामलों से मुख्य मंत्री, अधिकारियों और कैबिनेट के और कई मंत्रियों का सीधा सम्बन्ध है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मैं चाहूंगा कि सरकार सभी तथ्यों को सभा पटल पर रखे, ताकि सदन को राजनीतिज्ञों, शराब के व्यापारियों उच्च अधिकारियों के गठजोड़ की जानकारी मिल सके जो कर्नाटक के प्रतिभूति घोटाले में शामिल हैं। (व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, तीन दिन पहले सदन ने एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई है, इस मामले की जांच करने के लिए सी०बी०आई० जांच साथ-साथ चलती रहेगी। परन्तु वह समाचार परेशान करने वाली है जिसमें कहा गया है कि बंगलौर में फेयरग्रोथ फाइनेंसियल सर्विसेज लि० की जांच हेतु सी०बी०आई० और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के प्रयासों में बाधा डाली

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

जा रही है। इसमें आगे कहा गया है कि यह पता लगा है कि उस जांच में बाधा डाली गई है क्योंकि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए सी०बी०आई० को राज्य के विधि मंत्री की अनुमति लेनी पड़ी जिसके पास इस कम्पनी के शेयर हैं। मैं इसे उद्धृत नहीं करना चाहता। परन्तु मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि सी०बी०आई० जांच में किसी प्रकार की बाधा न डाली जाए। अन्यथा संयुक्त संसदीय समिति के कार्यों में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न होगी। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं माननीय विपक्षी नेता को आश्वासन देना चाहूंगा कि यह सरकार की नीति रही है—इसका निर्णय पहले से लिया जा चुका है और हम सभा में कह चुके हैं कि यह सरकार किसी भी तरीके से इस जांच में बाधा नहीं डालेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपकी सरकार नहीं, परन्तु दूसरी सरकार। (व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : क्या यह संभव नहीं है कि भारत सरकार सभी राज्य सरकारों को सी०बी०आई० को सहयोग देने को कहे? (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : कृपया अब इस पर चर्चा न करें। इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति है। वह इस पर विचार करेगी। मैं यही कह रहा हूं कि जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा है कि काफी अधिक राशि बरामद की गई है और अगर यह सच है तो मैं इसके बारे में नहीं जानता लेकिन अगर उन्हें सहयोग नहीं मिलता तो वे इतनी धनराशि बरामद नहीं कर सकते थे। इसलिए ये परस्पर विरोधी वक्तव्य हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में अधिकाधिक घुसपैठियों को प्रवेश दिलाने की कार्यवाही और उग्रवादियों की हौसला अफजाही की कार्यवाही दोनों देशों की सेक्रेटरी स्तर की वार्ता का माहौल बिगाड़ने हेतु सियाचिन, पुंछ, राजोरी, डोडा आदि स्थानों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों पर कार्यवाही तेज करदी है और गोलीबारी भी होती रहती है। इस तरह से भारतीय सीमाओं पर उत्तेजक कार्यवाही में वृद्धि की जा रही है। हमारी सीमा 280 किलो मीटर है और वास्तविक सीमा रेखा पर दबाव डाल कर कश्मीरी आतंकवादियों को समर्थन करने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। आज कश्मीर में इसकी वजह से विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दें और ईंट का जवाब पत्थर से दें अगर पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता रहा और आतंकवादियों को हिन्दुस्तान की सीमा में घुसाता रहा और सेना पर आरोप लगाता रहा कि सात हजार भारतीयों ने पाकिस्तानियों पर गोली चलाई है जिसका अखबारों में प्रचार हो रहा है और प्रधान मंत्री खुले आम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर और कश्मीर पाकिस्तान का ··· (व्यवधान) हमें कड़ा विरोध करना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बारे में एक स्टेटमेंट देने की कृपा करें ··· (व्यवधान)

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से हरिजन उत्पीड़न के बारे में कहना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद में श्री गोमती प्रसाद जनता दल के संयोजक थे। इनहोंने गत वर्ष एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किए जाने पर रिपोर्ट लिखायी थी जिसमें अपराधी गिरफ्तार हुआ। उन्होंने धमकी दी कि तुम्हें हम जान से मरवा देंगे। जो गिरफ्तार हुए थे जब जेल से छूटकर आए हैं तो 28-29 तारीख की रात को सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। एक दूसरे चौरह हरिजन उनको बेगार कराना चाहते थे और बेगार नहीं किया तो उसे पकड़कर एक ठाकुर साहब ने गोली चलाई तो वे भागकर सीताराम यादव के घर में घुसे। घर से पकड़कर और उसकी दोनों बांह उल्टा करके ट्रैक्टर पर बांध दी। गगहा थाने में स्वर्ण बनाम हरिजन का मुकदमा कायम नहीं हुआ। कुंवर रेवती रमण सिंह, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश तथा अन्य अपराधियों के बीच में और जिलाधिकारी गोरखपुर तथा पुलिस कप्तान से गोमती प्रसाद ने कहा था की मेरी हत्या हो जायगी तो मेरी सुरक्षा की जाए। किंतु पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं की। मात्र हरिजन उत्पीड़न पर आवाज उठाने के कारण उनकी हत्या की गई। अपराधी इस सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किए गए जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रिश्तेदार हैं और थानाध्यक्ष गगहा, गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार हैं। मैं सदन से मांग करता हूं कि हरिजन उत्पीड़न समाप्त किया जाए और इसकी जांच करायी जाए।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, अभी तक भारतीय छात्रों का चयन इंडो-सोवियत एजूकेशन केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के माध्यम से होता था। यू० एस० एस० आर० में आए राजनैतिक संकट तक इन चुने हुए छात्रों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भेजा जाता था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद और इसके राज्यों के पृथक होने की प्रक्रिया के दौरान अनेक भारतीय छात्रों को स्थानीय सरकारों के बदलने के कारण बिना किसी कारण के ही हटा दिया गया और उन्हें तदर्थ आधार पर विभिन्न संस्थाओं में भेजा गया है जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। यह पता चला है कि मास्को में भारतीय दूतावास इस समस्या पर विचार कर रहा है और मास्को में प्राधिकारियों के साथ बातचीत का प्रयास कर रहा है।

इसलिए, मैं विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि निम्न मुद्दों पर तत्काल प्रभावी कदम उठाए :

(क) ऐसे सभी छात्रों के मामले पर विचार करना चाहे वे इंडो-सोवियत कलचरल फाउंडेशन या मंत्रीमंडलीय सिफारिशों द्वारा चुने गए हैं और उन्हें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में भेजना;

(ख) ठहरने और भोजन की सुविधाएं बहाल करना जिन्हें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय उन्हें देने का वायदा किया गया था;

(ग) अन्त में यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारतीय छात्रों से सम्पर्क किया जाए और पता लगाया जाए कि इन परिवर्तनों के कारण वे अन्य किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो उन के शैक्षिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालेंगी और उन्हें उनके समाधान का प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपके जरिये

[श्री भोगेन्द्र झा]

सरकार का और सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। सौभाग्य से हमारे उत्तर में संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, जो ग्लेशियर से ढका रहता है। उस सम्बन्ध में भारत और नेपाल में उप-आयोग बना है जिसके जरिये वार्ता चलती रहती है। जो नदियां हैं जैसे करनाली, बागमती, कोसी, कमला, तीस्ता, पंचेश्वर आदि इन पर बहु उद्देशीय डैम बनाने की योजना है जिससे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सभी काम हो सकते हैं। दुखद खबर है कि जो हाल में वार्ता हुई है उसमें भारत की ओर से स्टीमर की सेवा कोसी में जो होनी थी उसका विरोध किया गया है। और उसको शामिल नहीं किया गया है। यह हमारे और नेपाल के भी हित में नहीं है। इससे नेपाल में बेवजह गलतफहमी पैदा की गई है। जो भारत सरकार की ओर से अधिकारी वार्ता करते हैं वे लगता है विषय को सही तरीके से जानते नहीं हैं। वे ठीक से जान लें वरना नेपाल जो हमारा मित्र देश है और पड़ोसी भी है उसके साथ वार्ता करते समय हितों पर चोट हो सकती है। पहले भी 1981 में भारत सरकार की ओर से प्रतिवेदन गया था यह उसके विपरीत है। इसलिए उप-आयोग में भारत सरकार की ओर से जो वार्ता करने के लिए जाते हैं उन्हें विषय की सही जानकारी होनी चाहिए और वे ठीक से वार्ता करें। स्टीमर का जो विरोध हुआ है उसको भी वापस लें और जो संयुक्त सर्वेक्षण होना है उसको जल्दी करायें और लम्बे अर्से तक न टाला जाये। इस के अलावा जो इन नदियों पर बहुउद्देशीय डैम बनने हैं वे बनाये जायें इससे उत्तरी भारत और नेपाल की काया-कल्प हो जायेगी।

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्रप्रदेश में विद्युत संकट सूखे की स्थिति को और गंभीर बना रहा है इसलिए केन्द्र से अनुरोध है कि वह पहल करे और राज्य को इस संकट से बचाए।

महोदय, इस समय आन्ध्र प्रदेश राज्य में उपलब्ध ऊर्जा लगभग 3,000 मैगावाट है जबकी मांग लगभग 4,000 मैगावाट है और गत चार-पांच वर्षों से कृषि क्षेत्र में विद्युत कनैक्शन लेने के लिए 3 लाख से अधिक मामले लम्बित पड़े हैं। यह सर्वविदित है कि राज्य प्रतिदिन की विद्युत कटौतियों से बुरी तरह प्रभावित है और इस कारण उद्योग और कृषि दोनों प्रभावित हैं।

जहां तक भविष्य की योजनाओं का सम्बन्ध है, वे तब प्रभावित हुई जब केन्द्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस उपलब्धता के अनुमानों को बहुत कम कर दिया। यद्यपि हाल ही में प्रधान मंत्री ने निकटवर्ती क्षेत्र में ताप विद्युतसंयंत्रों का उदघाटन किया था लेकिन उनसे इस संकट को तत्काल राहत नहीं मिल सकती।

इस मौजूदा संकट से मानसून की विफलता के कारण भी विशेषकर मौजूदा सूखे की स्थिति और अधिक बिगड़ रही है। गंभीर विद्युत संकट को देखते हुए मैं भविष्य के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक विद्युत योजनाएं और तत्काल बचाव उपाय करने का सुझाव देता हूं।

पहला यह कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में संकट को दूर करने के लिए अन्य राज्यों से आवश्यक विद्युत की मदद की है व्यवस्था की जाए। दूसरा यह है कि स्थाई आधार पर गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और लम्बित पड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी जाए तीसरा यह है कि विद्युत के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के सलाहकार श्री एन० टाटा राव के सुझाव अनुसार दक्षिणी गैस ग्रिड बनाई जाए और बम्बई हाई को दक्षिणी राज्यों से जोड़ा जाए।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, बार्सिलोना आलम्पिक के सम्बन्ध में हमारे कुछ साथियों ने यहां सवाल उठाया है मैं उन लोगों के साथ अपनी बात को सम्बद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि बार्सिलोना ओलम्पिक में जो भारतीय खिलाड़ियों की शर्मनाक पराजय हुई है उससे सारा देश शर्म महसूस कर रहा है, लेकिन दुःख है कि सदन शर्म महसूस नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर सदन में आधा घंटा की चर्चा कराई जाए। खेलकूद में राजनैतिक दखलंदाजी बन्द नहीं होगी तब तक भारतीय खेलों का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है। भारत जैसे व्यापक देश में कोई खेल नीति नहीं है, इसलिए इसके लिए सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। जिनको खेल से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना-देना नहीं होता है उन लोगों को चयन समिति में रखा जाता है जिनका कि खेल से दूर-दूर का रिश्ता नहीं रहता है। चयन समिति में कम से कम जो भारत में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। उन्हें निश्चित रूप से चयन समिति में रखा जाए। जितने भारतीय ओलम्पिक संघ, खेल संघ या अन्य फेडरेशन बने हुए हैं, उनको समाप्त करके भारतीय स्तर पर खेल संगठन बनाया जाना चाहिए तभी इस देश में खेल के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि इसपर चर्चा करायेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप चेयर पर बैठे हुए हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें कि इस पर चर्चा करायी जाए और व्यापक ढंग से इस पर चर्चा हो तो भारत के खेल का स्तर ऊंचा उठ सकता है और भारत के सम्मान की रक्षा हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं कहना चाहता हूं कि हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे। अगर समय रहा तो हम निश्चित रूप से सभा में इस मामले पर चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी भावनाओं को ध्यान में रख लिया गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम अधिक से अधिक सदस्यों को मौका देना चाहते हैं। इसके लिए आपका सहयोग भी आवश्यक है। क्या हम शून्य काल को किसी भी अवधि तक बढ़ा सकते हैं? हमें इस मुद्दे पर भी गौर करना चाहिए। यदि मैं कहूं कि अन्य विषय भी लेने हैं तो आप समझते हैं कि आप इससे आहत हुए हैं। इसलिए कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटे स्वरलु (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक महत्व का महत्वपूर्ण मुद्दा है जो चेरूकुपल्ली ग्रामीण टैलीफोन एक्सचेंज को किसी निकटवर्ती एस० टी० डी० इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज से न जोड़े जाने के बारे में है। हाल ही में आन्ध्रप्रदेश के गुंटूर जिले में रेपाल्ले में एस० टी० डी० सुविधा दी गई है और बापटला में यह सुविधा दो वर्ष पूर्व दी गई थी। लेकिन स्थानीय काल और एस० टी० डी० सुविधा के लिए एक्सचेंजों को एक साथ मिलाते समय चेरूकुपल्ली मंडल मुख्यालय और इसके निकटवर्ती गांवों को छोड़ दिया गया और रेपाल्ले या बापटला किसी से भी नहीं मिलाया गया ये दोनों ही एस० टी० डी० सुविधा युक्त निकटवर्ती इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज हैं।

[प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु]

चेरूकुपल्ली तथा इसके आसपास के टेलीफोन उपभोक्ता निकटवर्ती एक्सचेंज में न मिलाने और एस० टी० डी० सुविधा न देने के मुद्दे पर आन्दोलन कर रहे हैं।

चेरूकुपल्ली रेपाल्ले विधान सभा क्षेत्र के तहत आता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चेरूकुपल्ली और चेरूकुपल्ली ग्रामीण एक्सचेंज के तहत गांवों को रेपाल्ले इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में मिलाया जाए और इस प्रकार चेरूकुपल्ली तथा इसके समीपवर्ती गांवों जैसे कवुर, विनायसराम और अन्य गांवों के टेलीफोन उपभोक्ताओं को एस० टी० डी० सुविधा दी जाए।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : इस सभा ने महिलाओं पर अत्याचार की समस्या को गम्भीरता से लिया है। अनेक घटनाओं की रिपोर्ट की गई। और अनेक पर चर्चा हुई। हाल ही में पंजाब में जालंधर में एक घटना बताई गई है। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसमें एक कान्वेंटमें असहाय महिला ननों साथ लूट-खसोट की गई। दो सप्ताह पूर्व रात में कुछ लोग आए। वे कान्वेंट में गए और उन्होंने न सिर्फ कान्वेंट की सम्पत्ति लूटी बल्कि वहां पर ननों से छेड़खानी की। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह आतंकवादियों का कार्य है। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह काम आतंकवाद की आड में किया गया है लेकिन आतंकवादियों द्वारा नहीं किया गया। इस घटना की शर्मनाक प्रकृति के कारण इन असहाय महिलाओं, ननों ने पुलिस को इसकी रिपोर्ट नहीं की।

मैं कहता हूं कि देश में विभिन्न स्थानों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दो वर्ष पूर्व गजरौला में ऐसी घटनाएं हुई थी। इस लिए में सरकार से आग्रह करता हूं कि इसे गंभीरता से ले। मेरा सुझाव है कि इस घटना की कोई जांच कराई जाए। मेरे पास जो जानकारी है वह सरकार को दे दी जाएगी। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस मामले में तत्काल सख्त कार्यवाही करे।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री थामस द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, : ठीक है, आपकी भावनाएं भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी प्रार्थना यह है कि एक जमाना था जब तीसरी दुनिया की कोई भी समस्या सामने आती थी तो उस समय भारत सरकार कुछ अगुवाई करने का काम करती थी।

इस साल अफ्रीका के अनेक देशों में बहुत भारी अकाल पड़ा है। सोमालिया से जो खबरें आ रही हैं, वहां रोटी न होने के कारण तीन हजार से अधिक बच्चे हर दिन मर रहे हैं। यह तो बच्चों की बात है। बड़ों की तादाद आप उसमें जोड़ेंगे तो उसमें एक हजार लोगों को और जोड़ना पड़ेगा। 4000 लोगों की मृत्यु सोमालिया में प्रतिदिन हो रही है। इथोपिया की स्थिति उससे भी अधिक खराब है और आज दक्षिण अफ्रीका के हिस्से में भी बहुत भारी अकाल है जिसमें कुल मिलाकर अंदाजन करीब सात-आठ हजार लोग प्रतिदिन रोटी के बगैर मर रहे हैं। सूखे की निर्माण की हुई यह परिस्थिति है। मैं मानता हूं कि हम लोग भी कोई अमीर देश नहीं हैं लेकिन जिनके पास साधन हैं,

जो मुल्क आज अमीर हैं, वे अपनी-अपनी राजनीति में अथवा अपनी-अपनी परेशानियों को हल करने में लगे हुए हैं। अफ्रीका की तरफ किसी की भी नजर नहीं जा रही है। इसके पीछे जो बड़ी बात है मैं उसमें नहीं जाउंगा। आई० एम० एफ० ने अफ्रीका को कहां पहुंचा दिया? अफ्रीका को आज आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक से सहायता नहीं मिल रही है। अफ्रीका से पैसा उनकी तरफ आ रहा है। रिवर्स फ्लो हो रहा है। इन सब चीजों को मैं यहां पर नहीं लाउंगा लेकिन मैं भारत सरकार से दो मांगें करना चाहता हूं। एक तो आप पहल करें और दुनिया के जिन देशों को आज अफ्रीका में कुछ अनाज पहुंचाने कि आवश्यकता है, उन्हें कहीं न कहीं एक मंच पर अनौपचारिक ढंग से, औपचारिक ढंग से तत्काल बुलाकर इस जिम्मेदारी को अपने उपर लाने का काम करें कि अफ्रीका में राहत पहुंचाएं। दूसरी प्रार्थना मेरी यह है कि आप तत्काल एक जहाज गेहूं का सोमालिया को भेजें। एक जहाज में दस हजार टन सामान आ जाता है, तो एक जहाज इथोपिया या सोमालिया को भेजें। हमारी प्रार्थना होगी सोमालिया के लिए। मगर चूंकि वहां अनाज को बांटने के लिए उनके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और वह अपेक्षा करते हैं कि आपके कोई स्वयंसेवक वहां जाएं उसे बांटने के लिए और उन बच्चों की जान बचाने के लिए, तो हम लोग अफ्रीका में और दुनिया की अनेक जगहों पर अपनी सेना को भेज चुके हैं। कई जगहों पर लड़ाई लड़ने के लिए पीस कीपिंग फोर्स के नाम से, लेकिन कई जगहों पर सचमुच में पीस कीपिंग के लिए। तो 500 जवानों को सोमालिया भेजने का काम करें ताकि रोटी को लोगों तक पहुंचाने का काम भी हो सके।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हूं। उन कुछ दिनों के दौरान मैंने बी० बी० सी० पर देखा कि हर तरफ जवान बच्चे पड़े हैं और वे बहुत ही कमजोर और पतले हैं। उनमें अधिकांश मृत्यु के कगार पर हैं। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं और मैं इसे माननीय प्रधान मंत्री के नोटिस में ला दूंगा।

श्री आर्कर फर्नान्डीज : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : मेरा अनुरोध है कि कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। कर्नाटक कच्चा रेशम उत्पादन करने वाला एक प्रमुख राज्य है। कर्नाटक ने विश्व बैंक की सहायता से लगभग 6,300 टन कच्चा रेशम उत्पादित किया है। अब अक्सर चीन तथा अन्य देशों से आयात किया जा रहा है और स्थानीय उत्पादन और रोजगार को पूर्णतया हतोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए इस आयात पर पूर्ण रोक लगाई जाए क्योंकि रेशम-कीट पालन बहुत ही लाभप्रद रोजगार है और इसमें कम उम्र के बच्चे तथा बूढ़े भी लगे हुए हैं और गन्ने तथा अन्य फसलों की तुलना में अधिक आय देता है। इसलिए इस देश में इसके आयात की अनुमति से रेशम के उत्पादन में रुकावट आएगी, विशेषकर कर्नाटक प्रभावित होगा।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि रेशम आयात पर रोक लगाई जाये।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर लगभग 40 लाख बीड़ी मजदूर हैं, उनकी दयनीय स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज उनकी हालत बहुत ही खराब है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले प्राविडेंट फण्ड के मामले में

[श्री विजय कुमार यादव]

फैसला दिया था, परन्तु अभी तक उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो वैल्फेयर फण्ड मजदूरों के हितों के लिए कटता है, मालिकों की ओर से, पिछले साल का रिकार्ड है कि लगभग 200 करोड़ रुपये सरकार को उसके अन्तर्गत आमदनी हुई है लेकिन सरकार ने मजदूरों के हित में मात्र 7 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं। उन्हें पहले ही बहुत कम मजदूरी मिलती है, एग्रीकल्चरल लेबर की तरह उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। उनको अभी तक सेवा-कार्ड भी नहीं मिले हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी जितनी परेशानियां हैं, क्योंकि उनके जो मालिक हैं, उन्होंने मजदूरों को फैक्टरियों से हटाकर अपने घरों में लगा लिया है, उनकी जो सारी दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार कोई एक सैन्ट्रल कानून सदन में लाए और बीड़ी मजदूरों को उचित संरक्षण दे, प्रोटेक्शन दे, यही मेरा निवेदन है।

1.37 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में तटवर्ती गांवों के मछुआरों के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, मानसून मौसम के दौरान विपरीत परिस्थितियों के कारण अरब सागर के दक्षिण-पश्चिम तट के साथ-साथ अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। कन्याकुमारी जिले के अरब सागर तटीय गांव सर्वाधिक प्रभावित हैं। अशांत सागर और क्रूर लहरों ने वहां अत्यधिक नुकसान किया। आठ मछुआरे तूफानी हवा में फंस गए और वापस नहीं लौटे। कन्याकुमारी जिले के विभिन्न तटीय गांवों में मछुआरों के 350 मकान समुद्र में बह गए। उनकी मत्स्य नौकाएं, उपकरण और जाल समुद्र में बह गए। उनकी आजीविका का साधन समाप्त होने से उनका गरीबी से ग्रस्त जीवन-स्तर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जहां भी आवश्यक हो, वहां पर समुद्र के कटाव को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। मत्स्य बन्दरगाह और केरल की तरह खराब मौसम से अक्सर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में समुद्र के अन्दर दीवारें खड़ी करने की उनकी मांगों को भी यथा शीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गौर करे।

(दो) केरल में नाइलोन और नेडुमपाइकुलम में रेलवे ऊपरी पुलों का पुनर्निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, केरल में क्विलोन-मद्रास मीटर गेज रेल लाइन दो पुराने ऊपरी पुलों—नाइलोम तथा नेडूपाईकुलम द्वारा जुड़ी हुई है। इन दोनों ऊपरी पुलों की हालत बहुत खस्ता है। इस क्षेत्र के लोगों द्वारा इन दोनों पुलों के पुर्ननिर्माण की मांग बहुत समय से की जा रही है।

नाइलोम ऊपरी पुल केरल की एम० सी० सड़क पर बना हुआ है। इस सड़क पर भारी यातायात दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। यह पुल कम चौड़ा है जिसके कारण वहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

नेडुपाईकुलम ऊपरी पुल की स्थिति भी नाइलोम ऊपरी पुल के समान है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन दोनों ऊपरी पुलों के पुनर्निर्माण हेतु शीघ्र कदम उठाए।

(तीन) राजस्थान में सिद्धमुख और नोहर फीडर के निर्माण के लिए धनराशि शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के सिद्धमुख व नोहर फीडर का बजट मंजूर किया जाए। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सिद्धमुख और नोहर फीडर के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जाए। सिद्धमुख फीडर के पूरा होने पर गंगानगर जिले की भादरा तहसील के 53 गांव व नोहर तहसील के 20 गांव और चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के 14 गांव तथा तारा नगर तहसील के दो गांवों की कुल 86 हजार 209 हैक्टेयर वर्षों से प्यासी धरती हरे-भरे खेतों से लहलहा उठेगी। इसी तरह नोहर फीडर के पूरा होने पर नोहर तहसील के 32 हजार 536 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। इन दोनों फीडरों के निर्माण की लागत राशि यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा 135 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये जाने की सम्भावना है तथा शेष 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। सिद्धमुख फीडर की कुल लम्बाई 107 किलोमीटर है, जिसमें से 87 कि० मी० का निर्माण कार्य हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा सरकार द्वारा तथा शेष राजस्थान क्षेत्र में निर्माण कार्य राजस्थान सरकार द्वारा करवाया जायेगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार को फीडर की कुल लागत का 46 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा और अब तक हरियाणा सरकार को एक करोड़ 93 लाख रुपये फीडर के सर्वे और प्लानिंग आदि के कार्यों के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सिद्धमुख फीडर पर 20 कि० मी० तक मिट्टी खुदाई के लिए कार्य जनवरी, 1992 में प्रारम्भ किए गए थे और अब लगभग 80 प्रतिशत से भी अधिक मिट्टी की खुदाई का कार्य हो गया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन दोनों नहरों का पूरा निर्धारित बजट मंजूर करके सुचारू रूप से काम शुरू करवाने का प्रबन्ध करें।

(चार) बरेली, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं आपको निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं :—

"बरेली में दस हजार लाइन का इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने हेतु मैं पूर्व में कई बार आग्रह कर चुका हूं। बरेली उ० प्र० का एक प्रमुख औद्योगिक महानगर है तथा करीब 12 हजार टेलीफोन उपभोक्ता हैं तथा प्रतीक्षा सूची में भी काफी नाम हैं। इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज न होने के कारण बरेली के उपभोक्ता अत्यधिक परेशान रहते हैं तथा इस कारण

[श्री सन्तोष कुमार गंगवार]

सरकार को राजस्व की भी हानि होती है। मेरा आग्रह है कि केन्द्रीय संचार मंत्री बरेली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बरेली में दस हजार लाइन के इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज के लगाए जाने की तत्काल घोषणा करें।"

(पांच) उत्तर प्रदेश में हाथरस स्थित जे० के० पेट्रो-केमिकल्स परियोजना को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं :—

"उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस संसदीय क्षेत्र में जे० के० पेट्रो-केमिकल्स परियोजना, सलेमपुर विगत कई वर्षों से स्वीकृत होते हुए भी लम्बित पड़ी हुई है। प्रान्तीय सरकार ने इस परियोजना हेतु सभी आवश्यकताएं पूरी करा दी हैं। अब केवल केन्द्र सरकार और अनुबन्धक को ही कार्य प्रारम्भ करके उक्त परियोजना को चालू करना शेष रह गया है। मैंने इसके पूर्व पिछले संसदीय सत्रों में इस परियोजना को लेकर कई बार केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है, किन्तु अभी तक कोई भी सन्तोषजनक प्रत्युत्तर नहीं मिला। इस परियोजना का शिलान्यास स्व० प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने इस क्षेत्र के अत्यधिक पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखकर ही इस उद्देश्य से किया था कि इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा और यहां के सैकड़ों शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। केन्द्रीय सरकार से मुझे तथा क्षेत्र की जनता को अपेक्षा है कि वह इस परियोजना को प्रारम्भ कर के स्व० राजीव गांधी के सपनों को साकार करेगी।

अतः केन्द्रीय शासन से मैं मांग करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कराए।"

(छः) भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, देश में प्रत्येक भाषायी वर्ग का एक या अधिक राज्यों में बहुमत होता है और अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अल्पमत होता है। लगभग सभी राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ प्रशासन, शिक्षा और सूचना के क्षेत्र में न्याय नहीं किया जाता है। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के कार्यालय में बहुत कम कर्मचारी हैं और संसद ने इसके प्रतिवेदनों पर कभी चर्चा भी नहीं की। भाषायी अल्पसंख्यकों की मुख्य शिकायत यह है कि त्रिभाषा फार्मूले को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, उनकी मातृभाषा का विकास नहीं किया जाता है, विद्यालयों में पढ़ाई के माध्यम के लिए उनकी मातृभाषा की सुविधा नहीं है और सरकारी नौकरी में राज्य की प्रमुख भाषा में दक्षता की पूर्व अनिवार्य शर्तें हैं और साथ ही साथ दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर समय देने और समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन सहित सरकारी मीडिया में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है।

इन सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय मतैक्य बन सके और उसे लागू कर शिकायतें दूर की जा सकें।

(सात) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग को सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पटसन उद्योग गम्भीर खतरे का सामना कर रहा है। यह एक तथ्य है कि अधिकांशत: यह उद्योग पश्चिम बंगाल में स्थित है जहां 5.62 लाख हेक्टेयर भूमि पर पटसन और मिस्टा की खेती होती है, 1.5 मिलियन उत्पादनकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं, 59 पटसन मिल कार्यरत हैं, इन मिलों में 2.5 लाख मजदूर कार्य करते हैं तथा पटसन और पटसन उत्पादों के व्यापार, परिवहन, भंडारण तथा बिक्री के कार्य में लगे हुए अनेक परिवार इसके माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अन्य देशों तथा भारत में पैकेजिंग की सिंथेटिक सामग्री के साथ प्रतियोगिता होने से पटसन बाजार में गिरावट आई है। केन्द्र सरकार ने भी स्वयं खाद्यान्नों के लिए आवश्यक बी० टुइल के बोरों की खरीद कम कर दी है। पटसन उद्योग, पटसन उत्पादनकर्त्ताओं, मजदूरों तथा अन्यों को बचाने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाएं :—

(एक) सिंथेटिक पैकेजिंग के स्थान पर प्राकृतिक रेशे की सामग्री का उपयोग;

(दो) केन्द्र सरकार द्वारा बी० टुइल बोरों की खरीद;

(तीन) पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम को कड़ाई से लागू करना;

(चार) भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण, पटसन उत्पादकों से पटसन खरीदने की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए इसे पर्याप्त कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराई जाए।

(आठ) न्यू जलपाईगुड़ी और सिक्किम के बीच एक नई रेलगाड़ी "कंचनजंगा एक्सप्रेस" चलाये जाने की आवश्यकता

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : रेलवे हमारे देश का मुख्य अंग है लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसे अभी तक रेल मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। सिक्किम के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। यह स्टेशन पूरे उत्तर बंगाल, भूटान, नेपाल और सिक्किम की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यातायात बढ़ने के कारण न्यू जलपाईगुड़ी का वर्तमान प्लेटफार्म बहुत अधिक भीड़-भाड़ वाला हो गया है। प्लेटफार्म को और अधिक खुला बनाया जाना चाहिए।

बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए सिक्किम के लिए बर्थ और सीटों के कोटे का आरक्षण अपर्याप्त है। सिक्किम की जनता को न्यू जलपाईगुड़ी से यात्रा करने के लिए आरक्षण उपलब्ध होता है लेकिन दिल्ली अथवा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से वहां जाने के लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

सिक्किम की जनता को न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए पांच घंटे की कठिन सड़क यात्रा करनी पड़ती है। वहां पहुंचने पर उन्हें गाड़ी में चढ़ने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि वह पहले से ही भरी होती है, यह सुदूर पूर्वोत्तर से प्रारम्भ होती है। जो व्यक्ति बीमार है और अपना इलाज कराने के लिए बाहर जा रहा है अथवा विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की समस्या और भी गम्भीर है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि सिक्किम की जनता की समस्या की ओर ध्यान दे तथा न्यू जलपाईगुड़ी से एक नई गाड़ी चलाए जिसका नाम 'कंचनजंगा एक्सप्रेस' हो और जब तक सिक्किम को रेल मार्ग से जोड़ा नहीं जाता है तब तक इसमें कम से कम दो डिब्बे सिक्किम वासियों के लिए आरक्षित किए जाएं।

1.48 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.50 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.56 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.56 म० प० पर पुन: समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना, वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के बीच समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) नियम, 1992, जो 6 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1432 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—2470/92]

(2) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—2471/92]

(3) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०—2472/92]

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट आदि

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—2473/92]

(2) (एक) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—2474/92]

पूर्वोत्तर विद्युत निगम लिमिटेड, शिलांग और विद्युत विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन आदि

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं पूर्वोत्तर विद्युत नियम लिमिटेड, शिलांग और विद्युत विभाग के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—2475/92]

प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—2476/92]

(2) भारतीय व्यापार निगम लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०—2477/92]

2.58 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेल), 1992-93—जारी और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1988-89

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 और 10 को एक साथ लेंगे। श्री मुनियप्पा। वह उपस्थित नहीं हैं। श्री विजय कुमार यादव।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे किसी भी देश और राज्य के विकास का एक बड़ा साधन है लेकिन अफसोस इस बात का है कि मौजूदा केन्द्रीय सरकार रीजनल इम्बेलेंसेज को तो मानती जरूर है लेकिन इस इम्बेलेंस को दूर करने के लिए, जो राज्य पिछड़े हुए हैं उन राज्यों की जो वास्तविक तौर पर रेलवे के विस्तार में मदद करनी चाहिए, वह मदद नहीं मिल रही है।

रेल बजट के मौके पर भी जो बातें की गई थी और अध्यक्ष महोदय ने और प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, जब बिहार का सवाल उठा था, जब उड़ीसा का, बंगाल का और इस तरह के जो पिछड़े राज्य हैं, रेल के मामले में, जब यहां सवाल उठा था तो हस्तक्षेप किया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि रेल मंत्री, तमाम प्रान्तों के जो हमारे एम० पीज० हैं, उन से अलग-अलग मिलकर इस पर बात करेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। कागजी तौर पर मंत्री महोदय ने मीटिंग तो जरूर बुलाई और बिहार के सांसदों को भी, उसमें बुलाया गया और जो बातें हो सकीं, हम लोगों ने कहीं भी लेकिन आज तक उसपर कोई व्यवहार या कोई अमल नहीं किया गया।

बिहार रेल के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है और आज से नहीं, दुर्भाग्य इस बात का है कि बिहार के बहुत सारे एम० पीज; जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने रेल मंत्रालय को सुशोभित किया है लेकिन उन मंत्रियों ने भी बिहार में रेल के विस्तार के सिलसिले में जो कदम उठाने चाहिए थे, उन्होंने नहीं उठाये। अन्य जगहों के मंत्रियों को हमने देखा है, जो भी मंत्री हुए, उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र, अपने राज्य पर ज्यादा ध्यान दिया और अभी भी पिछले बजट सैशन में जो बात हो रही थी तो दक्षिण और उत्तर की बात और इस प्रान्त की बात उठी थी। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि जब लोक सभा के अन्दर इतनी ज्यादा चर्चा हुई है और सदस्यों में इतना रिजेक्टमैन्ट देखा गया है तो मंत्री जी जरूर उसमें कुछ सुधार करेंगे लेकिन अफसोस की बात है कि मंत्री जी के इस मामले में एटीट्यूड में कोई सुधार नजर नहीं आता है···

3.00 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

मैं यह कहना चाहता हूं कि मेन लाइन जो बिहार की है, मुगलसराय से लेकर आसनसोल तक उसके लम्बे समय से बिजलीकरण की बात चल रही है ···

लेकिन आज तक उसको हाथ नहीं लगाया गया है। नतीजे के तौर पर राजधानी जो सबसे

प्रेस्टिजियस ट्रेन है, जिसको मेन लाइन से चलना चाहिए, वह मेन लाइन पर न चल कर वाया गया होकर गाड़ी चलती है। यदि यह संभव हो सके, तो हफ्ते में दो दिन पटना से होकर उसको चलाने के बारे में विचार करिए। एक लम्बे-अर्से से, लगभग 20 वर्षों से, पटना में गंगा नदी में रेलवे पुल की मांग चली आ रही है। पिछले कई मंत्रियों ने रेलवे बजट में भी आश्वासन दिया था, जिसमें उत्तर और दक्षिण बिहार का सम्बन्ध नजदीक से जोड़ा जाएगा और गंगा पर रेलवे पुल की बात भी कही गई थी, लेकिन आज तक पटना में गंगा नदी पर रेलवे पुल का निर्माण नहीं हुआ है और न इस बजट में इस बात को रखा गया है।

जापान सरकार की ओर से बुद्धिष्ट सर्किट के विकास के लिए करोड़ों रुपए की मदद दी जाती है, जिसमें सोमनाथ, बौद्धगया और राजगीर आदि को मिलाकर एक सर्किट बनाने की बात है। उस को रेल के जरिए जोड़ने की बात की जाती रही है और जापान सरकार का भी इस मामले में इन्टरेस्ट है और उसने कुछ सहायता भी दी है। इस सर्किट के विकास के लिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप राजगीर को बौद्धगया से जोड़ें। राजगीर एक ऐसी जगह है, जो हिन्दू, मुसलमान, जैन व बौद्धों, सभी लोगों का धर्म स्थान है, लेकिन उसकी घोर उपेक्षा हो रही है। अगर यह इकोनोमिकली वायबल नहीं पड़ता है और इस नाम पर जापानी सरकार चाहती है, तो नए सिरे से आप इसका सर्वे करा लीजिए और इसकी पासिबिलिटीज का पता लगाइए। अगर यह लाइन जुड़ जाती है, तो निश्चित तौर पर यह इकोनोमिकली वायबल होगा और वहां की जनता को भी उस से फायदा होगा।

सभापति महोदय, एक बहुत पुरानी और छोटी लाइन है-फतुआ-इस्लामपुर- इस लाइन का राष्ट्रीयकरण हो गया है। इस लाइन को समाप्त कर दिया गया है, गाड़ी नहीं चलती है। उस क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं। इसलिए हमारी मंत्री महोदय से मांग होगी कि बड़ी लाइन द्वारा उसको फिर से चलाया जाए। वहां पर बड़ी लाइन बनाई जाए। पटना बाईपास से जो रेल लाइन जाती है, वहां पर ओवर-ब्रिज की जरूरत है, रेलवे लाइन के ऊपर उसको बनाना चाहिए। जमालपुर में 22 हजार मजदूर काम कर रहे हैं, वहां स्टीम इंजन का कारखाना है। चूंकि अब स्टीम इंजन के बारे में सरकार का फैसला है कि उसको एबालिश करना है, इसलिए वहां 22 हजार मजदूरों के बारे में विकट समस्या पैदा हो गई है। अभी भी उस फैंट्री में वैगनों के रिपेयर का काम लिया जाता है। यह जिम्मेदारी भी वहां के मजदूरों ने सफलतापूर्वक निभाई है। वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि वैगन और कोच के निर्माण के लिए वहा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो इसकी स्थापना की जानी चाहिए। इस समय वहां 22 हजार मजदूरों के सामने बेरोजगारी की तलवार लटकी हुई है, जिससे उनको छुटकारा मिल सके।

कलकत्ता से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां सुपर-फास्ट ट्रेन जो अर्से से चल रही हैं। अब तो सुपर फास्ट ट्रेन का नाम ही रह गया है। पोलिटिकल दबाव पर, बहुत ही कम दूरी पर उन गाड़ियों को ठहराया गया है और जहां जस्टिफिकेशन ठहराव का बनता है, वहां नहीं ठहराया गया है। इस मामले में मेरा अनुरोध है कि बख्तियारपुर जो एक बड़ा जंक्शन है, वहां हिमगिरी, डिलक्स और तिनसुकिया जैसी गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था की जानी चाहिए। पटना और गया बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों स्थान हैं। गया से जो लाइन गई है, वह सिंगल लाइन है। आज से ही नहीं, मैं तो 1980 से पार्लियामेंट का मेम्बर हूं उसके पहले से भी

[श्री विजय कुमार यादव]

रिकार्ड को मैंने देखा है कि मांग होती रही है, दोहरीकरण की मांग होती रही है। हमारे कुछ पुराने रेलमंत्रियों ने भी आश्वासन दिया था, रेलवे कन्सलटेटिव कमेटी ने भी आश्वासन दिया था, इनफार्मल कन्सलटेटिव कमेटी में भी आश्वासन दिया गया था। इनमें खुद माधवराव सिंधिया जी ने आश्वासन दिया था कि उसका दोहरीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक उसके दोहरीकरण के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये पटना बाईपास और फतुआ, दोनों काफी बिजी जगह हैं और रेलवे लाइन वहां से गुजरती है, काफी यात्रियों को दिक्कत होती है इसलिए वहां पर मेरे ख्याल से ओवर ब्रिज बनाने का काम किया जाना चाहिए।

बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों में रेलवे लाइन नहीं है। अब जैसे हजारीबाग बहुत मशहूर जगह है और आज तक वहां रेलवे लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत लम्बे अर्से से इसकी भी मांग की जाती रही है मैं समझता हूं कि यह सही है और आप यह कहेंगे कि अभी फंड की कमी है। मान लिया कि अभी आपका संकट है, आपको दिक्कत है लेकिन यह बहुत दिनों से, बहुत पहले से इसकी मांग होती रही है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता रहा है, मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

रेलवे एमीनिटीज में लगातार अन्दर गिरावट आ रही है, आप पैसे की मांग कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं कि हमको और पैसा चाहिए और हमेशा किराए में बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन अगर हमारे मंत्री महोदय कभी गाड़ियों में सफर करने की बात करें, स्पेशल वैगन लेकर के नहीं और ताम-झाम के साथ नहीं, बगैर इस बात की जानकारी के, कि रेलवे मिनिस्टर इस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो कम से कम आप जनता के प्रतिनिधि हैं और मिनिस्टर हो जाने के बाद तो हवाईजहाज से नीचे चलने की बात ही नहीं होती है और नतीजा यह होता है कि जो गाड़ियों में यात्री लोग चलते हैं उनके साथ क्या दिक्कत होती है, क्योंकि पहले का तजुर्बा आपको है, जब आप मंत्री नहीं थे तो गाड़ी से ही चलते थे या जब कोई मंत्री नहीं होता है तो गाड़ी से ही चलता है। आपको तजुर्बा तो जरूर है लेकिन मंत्री होने के बाद सारे तजुर्बे को भूल जाते हैं तो मंत्री होने के बाद भी कुछ गाड़ियों में सफर कीजिए और बगैर कहे हुए सफर कीजिए, हम लोगों के साथ सफर कीजिए और ऐसे सफर कीजिए कि आपको कोई पहचान न सकें कि रेलवे मंत्री जा रहे हैं और तब आपको बगैर कुछ कहे हुए कोई सदस्य कुछ नहीं कहेगा उनके सामने जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाईयां हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है मालूम हो जाएगा। आप जो सहूलियतें देने की बात कहते हैं अमेनीटिस हम बढ़ाएंगे, आप किराया बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनकी अमेनीटिज में कोई सुधार नहीं हो रहा है, आप विभिन्न स्तरों पर कमेटियां बनाए हुए हैं लेकिन वे कमेटियां क्या करती हैं उन कमेटियों का भी कोई फंक्शन नहीं है एम० पीज० को किस तरह से उसमें एसोसिएट करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि हमको आप उस कमेटी में लीजिए लेकिन सचमुच में जो मोनिटरिंग का काम कर सकें, इफेक्टिवली आपको रिपोर्ट कर सके और बहुत दूर तक आप कर सकते हों, जो भी कदम आप उठा सकते हों, बावजूद इसके कि फाइनेंशियल रिस्ट्रेंच आपके सामने, आपकी सरकार के सामने जो कुछ भी कर सकते हों, जो जनता आपसे उम्मीद करती है, वोट देकर के भेजती है कम से कम उस पर भी ख्याल कीजिए। केवल बड़े एयरकंडीशन और फर्स्ट क्लास वालों पर ही ख्याल न कीजिए, साधारण लोगों पर भी ख्याल कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों और विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं रेल मंत्री महोदय का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे पांच मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री किरिप चालिहा : मेरा भाषण पांच मिनट से भी कम अवधि का होगा। छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए निर्णय लेने के बारे में मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह असम तथा सम्पूर्ण पूर्वोत्तर की जनता की लम्बे समय से लम्बित मांग थी। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर में रेलवे की खान-पान व्यवस्था की जानबूझकर उपेक्षा की गई है। वास्तव में रेल लाइन एक क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा होती है और पूर्वोत्तर की यह जीवन रेखा ब्रिटिश शासकों ने स्थापित की थी और जबकि ब्रिटिश शासकों ने इसे स्थापित किया था फिर भी इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है।

लाईन का कुछ हिस्सा ही बड़ी लाईन में बदला गया है और गुवाहाटी से लेम्डिंग तक की लाईन को बड़ी लाइन में बदलने का पहला चरण प्रारम्भ हो गया है और हमें प्रसन्नता तथा आशा है कि गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तथा गुवाहाटी से लखीमपुर तक पूरी लाइन को इस योजनावधि में समय से पूरा कर लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चालू वर्ष के लिए आवंटित धन पर्याप्त नहीं है और इसी कारण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पहलू की जांच करें और यह देखें कि कार्य की गति धन की कमी के कारण धीमी न हो। मैं यह भी चाहता हूं कि आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि असम में किसी भी रेल लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। पूरे असम में एक किलोमीटर रेल लाइन का भी इस योजनावधि में विद्युतीकरण नहीं किया गया है। अतः मेरी यह पुरजोर मांग है कि इस योजनावधि के दौरान असम में कुछ लाइनों का विद्युतीकरण किया जाए।

इसी प्रकार, खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए हम पूर्णतः रेलवे पर निर्भर हैं क्योंकि यदि हम सड़क परिवहन पर निर्भर करें तो बार-बार बाढ़ आने तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़क यातायात प्रभावित होता है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति समय पर नहीं हो सकेगी। इसीलिए रेलवे को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुएं लाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पर्याप्त डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि नमक जैसी आवश्यक वस्तु के लिए लोगों को डिब्बों के आबंटन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करें और देखें कि आवश्यक वस्तुओं के मामलों में रेलवे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र डिब्बे उपलब्ध कराए।

मेरा माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध भी है कि असम में रेलवे स्टेशनों पर अधिक से अधिक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

[श्री किरिप चालिहा]

महोदय, मुझे रेलवे की सामान्य व्यवस्था के बारे में कुछ कहना है। सुपरफास्ट गाड़ी में दिल्ली से असम की यात्रा में लगभग 36 से 40 घंटे का समय लगता है। मुझे लगता है कि इन 36 घण्टों की यात्रा को बढ़ाकर 50 से 60 घंटे कर दिया गया है क्योंकि गाड़ियां अधिकतर विलम्ब से चलती हैं। किसी प्रकार की निगरानी नहीं रखी जाती और रास्ते में बहुत सी चोरियां भी होती हैं। प्राचीन रोम में किसी प्रेमी को लड़की से शादी करने के लिए सांड से लड़ने के लिए कहा जाता था लेकिन आज कल जो लड़का गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा पूरे सामान के साथ लेकिन बिना किसी नुकसान के या पेचिश हुए बगैर अपनी यात्रा पूरी कर सकता है तो उसे शादी के लिए उपयुक्त व्यक्ति कहा जा सकता है। महोदय, गुवाहाटी से दिल्ली तक यात्रा करना एक बहुत ही कठिन काम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मन में पहले से ही एक मनोवैज्ञानिक अन्तराल है जिसको केवल विचारों के ठीक आदान-प्रदान से ही दूर किया जा सकता है। दुर्भाग्य से थकावटपूर्ण यात्रा से यह मनोवैज्ञानिक अन्तराल बढ़ता जा रहा है क्योंकि खराब यात्रा उनके मन में एक मनोवैज्ञानिक कड़वाहट उत्पन्न करती है।

इन गाड़ियों में चोरी के मामले लगातार देखने में आते हैं। यदि आप इस बारे में रेलवे पुलिस से सम्पर्क करते हैं तो उनका कोई सहयोग नहीं मिलता। वास्तव में बहुत से स्थानों पर यह आरोप लगाये जाते हैं यह पुलिस वाले समाज विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। इस तरह की कई शिकायतें मिलती हैं। पिछले माह एक खासी महिला के साथ ऐसा हादसा हुआ था कि यात्रा के दौरान उसकी बहुमूल्य वस्तुएं चोरी हो गई तथा मानसिक रूप से असहाय होने के कारण वह लगभग बेहोश-सी हो गई फिर उसको हस्पताल भर्ती करना पड़ा था।

इसी प्रकार यदि यात्रा टिकट जांचकर्ता गाड़ियों में निरीक्षण करते हैं, मेरे विचार से इन टी०टी०ई० के निरीक्षण के लिए और सुपरवाइजर होने चाहिए क्योंकि ये निरीक्षक अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं। यदि आपका गाड़ी में आरक्षण है तो आपको बड़ी मुश्किल से सीट मिलेगी लेकिन यदि आपका गाड़ी में आरक्षण नहीं है तो आप 50 रुपये से 100 रुपये रिश्वत देकर बड़े आराम से यात्रा कर सकते हैं। कृपया इसलिए सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की बातें न हों, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच पड़ने वाले स्टेशनों की संख्या बहुत अधिक है और मेरा विचार है कि ऐसे कई स्टेशन हैं जिन पर गाड़ी रुकना आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे यात्रा अनावश्यक रूप से लम्बी हो जाती है तथा थकान पैदा करती है। यदि एक व्यक्ति को गुवाहाटी से दिल्ली आना है तो उसका समय कम लगना चाहिए और यात्रा भी आरामदायक होनी चाहिए। मुझे डर है कि केवल यही मामला नहीं है और इसीलिए यह एक काफी महत्वपूर्ण मांग है और मैं मंत्री जी से इस विषय में गम्भीरता से विचार करने और निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं। मैं यह भी कहूंगा कि गुवाहाटी से दिल्ली तक के लिए राजधानी जैसी एक्सप्रेस गाड़ी की बहुत आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पर्यटकों को आने के लिए बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी से कांजीरंगा और गुवाहाटी से मानस तक भी पर्यटक सुविधाओं सहित एक विशेष गाड़ी जितनी जल्दी हो सके चलाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त रामगिया में एक डिवीजनल मुख्यालय बनाये जाने की एक चिरकालिक मांग रही है। मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि एक पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय श्री कमलापति त्रिपाठी ने, गुवाहाटी के पास रामगिया जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में एक

सार्वजनिक सभा में, सार्वजनिक रूप से कहा था कि रामगिया में एक डिवीजनल मुख्यालय स्थापित किया जायेगा। तब से, बहुत से रेल मंत्रियों ने जिनमें श्री जार्ज फर्नान्डीज भी हैं, ने पद भार ग्रहण किया, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से इस मामले में जल्दी निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, अन्त में मैं रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। यह बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और प्रत्येक नौकरी के लिए जिसमें लिपिकीय पद भी शामिल हैं, 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक मांग की जाती है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह रेलवे भर्ती बोर्ड का पुनर्गठन करें और सांसदों या जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल करें। ताकि भ्रष्टाचार कम हो और रेलवे में हमारे युवा लोगों को नौकरी मिले।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया गया।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति जी, रेल मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक मांगों के विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। रेलवे किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण विभाग से सम्बन्धित होता है। लेकिन रेल मंत्रालय का जो बजट रेल मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया, वह निश्चित रूप से विसंगतिपूर्ण था। उसमें हमारे तमाम सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी कि समानुपातिक दृष्टिकोण से यह बजट प्रस्तुत नहीं किया गया। यह दृष्टिकोण था कि उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम में बड़ी विसंगतियां पाई गई थीं और सीधे-सीधे मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि प्रधान मंत्री का गृह प्रदेश आंध्र प्रदेश होने के कारण दक्षिण भारत में रेलवे के विकास के लिए बहुत पैसा दिया गया और उत्तर के विकास का कुछ ध्यान नहीं दिया गया था। प्रधान मंत्री का गृह प्रदेश आंध्र प्रदेश है और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से रेल मंत्री का गृह प्रदेश भी दक्षिण में ही है, इसलिए मुझे कहने में संकोच नहीं है कि दक्षिण के विकास के लिए रेल मंत्रालय ने बहुत ध्यान दिया और उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम के विकास में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। माननीय रेल मंत्री जी माननीय सदस्या से फिर बात कर लेंगे, पहले मेरी बात सुन लें। यहां उत्तर और दक्षिण के विकास के लिए, भारत में विकास के लिए रेल में पैसा लगाया गया। यह पैसा गांव के गरीब और विवश जीवन जीने वाले लोगों का होता है जो कड़ी मेहनत से अपना गुजारा करते हैं, उनका पैसा भारत के कोष में जाता है। रेल मंत्री और प्रधान मंत्री की जेब का पैसा नहीं होता कि दक्षिण के विकास के लिए लगा दें। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर में भी रेलवे का विकास समानुपातिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। और वहां की जनसंख्या के दृष्टिकोण से होना चाहिए।... (व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : आप देश के विकास की बात कीजिए, उत्तर और दक्षिण के सवाल को छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात कीजिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : नहीं, देश का विकास समानुपातिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से होना चाहिए, आप यदि नहीं मानते हैं तो मत मानिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अच्छी बात यह भी नहीं है कि रेलों के मामले में दक्षिण का विकास ज्यादा हो, इसका जीता-जागता प्रमाण यह है, जैसा आपने इस पुस्तक में लिखा है कि मद्रास से तिरूचिरापल्ली तक 337 किलोमीटर छोटी लाईन को आप बड़ी रेल लाईन में बदलने जा रहे हैं जबकि उत्तर भारत में कोटकपूरा से फाजिल्का 80 किलोमीटर का ट्रैक और पुरुलिया से कोट शिला सिर्फ 35 किलोमीटर के ट्रैक को ही छोटी लाईन से बड़ी लाईन में परिवर्तित करेंगे यानी उत्तरी भारत में मात्र 80 किलोमीटर और 35 किलोमीटर ट्रैक का आप अमान परिवर्तन करेंगे जबकि दक्षिण भारत में मद्रास-तिरूचिरापल्ली के 337 किलोमीटर ट्रैक का अमान परिवर्तन करेंगे। यह इसका जीता-जागता प्रमाण है कि दक्षिण के विकास की ओर आपका ध्यान ज्यादा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान आपका नहीं है जो एक बहुत पिछड़ा प्रदेश है।

हमारे यहां बनारस को बिहार से जोड़ने वाली छोटी लाईन को बड़ी लाईन मे बदलने की स्वीकृति पिछली सरकार ने दी थी लेकिन आपने उसमें से पैसा निकाल कर किसी दूसरे विकास के काम पर लगा दिया और वह बनारस को छपरा से जोड़ने वाली छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का काम अभी तक ठप्प पड़ा हुआ है। वैसे ही, रेल मंत्री जी आप पता लगाइए कि हमारे यहां जितना रेलवे लाइनों को परिवर्तित करने के काम हुए हैं, वे सब पैसे के अभाव में ठप्प पड़े हुए हैं। देवरिया से बिहार को जोड़ने वाली लाईन और बागाह-छितौनी पुल का काम, जब जार्ज फर्नान्डीज साहब रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने समय में इसकी स्वीकृति दी थी। आज पसे के अभाव में वे सारे काम ठप्प पड़े हुए हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप उत्तर प्रदेश की सरकार को कहिये, यू० आर० ए एम० पी०।

श्री वीरेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश की सरकार का रेल लाईनों से क्या सम्बन्ध है, रेल मंत्रालय से कैसा सम्बन्ध है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह आरोप लगा रहे हैं। कृपया मेरी बात सुनिए। वह प्रधान मंत्री के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति जी, मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अभी माननीय रेल मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बीच में ला दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और रेल मंत्रालय का आपस में कोई वास्ता है। इसके साथ-साथ क्या रेल मंत्री जी अपने उत्तर में इसका जवाब भी देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का कितना रुपया रेल मंत्रालय की ओर बाकी है और उसे वे कब तक दे रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी उठाये गये मुद्दों का उत्तर दे सकते हैं, जब आपको बोलने का मौका दिया जायेगा। अब समय नहीं है। श्री वीरेन्द्र सिंह, आप पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं। अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा। माननीय

सदस्य उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहे थे। इसीलिए, माननीय मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं चर्चा में बाधा डालना या भाग लेना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। उन्हें बोलने दीजिए। मैं अन्त में उत्तर दे सकता हूं। लेकिन समस्या है कि माननीय सदस्य की यह धारणा है कि हम पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। मैं इस प्रकार विस्तारपूर्वक उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं। यह अच्छा होगा यदि अब कुछ मुद्दे उठाये जायें तो उन मुद्दों को स्पष्ट कर दिया जाये यह रेल मंत्रालय का प्रश्न नहीं है। रेल मंत्रालय, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार चारों को उस बाग्धा चिटोनी पुल के लिए धन देना होगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस से बिहार को जोड़ने वाली जो छोटी रेलवे लाईन को बड़ी रेलवे लाईन में परिवर्तित करने का काम था, वह क्यों पैसे के अभाव में ठप्प पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस लाईन के बारे में पूरी जानकारी मंगायें कि जो काम एक बार आरम्भ हो चुका था, क्यों ठप्प हो गया और उस काम को फिर से तुरन्त शुरू किया जाए तभी पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास सम्भव हो सकता है।

मैं यहां आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं जो रेल मंत्रालय से सम्बन्धित काफी महत्वपूर्ण है हमें रेलों का प्रसार गांव तक तो करना ही चाहिए साथ-साथ विकास के काम को गांवों से भी जोड़ना चाहिए यदि आप सोचें रेल मंत्रालय का गांवों से क्या सम्बन्ध हो सकता है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे गांवों के नौजवान जो खेलों में रुचि रखते हैं लेकिन नौकरी के अभाव में किसानी के काम में ही अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। मैं चाहता हूं कि रेल विभाग में होनहार खिलाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए, जिसके वे हकदार होते हैं। गांवों में अनेकों बेरोजगार नौजवान आपको ऐसे मिल जायेंगे जो थोड़ा सा सहारा देने पर ही अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, क्षमता रखते हैं। मैं जानता हूं कि रेल मंत्रालय होनहार खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराने में काफी सहायता करता रहा है, लेकिन इस काम में पूरी ईमानदारी नहीं बरती जाती। अतः मेरा आप से निवेदन है कि खेलों में राजनीति का प्रवेश न हो इस भावना से आप रेल सेवा में गांवों के होनहार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करायें, यदि उनके साथ ईमानदारी बरती जायेगी तो आज बार्सिलोना में हमारा जो हालत हुई है, वह आगे नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी। रेल मंत्रालय इस काम में निश्चित रूप से अपना योगदान दे सकता है। बार्सिलोना में जो हमारे देश का अपमान हुआ है, उस अपमान से बचा जा सकता है, यदि रेल मंत्रालय इस सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग दे, अतः मैं चाहता हूं आप इस ओर ध्यान देकर उचित कदम उठायेंगे। इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि मैंने दो दिन पहले सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री को मुद्दे दे दिए थे। लेकिन मुझे केवल एक या दो महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना है।

[श्री पी० सी० थामस]

महोदय, मैं मांग का समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से केरल के सभी सांसदों की मांग के समर्थन में तुरन्त एक नई गाड़ी दिल्ली से केरल तक जो केरल एक्सप्रेस से अतिरिक्त हो, चलाने का अनुरोध करता हूं। यहां मुझे एक बात कहनी है कि यह राजधानी जैसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आम आदमी के लिए इसकी अधिक आवश्यकता है इसलिए इसमें द्वितीय श्रेणी में अधिक सीटें होनी चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री से आज के उत्तर में या तारांकित प्रश्न के उत्तर में जो मैंने प्रश्न पूछा है जो कल उत्तर के लिए आना है के पक्ष में उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मेरे पास यह सिद्ध करने के लिए अधिक प्रमाण नहीं है कि केरल जाने वाले उत्सुक लोगों की संख्या कितनी है। यह ऐसी गाड़ी है जिसे आठ राज्यों में से गुजरना है और वहां के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह विशेषतौर पर तमिलनाडु की आवश्यकताओं पर विशेषतः मद्रास से आगे कोयम्बतूर तक जाने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है। जिन लोगों को मद्रास से केरल तक जाना पड़ता है उन्हें लगभग पूरा तामिलनाडु से होकर गुजरना पड़ता है। वे इस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे जो यहां केरल से होकर जोलारपेट होती हुई जाएगी। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देता हूं कि इस रेलगाड़ी को चलाया जाना शुरू किया जाए।

दूसरे मुद्दों के सम्बन्ध में, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इरोड से एरणाकुलम के रूट पर विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य को गति दी जाए। इसका पहले वायदा किया गया था और इस बजट में भी शामिल किया गया, लेकिन बाद में इस बारे में कोई प्रयास नहीं किए गए। अतः मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए।

यहां मुझे एक सुझाव देना है। इस समय माननीय मंत्री महोदय ने एक बहुत विशाल कार्यक्रम हाथ में ले रखा है और उसे सफलतापूर्वक किया भी जा रहा है, यह कार्यक्रम छोटी लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तन करने से सम्बन्धित है। तमिलनाडु में एक छोटी लाईन डिनायकनुर तक जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के साथ-साथ इसे कोचीन तक बढ़ा दिया जाए। ताकि करचीन मदुरै से जुड़ जाए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग होगा। जो दो राज्यों को आपस में जोड़ेगा। मेरा एक और सुझाव है, जो रेलवे स्थिति पत्र, 1990 में पहले से शामिल है। यह सुझाव बार-बार दिया गया है, और केरल सरकार द्वारा इसे शुरू भी किया गया है। यह सबरीमाला के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, सबरीमाला एक ऐसा स्थान है जहां लाखों तीर्थयात्री प्रति वर्ष जाते हैं। वहां पर इरूमेली नामक एक जगह है, जहां लाखों लोग जाते हैं, । यहां से फिर सभी हिन्दू तीर्थयात्री मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, मेरे विचार में यह धर्मनिरपेक्षता का एक ज्वलन्त उदाहरण है। बहुत से लोग इरूमेली मस्जिद में मुस्लिम संत बवर को श्रद्धांजलि अर्पित करके वहां से सबरीमाला जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस रूट के बारे में उपयुक्त विचार किया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यथाशीघ्र इस मामले में कदम उठाएं।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, मैं रेलवे सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों

की मांगों और अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। हालांकि, दोनों की बजट संबंधी स्थिति खराब है, तथापि स्थिति की अनिवार्यता की वजह से, इन्हें इस सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। (व्यवधान)

मुझे इसका समर्थन करना है। मेरे पास आपकी तरह कोई विकल्प नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री के० पी० सिंह देव, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आप उन्हें उत्तर न दें। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं एक ही मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। हालांकि यह मौका नहीं है, परन्तु मैं इस चर्चा का लाभ लेना चाहूंगा। उड़ीसा से माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में उड़ीसा विधान सभा की हाऊस समिति आई थी। उन्होंने प्रधान मंत्री तथा रेल मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जो उड़ीसा में नई रेल लाईनें बिछाने, पथ-विस्तार करने तथा उड़ीसा के राऊरकेला या भुवनेश्वर में एक नए जानल-आफिस की स्थापना करने, राऊरकेला में एक नया डिवीजन बनाने और कतिपय नई रेल-लाइनों का सर्वेक्षण करने से सम्बन्धित था।

आजादी से पहले, 1890 से 1947 तक, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा अधिकांशतः रेजीडेन्सी नगरों को जोड़ने के वास्ते लगभग एक हजार किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाई थी। फिर 1948 से 1992 तक, हमने 1002 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई। इस प्रकार भारतीय रेलवे की कुल 62,367 किलोमीटर लंबी लाइनों की तुलना में उड़ीसा के हिस्से मात्र 2002 किलोमीटर लंबी लाइनें आई हैं, जो केवल 3.21 प्रतिशत बैठती है। हमारे बहुत से साथियों द्वारा उड़ीसा की स्थिति बताई जा चुकी है। मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सदा से पिछड़ापन रहा है, क्योंकि वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी रही हैं और विशेष रूप से रेलवे की जिस पर मुख्यतः तकनीकी-आर्थिक दृष्टीकोण से विचार हुआ है, न की सामाजिक लाभ की दृष्टी से। इस वजह से सात, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम आर्थिक सीढ़ी के सबसे नीचे वाले पायदान पर खड़े हैं। वह एक ऐसा राज्य है, जो कि सदा से अकाल, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहा है। अगर 1947 से पहले की साम्राज्यवादी सरकार इन स्थितियों की वजह से रेलवे-लईनों का निर्माण कर सकती है, तो मेरे विचार में आज की लोकप्रिय सरकार को एक कदम और आगे जाना चाहिए तथा इन राज्यों को सारे देश के अनुपात तक पहुंचाना चाहिए।

ज्ञापन में उल्लिखित कुछ मुद्दों का यहां मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक है भुवनेश्वर में क्षेत्रीय मुख्यालय तथा राउरकेला में एक अन्य डिवीजन स्थापित करने के बारे में। फिर, नई रेलवे लाईनों के बारे में जिसमें जालापुरा बांसपानी के बीच 179 किलोमीटर लंबी लाईन शामिल है, जो कि संपूर्ण जनजातीय क्षेत्र और खनजि क्षेत्र को पारादीप पत्तन के लिए खोल देगी। उसमें से अभी तक केवल 33 किलोमीटर लंबी लाईन का काम ही पूरा हुआ है। इस लाईन के लिए योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी। अतः यह एक स्वीकृत परियोजना है, लेकिन पिछले दो वर्षों से इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है।

दूसरा मुद्दा, दैतारी, सुखदा, भुवन, कामाकयामगर, तालचेर से सर्वेक्षण सम्बन्धी है, क्योंकि दैतारी में इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है तथा कल के अखबार में एक खबर छपी थी कि चीन के सहयोग के साथ वहां एक दूसरा इस्पात संयंत्र बनेगा। इससे वहां रैलवे लाईन की भूमिका

[श्री के०पी० सिंह देव]

और महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान लाईन, विशेष रूप से खरजुना और बरजंडा के बीच, पहले ही बहुत व्यस्त है। अतः खरसवाल, खड़कपुर लाईन भी अत्यधिक व्यस्त है। फिर बरंग-कपीलास रोड कटक-पारादीप, खुरदा रोड पुरी के बीच दोहरी लाईन तथा तालचेर और गोपालपुर के बीच एकल लाईन भी अत्यधिक व्यस्त है, क्योंकि लगभग तीस लाख टन थर्मल कोल का पारादीप पत्तन के माध्यम से निर्यात होता है। कोयले के उत्पादक क्षेत्रों में 582.1 लाख टन कोयले का उत्पादन होने की संभावना है। अतः लाईनों की इस अत्यधिक व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए इस लाईन का निर्माण बहुत जरूरी है। इससे, पारादीप की वर्तमान लाइन को भी छुटकारा मिलेगा।

फिर लांजेगढ़ रोड से जूनागढ़ अंबागुदा को जाने वाली 54 किलोमीटर लंबी लाईन की भी योजना आयोग द्वारा स्वीकृत एक परियोजना है। परन्तु इस बारे में भी अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अब, योजना आयोग ने उद्योग मंत्रालय को कालाहाडी क्षेत्र में एक अल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए एक आशय-पत्र जारी किया है। यह भी बहुत जरूरी है। फिर, बालागीर से फुलबानी होकर खुरदा रोड के लिए एक लाईन भी बहुत आवश्यक है। यह क्षेत्र शत प्रतिशत एक जनजातीय क्षेत्र है। पश्चिम और पूर्व उड़ीसा के बीच कोई भी रेल संपर्क मौजूद नहीं है। यह लाईन ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को मिलाएगी, जो कि उड़ीसा में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं। फिर मलकनगिरी से जैयपुर, रायगढ़, से गोपालपुर पत्तम तक की लाईन की भी आवश्यकता है। रूपसा-बांगीरीपोसी और नौपदा-गुनुपुर की 90 किलोमीटर लंबी छोटी लाईनों को बड़ी लाईनों में बदलना भी जरूरी है।

पहिया और धुरी संयंत्र की स्थापना के लिए नियत स्थान के बारे में यह कहना है कि माननीय मंत्री महोदय के पास एक ऐसा संयंत्र येलहानका में लगाने का प्रस्ताव है। हमें राऊरकेला में भी एक ऐसा संयंत्र चाहिए और सरकार भी इसके लिए दबाव डाल रही है। रेलवे बोर्ड ने भी इस मामले पर विचार किया है। मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

महोदय, विद्युतीकरण के मामले में मुझे यह कहना है कि आठवीं योजना में तीन हजार पांच सौ किलोमीटर लंबे मार्ग का विद्युतीकरण हो रहा है। परन्तु फिर उड़ीसा की पूर्णतः उपेक्षा हुई है। केवल दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बंबई लाईन का ही चयन किया गया है परन्तु, कलकत्ता-मद्रास लाईन का चयन नहीं किया गया।

उपनगरीय यातायात, के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यातायात व्यवस्था का शेष सभी महानगरों को फायदा हो रहा है। राउरकेला-चक्रधरपुर से, बेरहमपुर-भुवनेश्वर से, जरसुगुदा कटक-भुवनेश्वर से और तालचेर-अंगुल-ढेंकानाल-भुवनेश्वर से शीघ्र यातायात व्यवस्था के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, सप्लीमेंटरीज डिमांड्स पर ऐसी कोई मांग नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो क्योंकि मैं आपकी हालत समझता हूं। मैं ऐसी कुछ मांगें रखूंगा जिस पर आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा।

हमारे पश्चिम बंगाल में लगभग 35 हजार ऐसे रेलवे हाकर्स हैं जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। बंटवारा होने के बाद जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आये थे, उनका एक बड़ा हिस्सा रेलवे हाकर्स का था। आज आपने माडर्नाइजेशन की पालिसी अपनाई है। जितनी मिलें बीमार होने की वजह से बन्द हो रही हैं और वर्कर्स की रिट्रेंचमेंट हो रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा रेलवे हाकर्स का है। आपका आर० पी० एफ० इनसे फायदा उठाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन्हें लाइसेंस दीजिये। अगर इन्हें लोकल ट्रेनों में हाक करने का लाइसेंस मिल जाये तो इनकी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी और जो लोग इनसे नाजायज फायदा उठाते हैं, वे भी होना बन्द हो जायेगा। इससे आपके डिपार्टमेंट को कुछ पैसा भी मिलेगा।

मेरी कांस्टीट्यूयेंसी मुर्शिदाबाद है। एक समय में यह बंगला बिहार और उड़ीसा की राजधानी थी। यहां एक बहुत बड़ा म्यूजियम है लेकिन यहां आई० टी० डी० सी० का कोई होटल नहीं है। हर साल 14-15 लाख ट्यूरिस्ट आते हैं। मेरी मांग है कि इनके लिए आप रिटायरिंग रूम का इन्तजाम करा दीजिये। मेरे से जो कांग्रेस कैंडिडेट हार गये हैं उनको आप इसे लीज पर दे दीजिये। हमें कोई एतराज नहीं होगा।

क्या हमारे मंत्री जी को ऊंट की पीठ में सोने का तजुर्बा है? लालगोला सैक्शन में जो ट्रेन चलती है, उसमें फस्ट क्लास के जितने डिब्बे हैं, वहां पर सोना ऊंट की पीठ में सोने के बराबर है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के टाइम की यह कोच है। आप इसे बदलने की कोशिश करें।

राजधानी एक्सप्रेस का चेयरकार का किराया दिल्ली से हावड़ा तक लगभग 600 रुपये है लेकिन 18 घंटे उसमें बैठकर जाना पड़ता है। आप टैक्निशियन्स से बात कीजिये और थ्री टायर करा दीजिये। इससे कोई नुकसान नहीं होगा और यह काम बहुत आसानी से हो जायेगा। बराबर आपको पैसा मिलेगा। पैसेंजर्स को 18 घंटे आराम भी मिलेगा।

हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस सात दिन करने की जो हमारी मांग है, उस पर ध्यान रखें। रेलवे के रिट्रेंन्च्ड वर्कर्स के बारे में इस सदन में बार-बार चर्चा हो चुकी है। आपने हमें आश्वासन भी दिया था कि हमारी इस मांग को पूरा कर दिया जायेगा। आप इस पर ध्यान देकर इसे पूरा करें।

आर० पी० एफ० यूनियन की रिकाग्निशन के बारे में आपसे हमने पहले भी मांग की थी। इस बारे में सबार्डिनेट लैजिस्लेशन की रिकमंडेशन्स भी आई हैं। किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है लेकिन आप उस पर फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आप इसे पूरा कीजिये।

मैंने जितने भी आपके पास सुझाव रखे हैं उस पर रेलवे को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हां, रिटायरिंग रूम पर 14-15 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं। रेलवे हाकर्स को अगर आप लाइसेंस दे देंगे तो वहां से आपको पैसा मिल जायेगा। हमारे इतने कामों पर आप अवश्य ध्यान दें। इधर-उधर कुछ करने से जनता को सुविधा होगी। इतना ही मुझे कहना था।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ रेलवे के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर, जबसे भारत आजाद हुआ है, उस वक्त से एक इंच रेलवे लाइन भी शिमला से आगे नहीं बनी। यह ब्रिटिश टाइम से बनी हुई रेलवे लाइन है।

इसके अलावा नांगल से ऊना के रास्ते तलवाड़ा जाने के लिए रेलवे लाइन बनी है, लेकिन

[श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी]

वह भी अधूरी पड़ी हुई है, वह काम भी अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ है। इसके लिए बजट के समय बोलेंगे लेकिन मेरी मंत्री जी से इतनी ही प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में सेब होता है, आलू होता है और दूसरी फसलें होती हैं लेकिन उनकी बुकिंग का इन्तजाम ठीक प्रकार से नहीं है। इसके अलावा हमारे लोग जो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लाते हैं, उनके लिए भी प्रबन्ध होना चाहिए। पहले कालका से अमृतसर के लिए एक गाड़ी चलती थी, उसको भी आपने बन्द कर दिया, मैंने कई मर्तबा कहा कि हमारे लोग अमृतसर जाते हैं और उनसे लाभांवित होते हैं, क्योंकि वह तीर्थ स्थान है इसलिए उस गाड़ी को फिर से चालू किया जाये।

वैसे रेलवे विभाग बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है लेकिन रेलवे की जमीनों पर जो लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। हमारे यहां कांगड़ा के अन्दर डैम बन रहा है, उसमें रेलवे की काफी जमीन यूज में नहीं आती है तो बेहतर यह होगा कि उस फालतू जमीन को वहां के लोगों को एलाट कर दिया जाये। अगर वह जमीन गरीब लोगों को एलाट हो जायेगी तो उससे वह लोग लाभान्वित हो सकेंगे। अभी इससे न तो रेलवे विभाग वालों को फायदा हो रहा, न लोगों को फायदा हो रहा है, न उस पर कोई प्लान्टेशन हो रहा है इसलिए इन सारी चीजों को रेल विभाग को देखना चाहिए।

उद्योग के क्षेत्र में पावटा साहिब, परवानू, काला आम और इन्दौर, महदपुर और सारी की सारी निचली बैल्ट में उद्योग लगे हुए हैं। उद्योगपति हमेशा यह चाहते हैं कि हमारा माल रेलवे के जरिये जाये लेकिन उनको अभी तक यह सुविधा वहां प्राप्त नहीं है। जो पुराने सर्वे हो चुके हैं, श्री कमला पति त्रिपाठी जी के समय में रेल बजट और भाषण में कहा गया कि यह रेलवे लाइन अब बनेगी, ऐसा ही दूसरे मंत्रियों ने भी कहा कि यह रेलवे लाइन बनेगी, हमने इसका सर्वे करा लिया है लेकिन अभी तक उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप निचले मैदानी क्षेत्रों का, दूरदराज के इलाकों का या बड़े-बड़े शहरों का विकास करना चाहते हैं तो पहाड़ी इलाकों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन लोगों की भूमि न कटे, उन्हें कम्पेंसेशन भारत सरकार दे... वहां रेल लाइन बिछाई जाए, ताकि उनको कुछ फायदा हो सके। जिन लोगों ने वहां उद्योग लगाए हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है कि अपना सामान कैसे ले जाएं। मार्केट में माल ले जाने के लिए न ट्रक मिलते हैं और न रेलवे लाइन की सुविधा है। ऐसी स्थिति में महंगाई हमारी आम जनता पर पड़ती है। इसको रोकने का तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो सुविधा दी जा सकती है, वह दी जानी चाहिए। जैसे कालका से परमानु, नालागढ़ से रोपड़ और जगाधरी से पौंटासाहब, इन सभी लाइनों के सर्वे मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन उनको सुविधा प्राप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनका ख्याल रखा जाए। यहां कोंकण लाइन का जिक्र किया जाता है। मैं अभी बम्बई गया था, तो मैंने देखा यह लाइन बहुत ही जरूरी है। यह लाइन गोवा से केरल की तरफ जाएगी। उड़ीसा वालों ने भी बहुत सी मांगें की हैं, जो ठीक हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने रेल बजट के समय में जो वायदे किए थे, उनको पूरा करें, ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ एक-दो बातें ही

मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान रेलवे विभाग की अकर्मण्यता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रेल मंत्रालय में लगातार घाटा हो रहा है। किराया बढ़ाकर आम जनता के ऊपर नये कर लगाकर और अधिक पीड़ा दी जा रही है। उसकी सर्विस दिन-प्रति-दिन खराब होती चली जा रही है। ट्रेन्स लेट हो रही हैं और यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप चाहे नई दिल्ली स्टेशन पर चले जायें और ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटे से स्टेशन पर चले जायें, वहां जनता को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। पूरे का पूरा प्लेटफार्म बिना शैड के है, बरसात के दिन हैं, लोग भीग जाते हैं। लोगों को वहां पर बैठने के लिए स्थान नहीं है। विश्राम घरों की हालत यह है कि लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। यदि है भी, तो वहां जानवर बैठते हैं और सब गन्दा कर देने की वजह से आदमियों का वहां बैठना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की दुर्दशा हो रही है और हर बार रेलवे कुछ-न-कुछ पैसा मांगती रहती है और हम बजट से देते रहते हैं। इतना होने पर भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। यदि इन पर अमल किया जाएगा, तो हो सकता है कि जनता को उससे फायदा हो। लम्बी ट्रेनें चलती हैं, दिल्ली से मद्रास या दिल्ली से कलकत्ता या दिल्ली से बम्बई और ये ट्रेन्स तुरन्त लौट आती हैं। मगर यहां कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं, जिनको 14 घण्टे विश्राम चाहिए। शाम को लखनऊ से दिल्ली के लिए 10 बजे एक गाड़ी चलती है और सुबह सात बजे दिल्ली आती है। फिर यही गाड़ी दूसरे दिन 9.30 चलती है शाम को। इस प्रकार यह ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती है और आपका कहना है कि हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है और एक ट्रेन आप खड़ी रखते हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सात बजे के बाद नौ-दस बजे चले और शाम छः-सात बजे चलकर रात को दस बजे चलायें। आपको कोई नई लागत नहीं लगानी पड़ेगी, न ही कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार आपकी आमदनी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा हो जाएगी। नहीं तो क्या हो रहा है कि लोग छतों पर बैठकर आते हैं, ट्रेन में ठुंस कर आते हैं। यदि यह सुविधा कर देंगे, तो लोगों को राहत मिलेगी। मेरा अनुरोध है कि आप इसको करके देखिए।··· (व्यवधान)

मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। बरेली एक बहुत इम्पोरटेंट स्टेशन है वहां से स्थिति यह है कि दिल्ली के लिए कोई अच्छी ट्रेन नहीं है। अभी हमारे माननीय खुराना जी गए थे, यहां से ढाई बजे वहां ट्रेन रुकी और उसके बाद फिर रात के दो बजे गाड़ी पकड़ी, कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो 10 बजे के आस-पास बरेली से चले और सवेरे 6 बजे तक दिल्ली ले जाए।

हम पार्लियामेंट के मेम्बर्स यहां से जाते हैं दो-दो रातें हमारी आने और जाने में खराब हो जाती हैं। यहां से पहले बहुत अच्छी ट्रेन चलती थी तो पता नहीं उसको आपने क्यों काट दिया। मेरा निवेदन है कि ऐसी एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाएं जो रात को 10 बजे चले और सवेरे यहां 5-6 बजे आ जाए। इसी प्रकार यहां से 10 बजे के आस-पास चलकर सवेरे 6 बजे के आस-पास, साढ़े पांच बजे के आस-पास बरेली पहुंच जाए। बरेली एक इम्पोरटेंट जगह है।

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं बरेली से पहले बम्बई के लिए कोच लगते थे और वे ट्रेन में लगते थे लेकिन वे काट दिए गए। मेरी आपसे मांग है कि बरेली से सीधे बम्बई के लिए ट्रेन चलाई जाए, वाया-अलीगढ़ बड़ी लाइन है उसको ठीक कराएं और उसका परीक्षण भी हो चुका है और उस पर बड़ी-बड़ी मालगाड़ियां भी जाती हैं बहुत अच्छी स्पीड पर जाती हैं। मगर उस

[श्री राजवीर सिंह]

लाइन पर बरेली से आगरा एक बड़ी लाइन की जो ट्रेन चलती है उसकी हालत यह है कि पैसेंजर ट्रेन से भी बुरी है। उसका नाम आप एक्सप्रेस कर देते हैं और 14-14 घंटे उसको आगरा पहुंचने में लगते हैं। मेरा निवेदन है कि आप जनता को सुविधा दें क्योंकि आज सबसे आखिर में मुझे समय मिला है। सभापति जी, बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सुविधाओं पर आप ध्यान दें। हां, यह बात जरूर है कि इन सारी सुविधाओं में विदेशों से रेल इंजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसमें गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। रेल इंजन नये खरीदने की जरूरत नहीं है। पुराने रेल इंजन से यहां पर काम चल जाएगा और अगर रेल इंजन खरीदने ही हैं तो चितरंजन से खरीदें, भेल से खरीदें मगर विदेशों से जो इंजन खरीदे जा रहे हैं और इसमें*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा इस पर विचार करें, ध्यान दें और जो छोटी लाइन है उसके ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दें। छोटी लाइन के लिए गाड़ियां हैं छोटी लाइन ठीक रखिए, आप छोटी लाइन बदलने के चक्कर में, इस चक्कर में वे बदली भी नहीं जाएंगी क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप उनकी उपेक्षा करते चले जा रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

रेलवे हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और यह देश के पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने का काम प्रभावी ढंग से निभा रहा है। विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेट वर्क में से एक होने के कारण सामान्य निरीक्षण आवश्यक है। 1991-92 के दौरान अच्छे निष्पादन के बावजूद चालू वर्ष और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना के लिए संसाधन जुटाने की गति धीमी है। रेलवे लाईनों के आधुनिकीकरण, रेलवे मार्गों का विद्युतिकरण, प्रचालन दक्षता और रेलवे प्रणाली और सेवाओं के स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। तथापि, ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार को समस्याओं की दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में जांच करनी होगी। एक क्षेत्र जरूरत के समय पर परिवर्तनों को पूरा करने के लिए रेलवे प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन करना, इस अमितव्ययी मार्गों का निजीकरण करना। तीसरा रेलवे के पास उपलब्ध फालतू भूमि को व्यवसायिक उपयोग में लाना और चौथा रेलवे की भूमि पर से गैर कानूनी अतिक्रमण को समातप करना, इनसे अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उड़ीसा में रेलवे की समस्याओं पर आते हुए, उड़ीसा से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन चलाने के लिये मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं परन्तु धन के अभाव के कारण सम्बलपुर-तालचेर रेलवे लाइन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, बोलंगीरखुर्दा रेलवे परियोजना पश्चिम उड़ीसा के लोगों की काफी लम्बे समय से की जा रही मांग है। कई बार सर्वेक्षण किया गया है। अंतिम सर्वेक्षण खुर्दा से फूलबनी होते हुए बोलंगीर रेलवे लाइन के लिए किया गया था, सरकार को इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करना चाहिए।

उस समय उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया था कि पूंजी से एक प्रतिशत आय होगी अतः यह निर्णय लिया गया था कि यह परियोजना रेलवे के लिए अच्छी नहीं है। परन्तु कुछ रेलवे परियोजनाओं जैसे कटनी-सिंगरौली जैसी कम आय वाली रेलवे लाइन, जिसका उद्घाटन अप्रैल, 1976 में किया गया था और जिस पर 26.10 लाख रुपए की लागत आई थी, को विकास के उद्देश्य से पूरा करने के लिए निर्माण कार्य हेतु हाथ में लिया गया है। इस निवेश पर कुल 0.15 प्रतिशत आय होने की संभावना है।

सफाई बैटरी चार्जिंग और प्लेटफार्मों आदि का दर्जा बढ़ाने आदि अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है जो कि बोलंगीर जिले के तितिलगढ़ से रेलगाड़ी चलाने के लिए आवश्यक है। इस के लिए सरकार को 1992-93 के दौरान प्रावधान करना चाहिए। बोलंगीर रेलवे प्लेटफार्म के नवीकरण के कार्य का कार्यान्वियन शीघ्र किया जाना चाहिए और तितिलगढ़, बोलंगीर और कांटाबांजी रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। सरकार को राउरकेला-तितिलगढ़ रेल मार्ग को 1992-93 के दौरान विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, उड़ीसा की हाउस कमेटी माननीय प्रधान मंत्री और माननीय रेल मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आई थी और उससे पहले उड़ीसा के सांसदों ने उड़ीसा की मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया था, मैं अपने माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा की मांगों पर तत्काल विचार करके उन्हें पूरा करें। मैं उड़ीसा के लोगों से भी एक अनुरोध करता हूं। उड़ीसा सरकार अपने सभी प्रस्तावों को केन्द्र सरकार के पास नहीं भेज रही है। वह ऐसा केवल लोगों का ध्यान बटाने के लिए कर रही है और वह लोगों को ऐसा एहसास कराना चाहती है कि केन्द्र सरकार उड़ीसा के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उसको भेजे गए सभी प्रस्तावों पर विचार करे।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पहली जुलाई से चलाई गई सुपरफास्ट रेल गाड़ी जो दिल्ली से सम्बलपुर के बीच चल रही है, को रायगढ़ या तितिलगढ़ तक बढ़ाया जाना चाहिए उड़ीसा के सांसदों ने यह मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मांग पर विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० आसीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, रेल किराया दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सुविधाएं दिन-प्रति-दिन घटती जा रही हैं। मुझे मालुम है कि कलकत्ता के आस-पास के दैनिक यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है। लाखों लोग रेलगाड़ी से कलकत्ता आ रहे हैं। रेल के डिब्बों में कोई सुविधाएं नहीं हैं और इनकी संख्या भी अपर्याप्त है क्योंकि सुबह और शाम को रेलगाड़ियां लोगों से भरी होती हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें टोकरे में बंद कर दिया गया है।

[डा० आसीम वाला]

4.00 म० प०

दैनिक यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है और मार्ग पर रेलगाड़ियों की संख्या बहुत कम है। नई रेलगाड़ियां चलाना और कलकत्ता के यात्रियों के लिए रेल सुविधा में सुधार करना अति आवश्यक है। रेलवे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए मैंने विद्युतीकरण के बारे में एक प्रश्न उठाया था, विद्युतीकरण नितान्त आवश्यक है और मैंने इस मुद्दे को पहले कई बार पत्रों के माध्यम से रेल मंत्रालय के साथ और नियम 377 के अधीन संसद में भी उठाया है, रानाघाट-गेडे लाइन पर यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत पुरानी लाइन है। ब्रिटिश शासन के दौरान रानाघाट और ढाका के बीच नियमित रेल सेवा थी, परन्तु अब यह बिलकुल परित्यक्त रेल लाइन बन गई है और इस क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य यथाशीघ्र किया जाए, मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि बांकुरा दामोदर लाइन का भी विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। बांकुरा दामोदर नदी रेलवे लाइन का राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा इस लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए, जब तक इसे बड़ी लाइन में बदला जाता है तब तक इस लाइन पर कृपया भाप के इंजनों स्थान पर डीजल इंजन चलाए जाएं।

मैंने पहले रानाघाट-बोगांव परियोजना का भी उल्लेख किया है। मुझे मालूम नहीं है कि रेलवे प्राधिकारियों ने उस परियोजना को क्यों छोड़ दिया, दूसरी परियोजना जिस का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, वह लाइन है शांतिपुर-नवद्वीप, जैसा की आपको मालूम है कि नवद्वीप एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध स्थान है, यह गोरांगो महाप्रभु की जन्म स्थली है और हजारों तीर्थयात्री नवद्वीप आते हैं। परन्तु वहां के लिए एक दिन में केवल दो ही रेलगाड़ियां हैं। इस लाइन पर और अधिक रेलगाड़ियां और रेलवे सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गौर करें और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए।

मेरा एक और सुझाव यह है कि राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह के सातों दिन चलनी चाहिए, मेरे पूर्व वक्ता ने भी इस बात पर जोर दिया था। इस संबंध में, मैं रेल मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि हावड़ा से बम्बई के लिए भी एक राजधानी रेलगाड़ी चलाई जाए। फिलहाल, हावड़ा से बम्बई के लिए सुपरफास्ट ट्रेन उपलब्ध न होने के कारण हावड़ा से बम्बई जाने वाले लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस लाइन पर एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने से यह समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि रानाघाट से लालगोला तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाई जाए।

मैं केवल दो और बातें करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि दार्जिलिंग पर्वतीय जगह है और बहुत से विदेशी पर्यटक भी दार्जिलिंग आते हैं। परन्तु वहां के लिए रेल सेवा की स्थिति बहुत खराब है। यदि आप इस लाइन पर रेल कार चलाएं तो इसके परिणाम उत्साहवर्धक होंगे और यह सुविधा मिलने से पर्वतीय लोग बहुत प्रसन्न होंगे।

महोदय, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आप चितरंजन लोकोमोटिव का निजीकरण करने जा रहे हैं। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस मुद्दे पर फिर से विचार करें।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : सभापति जी, मैं पहले जाफर साहब को धन्यवाद देता हूं कि नार्थफ्रंटियररेलवे की तरफ उन्होंने एक नई गाड़ी दी है जिसको अलीपुरद्वारस से फ्लैग आफ करने का चांस भी मुझे मिला था और वहां की जनता इस मिनिस्ट्री को और विशेषकर जाफर साहब को धन्यवाद देती है कि उन्होंने कुछ ख्याल तो इस बैकवर्ड इलाके का किया है और इससे ख्यालदाह के पैसेंजरों को भी कुछ सुविधा मिली है।

इस सुविधा के साथ साथ, मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि देश के विभाजन के बाद जो हमारे नौर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवे का जोन बना है, वह देश की सुरक्षा की दृष्टि से, सीक्योरिटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उस तरफ बोर्डर इलाका है जिससे होकर रेलवे का चलना पड़ता है। यही एक मात्र लिंक है जहां हम देश की रक्षा के लिए, सैनिकों का मूवमेंट करते हैं। उस इलाके में दलगांव और हसीमारा के मिलिट्री सुरक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण हैं। अभी सिलिगुड़ी से अलीपुरद्वार तक जो मीटरगेज लाइन है वह ज्यादा लंबी नहीं है। उसके लिए रेल मंत्रालय के पास प्रस्ताव चल रहा है कि उसको ब्रौडगेज लाइन में परिवर्तित कर दिया जाए और मेरा विचार है कि सीक्योरिटी के प्वाइंट आफ व्यू से उसका ब्रौडगेज में कन्वर्जन बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी उसकी आवश्यकता होगी, बंगला देश की तरफ से यदि कोई खतरा उत्पन्न होता है, अलीपुरद्वार में, तो वह केवल मात्र तीन किलोमीटर चौड़ा मार्ग है, हमारा देश का वह हिस्सा यदि कट गया तो सारा आसाम और पूर्वांचल का भाग हिन्दुस्तान से बाहर हो सकता है। इसलिए इस लाइन के कन्वर्जन की महत्ता विशेष रूप में महसूस की जा रही है और इस लाइन पर रेलवे मंत्रालय को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

मंत्री, जी आप को मालूम होगा कि हर रेलवे के जोन में कुछ न कुछ इलैक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है लेकिन हमारे इलाके के लोग इलैक्ट्रिफिकेशन का नाम तक नहीं जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इलैक्ट्रिफिकेशन के आधार पर रेलगाड़ियां कैसे चलती हैं और शायद रेल मंत्रालय ने कभी उस तरफ इलैक्ट्रिफिकेशन के बारे में सोचा भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अलीपुरद्वार जंक्सन में जो स्टीम लोकोशेड है, उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई है। वह जगह जगह से उखड़ गया है, उसकी छत भी नहीं है और इतना एअर-कन्डीशन्ड है कि वर्षा का पानी सीधे अन्दर आता है, हर वक्त सूरज की रोशनी रहती है और चारों तरफ से हवा लगती रहती है और हालत यहां तक खराब है कि बस वह उड़ने ही वाला है। हम लोगों का सुझाव है, तजवीज है कि उसे आप शीघ्र डीजल लोकोशेड के रूप में विकसित करें ताकि वहां के कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सके। अलीपुरद्वार बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है उस इलाके के लिए और असम या पूर्वांचल प्रदेशों के लिए जितनी ट्रेन चलती हैं, वह उन सब को जोड़ने वाला जंक्शन है। हिन्दुस्तान का सीमांत है, जिसके एक तरफ भूटान और दूसरी तरफ बंगला देश है और वह कुल मिलाकर 8-10 किलोमीटर क्षेत्र बड़ा ही सैन्सिटिव है।

मेरा कहने का मतलब है कि सिलिगुड़ी से न्यूजलपाईगुड़ी तक इस समय जो इंटर-सिटी एक्सप्रेस चलती है, उस क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए, मेरा निवेदन है कि उसे अलीपुरद्वार जंक्शन तक बढ़ा दिया जाए। वह एक ही गाड़ी हो जाएगी जो हासिमारा और बिनोगुड़ी तक जाएगी। आप जानते हैं कि चाय-बागानों को इससे बड़ा फायदा पहुंचेगा क्योंकि चाय का एक्सपोर्ट

[श्री पीयूष तीरकी]

करके हमारे देश को काफी विदेशी मुद्रा मिलती है और एक्सपोर्ट बढ़ जाने से और ज्यादा मिलने लगेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जल्दी ही, कल परसों तक आप इसके आर्डर कर दीजिए की जो सिलीगुड़ी से चलने वाली इंटर-सिटी एक्सप्रेस है वह अलीपुरद्वार तक जाए, यदि हो सके तो कूचबिहार तक बढ़ा दीजिये, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

तीसरी बात यह है कि ब्रोड गेज लाईन बनाने के लिए जो प्रस्ताव आपके पास है, सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जंक्शन तक, अलीपुरद्वार जंक्शन बहुत पुराना जंक्शन है और सारे कर्मचारियों के साथ वहां 8-10 ट्रेनों के एक साथ रखने की क्षमता है लेकिन ऐसे बड़े स्टेशन को भी आपने आइसोलेट करके रख दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि उस लाईन को ब्रोडगेज में परिवर्तित करके, अलीपुरद्वार को ब्रोडगेज से जोड़ दिया जाए, यह मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है। सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि रेलवे के जितने भी जोन हैं, उन सब में नेग्लैक्टिड जोन यदि कोई है तो वह नौर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है जिसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे किसी मां-बाप का यदि कोई लड़का कमजोर होता है तो वह उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है, वैसे ही हमारा जोन है जो सबसे पीछे बना है और जिसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इतना ही अनुरोध करता हुआ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेल मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,

महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। यह सच है कि जब माननीय रेल मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी, मैं उन लोगों में से एक था जो बहुत प्रसन्न और आशावान थे, मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। हमारे जिले में कोई उद्योग नहीं है। हमारे पास कोई मूलभूत सुविधाएं या इस तरह की अन्य सुविधा नहीं हैं मैंने सोचा था कि 1980—84 के दौरान वह रेल राज्य मंत्री थे और अब उन्हें पदोन्नत करके केबिनेट मंत्री बनाया गया है इसलिए खुर्दा और बोलंगीर रेलवे लाइन के कार्य को निश्चित रूप से आरम्भ किया जाएगा। मैंने सोचा था कि अब उनकी पदोन्नति भी हो गई है और वह अब पिछड़े जिलों को भी प्राथमिकता देंगे।

स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में सरकार की नीति पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देने की थी। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह फूलबनी-खुर्दा-बोलंगीर संपर्क रेल लाईन को प्राथमिकता दें। विश्व के सात आश्चर्यों की तरह मेरे जिले के लिए रेल सुविधा भी एक आश्चर्य बन गई है। मुझे आशा है कि वह इस पर विचार करेंगे। जब वह रेल राज्य मंत्री थे उस समय उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में वचन दिया था और आश्वासन दिया था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए पर्याप्त निधि का कोई प्रावधान नहीं है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में आवश्यक

कार्यवाही करें। पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें विश्व बैंक की सहायता लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

उड़ीसा के "हाउस कमेटी" सदस्यों की एक बैठक हुई थी। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जब हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष मेरे जिले का जिक्र कर रहे थे उस समय मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि उड़ीसा सरकार ने फूलबनी-खुर्दा-बोलंगीर रेल लाइन की मांग को प्रस्ताव में शामिल करने की जान-बूझकर और शरारतपूर्ण तरीके से उपेक्षा की है। इसे राज्य सरकार की सिफारिशों में से निकाल दिया गया है।

महोदय,इसके अलावा मैं माननीय रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि नये रेलवे मार्ग प्रदान करने पर फिर से विचार करना चाहिए और उन्हें इन मार्गों पर काम करने के लिए, नई रेल गाड़ियां चलाने आदि के लिए विदेशी भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं।

नई महानदी रेल गाड़ी चलाने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें प्रथम श्रेणी और भोजन-यान नहीं है। मुझे आशा है कि रेलगाड़ी को सम्बलपुर से रायगढ़ तक बढ़ाते समय आप देवगढ़ में एक स्टेशन भी उपलब्ध करवाएंगे जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है।

महोदय, गुणपुर नौपाड़ा छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदला जाना चाहिए।

महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी भावनाओं की कद्र की और मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया। मैं कार्यवाही वृतान्त में जाने के लिए एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि मुझे इस जन्म में यह देखना सम्भव नहीं हुआ कि मेरे जिले अर्थात फूलबनी को, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है को रेल सुविधाओं से जोड़ दिया गया है तो इसे देखने के लिए मुझे कितने और जन्म लेने होंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं तीन बहुत ही संक्षिप्त मुद्दे उठाऊंगी जिसके लिए मैं सिर्फ दो या तीन मिनट लूंगी।

पहला मुद्दा कलकत्ता के मेट्रो रेलवे परियोजना से सम्बन्धित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस परियोजना का पहला चरण यथाशीघ्र पूरा होना है। इस सम्बन्ध में ठेकेदारों की टालने वाली नीति से जो कठिनाई पैदा हो रही है, मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री के हस्तक्षेप से वह दूर हो जाएगी। लेकिन मैं एक अन्य बात कहना चाहती हूं और मुझे खुशी है कि श्रीमती शीला कौल यहां बैठी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह भी अगर मंत्रिमंडल में नहीं होती तो मेरी इस बात का समर्थन करतीं।

मुद्दा यह है कि इन दिनों जब भी हम मेट्रो रेल परियोजना के बारे में पत्र लिखते हैं तो माननीय रेल मंत्री यह कहकर उसे शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं कि मेट्रो रेलवे परियोजना शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित की जा चुकी है। हम यह जानना चाहते हैं कि कब और कैसे यह कार्य उन्हें सौंपा गया। अगर ऐसा पहले ही कर दिया गया था तो माननीय मंत्री ने अपने अन्तिम बजट भाषण में मेट्रो रेलवे परियोजना का उल्लेख कैसे किया।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि न तो शहरी विकास मंत्रालय और न ही राज्य

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

सरकार के पास मेट्रो रेलवे परियोजना के दूसरे चरण, अर्थात टालीगंज से गरिया तक का कार्य पूरा करने हेतु संसाधन मौजूद है।

मेट्रो रेल, रेल मंत्रालय का ही बच्चा है, फिर यह कैसे हुआ कि बच्चा अभी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाया कि उसे उसके माता-पिता के हाथों सौंप दिया जाये जो उसके उत्तरोत्तर विकास हेतु सहायता देने में असमर्थ हैं। अतः मैं सोचती हूं कि इस परियोजना को शहरी विकास मंत्रालय में हस्तांतरित करके रेल मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी टाल रही है। यह नहीं होना चाहिए।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : बच्चे की देख-भाल अक्सर मां ही करती है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जी हां, लेकिन मां को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि आप ऐसा करेंगे।

दूसरे, कलकत्ता में मझेरघाट और प्रिंसेपघाट के बीच सर्कुलर रेलवे का कार्य इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके अन्तर्गत कुछ जमीन कलकत्ता पत्तन न्यास के अधीन है, यह मैं जानती हूं। जब भी हम जल-भूतल मंत्री को उस सम्बन्ध में लिखते हैं तो वहां अपशकुनसूचक चुप्पी साध ली जाती है और जब हम रेल मंत्री को लिखते हैं तो वह मामले को जल-भूतल मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले में और विलम्ब न करें क्योंकि कलकत्ता में यातायात को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए इस कार्य को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करती हूं कि जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के सहयोग से उस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा।

तीसरी बात मैं उप-नगरीय रेलवे के बारे में कहना चाहती हूं। जिस पर हमारे सहयोगी श्री असीम बाला पहले ही थोड़ा बोल चुके हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि कुछ दिन पहले विशेषकर सियालदह सेक्शन में रविवारीय ट्रेन जैसी कुछ रेलगाड़ियां थोड़ी छलपूर्ण तरीके से हटा ली गई है। कुछ रविवारीय ट्रेनों को हटा लिया गया है जबकि बैरकपुर सेक्शन में भीड़ वाले समय के दौरान एक अतिरिक्त ट्रेन की मांग बहुत दिनों से की जा रही है जिसे जनवरी, 1992 में शुरू किये जाने का वायदा किया गया था। लेकिन इसे शुरू नहीं किया गया है। दक्षिण सियालदह और [illegible] हार्बर सेक्शन में स्थिति बहुत खराब है। मैं उन मार्गों पर प्रायः स्वयं ही यात्रा करती हूं और वहां आयेदिन होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत हूं; लोग ट्रेन से गिर पड़ते हैं। गत वर्ष बैरकपुर सेक्शन में ही 15 मौतें इस प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण हुईं।

इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह उप-नगरीय सेक्शन में रेलगाड़ियों की संख्या न घटाएं। उन सेक्शनों में रेल सेवा को कुशल नियंत्रण से अधिक लाभप्रद बनाएं और भीड़ वाले समय में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाएं जिसके बारे में वादा किया गया था।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

पटियाला में एक पुल बनना था। इसके इर्द-गिर्द से काफी बड़ी संख्या में लोग रेलवे लाइन क्रास करके जाते हैं। इसके नजदीक एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। दुख निवारण गुरुद्वारा जाने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। वहां जो पुल बनना था, उसे बना दिया जाये।

पंजाब में इस वक्त 15 जिले हैं। इन 15 जिलों का पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जाने के लिए रेल द्वारा कोई रास्ता नहीं है। उन्हें रास्ते में उतरना पड़ता है। लुधियाना से चंडीगढ़ और राजपुरा से चंडीगढ़ तक रेलवे लाइन बना दी जाए। हमारे मुल्क को आजाद हुए 45 साल हो गए हैं। पंजाब में रेलवे ने दो पैसे भी नहीं लगाये हैं यानी कि बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मेरी ये जो दो डिमांड्स हैं कि पंजाब के 15 जिलों को चंडीगढ़ से मिला दिया जाए और गुरुद्वारा दुख निवारण साहेब में रेलवे ब्रिज बना दिया जाए, उसे आप पूरा करवा दें। इतना ही मुझे कहना है।

श्री अरविन्द त्रिवेदी (साबरकंठा) : सभापति महोदय, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने यहां कुछ-न-कुछ कहा है लेकिन गुजरात की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। आज हमारे मंत्री जी अच्छे मूड में बैठे हुए हैं। इसलिए उनके सामने मैं कुछ मांगें रखना चाहता हूं। गुजरात में नडियाद, कापड़गंज और मोडासा प्रोजेक्ट के लिए जो काम हो रहा है, वह बहुत धीमी गति से हो रहा है। वह 9 साल में पूरा नहीं हो पाया है। बजट में कापड़गंज और मोडासा के लिए कोई पैसे नहीं रखे गए हैं। मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वह इसको जल्दी हाथ में लें जिससे यह पूरा हो जाए।

आज से सात साल पहले 55 अप और 56 डाउन डीजल की तंगी के कारण बन्द कर दी गई थी। इसकी बजाय दूसरी गाड़ी चल रही है। 20 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है। 140 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। आज से 30 साल पहले इसकी जो स्पीड थी वही स्पीड से चल रही है। भारत में कोई ऐसी ट्रेन नहीं होगी जो इस स्पीड से चलती हो। 30 लाख लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। वे रेलवे का पूरा फायदा उससे नहीं उठा पाते हैं। आप दूसरी गाड़ी इंट्रोड्यूस करें और इसकी स्पीड बढ़ाएं। इससे आसानी से और जल्दी अहमदाबाद पहुंचा जा सकेगा।

बंबई में रेलवे पर फुटओवर ब्रिज और प्लेटफार्म भी है। प्लेटफार्म पर लोग बसते खाना बनाते हैं और अपना संसार चलाते हैं। इसके लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। इससे पब्लिक को असुविधा होती है। रेल मंत्री महोदय को मैंने यह बात पहले भी बतायी थी लेकिन कुछ भी इस मामले में नहीं किया गया।

राजधानी एक्सप्रेस जो बम्बई से पांच बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है, इसकी बजाय वह बम्बई से एक घंटा जल्दी चले और वहां साढ़े आठ बजे पहुंचे। दिल्ली से राजधानी जिस प्रकार जाती है, उसी प्रकार बम्बई से आने वाली गाड़ी भी चले। एयरकंडीशन्ड एक्सप्रेस जो इस रूट पर चलती है उसमें दो डिब्बे सैकिण्ड क्लास ए० सी० स्लीपर के जोड़े जाएं। मंत्री महोदय जो कि आज अच्छे मूड में हैं, उनके सामने ये सब बातें रखते हुए यह आशा रखता हूं कि वह इसे स्वीकार करेंगे। यही मानकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : सभापति जी, आज रेलवे की सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स और सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स एक्सेस रेलवे के लिए जो बहस चल रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

आनरेबल रेलवे मिनिस्टर साहब श्री सी०के० जाफरशरीफ यहां बैठे हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत

[श्री सुभाष चन्द्र नायक]

करता हूं। मंत्री महोदय जानते हैं कि मैं कालाहाण्डी क्षेत्र से आया हूं, यह बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, अभी उन्होंने सम्भलपुर से निजामुद्दीन के लिए एक ट्रेन चलाई मगर उसमें सम्भलपुर से एक स्पेशल बोगी टिटलागढ़ में दिये हैं, वहां की जनता को कालाहाण्डी, फुलबानी और कोरापुट, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के लोगो को बहुत असुविधा होती हैं इसलिए मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह टिटलागढ़ से रायगडा तक उस ट्रेन को एक्सटैण्ड कर दें। वाल्टेयर और रायपुर रेलवे लाइन बहुत पुरानी हो गई है, वहां तुरन्त नई डबल रेलवे लाइन करके इलेक्ट्रीफिकेशन करना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सफीसिएण्ट पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए।

केसिंगा कालाहाण्डी का गेट है, नरला रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए मैंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और माननीय मंत्री श्री जाफर शरीफ को लिखा है और मैं सोचता हूं कि वह ओवर ब्रिज वहां बन जाएगा तो वहां बहुत सुविधा होगी। भवानी पटना में रेलवे टिकिट परचेज करने के लिए आपकी तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए। केसिंगा, रूपरारोड, लांजीगढ़रोड, काडेलरोड, नरलारोड, इन सब जगहों पर वेटिंग हाल जो बनाया है, उनका अच्छा इम्प्रूवमेण्ट होना चाहिए और केसिंगा रेलवे स्टेशन पर वी० आई० पी० वेटिंग हाल तुरन्त स्वीकृत करना चाहिए।

जैसे तिरुपति पुरी ट्रेन चलती है, वैसे ही पुरी से द्वारिका के लिए भी एक नई ट्रेन चलनी चाहिए। नई दिल्ली से हिन्दुस्तान के हर राज्य की राजधानी के लिए एक राजधानी एक्सप्रेस चलती है मगर उड़ीसा के लिए नहीं चल रही है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक एक राजधानी ट्रेन चलनी चाहिए। पुरी से तिरुपति चलने वाली ट्रेन बन्द हो गई है, उसे तुरन्त चलाना चाहिए और पुरी में एक यात्री निवास भी बनाना चाहिए।

मैं आपके आन्ध्र प्रदेश की बात बोल रहा हूं। आन्ध्र प्रदेश में नवापाड़ा गुनपुर जो पुरानी छोटी लाइन रही है, वह 1913 में बनाई गई थी, उसे महाराज परलाखेमडी श्री कृष्ण चन्द गजपति देव ने बनाया था, उसकी जगह नई रेलवे लाइन बनानी चाहिए जिससे वहां की जनता को कुछ सुविधा हो सके। कुछ दिन पहले उड़ीसा लैजिस्लेचर के लोग प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, आपको भी मिले थे, उन लोगों ने यहां पर मैमोरेण्डम भी दिया था, जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :—

[अनुवाद]

"योजना आयोग ने इस परियोजना को जूनागढ़ तक बढ़ाने की मंजूरी दी है जो कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा अल्मूनियम संयंत्र के लिए जारी किए गए आशय-पत्र के अध्याधीन होगा। मंजूरी बोर्ड ने कालाहांडी जिला में एक मिलियन टन अल्मुनियम संयंत्र के हेतु आशय-पत्र को मंजूरी दे दी है। दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत राशि 80.28 करोड़ रुपये है और जूनागढ़ तक इसे बढ़ा देने पर अनुमानित लाभ 15.45 प्रतिशत है। जूनागढ़ और अम्बागुदा के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।"

"मल्कानगिरि, कोरापुट और कालाहान्डी क्षेत्रों में बाक्साइट, चूना-पत्थर, अबरक जैसी खनिज सम्पदाओं के दोहन की आवश्यकताओं के औचित्य को देखते हुए इस परियोजना पर

ध्यान देना आवश्यक है और कोरापुट एवं रायगडा के बीच निर्माणाधीन रेलवे-लिंक कार्य 1992-93 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।"

"इस लाइन से नव-निर्मित गोपालपुर पत्तन को जोड़ा जा सकेगा जिससे कि अल्युमिनियम और इसके उत्पादों को निर्यात करने में मदद मिलेगी और इस हिन्टरलैंड का मार्ग खुल पायेगा। तीन अल्युमिनियम संयंत्रों को कोरापुट-कालाहांडी क्षेत्र में विस्तारित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस लाइन से निर्यात परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकेगा तथा गोपालपुर पत्तन भी इस मार्ग से जुड़ जाएगा।"

मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सारी बातों पर विचार किया जाए। रेलवे के संबंध में मुझे कहने के लिए जो आपने मौका दिया, उसके लिए आपको निजी रूप से धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री केवल सिंह (भटिंडा) : सभापति महोदय, मैं भटिण्डा पंजाब से आया हूं। आप सब जानते हैं कि भटिंडा एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने के नाते शहर में रेलवे लाइनों का जाल बिछा हुआ है। रेलवे लाइनों का जाल बिछा होने के कारण शहर के लोगों को बहुत परेशानी थी···शहरियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जो वहां रेलवे लाइन के ऊपर ओवर-ब्रिज शुरू किया था, जो कि पूरे शहर को क्रास करता है, वह ब्रिज आज कल अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा किया जाए। उस ब्रिज पर जो पैसा खर्च होने वाला था, उसमें से कुछ तो राज्य सरकार को जमा कराना था और कुछ रेल मंत्रालय की तरफ से जमा होना था। रेल मंत्रालय की तरफ से पैसा न जमा होने के कारण वह ब्रिज अधूरा पड़ा हुआ है। ब्रिज अधूरा रहने के कारण पूरे भटिण्टे के लोग संकट में हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको जल्दी से जल्दी पूरा करायें।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों और अतिरिक्त अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं। रेल की सुविधा सबसे सस्ती सवारी है और बिहार आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस साल बिहार को बजट में नजरअन्दाज कर दिया गया है। समस्तीपुर जहां से मैं आता हूं, वहां रेलवे का लोकोमोटिव का कारखाना है, उस कारखाने के संबंध में मैंने रेल मंत्री जी को परिस्थितियों से अवगत कराया था। कारखाना लोकोमोटिव का है, उसका विकास करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार उस कारखाने को बन्द करने में लगी हुई है। 1990-91 में रेलवे बजट में समस्तीपुर में 50 डीजल इंजन की स्वीकृति हो गई थी, काफी रुपया भी उस साल दिया गया था, लेकिन इस साल उसके लिए कोई खास रुपये का प्रबन्ध नहीं किया है। मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें।

4.32 म० प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

बगाह-छतौनी लाइन पर रेलवे पुल की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। इसको

[श्री मंजय लाल]

1990-91 में स्वीकृति दी गई। उस पुल की सामरिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगिता है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आर्थिक सहायता देकर उसको जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें। पटना में गंगा नदी पर रेलवे ब्रिज की मांग भी बहुत दिनों से चली आ रही है। यह योजना स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन रेल मंत्रालय से रुपया नहीं मिला है। उस योजना में भी रुपया आवंटित करके गंगा पर पुल बनाकर, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए कदम उठाना चाहिए। राजधानी एक्सप्रेस राज्य की राजधानी और केन्द्र से जोड़ने के लिए बनी है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि राजधानी एक्सप्रेस जो कलकत्ता से दिल्ली के लिए है, उसको कम से कम सप्ताह में तीन दिन पटना से पास कराना चाहिए। हाजीपुर से वैशाली तक भी जनता को रेल की सुविधा दी जानी चाहिए। वैशाली का ऐतिहासिक महत्व है और जनता सरकार ने भी उसके लिए पैसा दिया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि हाजीपुर से वैशाली तक रेलवे लाइन बनाई जाए और मोतीहारी लाइन को जोड़कर आवागमन की सुविधा दी जानी चाहिए। हमारा वह ऐतिहासिक स्थान है और उसकी गरिमा को देखते हुए वहां पर रेल लाइन बिछायी जानी चाहिए। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दस परसेंट पैसा दिया जाता है और नार्थ बिहार में यात्रियों के लिए कोई सुविधा का प्रबन्ध नहीं है। छोटे-छोटे स्टेशनों पर शैड तक का प्रबन्ध नहीं हुआ है। इस पार से उस पार तक जाने के लिए ब्रिज तक का प्रबन्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि छोटे स्टेशनों पर शैड का इन्तजाम हो। पुल का भी प्रबन्ध किया जाए।

सभापति महोदय, रेल के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज साहब थे तो रेल कर्मचारियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, उस सम्मेलन के उद्‌घाटन करने वाले हमारे बोम्मई साहब थे वे नहीं आए थे तो उसके मुख्य अतिथि जार्ज फर्नान्डीज साहब को उस सम्मेलन को उद्‌घाटित करने का मौका मिला था तो मैंने कहा था कि रेलवे में भ्रष्टाचार वहां से होता है जहां से नियुक्ति होती है-पच्चीस हजार, पचास हजार, 80 हजार रु० तक दे-देकर कर्मचारी नियुक्त होते हैं। जब नियुक्ति इस प्रकार से होगी तो वे कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे तो और क्या होंगे।

इसलिए रेलवे में जो नियुक्ति होती है उस पर ध्यान दें और साथ ही रेल में जो चोरी होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले बरौनी से सोनपुर तक जो छोटी लाइन है उसकी स्वीकृति दी गई थी, बड़ी लाइन बनाने के लिए, तो मैं रेल मंत्री जी से चाहूंगा कि आप छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कीजिए और उसी बरौनी से सोनपुर तक के बीच में हमारे क्षेत्र में एक हरपुर बोचहा स्टेशन है, उस स्टेशन पर पहले गाड़ी रुकती थी लेकिन अब गाड़ी नहीं रुकती है। मैं चाहूंगा कि पहले की तरह वहां पुनः ट्रेन चलाई जाए और जिससे लोगों में जो असंतोष फैल रहा है वह दूर हो सके।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मुजफ्फरपुर से बरौनी तक दोहरी बड़ी लाइन बन रही है, दोनों तरफ बन रही है सिहो से समस्तीपुर नहीं बन सकी है, थोड़ा सा काम रुका हुआ है उसको भी जल्द से जल्द कराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अन्तिम क्षणों में बहुत सारे नाम आए हैं। मैं यथासंभव लोगों को मौका देने की कोशिश करूंगी। लेकिन कृपया आप सब यह सुनिश्चित करें कि आप अपना भाषण सिर्फ मुद्दे या प्रश्न तक ही सीमित रखेंगे।

डा० जयंत रंगपी (स्वशासी जिला) : बहस में भाग लेते हुए मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की रेलवे सम्बन्धी समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं

यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है कि माननीय मंत्री के द्वारा बजट-भाषण में दिए गए अनेक आश्वासनों को पूरा किया जाना बाकी है।

मुझे खुशी है कि गुवाहाटी से आगे की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की लम्बी अरसे से चली आ रही मांग को अब मान लिया गया है और वहां कार्य चल रहा है। जहां मैं इस बात से खुश हूं वहीं माननीय मंत्री के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि लामडिंग और फिर विभिन्न चरणों में डिब्रूगढ़ तक बड़ी रेल लाइन निर्माण का कार्य है, उस सम्बन्ध में मेरा आग्रह है कि पहले पहला चरण अर्थात दीमापुर तक बड़ी रेल-लाइन बनाने का जो कार्य है, उसे पूरा किया जाए क्योंकि दीमापुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है जो कि नागालैंड एवं मणिपुर का सिंहद्वार है। दीमापुर तक विस्तार कार्य पूरा हो जाने से जहां उस राज्य के लोगों को लाभ पहुंचता है वहीं आसाम के पर्वतीय जिले जैसे करबी, आंगलोंग और उत्तरी कच्छार पर्वतीय क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित होते।

दूसरे वहां रेल-लाइन बिछाने के पीछे ब्रिटिश-शासन का एक मात्र अभिप्राय असम से चाय और अन्य दूसरे खनिजों की ढुलाई सुगम बनाना था। यही कारण है कि असम से गुजरने वाली रेल-लाइन बहुत ही कम जगहों पर आबादी वाले जगहों को छूती है। असम के चाय-बागानों से चाय-पत्ती और कोयले का दोहन मात्र करना ब्रिटिश सरकार की उपनिवेशिक प्रवृति थी। यही कारण है कि वहां के अधिकांश जिला मुख्यालय एवं गुवाहाटी मुख्य रेल-लाइन से नहीं जुड़े हैं।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे स्वतंत्र देश की स्वतंत्र सरकार भी उस औपनिवेशिक दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं ला पाई है। मुझे सीमित फंड की जानकारी है। लेकिन उत्तर-पूर्व के प्रति रेलवे के औपनिवेशिक दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए और यह एक वास्तव में स्वतंत्र देश का दृष्टिकोण होना चाहिए। वहां की वर्तमान रेल-लाइन को बदलना बिल्कुल सही है। लेकिन आसाम घाटी के अधिकांश क्षेत्रों जैसे नौगांव, शिवसागर, दारंग, सोनितपुर आदि जिले रेल-लाइन से बिल्कुल ही अछूते हैं। वर्तमान रेल-लाइन औपनिवेशिक सोच पर आधारित है ... (व्यवधान) मुझे एक बात कहनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति रेल मंत्रालय के दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए। मैं सिर्फ एक उदाहरण ही दूंगा। उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा मैं आपको बताऊं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का रेलवे के प्रति क्या नजरिया है जहां लोग नई रेल-लाइनें नई गाड़ियों आदि की मांग करते रहते हैं। वहीं मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि रेलवे के गलत काम-काज के तरीके एवं उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण मेघालय राज्य के लोगों ने मेघालय तक रेल-लाइन की विस्तार की सरकारी योजना का विरोध किया जिसके बारे में संभवतः कई सदस्य

[डा० जयन्त रंगपी]

जानते होंगे। वहां के लोगों ने कहा: "हमें रेल-लाइन नहीं चाहिए"। मैं समझता हूं कि यह देश का एक मात्र उदाहरण है जहां लोगों ने अपने यहां रेल-लाइन बनाने का विरोध किया क्योंकि उत्तर-पूर्व के लोग जानते हैं किजब वहां रेल-लाइन बनेगी तो स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलने से रहा और सिर्फ बाहर के लोगों को वहां रोजगार मिलेगा जिससे उन भू-क्षेत्रों में जनसंख्या की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा।

अन्त में मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जहां तक रेलवे में रोजगार देने का प्रश्न है,वर्तमान दृष्टिकोण में पूर्णतया बदलाव लाया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अन्यथा यह सिर्फ मेघालय की ही बात न रहकर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग किसी प्रकार के रेल-विस्तार का विरोध करेंगे क्योंकि उनकी नजर में यह कार्य मुख्य क्षेत्र के लोगों का उन क्षेत्रों में फैलाव करने का द्योतक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी भावनाओं पर ध्यान देगी।

सभापति महोदय : अब, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे। टेलीफोन कनेक्शन के प्रावधान के सम्बन्ध में स्वतंत्रता-सेनानियों को दी जाने वाली विशेष सुविधा के बारे में श्री राजेश पायलट वक्तव्य देंगे।

4.44 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई विशेष सुविधाएं

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) . माननीय सदस्यगण इस बात से परिचित हैं कि दूर संचार विभाग ने अब तक स्वाधीनता सेनानियों को, गैर-ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के अंतर्गत एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपना पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान की हुई है। कुछ अन्य वर्ग के व्यक्तियों और संस्थाओं को भी यह विशेष सुविधा प्राप्त है।

भारत छोड़ो आन्दोलन की पचासवीं वर्षगांठ पर संपूर्ण राष्ट्र इन साहसी पुरुषों को श्रद्धांजली अर्पित कर रहा है। प्रधान मंत्री जी 8 अगस्त, 1992 को संसद में पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि सरकार इन्हें सम्मानित करने की प्रक्रिया जारी रखेगी और अपनी सम्पूर्ण क्षमता के बल पर निःसन्देह इसमें सुधार करती रहेगी। दूरसंचार विभाग भी विनम्र भाव से इन वीर पुरुषों का सम्मान करना चाहेगा।

इस संदर्भ में दूरसंचार विभाग ने इन साहसी पुरुषों को सम्मानित करने के लिए विधिवत् रूप से मान्यताप्राप्त स्वाधीनता सेनानियों को 15 अगस्त, 1992 से कुछ और सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय किया है। तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर, प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को अति उच्च प्राथमिकता पर एक-एक टेलीफोन कनैक्शन दिया जाएगा, इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का संस्थापना शुल्क नहीं देना पड़ेगा और उनसे सामान्य किराया प्रभार का केवल आधा हिस्सा ही लिया जाएगा।

महोदया, राज्य सभा में तकनीकी औचित्य के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठाई गई थी, कि स्वतंत्रता सेनानियों को यह कह कर परेशान किया जायगा कि इस समय कोई लाइन उपलब्ध नहीं है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं इसे सुरक्षा के उपाय के रूप में रख रहा हूं क्योंकि अगर कोई माननीय सदस्य एक्सचेंज से 40 या 60 मील दूर रह रहा हो तो उन्हें तत्काल कनेक्शन देना हमारे लिए संभव नहीं होगा उसके पीछे यही भावना है। मैं अपने निर्देश में यह सुनिश्चित करूंगा कि स्वतंत्रता-सेनानियों को कनेक्शनों के सम्बन्ध में उच्चतम प्राथमिकता मिले। जहां तक इसके तकनीकी पहलू का सम्बन्ध है, केवल यही एक सुरक्षा उपाय है उसे अन्यथा न लें (व्यवधान)

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93—जारी
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1988-89—जारी

[अनुवाद]

*श्री के०एच०मुनियप्पा (कोलार): सभापति महोदया, भारतीय रेल एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और मैं माननीय मंत्री महोदय, श्री जाफर शरीफ को उसके लिए बधाई देता हूं।

कर्नाटक से पांच रेल मंत्री रह चुके हैं। श्री एच० सी० दासप्पा श्री के० हनुमानथय्या, श्री टी०ए०पई और श्री जार्ज फर्नान्डीज सी०के० जाफर शरीफ इसके बावजूद कर्नाटक का भारतीय रेल के नक्शे पर नामोनिशान ढूंढना भी मुश्किल था वर्तमान रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने भारतीय रेलके विकास के लिए अनेक नये एवं प्रगतिशील कदम उठाये हैं।

चालू वर्ष के दौरान अनेक नई गाड़ियां चलाई गई है। तिरुपति और बंगलौर के बीच एक नई गाड़ी चलाई गई है। बंगलौर और नई दिल्ली के बीच सिकंदराबाद से होते हुए राजधानी एक्सप्रेस गाड़ीचलाई जा रही है। यह राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में केवल एक बार चलेगी। कर्नाटक के लोगों की मांग को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस राजधानी एक्सप्रेस को हफ्ते में कम से कम चार दिन चलाएं।

---

* मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री के० एच० मुनियप्पा]

कर्नाटक एक्सप्रेस, जो बंगलौर और नई दिल्ली के बीच चलती है उसका गौरीबेदनूर में कोई स्टाप नहीं है। इस क्षेत्र के लोग काफी समय से वहां पर इसका एक स्टाप बनाने की मांग कर रहे हैं। वास्तव में मैंने माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध किया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कर्नाटक एक्सप्रेस का यहां स्टाप हो। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कारंवाई नहीं की गई है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जल्दी ही वहां पर स्टाप उपलब्ध कराया जाएगा।

बंगारपेट और येलाहंका के बीच एक बहुत पुरानी छोटी रेल लाईन है। हमने सरकार को इसे बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए अनेक ज्ञापन भेजे है। हजारों कृषक व्यावपारी और सरकारी कर्मचारी इस गाड़ी पर निर्भर करते हैं। किसानों को कृषि उत्पादों को भेजने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। कोलार जिले में आलू बहुतायत में उत्पन्न होता है। चिक्कबल्लापुरा और आस पास के क्षेत्रों में रेशम के कीड़ों को पालने का काम तेजी से विकासित हो रहा है। इन क्षेत्रों में टमाटर और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में पैदा की जाती हैं। कोलार जिले के कृषकों के लिए इन कृषि उत्पादों को बाहर भेजने की बड़ी समस्या है अतः मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बंगारपेट और येलहंका के बीच की इस रेल लाइन को बदलने के लिए पर्याप्त धनराशि दें।

रेलगाड़ियों में खान-पानसम्बन्धी सेवाओं में कुछ सुधार हुआ है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बेहतर खान-पान सेवा उपलब्ध कराने और खाने की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाएं।

सिकन्दराबाद और बंगलौर के बीच कोई सीधी बड़ी रेल लाइन नहीं है। इन दो शहरों के अधिकांश लोग आने जाने के लिए मुख्यतः सड़क परिवहन पर निर्भर करते हैं। अतः भारत के इन तेजी से विकसित हो रहे इन दोनों शहरों के बीच सीधी रेल लाइन का निर्माण करना अति आवश्यक है। इससे राजधानी एक्सप्रेस की अवधि कम से कम तीन घंटे तक घट जाएगी।

मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री को भारतीय रेल में सुधार हेतु उनके प्रयत्नों के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) सभापति महोदय, मेरे पास अधिक कहने के किए कुछ नहीं है। उड़ीसा से हमारे सहयोगी सदस्य उड़ीसा को लगातार उपेक्षा पर पहले ही तीव्र असन्तोष जाहिर कर चुके हैं। उड़ीसा में यह धारणा है कि उड़ीसा का पिछड़ापन और प्रति व्यक्ति आय तब तक निम्न ही रहेंगे जब तक उड़ीसा के संसाधनों का उपयोग नहीं होता और रेल विभाग उसमें बड़ी भूमिका अदा नहीं करता। अतः उड़ीसा की गृह समिति द्वारा रखी गई मांगों से सहमत होते हुए, मैं इस पर जोर देना चाहूंगा और मंत्री महोदय से प्रधान मंत्री और रेल मंत्री को उड़ीसा की गृह-समिति

द्वारा दिए गए ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने का अनुरोध कर रहा हूं।

इसके साथ ही मैं राष्ट्रीय महत्व के गोपालपुर और तलचेर के बीच रेल लाइन के निर्माण पर जोर देना चाहता हूं। उसका राष्ट्रीय महत्व इस मायने में है कि जब तक कोयला दक्षिण भारत स्थित थर्मल पावर स्टेशनों में नहीं जाता है, तब तक उनमें काम नहीं होगा और दक्षिण भारत की ऊर्जा सम्बन्धी समस्यायें और जटिल हो जायेंगी। अतः राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से इस रेल लाइन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरी दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक कारणों की वजह से उड़ीसा को पश्चिमी उड़ीसा के साथ मिलाना संभव नहीं है क्योंकि संबलपुर-तलचेर रेल लाइन पूरी नहीं बनी है हालांकि उसके लिए पर्याप्त धनराशि दी गई थी। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि यंत्रीकरण और ठेके दिए जाने आदि के कारण धनराशि खर्च नहीं की गई। अतः मंत्री महोदय, को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। और इसके अलावा मैं पुरी से अमृतसर, तक जो दोनों मन्दिरों वाले नगर हैं, सीधी रेल गाड़ी चलाने की मांग करता हूं। इसका ऐतिहासिक महत्व है गुरु नानक देव पुरी में ठहरे थे और राष्ट्रीय अखंडता के लिए भी ऐसी गाड़ी चलाई जानी चाहिए। अगर संभव हो तो नीलांचल एक्सप्रेस को अमृतसर तक बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

एक अन्य बात यह है कि गंगटोक (सिक्किम) के लिए कोई रेल लाईन नहीं है। इस राज्य तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है और जो छोटी रेल लाइन वहां थी, उसे जमीन खिसकने की घटनाओं के कारण 50 वर्ष पहले ही उसका उपयोग में लाया जाना बंद किया जा चुका है गंगटोक और सिलचर को जोड़ने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह बड़ी लाइन होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं तथा यह भी चाहता हूं कि मंत्री महोदय उड़ीसा के लोगों की निराशा को समुचित प्रत्युत्तर अवश्य देंगे ताकि उड़ीसा के लोग यह सोचें कि लम्बी उपेक्षा के पश्चात उनके साथ न्याय हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझुनु) : जनाब-ए-मोहतरमा चेयरमैन साहिबा, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने ऐसे अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं रेल मंत्रालय से सम्बन्धित जो डिमाण्ड्स सदन में पेश की गयी हैं उनका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही, मैं अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से रेल मंत्री, श्री जाफर शरीफ साहब को बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी आल्हा काबलियत की बदौलत आज हमारी रेलवे दुनिया के अंदर एक खास मुकाम रखती है। हमारे देश में इतनी बड़ी रेलवे फैमिली को आप मेन्टेन करते हैं और इतनी बड़ी सरपरस्ती आपकी काबलियत की बदौलत हो रही है, जिसके लिए आप, आपके सहयोगी मंत्री जी, और आपकी पूरी रेलवे फैमिली बधाई की पात्र है।

मैं राजस्थान से आता हूं जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां के डेजर्ट के बारे में आप सब को मालूम है। उस डेजर्ट इलाके में लोगों ने सन 1982 के बाद पहली ट्रेन देखी है जो झुंझुनु

[श्री अयूब खां]

और दिल्ली के बीच चलती है और वह ट्रेन आपकी बदौलत उस क्षेत्र को मिल सकी है। वह इलाका ऐसा है जो सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान की फौज को सैनिक देता है, जिसका नाम झुंझुनु है। झुंझुनु के लोगों की देशभक्ति और वहां के सैनिकों को मद्देनजर रखते हुए, जो आपने ट्रेन दी है, उस ट्रेन का नाम भी आपने सैनिक एक्सप्रेस रखा है जो बहुत तारीफ के काबिल बात है। मेरे क्षेत्र के लोग इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं।

चूंकि राजस्थान का इलाका सबसे ज्यादा पिछड़ा है और आज वहां बी० जे० पी० की हकूमत है, जिनको काम करने का सलीका भी नहीं आता। आपने जो मीटरगेज से ब्रौडगेज में रेलवे लाईन बदलने का काम राजस्थान को दिया है, इतना बड़ा काम दिया है, लेकिन बी० जे० पी० की गवर्नमेंट है, उनके नेता, लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके क्योंकि उनको काम करने की आदत नहीं है। उनको तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद की आवाज ही सुनाई देती है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को राजस्थान की जनता तथा अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और राजस्थान में 1992 के बाद पहली बार मेरे क्षेत्र झुंझूनु में ट्रेन के लिए मैं उनका बहुत ही मशकूर हूं। इससे वहां की गरीब जनता को अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी।

महोदया, जिन स्टेशनों पर, पीने के पानी की और प्लेटफार्म एवं शेड आदि की सुविधाएं नहीं हैं, उनके नाम मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। वे स्थान हैं : नवलगढ़, झुंझुनु, मुकुन्दगढ़, सूरजगढ़, रामगढ़ फ्तेहपुर और बिसाऊ हैं जिन पर कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और कहीं पर शेड नहीं है और कहीं पर प्लेटफार्म ही नहीं है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं अविलम्ब उपलब्ध करवाई जाएं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में एक हेतमसर जगह है, वहां पर ट्रेन का ठहराव नहीं है। वहां पर कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। वहां के लोगों को तीन-तीन और चार-चार किलोमीटर ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा कि वहां एक नया स्टेशन खुलवाकर वहां की जनता को रेलवे की सुविधा प्रदान करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी तथा अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने उस क्षेत्र के लिए 1992 के बाद एक ट्रेन प्रदान की है।

جناب ایوب خاں جھنجھنو

جناب محترم چیئرمین صاحب

میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایسے اوسر پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں ریلوے منترالیہ سے متعلق جو ڈیمانڈس سدن میں پیش کی گئی ہیں ان کا سمرتھن کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں اپنی طرف سے اور اپنے چھیتر کی طرف سے ریل منتری شری جعفر شریف صاحب کو بہت بدھائی اور مبارک باد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی اعلیٰ قابلیت کی بدولت آج ہماری ریلوے دنیا کے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ہمارے دیش میں اتنی بڑی ریلوے فیملی کو آپ مینٹین کرتے ہیں اور اتنی بڑی سروس آپ کی قابلیت کی بدولت ہو رہی ہے جس کے لئے آپ ۔ آپ کے سہیوگی منتری جی اور آپ کی پوری ریلوے فیملی بدھائی کی پاتر ہے۔

میں راجستھان سے آتا ہوں جو بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے وہاں کے ڈیزرٹ کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے۔

میں ڈیزرٹ علاقے میں لوگوں نے ۱۹۸۲ء کے بعد پہلی ٹرین دیکھی ہے جو جھنجھنو اور دلی کے بیچ چلتی ہے اور وہ ٹرین آپ کی بدولت اس چھیتر کو مل سکی ہے۔ وہ علاقہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ ہندوستان کی فوج کو سینک دیتا ہے جس کا نام جھنجھنو ہے۔ جھنجھنوں کے لوگوں کی دیش بھگتی اور وہاں کے سینکوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو آپ نے ٹرین دی ہے اس ٹرین کا نام بھی آپ نے سینک ایکسپریس رکھا ہے جو بہت تعریف

کے قابل بات ہے میرے چھیتر کے لوگ اس کے لیے آپ کو بہت بہت بدھائی دیتے ہیں۔ اور آپ کا بہت آبھار پرکٹ کرتے ہیں۔

چونکہ راجستھان کا علاقہ سب سے زیادہ پچھڑا ہے اور آج وہاں بی جے پی کی حکومت ہے جن کو کام کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔

آپ نے جو میٹر گیج سے براڈ گیج میں ریلوے لائن بدلنے کا کام راجستھان کو دیا ہے اتنا بڑا کام دیا ہے لیکن بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان کے نیتا لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے کیونکہ ان کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے ان کو تو صرف مندر اور مسجد کی آواز ہی سنائی دیتی ہے۔

مانیہ سبھا پتی مہودے میں آپ کے مادھیم سے مانیے۔ منتری مہودے کو راجستھان کی جنتا اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور راجستھان

میں ۱۹۹۲ء کے بعد پہلی بار میرے چھیتر جھنجھنوں ٹرین ہے لئے میں ان کا بہت ہی مشکور رہوں۔ اس سے وہاں کی غریب جنتا کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اور اپنی غریبی دور کرنے میں مدد ملے گی۔

مہودے۔ جن اسٹیشنوں پر پینے کے پانی اور پلیٹ فارم اور شیڈ وغیرہ کی سودھائیں نہیں ہیں ان کے نام میں مانیئے منتری مہودے کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ استھان ہیں نول گڑھ۔ جھنجھنو۔

مکند گڑھ۔ سورج گڑھ فتح پور اور لباؤ ہیں۔ جن پر کہیں پینے کے پانی کی ووستھا نہیں ہے۔ اور کہیں پر شیڈ نہیں ہیں اور کہیں پر پلیٹ فارم ہی نہیں ہے اس لئے میرا منتری مہودے سے انورودھ ہے کہ ان اسٹیشنوں پر پاپت سودھائیں اپلبدھ کروائی جائیں۔

مہودے میں آپ کے مادھیم سے گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علاقہ میں ایک ہیم سوجگہ ہے جہاں پر ٹرین کا ٹھہراؤ نہیں ہے وہاں پر کوئی ریلوے اسٹیشن بھی نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تین تین

اور چار چار کلومیٹر ٹرین پکڑنے کے لئے جانا پڑتا ہے

میں امید کروں گا کہ وہاں ایک نیا
اسٹیشن کھلوا کر وہاں کی جنتا کو ریلوے سودھا
پردان کریں گے

انہیں شبدوں کے ساتھ میں اس انوپورک انودان
کی مانگیں کا سمرتھن کرتا ہوں اور اپنی اور اپنے چھیتر کی جنتا
کی طرف سے ماننیہ منتری مہودے کو بہت بہت دھنیواد دیتا
ہوں کہ آپ نے اس چھیتر کے لیے ۱۹۲۲ء کے بعد ایک
ٹرین پردان کی ہے

دھنیواد -

ختم شد

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैं रेलवे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अलीगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिसमें रामघाट रोड के ऊपर रेलवे के ब्रिज का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। बहुत दिनों से यह लम्बित पड़ा है जिसके कारण आए दिन वहां रेलवे क्रासिंग के ऊपर 3-4 दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि इसको प्रायर्टी बेस पर निर्माण कराने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं अलीगढ़ के बारे में यह कहना चाहती हूं कि यहां से डेली पैसेंजर दिल्ली के लिए बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यह तो हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय शीला जी यहां बैठी हुई हैं, दिल्ली में प्राब्लम साल्व हो जाती है, यहां मकान नहीं मांगते, शिक्षा के लिए नहीं मांगते, लेकिन वे लोग दिल्ली आने के लिए अलीगढ़ से एक सीधी रेलगाड़ी ऐसी मांगते हैं, जो वहां से 7 या साढ़े सात बजे चले और यहां पर कार्यालय के समय पर आ जाए और इसी प्रकार से एक गाड़ी शाम को ऐसी चले जो दफ्तर बन्द होने के बाद चले और वहां पर ठीक समय पर पहुंच जाए।

महोदया, रेलवे का सफर भी कम है और किराया भी कम है। यदि हम बस से आते हैं तो दिल्ली आने में 3 घंटे लग जाते हैं जबकि गाड़ी से सवा दो घंटे में आ जाते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे डेली पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के अनुसार, कार्यालय समय के अनुरूप एक ट्रेन चलाने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : सभापति महोदया, आठ महीने के भीतर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि रेल मंत्री महोदय बजट के लिए आए हैं। उन्होंने भाड़ा 10 और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ा दिया है। वास्तव में उन्हें रेल सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए और माल यातायात में जो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है सुधार करना चाहिए। उन्हें रेल-यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए। लेकिन सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ है। आजकल प्रथम श्रेणी के डिब्बों की बड़ी बुरी हालत है। जब वे बजट में बढ़ोत्तरी के लिए कहते हैं तो उन्हें इन चीजों में सुधार करना चाहिए।

हम देखते हैं कि पटरियों का रख-रखाव उचित स्तर का नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि दक्षिण-मध्य रेलवे में तथा सारे देश में एक महीने में लगभग 104 दुर्घटनाएं हुई हैं। जब तक वे इन सब कमियों में सुधार नहीं करते तब तक वे कुशलता बढ़ाने में समर्थ नहीं होंगे।

हम विजाग को भी दक्षिण-मध्य रेलवे में सम्मिलित करवाना चाहते हैं। जहां कहीं भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त चौकीदार वाले रेलवे फाटकों की जरूरत है; उनको निर्माण किया जाना चाहिए। राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को इसका ध्यान रखना होगा। सरकार को यह देखना चाहिए कि रेल विभाग ये सुविधाएं उपलब्ध कराये।

सभी एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूलित दो टियर बोगी होनी चाहिए। विजाग-हैदराबाद रेलगाड़ियों को मेल किया जाना चाहिए। भद्राचलम-कावूर रेल लाइन के लिए पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि रेल विभाग के लोग इसकी समीक्षा करें। काकीनाड़ा-कोट्टपल्ली रेल लाइन जो पहले विद्यमान थी, युद्ध के समय हटा दी गई। इस निर्णय पर पुनः विचार किया

[श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या]

जाना चाहिए ।

प्लेटफार्मों पर बड़ी रेलगाड़ियां आती है लेकिन वहां शेल्टर सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं । मुझे आशा है कि रेल मंत्री महोदय इन सभी बातों पर विचार करेंगे और कुछ व्यवस्था करेंगे ।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : सभापति महोदया, हम बहुत दुखी हैं । हमें रेलवे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दो बार ऐश्योरेंस दिया है । हमने पहले बजट में बोला था कि बैतारी से वासपाणी तक रेलवे लाइन शीघ्र ही बनाई जाए । उसके सर्वे को 30 साल हो गए लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है । मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह सत्य है या असत्य है, इसे हम जानना चाहते हैं । मेरा रेलवे स्टेशन जे० के० रोड है । वहां पर हरिजन और आदिवासियों के लिए कोई सुविधा नहीं है ।

बड़ाजामदा से बरबील जो रेल चलती है उसके लिए पहले मधु दण्डवते जी ने कहा था लेकिन इन मंत्री महोदय को कुछ भी ध्यान नहीं है । अभी कहते हैं कि सप्लीमेंट्री बजट को सपोर्ट करें । बड़े दुख की बात है, हमारा ऐरिया माइनिंग ऐरिया है । हमारा ऐरिया सरकार को 50 करोड़ रुपये की ऐनुवल इनकम देता है । यहां कहा जाता है कि हम आदिवासी के इनटरेस्ट की बात करते हैं लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है । कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है ।

हम फस्ट क्लास में आते है । वहां पर भी बहुत परेशानी होती है । खाना-पीना बहुत गन्दा है । इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है ।

[अनुवाद]

उन्हें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए । अगर वे उन पर विचार नहीं करते हैं तो फिर लोगों द्वारा उन पर आरोप लगाया जायेगा । आपको देश का ख्याल रखना पड़ेगा । पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखना होगा । आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं ? उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है, मैंने उनसे इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (दवरिया) : सभापति महोदया, मैं केवल आज माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देने खड़ा हुआ हूं कि हमारे इलाके की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है—छितौनी-बगहा का रेलवे पुल, उसको बनाने में इनकी गहरी रुचि है । बावजूद इस बात के कि इनकी रुचि है, हमारी जो दो राज्य सरकारें हैं, दुर्भाग्य से जिस पर मुझे शर्म आ रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें, जिस अनुपात में उन्हें मदद करनी चाहिए, उनकी मदद नहीं कर रही हैं । फिर भी इन्होंने 15 करोड़ रुपये उसके लिए दिए हैं ।

मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम इसी वर्ष, जब इनके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रिटायर होने जा

रहे हैं, उसके पहले, क्योंकि उसका नक्शा बनाने में और उस परियोजना को आगे बढ़ाने में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की गहरी दिलचस्पी रही है और एक पिछड़े हुए इलाके में उनकी गहरी रुचि उनके विकास की ओर रही है। हमारे सारे अवरोध के बावजूद अपने यश और कीर्ति को बढ़ाने के लिए और उस पुल के ऊपर अतिरिक्त राशि और न बढ़े, उसमें अन्य राशि जोड़ते हुए इस वर्ष अक्तूबर तक यदि उसका टेन्डर करवा दें और निर्माण शीघ्र करवा दें तो मैं समझता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसकी तरक्की में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

मैं केवल इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं 2-3 प्वाइंट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहली मेरी मांग यह है कि पटना-गया-पुरानी लाइन है, हम बराबर 1984 से रेल बजट में यह रट लगा रहे हैं कि इसका दोहरीकरण किया जाये। यह बहुत पिछड़े इलाके में है। यह इलाका पंजाब और असम की तरह संवेदनशील बनता जा रहा है। फतुहा-इस्लामपुर एक छोटी लाइन है। मार्टिन कम्पनी ने इसको बनाया था लेकिन इन्होंने इसको बन्द कर दिया है। इस इलाके में बस के द्वारा ही यात्रा की जा सकती है। लोगों को इस पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। गरीबों को यात्रा करने में बड़ी कठिनाई होती है। हम चाहते हैं कि आप इसका सर्वे करवा लें। पटना से बोधगया होते हुए हजारीबाग तक इसे जोड़ा जाये। हजारी बाग जिला का मुख्यालय है। वहां आज तक कोई लाइन नहीं पहुंची है। आप इस पर ध्यान दें।

स्टीम इंजन को आपने खत्म कर दिया है। समाप्त करने से वहां मजदूरों की छंटनी हो गई है। वहां ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को लगाया जाता था। वे गरीब मजदूर हैं। बोधगया में ऐसे दो सौ मजदूर बेकार पड़े हैं। उनकी कमाई से हजारों परिवार बसते थे लेकिन वे हजारों परिवार सड़क पर आ गए हैं और भूखों मर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में केस गया हुआ है। न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश दिया है। उसमें कहा है कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक इन लोगों को काम दिया जाये लेकिन रेलवे विभाग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका कहना है कि जो कोर्ट का फैसला नहीं मानता है, वह अपराधी है और वहां जंगल राज चलता है। यह तो अन्तरिम फैसला है। जो फैसला होगा उसको मजदूर भी मानेंगे और आपको भी मानना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में डी० आर० एम० मुगलसराय से मेरी कल भी और आज भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको ला मिनिस्ट्री में उठाएंगे। पर अपने वकील से राय लेने के लिए अधिकारी को भेज रहे हैं जैसी सलाह देगा, उसकी सूचना मैं आपको दूंगा।

एक मेरी मांग यह है कि आप हाकर्स को लाइसेंस दे दीजिये। वे बिना लाइसेंस के चीजें बेचते हैं। ऐसे में पुलिस उनसे रिश्वत लेती है और कई बार उनको मार-पीटकर भगा भी देती है। वे मजबूर होते हैं और सामान बेचते रहते हैं। इनको लाइसेंस देने से 60 करोड़ की आमदनी होगी। अतः आप इन्हें लाइसेंस दीजिये।

रेलवे में करोड़ों रुपये की चोरी होती है। दानापुर में कमर्शियल डिपार्टमेंट में पार्सल में एक अधिकारी है जिसको प्रतिदिन दस हजार की आमदनी है। इनके विभाग के एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि हम रिपोर्ट करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वहां इतनी बड़ी चोरी होती है, उसको आप रोकें। इससे यह धन विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री को पुरूलिया-कोटशिला रेल लाइन को छोटी रेल लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के कार्य की आरम्भ करने पर बधाई देता हूं। मैं कुछ प्रत्यक्ष प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक यात्री रेलगाड़ी मुरी-बरकाखाना है जो एक दिन में केवल 59 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैंने माननीय मंत्री को एक पत्र लिखा है। मेरा सुझाव है कि इस रेलगाड़ी को टाटानगर तक बढ़ाया जाये। एक अन्य गाड़ी धनबाद से बोकारो तक केवल 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 8 घंटे खड़ी रहती है। इसके चलाने में घाटा हो रहा है। अगर इसे मुरी तक चलाया जाये तो यह लाभप्रद हो सकती है। मेरा यह भी सुझाव है कि हल्दिया से बोकारो तक एक नई रेलगाड़ी शुरू की जाये और इस उद्देश्य के लिए रेल बजट में एक नई रेल लाइन झाड़ग्राम से बांदवां शामिल की जानी चाहिए जिसका सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री से सुझाव है कि पुरूलिया-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी को भरुभूम तक, जोकि एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है, चलाया जाए। मैं बोकारो से हावड़ा तक रेलगाड़ी चलाने का माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं तथा चक्रधरपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी को भी बांटा नहीं जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : माननीय सभापति महोदया, मैं पहले तो रेल मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं कि सूरत मुसावल वेस्टर्न रेलवे पर जो गाड़ियां चलती हैं, उनमें डीजल इंजन लगाया।

सूरत मुसावल पश्चिम रेलवे की 335 किलोमीटर लाईन है। इसमें सूरत उधना 10 किलोमीटर डबल लाईन है। मुसावल जल गांव 22 किलोमीटर की डबल लाइन है और जलगांव अमलनेर के बीच 25 किलोमीटर डबल लाइन का निर्माण कार्य 1988 में चालू हुआ लेकिन अभी तक 25 किलोमीटर का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। यह काम बहुत धीमी गति से या ना के बराबर हो रहा है। 1992 के वित्तीय वर्ष के रेल बजट में इसको स्वीकृति नहीं दी गई है ऐसी मेरी जानकारी है। यह रेलवे लाइन सूरत मुसावल गुजरात और महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया से होकर गुजरती है। मेरी रेल मन्त्री जी से प्रार्थना है कि चालू वित्तीय वर्ष में इसको स्वीकृति दें और डबल लाइन का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी चालू कराने की व्यवस्था करें। यह रेलवे लाइन ब्रिटिश सरकार के जमाने से बनी हुई है। हमारी सरकार ने इस रेलवे लाइन पर अधिक ध्यान नहीं दिया है और यह लाइन पिछड़ी पड़ी है, इसकी तरफ भी रेलवे मन्त्री जी ध्यान दें।

बम्बई, दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का सूरत में स्टाप देना चाहिए। वहां रेलवे फाटक बिठाने की व्यवस्था करें ताकि दुर्घटनाएं कम हों। वहां रेलवे गेटमैन को 24 घण्टे रहना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। अभी ए०सी० एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दिल्ली चल रही है लेकिन उसमें सेकेण्ड स्लीपर नहीं है, उसमें सेकेण्ड स्लीपर लगाया जाए ताकि उसमें कर्मचारियों के लिए जगह मिल सके, इसकी तरफ मन्त्री महोदय ध्यान दें।

मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं और मैंने जो निवेदन किया है, उसपर रेल मन्त्री जी ध्यान देंगे, ऐसी आशा करता हूं।

डा० जी०एल० कनोजिया (खीरी) : मैं उस लखीमपुरी खीरी क्षेत्र से आ रहा हूं जो बहुत

बैकवर्ड एरिया है, जहां छोटी लाइन है, बड़ी लाइन नहीं है ।

लखनऊ से 175 किलोमीटर पड़ता है और बरेली से जाते हैं तो 150 किलोमीटर पड़ता है। वहां की लाइनों की कण्डीशन बड़ी खराब है तो मन्त्री महोदय आपसे इसमें थोड़ा मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ।

दूसरी बात है कि खीरी में जो रेलवे लाइन पास होती है वहां घनी बस्ती है, वहां पर कोई ओवरब्रिज नहीं है, उसके लिए भी मैं अनुरोध करूंगा।

तीसरी बात यह है कि शाहजहांपुर से हम 5 सांसद चढ़ते है, लखीमपुर खीरी से मैं चढ़ता हूं, सीतापुर से हमारे जनार्दन मिश्र चढ़ते हैं, शाहबाद से श्री सुरेन्द्र पाठक चढ़ते हैं और सत्यपाल सिंह चढ़ते हैं और चिन्मयानन्द जी चढ़ते हैं और कभी-कभी परशुराम गंगवार जी भी चढ़ते हैं।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस गाड़ी को उस स्टेशन पर रुकवा दिया जाए। छः सांसद वहां से चढ़ते हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। दूसरी बात जो हमारे माननीय राजवीर जी ने कही है, सुबह को ट्रेन नहीं जाती है वहां दिल्ली से और वहां से नहीं आती है। उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। बरेली एक्सप्रेस साढ़े छ. बजे वहां से चलकर दस बजे दिल्ली आती है, इसको शाहजहांनुपुर तक कर दिया जाए—ऐसा मेरी मंत्री महोदय से निवेदन है।

एक बात और एक छोटी लाइन अंग्रेजों के जमाने से खोटार लाइन, जो 1913 हुई थी, वह उठा ली गई थी। शाहजहांनपुर-फरूखाबाद 70 किलोमीटर की दूरी है, अगर हम बरेली से जाते हैं तो 300 किलोमीटर पड़ता है और कानपुर-लखनऊ होकर जाते हैं तो 550 किलोमीटर पड़ता है। इस लाइन को बनाने के लिए पहले प्रस्ताव था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस पर दोबारा विचार किया जाए। यह लाइन फर्रुखाबाद से शाहजहांनपुर से खोटार तक जोड़ दी जाए, यह लाइन नेपाल तक जाएगी, इससे जनता को बड़ी सुविधा हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पलिया जो तहसील है, एक उग्रवादी क्षेत्र है। वहां पर छोटी लाइन जाती है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। मेरा अनुरोध है कि चंदनचौकी, गोराफंटा बलिया होते हुए खोटार से गोला, खिरी होते हुए सीतापुर और लखनऊ पहुंच सकें। इसमें 11 घंटे का समय लगता है और यह 160-170 किलोमीटर की दूरी है, मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक मेल ट्रेन को चन्दनचौकी तक चलाया जाए। वह क्षेत्र हमारा थारू जनजाति का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस गरीब थारू और हरिजन लोगों की सुविधा के लिए आपको यह सुविधा देनी चाहिए।

मैं अपनी बात खत्म करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पलिया से चन्दनचौकी और गौरीफंटा तथा सीतापुर जो छोटी लाइनें जाती है उसके लिए वे कदम उठाएं, जिससे जनता को सुविधा हो सके।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : मैं हावड़ा और दिल्ली के बीच प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने का समर्थन करने के साथ-साथ यह भी मांग करता हूं कि इसे और तेज गति से चलाया जाना चाहिए। इस समय यह अपनी यात्रा करने में सामान्यतः 18 घन्टे लेती है। मेरा यह सुझाव है कि इसे 14 घन्टे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि हावड़ा-

[श्री सुदर्शन कुमार चौधरी]

दिल्ली मार्ग पर शताब्दी एक्सप्रेस के समान ही एक नयी सुपर-फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

मेरी दूसरी मांग यह है कि बाली स्टेशन जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे का महत्वपूर्ण संगम है, उसपर सभी महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों का ठहरना जरूरी है। बाली स्टेशन पर सभी महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों को रुकने से गाड़ियां सुचारू रूप से चल सकती हैं और यात्रियों का सुचारू रूप से आवागमन हो सकता है। इसलिए कृपया इस पर ध्यान दिया जाए।

मैं हावड़ा-आमटा रेलवे के सम्बन्ध में सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा आठवें दशक के दौरान इस रेलवे की नींव रखी गई थी किन्तु अभी तक केवल बड़गछिया तक ही रेलवे लाइन बिछाई गई है। इस मार्ग पर रेल गाड़ियां नियमित रूप से नहीं चलती। हम हावड़ा-आमटा चापाडांगा रेलवे परियोजना को मूर्तरूप देने और उसे तुरन्त लागू करने की मांग करते हैं। हावड़ा और बड़गछिया के बीच और रेल गाड़ियां चलाई जानी चाहिए।

बानकुनी तथा सीरमपुर स्टेशन में हावड़ाबर्धमान पत्तन तथा हावड़ा वर्धमान मुख्य भूमि पर कम्प्यूट्रीकृत टिकट बुकिंग केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है।

जहां तक भूमिगत रेल गाड़ी का सम्बन्ध है, दक्षिणेश्वर से गडिया तथा रामराजातला से साल्टलेक तक दो परियोजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

भूमि अभिग्रहण तथा अन्य प्राथमिक कार्य को तुरन्त आरम्भ करना चाहिए जिससे कि समय व्यर्थ न जाए और भूमिगत रेल गाड़ी के वर्तमान स्तर पर निर्माण के दौरान हमने जो विशेषज्ञता प्राप्त की थी उसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अतः इस कार्य को करना चाहिए।

अन्त में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे का देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-गुवाहाटी, दिल्ली बंगलौर तथा दिल्ली-त्रिवेन्द्रम रेल मार्गों पर राजधानी एक्सप्रेस चलाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : सभापति महोदया, मैं अनुदान की पूरक मांगों के विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। इस रेल बजट को बनाते समय उत्तर भारत के साथ बहुत अन्याय किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं आम रेल भाड़ा तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रेल यात्रियों की सुविधा के बारे में बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सैकण्ड क्लास के डिब्बों को देख लें जहां गन्दगी का साम्राज्य रहता है। रोशनी नहीं रहने के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा रहती है और रोशनी के अभाव में तमाम दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

मैं आपसे दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि इलाहाबाद में जो जोनल आफिस हैडक्वार्टर्स बनाने के सम्बन्ध में सन् 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री गनीखान चौधरी ने प्रस्तावित किया था, आज आठ साल हो गए हैं, अभी तक उस जोनल हैडक्वार्टर्स बनाने के बारे में फाईल खोलने की गलती नहीं की गई है। मैं माननीय रेल मंत्री को यह याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे पत्र

लिखकर सूचित किया है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण यह बनना सम्भव नहीं है। लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि दक्षिण भारत में जो रेलवे को सभी सुविधाएं प्रदान की गयीं, उसके लिए धन की कमी क्यों नहीं हुई। नार्दर्न रेलवे का जोनल आफिस बड़ौदा हाउस दिल्ली में है। नार्दर्न और सेंट्रल जोन को बांटकर इलाहाबाद में प्रस्तावित जोनल आफिस का मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। आप इस बहुप्रतिक्षित मांग की ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

तीसरी बात यह है कि इलाहाबाद में रेल यात्री निवास का पूर्व रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्रा ने शिलान्यास किया था, वह काम बिलकुल ठप्प हो गया है। आप जानते हैं कि इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण नगर है! यह नगर सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और औद्योगिक रूप से प्रसिद्ध है। वहां पर अनेक मुख्यालय एवं हाई कोर्ट है जिसके कारण बहुत लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इसलिए वहां पर रेल यात्री निवास का होना जरूरी है। जो महत्वपूर्ण रेल वहां नहीं रुकती हैं, उनको भी रोकना जरूरी है।

सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि आज भारत को आजाद हुए 45 वर्ष हो गये हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद के समीप अचल, समहन व सोसई में आज भी रेलवे क्रासिंग में फाटक नहीं लगा हुआ है, नहीं लगने से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी-कभी सवारियों से भरी पूरी बस रेल दुर्घटना का शिकार हो जाती है, कभी-कभी ट्रेक्टर में बैठे लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं इसलिए प्रत्येक रेलवे क्रासिंग पर इंटरलाकिंग फाटक होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त लेखा अनुदान 1990-91 की मांगों के समय पूर्व रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्रा ने घोषणा की थी कि आगरा-इलाहाबाद के बीच में नई सीधी रेलगाड़ी चलेगी। जैसा कि मंत्री जी जानते हैं इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण शहर है, अतः इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, मंत्रियों द्वारा जो घोषणाएं हुई हैं, उन कामों को शीघ्र करने का प्रयास होना चाहिए।

सभापति महोदया, रेलवे में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने में बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है जिसकी वजह से रेलवे कर्मचारी जो किसी वजह से अपने कार्यालय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनका परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए कम से कम अनुकम्पा आधार पर परिवार के सदस्य को नौकरी देने में विलम्ब न करें। इस ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिए आमंत्रित करती हूं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : कृपया आप और सदस्यों को बोलने का अवसर दीजिए तब तक मंत्री महोदय सभा में उपस्थित हो जाएंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : हमको भी अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। मुझे एक मिनट का भी समय बोलने के लिए नहीं दिया गया।···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : आप पहले बैठ जाइए। आप ऐसे नहीं बोलिए। इस सदन की सुपरिचालना आपके हाथ में ही है।

···(व्यवधान)···

श्री राम निहोर राय (रावर्ट्सगंज) : मुझे भी एक मिनट बोलने को नहीं दिया गया। हमें भी अपनी बात कहनी है।···(**व्यवधान**)···

आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री (सुल्तानपुर) : आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे? मैं दो घंटे से बैठा हुआ हूं और हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया है।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप कृपा करके बैठ जाएंगे?

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री जी को बात करने के लिए आमंत्रित करती हूं। कई लोगों ने बोलने का अवसर खो दिया है। आप मंत्री जी से बात कर सकते हैं। कृपया सभा का अनुशासन बनाए रखें।

(**व्यवधान**)

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : सभापति महोदया, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है। मुझे उनके बहुमूल्य सुझावों से बहुत लाभ मिला है। वास्तव में, मैं जब वाद-विवाद सुन रहा था, तब मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं सभा के समक्ष अनुपूरक अनुदानों को रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं या मैंने सभा के समक्ष एक और बजट प्रस्तुत किया है। मैं सदस्यों की उत्सुकता और कौतुहलता का आदर करता हूं क्योंकि देश में हर एक को विकास की आवश्यकता होती है। यदि योजना आयोग मुझे अनुमति देने में सक्षम होता या आप मुझे अधिक आबंटन करते तो मैं अधिक कार्य लेने की स्थिति में होता था।

महोदया, जैसा कि आप जानती ही हैं, मैं एक सीमित उद्देश्य से सभा के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। परन्तु मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हम इन सुझावों को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे ताकि जब भी सम्भव हो सके, इन्हें लागू कर सकें।

कुल 3352 कि० मी० रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने सम्बन्धी सोलह नयी परियोजनाओं को 1992-93 बजट में शामिल किया गया है। बजट चर्चाओं के दौरान, मेरे कई साथी चाहते थे कि मैं इसी वर्ष और कार्यों को आरम्भ करूं। इन चर्चाओं का उत्तर देते हुए मैंने यह संकेत दिया था कि पुरुलिया—कोटशिला, मद्रास—तिरुचिरापल्ली तथा कोटकपुरा—फाजिल्का खंड की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का कार्य 1992-93 में शुरू होगा। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में जेन्डेल कटवा खंड के विद्युतीकरण का प्रस्ताव भी है। तदनुकूल, मैंने सभा के समक्ष 5 मई, 1992 को रखें, अपने बयान में कहा था कि इन कार्यों को तुरन्त आरम्भ करने के लिए, जिसमें हर कार्य एक नई सेवा है।

भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाला गया और निकाले गये धन की पुनः प्राप्ति अनुदानों की अनुपूरक मांगों द्वारा की जाएगी।

महोदया, पुरुलिया—कोटशिला एक 33 कि० मी० लम्बी छोटी रेलवे लाइन है जो चंदिल—अदरा तथा भूरी—गोमोह बड़ी लाइन से जुड़ी हुई है। इस लाइन के परिवर्तन के कारण यातायात के संचालन में सुगमता आ जाएगी और इससे बड़ी लाइन के यातायात को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त क्षमता प्राप्त होगी।

कोटकपुरा—फाजिल्का खंड ही पंजाब राज्य की एकमात्र ऐसी छोटी लाइन है जो फाजिल्का के सीमावर्ती शहर को कोटकपुरा से होते हुए भटिंडा से जोड़ती है। इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने से बड़ी लाइन पर भटिन्डा के छावनी शहर से फाजिल्का तक, नौकान्तरण को छोड़कर, 55 कि० मी० की दूरी कम होगी।

मद्रास त्रिची भाग के परिवर्तित होने से तमिलनाडु की जनता की बरसों की आकांक्षाएं पूरी होंगी और इससे दक्षिण तमिलनाडु का विकास तेजी से होगा।

बंडेल—कटवा खंड एक उपनगरी खंड है और योजना आयोग के परामर्श से इस खंड के विद्युतीकरण का निर्माण किया गया है।

कोटकपुरा—फाजिल्का खंड (80 कि० मी०) के लाइन परिवर्तन पर 30 करोड़ रुपये, मद्रास—तिरुचिरापल्ली खंड (337 कि० मी०) के लिए 200 करोड़ रुपये, पुरुलिया—कोटशिला खंड (35 कि० मी०) के लिए 20 करोड़ रुपये तथा बेन्डेल—कटवा खंड (104 कि० मी०) के विद्युतीकरण के लिए 45.5 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत अनुपूरक मांगों में शामिल की गई है। इस कार्य को तुरन्त प्रारम्भ करने के लिए क्रमश: 20 लाख, 50 लाख, 50 लाख तथा 10 लाख रुपयों की अग्रिम राशि भारत की आकस्मिक निधि से ली गई है। राशि की पुन: प्राप्ति के लिए उन चार कार्यों में से हर एक कार्य के लिए एक लाख रुपयों की नाममात्र अनुपूरक अनुदानों, जिसके अनुसार चार कार्यों की पूर्ति के लिए चार लाख रुपये की मांग की गई। आकस्मिक निधि के शेष राशि की पुन: प्राप्ति अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा हो सकती है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, कृपया, क्या आप मुझे एक मिनट का सहयोग देंगे ? जबकि सामान्य उद्देश्य समिति बैठक का आयोजन हो रहा है, यदि सभा को कोई आपत्ति न हो तो मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी से पीठासीन होने का अनुरोध करती हूं।

5.32 म० प०

(श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तन को भीड़-भाड़ वाली रेल लाइनों के विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे परिवहन एवं माल ढुलाई सम्बन्धी बाधायें दूर होंगी और रेलवे की यातायात के सम्बन्ध में क्षमता एवं सक्षमता बढ़ जाएगी तथा साथ ही नए विकास केन्द्र खोलने के लिए निवेशकों में विश्वास आएगा। इस प्रयास में रेल विभाग ने 11 हजार कि०मी० रेलवे लाईन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना को संचालन और रणनीतिगत प्राथमिकताओं के आधार पर बनाया गया है और इसके अन्तर्गत देश के अधिकांश भागों में कई परियोजनाएं आयेंगी पर ऐसा नहीं जैसाकि एक वक्ता ने कहा कि हमने अलगाववादी दृष्टिकोण अपनाया है। बजट प्रस्तुत करते समय, यह कहा गया था

[श्री सी०के० जाफर शरीफ]

कि आठवीं योजना के प्रथम वर्ष में 1200 कि०मी० छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाएगा। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अब तक जो प्रगति हुई है उसको देखते हुए रेलवे को ये विश्वास है कि भले ही लक्ष्य से अधिक प्रगति न कर पाए पर कम से कम लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी।

सभापति महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि, रेलवे के मालगाड़ी डिब्बों के लिए, जो वित्तीय संकट से गुजर रहा है "ओन यौर वैगन योजना" शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी। मुझे सभा को ये सूचित करते हर्ष हो रहा है कि रेलवे विभाग इस योजना के साथ तैयार है और उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य के मालिकों को इस उद्यम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वैगन उपभोक्ता या तो वैगन निर्माताओं से अथवा भारतीय रेल के माध्यम से वैगनों की खरीद कर सकेंगे। सामान्य रूप से काम आने वाले वैगनों को रेलवे के साथ मिला लिया गया और भारतीय रेलवे इन वैगनों की रख रखाव करेगा। रेलवे वैगनों के निजी मालिकों को न केवल उचित लीज प्रभार देगा बल्कि सभी रेल वैगन उपभोक्ताओं को एक निश्चित संख्या तक वैगनों की सप्लाई सुनिश्चित करेगा।

मैंने इस सभा में 6000 हार्स पावर इलेक्ट्रानिक इंजनों की खरीद के बारे में पहले ही उल्लेख कर दिया था, भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण के लिए इन इंजनों की खरीद की जा रही है। मैसर्स ए० बी० बी० को दिए गए ठेके में सभी प्रकार की प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों का पालन किया गया है। इस मामले के बारे में सभा में पर्याप्त रूप से कहा गया है और अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।

वास्तव में, जब इस बात पर कुछ सदस्यों ने नोटिस दिया था तब मैं, इस मामले पर सभा में चर्चा करने के लिए खुद ही तैयार हुआ। मुझे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है।

वास्तव में, यदि मैं सभा के विभिन्न राजनैतिक दलों के कुछ माननीय सदस्यों का नाम लूंगा जिनके साथ मैंने अपने विचार का आदान-प्रदान किया था, तो यह असंगत नहीं होगा। उनमें से मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा। हमने श्री जसवन्त सिंह जी को सब कुछ बता दिया। मेरे मित्र श्री बसुदेव आचार्य मेरे सामने बैठे हैं, हमने उनके साथ भी अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। हमने कोई भी बात अपने तक ही सीमित नहीं रखी। भा० क० पा० के माननीय नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त के साथ भी हमने चर्चा की। हमने तेलुगुदेशम के श्री राव के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

हमने इस मुद्दे पर श्री अमल दत्त से भी बातचीत की है। मैं यह कहना चाहता हूं यदि कोई सदस्य स्वयं आकर इन फाइलों को देखना चाहता है तो उसका स्वागत है, वह आए और रिकार्ड देख लें। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता।

जहां तक रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग करने का संबंध है मेरे सहयोगी श्री मल्लिकार्जुन ने इस का विस्तार से उत्तर दिया है। अब मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने को नहीं है।

इस चर्चा के दौरान मेरे सम्माननीय मित्रों श्री रबि राय, डा० कार्तिकेश्वर पात्र और उड़ीसा से मेरे अन्य मित्रों ने उड़ीसा में रेल विकास कार्य का मुद्दा उठाया है। उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष

के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्ट मन्डल प्रधानमंत्री और मुझसे मिला था, सर्वदलीय शिष्ट मन्डल और उड़ीसा के संसद सदस्यों से इस विषय पर बातचीत करने के बाद मैंने निम्नलिखित घोषणाएं की हैं :-

1. रुपसा— बांगरि पोसी उत्तरी गेज खंड को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कार्य-योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

2. रेल मंत्रालय योजना आयोग के सहयोग से दयतारी से बांसपानी तक नई रेल लाइन बिछाने के कार्य को आगे बढ़ाएगा।

3. उड़ीसा में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

4. विशाखापत्तनम से खड़गपुर तक की रेल लाइन के विद्युतीकरण के सर्वेक्षण कार्य, जिसकी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

वर्ष 1988-89 के दौरान अनुदान संख्या 10, 13 और 16 के अन्तर्गत 104.45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 3,4,7,9 और 11 के अन्तर्गत परिव्यय विनियोग के अधीन 51.94 लाख रुपए का अतिरिक्त कम हुआ है।

104.45 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय में से भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित अतिरिक्त मांग की धनराशि 93.3 करोड़ है। रेलवे यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा रही है कि बजट सम्बन्धी आकलन वास्तविकता के आधार पर तैयार किए जाएं और इनमें इस प्रकार का अन्तर न आए। 1989-90 में इस स्थिति में सुधार हुआ है। एक मांग के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि केवल 2.47 करोड़ रुपए और 1990-91 में यह राशि 19.06 करोड़ रुपए था।

वर्ष 1988-89 के दौरान हुए इस अतिरिक्त व्यय की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई। समिति ने लोक सभा को 29.4.1992 को प्रस्तुत अपने 19वें प्रतिवेदन में इस राशि के वैधानीकरण की सिफारिश की है। इसलिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को वैधानीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है।

जैसे कि सभा को जानकारी है हमने 1991-92 के मूल बजट आकलन में 235 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का निरूपण किया था। संशोधित बजट आकलन में यह राशि बढ़ाकर 435 करोड़ रुपए करदी गई। मुझे सभा को यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि हम इस लक्ष्य को भी पार कर गए हैं। यह सब समूचे रेलवे परिवार और इसके समर्पित कामगारों के जोरदार एवं सुगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप सम्भव हो पाया।

महोदय, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी संचालन अनुपात में वृद्धि दर्शाने के लिए कार्य-योजना आरम्भ की गई है। अब तक वित्तीय निष्पादन काफी उत्साहवर्धक रहा है और मुझे विश्वास है कि अपनी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के लिए प्रसिद्ध रेलवे कर्मचारी अपने लक्ष्य में पूरा उतरेंगे और अधिकाधिक आन्तरिक संसाधन जुटाने में हमारी नयी योजना से अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त होंगे।

श्री बसुदेव आचार्य ने एक मुद्दा बरखास्त/छंटनी किए गए कामगारों को पुनः रोजगार में

[श्री सी०के० जाफर शरीफ]

लेने के बारे में उठाया है। 13,500 एल० आर० एस० ए० कर्मचारियों में से जिन्होंने 1980-81 के अवैध आन्दोलन में भाग लिया था, अब तक केवल 313 एल० आर० एस० ए० कर्मचारियों को पुनः बहाल किया गया है या उनके दण्ड में न्यायालय के आदेशों पर आधारित अपीलीय आधार पर संशोधन कर दिया गया है। इसी प्रकार 1-4-1980 से 56 गैर—एल०आर०एस०ए० कर्मचारियों की मजदूर संघ सम्बन्धी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण नियम 14 (ii) के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई जिनमें से केवल 5 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की गई हैं। इस प्रकार बरखास्त किए गए/हटाए गए 298 एल० आर० एस० ए० के कर्मचारी तथा 51 अन्य कर्मचारी हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या 349 है।

जैसा कि संसद में पहले ही सूचित किया गया है कि सरकार ने शेष कर्मचारियों की सेवाएं बहाल न करने का निर्णय लिया है। तथापि इन कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के रूप में कुछ आर्थिक राहत देने पर विचार किया गया है। मन्त्रिमन्डल ने उनकी सेवा-अवधि और सेवा से हटाए जाने के समय उनके वेतन के आधार पर उन्हें राहत राशि के भुगतान की मंजूरी दे दी है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि ऐसे मृतक कर्मचारियों के परिवार भी उक्त अनुग्रह राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

श्री बसुदेव आचार्य ने 135 मामलों में जांच कराए जाने सम्बन्धी न्यायालय के आदेशों का भी उल्लेख किया है। उनके द्वारा उठाए गए इनमें से कुछ मामले मजदूर संघ सम्बन्धी गतिविधियों या 14 (ii) से सम्बन्धित मामलों के दायरे में नहीं आते। जिन मामलों में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे अन्तर्ग्रस्त है उनमें विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं/दायर की जा रही हैं। अन्य मामलों में जांच करवाने की प्रक्रिया जारी है।

जहां तक भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण सम्बन्धी संदर्शी योजना का सम्बन्ध है, भारतीय रेलवे अपने लक्ष्यों के अनुरूप अपनी लागत में अधिकाधिक कमी लाने की प्रक्रिया में अपनी कार्य प्रणाली में निरन्तर आधुनिकीकरण ला रही है। इस उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं और उठाए जाते रहेंगे जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे हर सम्भव कम लागत पर अपनी परिवहन सेवा उपलब्ध करा रही हैं। आधुनिकीकरण अभियान की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

वाष्पचालित इंजनों को त्वरित आधार पर हटाया जा रहा है और 1994-95 तक बड़ी लाइन से इन सभी इंजनों को हटा लिया जाएगा और मीटर गेज लाइनों से इन्हें इस सदी के अन्त तक हटा लिया जाएगा।

मौजूदा डीजल इंजनों में ईंधन की कम खपत करने वाले उपकरण लगाकर इन्हें और अधिक ईंधन की कम खपत करने वाला बनाया जाएगा।

तीन फेज वाले विद्युत इंजनों की खरीद करने का प्रस्ताव है और चित्तरंजन लोकोमोटिव में इनका स्वदेशी निर्माण भी किया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा करने से उर्जा की खपत में काफी कमी आएगी और इनका रख-रखाव भी किफायती होगा।

एअर ब्रेक्स हाई केपेसिटी कपलर्स और टेपर्ड रोलिंग बियरिंग्स की सुविधा युक्त आठ पहियों वाले रेल डिब्बों को लगाया गया है और पुराने चार पहिए वाले डिब्बों को प्रचलन से हटाया जा रहा है।

पटरियों को जोड़ने का कार्य काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इससे केवल रेलमार्ग के टूटफूट में कमी नहीं आएगी बल्कि इससे ऊर्जा खपत में बचत के साथ-साथ रेल परिवहन सुगम, कारगर व आवाजरहित द्रुतगति युक्त हो जाएगा।

कंकरीट स्लीपरों का प्रयोग करके भारतीय रेलवे व्यवहारिक रूप से लकड़ी के बने नए स्लीपरों की खरीद से मुक्त हो गया है। पर्यावरण सुधार में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

रेल पटरियों के रखरखाव के लिए 'ट्रैक मशीनों का काफी प्रयोग किया जा रहा है, इससे न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ रही है बल्कि लागत में भी कमी आ रही है।

रेलवे ने 'पेनल इन्टर लाकिंग रूटरिले इन्टर-लाकिंग' 'मल्टी एस्पेक्ट लाइट सिगनलिंग' आदि जैसी आधुनिकीकृत सिगनल प्रणालियां भी अपना ली हैं। ट्रैक सर्किट्स और 'आक्जिलरी वार्निंग सिस्टम्स' का विस्तार करके सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत किया जा रहा है। संचार प्रयोजनों के लिए 'फाइबर आपटिक्स' के प्रयोग की शुरूआत पहले ही की जा चुकी है।

कम्प्यूटरीकरण।—यात्री आरक्षण प्रणाली सबसे पहले नई दिल्ली स्टेशन पर शुरू की गई थी और अब 37 स्टेशनों पर यह प्रणाली विद्यमान है, तथा धीरे-धीरे इसे अन्य स्टेशनों पर भी लागू किया जाएगा। इससे यात्रियों को काफी सुविधा हुई है और इस प्रणाली के अन्तर्गत तुरन्त आगे के लिए/वापसी के लिए आरक्षण सुविधा भी उपलब्ध है रेलवे में दिन प्रतिदिन के कार्य में कम्प्यूटर का प्रयोग डिविजनों, वर्कशाप्स, स्टोर्स डिपो डीजल शैड, क्लेम्स आफिसों आदि में भी किया जा रहा है।

उत्पादन एकक और कार्यशालाएं, रेलवे संगठन के महत्वपूर्ण अवयव हैं। परेल, अजमेर, जगाधरी, गोल्डन राक, लिलुआह, खड़गपुर और मद्रास स्थित आई० सी० एफ० में स्थित 7 प्रमुख कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण कर दिया गया है और 10 अन्य महत्वपूर्ण कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण कार्य चल रहा है। इससे इंजनों, सवारी डिब्बों और मालडिब्बों की खराबी के कारण उपयोग न किए जाने की अवधि में कमी आएगी।

10,000 किलोमीटर से अधिक लम्बी रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है और विद्युतीकरण के कार्य को मुख्य क्षेत्र के रूप में लिया जा रहा है। उक्त विद्युतीकरण से आयातित डीजल तेल पर निर्भरता में कमी आएगी।

अपने भाषणों में माननीय सदस्य मांग करते रहे हैं कि सरकार को एक खुला मंच होना चाहिए। ऐसा निर्णय लिया गया है कि रेल मन्त्रालय की संसद सदस्यों की परामर्श दात्री समिति के सदस्यों में से तीन उप-समूहों का गठन किया जाय। प्रत्येक उप-समूह निम्न दो विषयों का अध्ययन करके उस पर अपने सुझाव देगा।

भारतीय रेलवे की वित्तीय सम्भावनाएं, वे इसकी निगरानी कर सकते हैं, इसकी देखरेख कर

[श्री सी० के० जाफर शरीफ]

सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं और इसके बारे में हमारी सहायता कर सकते हैं तथा हमें सुझाव दे सकते हैं। 'स्क्रैप' के निपटान के बारे में कई आशंकाएं बनी रहती हैं। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए जाते हैं। इसलिए सदस्य इस सबकी जांच कर सकते हैं और वे इस प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं कि इसकी देखरेख किस प्रकार की जाए।

रेलवे की भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बात पर सन्देह किया जा रहा है कि हम पक्षपातपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इसके बारे में किसी को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस पहलू की भी जांच कर सकते हैं।

रोलिंग स्टाक—आयोजना उपलब्धता, क्षमता उत्पादन आदि। इन्जनों की खरीद, रोलिंग स्टाक के हिस्से-पुर्जों की खरीद के बारे में भी सन्देह व्यक्त किया गया था। वे इस पहलू की भी जांच कर सकते हैं।

यात्री सेवाएं—सुधार और रेलगाड़ियों के 'स्टापेज' को युक्तिसंगत बनाना। रेल मन्त्री के लिए यह सदा चिन्ता का विषय रहा है। रेलवे बोर्ड का एक सलाहकार प्रत्येक उप-समूह की सहायता करेगा।

इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने के लिए संसदीय कार्य मन्त्रालय को भी लिखा गया है।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों का जवाब दे पाता तो मैं खुशनसीब व्यक्ति होता। दुर्भाग्यवश ये अनुपूरक अनुदान केवल अत्यन्त सीमित उद्देश्य के लिए हैं। इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमने सभा पटल पर माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गौर किया है और मेरा मंत्रालय इन सबका अध्ययन करेगा। हमारा सदा यही प्रयास रहेगा कि हम इन मामलों में अच्छे से अच्छा करें और इस सम्बन्ध में हम उन्हें भी लिखेंगे। अब मैं सभा से अनुपूरक अनुदानों को पारित करने का अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य—महोदय, मैंने बरखास्त रेलवे कर्मचारियों का उल्लेख किया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब 6 बजने में 10 मिनट हैं। यदि माननीय मंत्री महोदय पूरक प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मैं अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे प्रश्न लगाने दीजिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : सभापति महोदय, मैं कह चुका हूं कि यह अनुदानों की पूरक

मांग से सम्बन्धित है। मूल रूप से चार घंटे का समय दिया गया था। बजट पर चर्चा के लिए हमने जितना समय लिया था लगभग हमने उतना ही समय लिया है। मैंने यह कहा है कि हमने इन सब बातों को ध्यान में रखा है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे तथा हम आपको भी इस सम्बन्ध में लिखेंगे। मैं यह नहीं चाहूंगा कि हम अनावश्यक रूप से इसे शुरू करें।

जहां तक विनियोग विधेयक का सम्बन्ध है, तो यह तय हुआ है कि इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा। हम एक साथ ही इसे प्रस्तुत करेंगे और मैं सभा से इसे पारित करने का अनुरोध करूंगा।······(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० जी० एल० कनोजिया (खीरी) : मंत्री जी, जिस काम पर आपका एक पैसा खर्च नहीं होना है, उसको करने में कितनी देर लगेगी ? बरेली पैसेन्जर को शाहजहांपुर तक एक्सटैण्ड कर दिया जाए तो लोगों को सुविधा हो जायेगी, यह बरेली से 40 किलोमीटर पड़ता है। राजवीर सिंह जी ने भी कहा है और मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हम इसको देख लेंगे।······(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। इन्द्रजीत जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, क्या आप हम सबको प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहे हैं ? यदि आप किसी एक व्यक्ति को प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं तो आपको अन्य लोगों को भी अनुमति देनी चाहिए।

श्री सुदर्शनराय चौधरी : मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं।······(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) यदि सभापति महोदय प्रश्न करने अथवा स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें, तो यह पूछा जा सकता है।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैंने तीन लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय रेल मजदूर संघ को मान्यता प्रदान करने का मुद्दा उठाया था। मैं माननीय मंत्री महोदय की प्रक्रिया जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : चन्द्राकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : मैं इस वाद-विवाद का समापन चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, छंटनी किए गए श्रमिकों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री बसुदेव आचार्य : वे छंटनी किए गए मजदूरों के उन मामलों पर विचार करने के लिए तैयार हैं जहां उच्च न्यायालय में इनकी सुनवाई हुई है तथा इनके पक्ष में निर्णय दिया गया है। क्या

आप सहमत हैं ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अभी माननीय मंत्री जी को और कुछ नहीं कहना है।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने उन्हें निर्णय की सभी प्रतियां दे दी हैं। (**व्यवधान**) हम विनियोग विधेयक पारित होने नहीं देंगे। (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, यदि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर इस सम्मानीय सभा में चर्चा करने की अनुमति दी जाए तो आप बहुत ही गलत पूर्वोदाहरण बनायेंगे। क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत व्यक्तिगत मामलों को यहां चर्चा हेतु उठाया गया है ? यह सभा नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए है न कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा के लिए है। (**व्यवधान**)

श्री ई० अहमद : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**)

5·55 म प्र०

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चूंकि हमें माननीय मंत्री महोदय से कोई उचित उत्तर नहीं मिल रहा है, हम इसके विरोध में बाहर जा रहे हैं।

5.55 1/2 म० प०

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1992-93 के लिए बजट (रेलवे) से सम्बन्धित अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें—मांग संख्या 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)**

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की अनुपूरक मांग की राशि
1	2	3
16	परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय पूंजी	रु० –4,00,000

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1988-89 के लिए बजट (रेलवे) से सम्बन्धित अतिरिक्त अनुदानों की मांगें सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें—मांग संख्या—10, 13 तथा 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)**

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि
1	2	3
		रु०
10. परिचालन व्यय—ईंधन		3,82,74,306
13. भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ		

1	2	3
16. परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव		
अन्य व्यय		
रेलवे निधियां		7,32,34,305

———

5·57 म० प०

[अनुवाद]

विनियोग (रेलवे) सख्या-3 विधेयक,* 1992

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव*** करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 10-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

***राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : माननीय सभापति महोदय, अब हमारे पास सिर्फ एक मिनट बचा है और मैं नहीं समझता हूं कि हम एक मिनट में खण्डवार विचार समाप्त कर लेंगे। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि सभा की बैठक न सिर्फ विनियोग विधेयक पारित करने के लिए बढ़ायी जानी चाहिए बल्कि जैसे कि पहले हम आज देर तक बैठने के लिए सहमत हुए थे चूंकि हमारे पास सिर्फ दो दिन ही रह गये हैं और काफी सरकारी कार्य अभी लम्बित पड़ा है, इस सभा की बैठक 7.30 बजे म० प० तक बढ़ाई जाए।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : माननीय सभापति महोदय, हमने चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये थे और माननीय मंत्री महोदय हमारी मांगों से सहमत नहीं हुए। अब सभा की बैठक बढ़ाने के लिए हमें क्यों सहमत होना चाहिए?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि सभा की बैठक 7·30 बजे म० प० तक बढ़ाने में माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है तो हम कम से कम विनियोग विधेयक पारित होने तक सभा की बैठक बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मंत्री महोदय द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, सदन में विचार करने के लिए। अभी काफी माननीय सदस्य, सी० पी० आई० आदि के जा चुके हैं। कोरम भी नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि अब आप हाउस को एक्सटेंड करें। कृपया रेलवे की मांगों की स्वीकृति तक बैठें।

6·00 म० प०

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है कि विनियोग विधेयक स्वीकृत किया जाए क्योंकि विनियोग विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होगी।

अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6·02 म० प०

विनियोग (रेलवे) संख्या-4 विधेयक, 1992

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*दिनांक 10-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : सभा मंगलवार, आगामी 11 तारीख के 11 बजे म० पू० पर पुनः होने के लिए स्थगित होती है ।

6·04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 11 अगस्त, 1992/20 श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली—110053